

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. IX, Fourth Session, 2020/1942 (Saka)
No. 08 Monday, September 21, 2020/ Bhadrapada 30, 1942 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
OBITUARY REFERENCES	16
PAPERS LAID ON THE TABLE	17-22
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS Unstarred Question Nos. 1611 to 1840	23-532
MESSAGES FROM RAJYA SABHA AND BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA	533
COMMITTEE ON ESTIMATES 1 st and 2 nd Reports	533
COMMITTEE ON PETITIONS 9 th to 12 th Reports	534
STATEMENTS BY MINISTERS	
(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 42 nd Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2018-19) on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning (Demand No. 21) pertaining to the Ministry of Defence.	
Shri Arjun Ram Meghwal	535

- (ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 80th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on 'Synergy between Tribal Justice System and Regular Justice System in the Country' pertaining to the Department of Justice, Ministry of Law and Justice.
- Shri Sanjay Shamrao Dhotre** 536
- (iii) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 100th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances and Pensions on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- Dr. Jitendra Singh** 537
- (iv)(a) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 152nd Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2020-21), (Demand No. 10) pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry.
- 538
- (b) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2019-20), pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs
- Shri Hardeep Singh Puri** 538

- (v)(a) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2019-20), pertaining to the Department of Telecommunications, Ministry of Communications 539
- (b) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2019-20), pertaining to the Department of Posts, Ministry of Communications.
Shri Sanjay Shamrao Dhotre 539
- (vi) Status of implementation of the recommendations contained in the 153rd Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2020-21), (Demand No. 11), pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry
Shri Som Prakash 540
- (vii) Fixing the Minimum Support Price (MSP) for 22 agricultural crops
Shri Narendra Singh Tomar 616-617

MATTERS UNDER RULE 377

563-578

- (i) Need to set up adequate number of Van Dhan Kendras in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency, Maharashtra
Shri Ashok Mahadeorao Nete 563
- (ii) Regarding problems being faced by coffee growers
Shri Prathap Simha 563-564
- (iii) Regarding reform in Madrasa education
Shri Nisith Pramanik 564
- (iv) Need to set up a Technical Textile Park in Panipat, Haryana
Shri Sanjay Bhatia 564-565
- (v) Need to set up 'Electric Loco Periodical Overhaul Workshop' and 'Railway Concrete Sleeper Manufacturing Unit' in Kalahandi Parliamentary Constituency, Odisha
Shri Basanta Kumar Panda 565
- (vi) Need to link Kapilvastu in Siddharthnagar district, Uttar Pradesh with other Buddhist sites
Shri Jagdambika Pal 565-566
- (vii) Need to revive the Japla Cement Factory in Palamu Parliamentary Constituency, Jharkhand
Shri Vishnu Dayal Ram 566

- (viii) Regarding reservation of SCs and STs in Private Sector
Dr. (Prof.) Kirit P. Solanki 566-567
- (ix) Regarding alleged conversion of tribals in Banswara Parliamentary Constituency, Rajasthan
Shri Kankmal Katara 567
- (x) Need to send a central medical team for Covid patients in Chhattisgarh
Shri Sunil Kumar Soni 568
- (xi) Need to construct an underpass on Bandikui - Baswa railway line in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan
Shrimati Jaskaur Meena 568
- (xii) Need to set up an Archaeological Museum in Bilaspur district headquarters, Chhattisgarh and also develop sites of archaeological importance in the district as tourist places
Shri Arun Sao 569
- (xiii) Regarding EPFO pension
Shri Tejasvi Surya 569-570
- (xiv) Need to lift ban on export of onion
Dr. Sujay Vikhe Patil 570
- (xv) Need to provide houses to people rendered homeless due to excessive rain and flood in Balaghat Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh
Dr. Dhal Singh Bisen 570-571

- (xvi) Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution
Shri Nihal Chand Chauhan 571-572
- (xvii) Need to allow postmortem during night
Prof. S.P. Singh Baghel 572
- (xviii) Regarding grant of additional compensation to victims of Covid-19 in Defence service
Shri Anumula Revanth Reddy 573
- (xix) Regarding amendment of the Rubber Act
Shri Anto Antony 573
- (xx) Regarding need to provide employment to local people in iron ore mines in Singhbhum Parliamentary Constituency, Jharkhand
Shrimati Geeta Kora 574
- (xxi) Regarding construction of Eight-way lane between Salem and Chennai
Shri DNV Senthilkumar S. 574-575
- (xxii) Regarding extending benefits to both NFSA and Non-NFSA beneficiaries across the country.
Shri Bellana Chandra Sekhar 575
- (xxiii) Regarding need to give special financial assistance to West Bengal
Shrimati Aparupa Poddar 575
- (xxiv) Regarding need to provide pucca houses to people living on Government land in Mumbai
Shri Arvind Sawant 576

(xxv) Regarding enhancement of royalty on coal.

Shri Bhartruhari Mahtab

577

(xxvi) Regarding employment opportunities for SC and OBC

Shrimati Sangeeta Azad

577

(xxvii) Regarding corporatization of Ordnance factories

Shri B. B. Patil

577

(xxviii) Regarding the catastrophic effects of cyclone Nisarga in Maharashtra

Shri Sunil Dattatray Tatkare

578

(xxix) Regarding employment opportunities for returnees in Ramanthapuram

Shri K. Navaskani

578

**FOREIGN CONTRIBUTION (REGULATION)
AMENDMENT BILL, 2020**

579-615

Motion to consider

579

Shri Nityanand Rai

579,
604-607,
609-613,

Shri Anto Antony

579-581

Dr. Satya Pal Singh

582-585

Dr. Kalanidhi Veeraswamy

586-587

Prof. Saugata Roy

588-589

Shri Bellana Chandra Sekhar

590

Shri Shrirang Appa Barne

591

Shri Kaushalendra Kumar

592

Shri Bhartruhari Mahtab	593-594
Shri Ritesh Pandey	595-596
Shri B. B. Patil	597-598
Shrimati Supriya Sadanand Sule	599-601
Shri Vincent H. Pala	602-603
Clauses 2 to 12 and 1	613-615
Motion to pass	615

STATEMENT RE: DISAPPROVAL OF THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020	618-671
--	---------

AND

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (SECOND AMENDMENT) BILL, 2020	
---	--

(As passed by Rajya Sabha)

Shri Adhir Ranjan Chowdhury	618, 619-624, 667-669
Motion to consider	618
Shrimati Nirmala Sitharaman	618, 658-667, 669
Dr. Nishikant Dubey	625-628
Shrimati Pratima Mondal	629-630
Shri Balashowry Vallabhaneni	631-632
Shri Chandeshwar Prasad	633

Shri Pinaki Misra	634-635
Shri Shyam Singh Yadav	636-637
Shri Venkatesh Netha Borlakunta	638
Shrimati Supriya Sadanand Sule	639-642
Shri Manish Tewari	643-644
Shri Jayadev Galla	645
Shri Arvind Sawant	646-647
Shri K. Navaskani	648-649
Shrimati Navneet Ravi Rana	650
Sushri Diya Kumari	651-652
Shri Thomas Chazhikadan	653
Shri Malook Nagar	654
Shri DNV. Senthilkumar S.	655-656
Shrimati Rama Devi	657
Statutory Resolution	670
Clauses 2 to 4 and clause 1	670-671
Motion to Pass	671
STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF EPIDEMIC DISEASES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020 AND EPIDEMIC DISEASES (AMENDMENT) BILL, 2020, (As passed by Rajya Sabha)	672-743
Shri Manish Tewari	672

Dr. Harsh Vardhan	672, 734-739
Motion to consider	672
Shri Kodikunnil Suresh	673-676
Dr. Subhash Ramrao Bhamre	677-679
Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian	680-682
Shri Kalyan Banerjee	683-685
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	686-687
Dr. Shrikant Eknath Shinde	688-690
Shri Kaushalendra Kumar	691
Shri Bhartruhari Mahtab	692-694
Shri Girish Chandra	695
Dr. G. Ranjith Reddy	696-697
Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo	698-699
Shri Sunil Dattatray Tatkare	700
Shri P.R. Natarajan	701
Dr. Heena Vijaykumar Gavit	702-703
Shri Saptagiri Sankar Ulaka	704
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	705-706
Shri K. Navaskani	707
Shrimati Anupriya Patel	708-709
Shri Hanuman Beniwal	710
Dr. Sanghamitra Maurya	711-712

Shri Girish Bhalchandra Bapat	713
Dr. Rajdeep Roy	714-715
Dr. Umesh G. Jadhav	716
Shri Annasaheb Shankar Jolle	717
Adv. Ajay Bhatt	718
Shri Parbatbhai Savabhai Patel	719
Dr. Sujay Vikhe Patil	720-721
Shrimati Jaskaur Meena	722
Shri Ramesh Bidhuri	723-724
Shri Subhash Chand Beheria	725
Shri Jagdambika Pal	726
Kunwar Pushpendra Singh Chandel	727
Shri Achyutananda Samanta	728
Sadhvi Pragya Singh Thakur	729
Shri Bhola Singh	730
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	731-733
Statutory Resolution	740
Clauses 2 to 8 and 1	740-743
Motion to Pass	743

**(i) STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL
OF HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2020** 744-767

AND

**HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL
(AMENDMENT) BILL, 2020
(As passed by Rajya Sabha)**

AND

**(ii) STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF
INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2020**

AND

**INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL
(AMENDMENT) BILL, 2020
(As passed by Rajya Sabha)**

Adv. Dean Kuriakose	744,763
Motions to Consider	744
Dr. Harsh Vardhan	744-745, 762, 764
Dr. Shashi Tharoor	746-748
Shri Arvind Sawant	749-750
Shri B.B. Patil	751
Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian	752-753
Shri Kuruva Gorantla Madhav	754
Kumari Ramya Haridas	755

Shri Sunil Dattatray Tatkare	756
Shri Ramshiromani Verma	757
Shri Haji Fazlur Rehman	758
Shri Anubhav Mohanty	759
Dr. Bharati Pravin Pawar	760
Dr. Alok Kumar Suman	761

HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL**(AMENDMENT) BILL, 2020**

Statutory Resolution	765
Clauses 2, 3 and 1	765
Motion to pass	765

INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL**(AMENDMENT) BILL, 2020**

Statutory resolution	766
Clauses 2, 3 and 1	766
Motion to Pass	767

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Unstarred Questions	768-773
--	---------

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Unstarred Questions	774
--	-----

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, September 21, 2020/ Bhadrapada 30, 1942 (Saka)

The Lok Sabha met at One Minute past Fifteen of the Clock

[Hon. Speaker *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCES

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे चार पूर्व साथियों श्री नन्दी एल्लैया, श्री विजय अण्णाजी मुडे, श्री रामदेव राय तथा श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री नन्दी एल्लैया तेलंगाना के नगरकुरुनूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोक सभा के सदस्य थे तथा वे अविभाजित आंध्र प्रदेश के सिद्धीपेट निर्वाचन क्षेत्र से छठी, सातवीं, नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के भी सदस्य रहे। श्री नन्दी एल्लैया दो कार्यकाल के लिए राज्य सभा के भी सदस्य थे तथा एक कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश विधान परिषद के भी सदस्य रहे। योग्य सांसद श्री नन्दी एल्लैया राजभाषा, रक्षा, अधीनस्थ विधान तथा खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री नन्दी एल्लैया का निधन 8 अगस्त, 2020 को हैदराबाद में 78 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री विजय अण्णाजी मुडे महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोक सभा के सदस्य रहे। वे विदेशी मामलों संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी थे। इससे पूर्व श्री विजय अण्णाजी मुडे वर्ष 1990 से 1996 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के भी सदस्य थे। श्री विजय अण्णाजी मुडे का निधन 15 अगस्त, 2020 को महाराष्ट्र के वर्धा में 76 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री रामदेव राय बिहार के समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोक सभा के सदस्य थे। बिहार विधान सभा के वर्तमान सदस्य श्री रामदेव राय छः कार्यकाल के लिए बिहार विधान सभा के सदस्य रहे। वे बिहार सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में राज्य मंत्री भी रहे। श्री रामदेव राय का निधन 29 अगस्त, 2020 को बिहार के पटना में 77 वर्ष की आयु में हुआ।

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे महाराष्ट्र के तत्कालीन बम्बई सेंट्रल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पांचवीं लोक सभा की सदस्य थीं।

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे का निधन 19 सितम्बर, 2020 को मुम्बई महाराष्ट्र में 90 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं तथा यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन खड़ी रहेगी।

(The Members then stood in silence for a short while.)

माननीय अध्यक्ष: ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, सारे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। एड्जर्नमेंट मोशन एलाऊ करना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

15.06 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, रवि शंकर प्रसाद की ओर से, मैं वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 21क की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) वाणिज्यिक न्यायालय (सांख्यिकीय आंकड़ा) संशोधन नियम, 2020 जो 29 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 270(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान) संशोधन नियम, 2020 जो 29 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 271(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2722/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री प्रहलाद जोशी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कोयला खान (विशेष उपबंध) संशोधन नियम, 2020 जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 332(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 2723/17/20]

- (2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2020 जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 331(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) खनिज (परमाणु तथा हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से इतर) रियायत (संशोधन) नियम, 2020 जो 20 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 191(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सा.का.नि. 445(अ) जो 14 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोयला (वाणिज्यिक खनन) की ब्रिकी के प्रयोजन से कोयला ब्लॉक्स या खानों की नीलामी से उत्पादित कोयले की रॉयल्टी की दर के संबंध में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में एक परंतुक अंतःस्थापित किया गया है ।

(चार) सा.का.नि. 1694(अ) जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 जून, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 2265(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 2724/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, डॉ. जितेन्द्र सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत भूतपूर्व-सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन) संशोधन नियम, 2020 जो 14 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 116(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2725/17/20]

- (3) (एक) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2726/17/20]

- (5) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2020 जो 16 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 253(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2727/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2728/17/20]

- (3) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:-
- (एक) का.आ. 3547 (अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्याज की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।
- (दो) का.आ. 3982 (अ) जो 4 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 के अध्याय 10, अनुसूची 2 के क्रमांक 55 और 57 की नीति शर्त में संशोधन किया गया है।
- (तीन) का.आ. 134 (अ) जो 9 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 के अध्याय 10, अनुसूची 2 के क्रमांक 55 और 57 की नीति शर्त में संशोधन किया गया है।
- (चार) का.आ. 487 (अ) जो 31 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण/मास्कों की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।
- (पांच) का.आ. 571 (अ) जो 6 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्याज की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।
- (छह) का.आ. 854 (अ) जो 25 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण/मास्कों की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।
- (सात) का.आ. 938 (अ) जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्याज की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

- (आठ) का.आ. 955 (अ) जो 3 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एपीआई और इन एपीआई से बने फार्मूलेशन्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।
- (नौ) का.आ. 1171 (अ) जो 19 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मास्क, वेंटिलेटर्स तथा मास्को और कवरऑल्स के लिए कच्ची वस्त्र सामग्री की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।
- (दस) का.आ. 1206 (अ) जो 24 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वेंटीलेटर्स जिसमें कोई कृत्रिम श्वसन उपकरण अथवा ऑक्सीजन उपचार उपकरण अथवा कोई अन्य श्वसन उपकरण/यंत्र और सेनिटाइजर्स शामिल हैं, की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।
- (ग्यारह)का.आ. 1208 (अ) जो 25 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और उसके फार्मूलेशन्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।
- (बारह) का.आ. 1227 (अ) जो 30 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एनिमल बाइ-प्रॉडक्ट की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।
- (तेरह) का.आ. 1228 (अ) जो 30 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रेडसैंड्सवुड के निर्यात तथा इस संबंध में राजस्व आसूचना निदेशालय का समय बढ़ाए जाने के बारे में है।
- (चौदह)का.आ. 1246 (अ) जो 4 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डायग्नोस्टिक किट्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 1247 (अ) जो 4 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(सोलह)का.आ. 1248 (अ) जो 4 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एपीआई और इन एपीआई से बने फार्मूलेशन्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 1264 (अ) जो 17 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पैरासिटामोल (एफ़डीसी सहित) से बने फार्मूलेशन्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(अठारह)का.आ. 1428 (अ) जो 6 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सेनिटाइजर्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(उन्नीस)का.आ. 1509 (अ) जो 16 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मास्क की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 2729/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री सोम प्रकाश की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लिमेंटेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लिमेंटेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2730/17/20]

2. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1023 (अ), जो 9 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा डेवलपमेंट काउंसिल फॉर पल्प, पेपर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2731/17/20]

15.06 ½ hrs

***WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

(Q. No.1611 to 1840)

(page 26 -535)

*Available in Master copy of the Debate placed in Library

15.07 hrs

**MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA ***

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

- I. "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 20th September, 2020 agreed without any amendment to the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 17th September, 2020."

- II. "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 20th September, 2020 agreed without any amendment to the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 17th September, 2020."

* Laid on the Table.

15.08 hrs

COMMITTEE ON ESTIMATES

1st and 2nd Reports

SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of Committee on Estimates (2020-21):-

(1) 1st Report of the Committee on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 23rd Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Medical Education and Health Care in the Country' pertaining to the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health & Family Welfare).

(2) 2nd Report of the Committee on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 28th Report (16th Lok Sabha) on the subject Central Armed Police Forces and Internal Security Challenges-Evaluation and Response Mechanism pertaining to the Ministry of Home Affairs.

15.09 hrs

COMMITTEE ON PETITIONS

9th to 12th Reports

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): माननीय अध्यक्ष जी, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोलकाता में श्री श्यामल कुमार दास की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति में अत्यधिक विलंब और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में उनके अभ्यावेदन संबंधी नौवां प्रतिवेदन ।
- (2) सुश्री पारुल कौल के पति श्री रजनेश कौल द्वारा उनके प्रति क्रूरता, आपराधिक न्यास भंग, समान आशय को अग्रसर करने के लिए किए गए आपराधिक कृत्यों के लिए उनके प्रत्यर्पण के संबंध में हो रहे अत्यधिक विलंब के बारे में सुश्री पारुल कौल के पिता श्री टी.के.कौल के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (16वीं लोक सभा) के 52वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन ।
- (3) एमटीएनएल से समय-पूर्व त्यागपत्र के मामले की समीक्षा के अनुरोध और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में श्री अरविंद सावंत, संसद सदस्य, लोक सभा के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (16वीं लोक सभा) के 64वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन ।

- (4) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) के अंतर्गत संचालित केन्द्रीय तिब्बती स्कूल (सीएसटी) में अपनी बहाली के अनुरोध के संबंध में श्री सतीश कुमार सिंह के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (16वीं लोक सभा) के 66वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन ।
-

15.09 ½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 42nd Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2018-19) on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning (Demand No. 21) pertaining to the Ministry of Defence.*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Shri Raj Nath Singh, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 42nd Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2018-19) on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning (Demand No. 21) pertaining to the Ministry of Defence.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2732/17/20.

15.09 ¾ hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 80th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice on 'Synergy between Tribal Justice System and Regular Justice System in the Country' pertaining to the Department of Justice, Ministry of Law and Justice. *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY SHAMRAO DHOTRE): On behalf of Shri Ravi Shankar Prasad, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 80th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice on 'Synergy between Tribal Justice System and Regular Justice System in the Country' pertaining to the Department of Justice, Ministry of Law and Justice.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2733/17/20.

15.10 hrs

(iii) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 100th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances and Pensions on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.*

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन संबंधी स्थायी समिति के 100वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2734/17/20.

15.11 hrs

(iv) (a) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 152nd Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2020-21), (Demand No. 10) pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. *

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): I beg to lay statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 152nd Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2020-21), (Demand No. 10) pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2735/17/20.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2019-20), pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs *

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): I beg to lay statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2019-20), pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2736/17/20.

15.11 ½ hrs

(v) (a) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2019-20), pertaining to the Department of Telecommunications, Ministry of Communications*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY SHAMRAO DHOTRE): I beg to lay statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2019-20), pertaining to the Department of Telecommunications, Ministry of Communications.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2737/17/20.

(b)Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2019-20), pertaining to the Department of Posts, Ministry of Communications. *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY SHAMRAO DHOTRE): I beg to lay statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2019-20), pertaining to the Department of Posts, Ministry of Communications.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2738/17/20.

15.12 hrs

(vi) Status of implementation of the recommendations contained in the 153rd Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2020-21), (Demand No. 11), pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 153rd Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2020-21), (Demand No. 11), pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2739/17/20.

HON. SPEAKER: Shri Abdul Khaleque Ji.

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Thank you, hon. Speaker, Sir.

Traditional art and craft have always been given a special importance in our country since ages. Sarthebari, a small town in the district of Barpeta in Assam and a part of my constituency, is the home to bell metal industry -- the second largest handicraft after bamboo in the State.

Bell metal, also known as '*kanh*' in Assamese, is used for making many things for regular use and for religious purposes as well. Sarthebari holds a unique place in the production of '*kanh*' utensils. In Assam, utensils of '*kanh*' are used for many religious purposes. The most unusual utensils, Bata and Ban Bati, are used to give offerings and are also used for *pooja*. They are also used to show respect to the honoured guests and dignitaries. Being close to the socio-religious town of Barpeta, there is much importance attached to it. But the handicrafts of Sarthebari have not received the kind of attention and support that it deserves.

In this age of competition and modern industry, these traditional handicrafts are being pushed behind every other thing. The people who are involved in this traditional business, are highly skilled and talented. But they are devoid of return which is due to them. Over the years, the industry has not received the much-needed attention. Thus, it has not seen any development at all. It is high time that the Government announce a special package to develop

and promote the handicrafts of Sarthebari. Unless it is done, this handicraft industry will find it difficult to breathe for a long time.

Hon. Speaker, Sir, as a representative of the people of the Barpeta constituency, I urge upon the hon. Minister of Textiles, through you, to direct the Development Commissioner (Handicrafts) to take necessary action for support and development. This will also add to the overall economic development of the area. Thank you, Sir. Jai Hind.

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): महोदय, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सोहगीबरवा वन्य जीव अभ्यारण्य को वर्ष 1987 में संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया। इस वन क्षेत्र का क्षेत्रफल 42,820 हेक्टेयर है। यह प्राकृतिक रूप से उत्तर में नेपाल राष्ट्र के चितवन नेशनल पार्क एवं पूर्व में बिहार के वाल्मीकी टाइगर रिजर्व के साथ जुड़ा हुआ है। अनेक छोटी-बड़ी नदियां सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग से हो कर गुजरती हैं। नदियों, नालों के अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से जंगल के अंदर कई ताल हैं। जिनमें दर्जीनिया ताल में मगरमच्छों का वास है। इस अभ्यारण के अंदर दो बड़े घास के मैदान भी हैं, जिनका क्षेत्र 3942 हेक्टेयर में विद्यमान है। इस वन्य जीव अभ्यारण में बाघ साहित अनेकों प्रकार के मांसाहारी व शाकाहारी जानवरों का प्राकृतिक वास है। इसके अतिरिक्त अनेकों प्रकार के पक्षी व प्रवासी पक्षी प्रवास करते हैं। इस वन में प्रमुख रूप से साल, सागौन, साखू, बेंत के अलावा अनेकों प्रकार के वृक्षों तथा अनेकों प्रकार की औषधीय प्रजातियों के पेड़-पौधे प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। यह नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र से सटा हुआ है। इस क्षेत्र में भगवान बुद्ध से संबंधित अनेकों ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं और सरकार ने हाल ही में कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया है जो इस क्षेत्र से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है।

राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भगवान बुद्ध के ऐतिहासिक स्थलों के साथ-साथ टाइगर रिजर्व के माध्यम से पर्यटन का अवसर मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बाघों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त सोहगीबरवा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री मलूक नागर को श्री पंकज चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, kindly be seated.

... (*Interruptions*)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Speaker Sir, thank you for giving the opportunity. I would like to raise an important issue regarding creation of a new railway zone for the State of Andhra Pradesh. In accordance with the AP Reorganization Act, passed by this Parliament in 2014, the Central Government had announced a new railway zone, namely South Coast Railway Zone, for the State of Andhra Pradesh, headquartered at Vishakhapatnam, on February 27, 2019. This announcement was made by the hon. Minister for Railways, Shri Piyush Goyal Ji himself. Since then, 18 months and three weeks have passed, but the new Zone has not come into operation. Even in the recent Budget, a total sum of Rs. 170 crore have been sanctioned under the head 'creation of new South Coast Railway Zone and new Rayagada Division', but still there is no clarity on when the operations are going to start. Also, there seems to be differences on where the boundaries of this Zone should be. I request to the Central Government that it covers the whole of Andhra Pradesh under this new Zone according to the AP Reorganization Act. ...(*Interruptions*)

I also oppose the closing down of Waltair Division. It is the most profitable division in the country. It also has a lot of historical and cultural importance. So, without any solid reasons, closing down of Waltair Division is also unjust.

I would also like to say that seven railway stations, namely Palasa, Mandasa, Sunnadevi, Baruva, Sompeta, Jadupudi and Ichchapuram which come under Khurda Road Division, need to be included in the new South Coast Railway Zone. I would request the Central Government to start operations for this Railway Zone as soon as possible which has been a dream for the people of Andhra Pradesh, especially Uttar Andhra who have been fighting for this Zone since decades. So, I would request once again that it should be done as early as possible.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा एवं श्री सप्तगिरी उलाका को श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Hon. Speaker Sir, thank you for giving me this opportunity to raise a very important issue. Jagannath Sagar (Lake) at Jeypore is coming under Scheduled area. It is a water body having a depth of three meters, spread over more than 10 hectares of land, having very little aquatic vegetation and is considered as a lake. It is located entirely within the city limits and directly surrounded by urban developments, with some recreational facilities limited to the shoreline area, and also predominantly affected by urban human population. Their drainage basin is dominated by urbanization, rather than geology, soil or agriculture. Unfortunately, the State Government has not given due importance to include it in urban lake, though it fulfils all the criteria. I would request that necessary directions from Parliament may be given to the Ministry of Environment and

Forests and the State Government of Odisha to include Jagannath Sagar Lake at Jeypore in the National Lake Conservation Plan and also to declare it as a national lake as per the provision 15(4) of the Indian Constitution. My demand is to include Jagannath Sagar in National Lake Conservation Plan for its restoration and beautification, and declare it as a national lake so that tourism can improve.

In addition to this, I would like to say that mobile network connectivity in Koraput district is very low. I have raised this issue multiple times. ...(*Interruptions*).. but there is no response. I would like you to kindly intervene and do the needful.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री सप्तगिरी उलाका द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल – उपस्थित नहीं।

डॉ. जी. रणजीत रेड्डी।

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Sir, the Government of India and more particularly the hon. Minister of Chemicals and Fertilizers, is aware of transformational change in Telangana as far as irrigation and agricultural activities are concerned. The crop area has gone up from one crore acres to 1.34 crore acres which is an increase of 34 lakh acres compared to the previous year. It is an increase of nearly 37 per cent and it is the highest in the country followed by Jharkhand and Tamil Nadu.

Sir, the sowing area has gone up due to huge irrigation potential created by our honourable Chief Minister, Shri KCR and implementation of schemes like Rythu Bandhu, free 24x7 quality power and regulated farming coupled with good rains.

The sowing area has gone up in crops such as maize, paddy, groundnut, etc. As a result, the requirement of urea has also gone up. The requirement in September was 2.1 lakh metric tonnes out of which only 1.14 lakh metric tonnes has been released and the balance 10,000 metric tonnes per day is supposed to be released.

The hon. Minister of Agriculture, Government of Telangana has also met the Minister for Chemicals and Fertilisers requesting him for releasing 10.5 lakh tonnes of urea to Telangana this year. It is not just the Minister of Agriculture of Telangana but hon. Chief Minister, Shri KCR has also personally intervened and spoken to the Union Minister over phone for release of urea and the hon. Minister had assured of releasing the same. We are now in the third week of September but so far, no action has been taken by the Government of India on this request.

In view of the above, I request the hon. Minister of Chemicals and Fertilisers to kindly consider the request of releasing urea as requested by the Minister of Agriculture of Telangana without any further delay.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. जी. रणजीत रेड्डी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

***SHRI ASHOK MAHADEORAO NETE (GADCHIROLI-CHIMUR):** Hon. Speaker Sir, I would like to draw your kind attention towards five districts of Gadchiroli, Chandrapur, Bhandara, Gondia and Nagpur of Eastern Viarbha region in Maharashtra.

In the last week of August, around 20-25 days ago, water from Sanjay Sarover project of Madhya Pradesh was discharged and due to this heavy flow, all the gates of Gosikhurd project had to open at once. It is the heaviest of the floods in the recent past and it was more severe than the one in 1994 and in 2005.

This is not a natural calamity but in fact, it is a man-made crisis. The Government of Madhya Pradesh did not inform about it and that caused a heavy flood in this area resulted in submergion of farms. Thousands of acres of agricultural land is badly affected and standing crops got completely devastated. Cattles, goats and poultry, along with other pets perished in the flood. Houses of villagers have damaged and their household possessions were washed away. They have incurred exponential losses due to these man-made floods. Government of Maharashtra has given Rs.5000 per family as an aid but I would like to request Union Government to provide at least Rs.10,000 per family.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

I know that a central team had visited Eastern Vidarbha for survey to assess the loss and damage. Around 92000 people have been affected and as per the initial assessment the Government has estimated the loss to the tune of Rs.1000 crore.

Hence, I would like to request the State Government as well as Central Government to provide Rs.30,000 per hectre for the agricultural farmers and Rs.50,000 per hectre for the horticulture farmers. Moreover, the Government should also provide a special and immediate help to the persons whose houses have got damaged and they should also be considered for the benefits of Government Housing Scheme.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, डॉ. सुजय विखे पाटील और श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे को श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I wish to draw the attention of the Government towards the grave and urgent plight of fishermen living in the coastal stretch from Pallithura to Pozhiyoor of my constituency, Thiruvananthapuram.

Such fishermen rely entirely on the sea for their livelihoods. The weeks-long ban on fishing due to the COVID-19 pandemic followed by restrictions due

to heavy rains and flooding of homes situated around the banks of Karamana River and the damage suffered to many of their homes by coastal erosion due to sea inundation has left many fishing families on the brink of total disaster. Many are still unable to recover from damages to their equipment suffered in the 2018 floods and Cyclone Ockhi. While some families have received compensation, others are facing starvation due to market restrictions and fishing bans.

I urge the hon. Minister of Fisheries whom I saw here a minute ago to provide additional relief to the State Government to expedite compensation and other assistance to fisherfolk to help them to tide them over this exceedingly difficult period in their and our history.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. और श्री मलूक नागर को डॉ. शशि थरूर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। उसी कड़ी को जोड़ते हुए वंचित वर्गों जैसे एससी, एसटी और ओबीसी को उच्च शिक्षण संस्थानों से बेदखल करने की साजिश रची जा रही है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जैसे देश और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया में लंबे अरसे से एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के अभ्यर्थियों को सुनियोजित तरीके से इंटरव्यू में अयोग्य घोषित कर दिया जा रहा है।

महोदय, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिये गये संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन विश्वविद्यालयों में कई वर्षों से कई पद जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद खाली हैं। बहाना बनाया जाता है कि अभ्यार्थी योग्य नहीं हैं, जबकि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इन वर्गों के योग्य अभ्यार्थियों की भरमार है, लेकिन सामंतवादी सोच के कारण इन पदों को नहीं भरा जा रहा है।

वर्तमान की बात करें तो हाल ही में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कुलपति के कार्यालय में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान संस्थान, दृश्य कला संकाय आदि के विभिन्न विभागों के साथ ही अर्थशास्त्र, कला, इतिहास, हिन्दी, दर्शनशास्त्र, रसायन विज्ञान विभागों में बड़ी संख्या में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के योग्य अभ्यार्थियों को इंटरव्यू में बुलाकर सुनियोजित तरीके से अयोग्य घोषित किया गया है।

इसी तरह से चिकित्सा विज्ञान संस्थान के एनेस्थीसिया विभाग में वंचित वर्गों के लिए आरक्षित सभी पाँच पदों के अभ्यार्थियों को अयोग्य ठहराया गया, जबकि वे अभ्यार्थी बीएचयू के ही पास आउट थे। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान में जिस अभ्यार्थी को चयन में अयोग्य ठहराया गया, वह उसी संकाय का गोल्ड मेडलिस्ट है और वहाँ पाँच सालों से...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री शंकर लालवानी।

श्रीमती संगीता आजाद : सर, मैं बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। समय-समय पर प्रदेश के बेरोजगार छात्रों ने केन्द्र और प्रदेश सरकार को अपनी समस्याओं का ज्ञापन देकर और धरना प्रदर्शन करके अवगत कराया है, लेकिन फिर भी उन दोषी अधिकारियों द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरी केन्द्र सरकार से माँग है कि एक विशेष अभियान चलाकर शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग यानी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को खाली पदों पर आरक्षण के अनुपात

में भरा जाए, जिससे भारतीय संविधान की मूल भावना को बचाया जा सके और जो दोषी अधिकारी इस कार्य में संलग्न हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री मलूक नागर को श्रीमती संगीता आजाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, देश में इस बार अनुकूल मौसम को देखते हुए हमारे क्षेत्र के किसानों ने बड़ी तादाद में सोयाबीन की बुआई की थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस प्रकार गेहूँ बंपर मात्रा में हुआ है, उसी प्रकार तिलहन की फसल भी बंपर मात्रा में होगी।

मालवा और निमाड़ सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश हुई, लंबे अंतराल तक अधिक वर्षा हुई और तापमान भी अधिक होने के कारण सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है। सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई है। सोयाबीन की फलियों में दाना तक नहीं लगा है। यहाँ तक कि येलो मोजेक नामक वायरस का असर भी सोयाबीन फसल पर देखने को मिल रहा है। किसानों के बीज और अन्य खर्च की लागत भी नहीं निकल पा रही है। ऐसी स्थिति में किसान कर्ज कैसे चुकाएगा?

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि किसानों द्वारा बैंक से लिये गये फसल ऋण तथा ब्याज की वसूली को स्थगित किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. सुजय विखे पाटील और श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे को श्री शंकर लालवानी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री ए. राजा – उपस्थित नहीं। श्री अरविंद सावंत

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, आप जानते हैं कि वर्ष 2018 के अन्तिम चरण में माननीय कम्युनिकेशन मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद जी ने इस सदन में कहा था कि हम भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को पुनर्जीवित कर रहे हैं, 4जी की सर्विस दे देंगे । आज वर्ष 2020, सितम्बर आ गया है, अभी भी भारत संचार निगम लिमिटेड की 4जी की सर्विस शुरू नहीं हुई है । उस वक्त एक और चीज हुई थी कि आईयूसी चार्ज, इंटर यूजेज चार्ज होते हैं, उसके लिए वोडाफोन और एयरटेल के लोग सरकार के पास आए थे और कह रहे थे कि एक कॉल के पीछे 14 पैसे जाते हैं, उसे कम कीजिए, लेकिन सरकार ने नहीं किया । जब सरकार के पास उनकी लाडली कम्पनियाँ आयीं तो उन्होंने कर दिया और ऐसा करने के तुरन्त बाद भारत संचार निगम लिमिटेड को 5 हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ । इसे वहाँ के सेक्रेटरी दीपक मिश्रा जी टीआरएआई (ट्राई) की नजर में लाए, लेकिन टीआरएआई ने उनका ही ट्रांसफर कर दिया । आज वही हालत है, जैसे हमारे मराठी में एक कहावत है “कि न माँ खाना देती है, न बाप भीख माँगने देता है” ऐसी अवस्था उस कंपनी की हो गई है । वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है । इसलिए बीच में वे वीआरएस लाए, हमने उसका समर्थन किया, सहायता की । वीआरएस लेने वाले लोगों के पैसे जून के आखिर तक देने थे, अब सितम्बर आखिर आ गया है, लेकिन अभी भी उनके जीपीएफ, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य बाकी सारी चीजों का भुगतान नहीं हुआ है । इनका भुगतान करने की आवश्यकता है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ कि वह भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को जल्दी से जल्दी सहायता देकर उन्हें पुनर्जीवित करने का आशीर्वाद दे दें । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. सुजय विखे पाटील, श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे, श्री कुलदीप राय शर्मा श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल रमेश शेवाले और श्री मलूक नागर को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में अनलॉक-4 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुम्बई जैसे शहर में उसके आस-पास के इलाकों से काफी कर्मचारी लोकल ट्रेनों से यात्रा करते हैं। जून माह में लोकल ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत तो हो गई, लेकिन केवल ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो बैंकों में, पुलिस में, अस्पतालों में या आवश्यक सेवाओं में काम करते हैं, केवल उनके लिए ही इसकी सुविधा है।

महोदय, आपके द्वारा मेरी सरकार से मांग है कि यह सभी के लिए किया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र में भांडुप और विक्रोली, दो ऐसे रेलवे स्टेशंस हैं, जहां बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं। इन स्टेशनों पर भी उस ट्रेन सेवा के स्टॉपेज दिए जाएं, जिसके कारण वे इस ट्रेन में आवाजाही कर सकें। यह तर्क है कि आजू-बाजू के स्टेशनों पर, जहां पर लम्बी दूरी के ट्रेनों का ठहराव है, वहां पर तो ये ट्रेनें रुकती हैं। लेकिन, भांडुप और विक्रोली स्टेशनों पर इनके स्टॉपेज न होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं और उन्हें काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इन दोनों स्टेशनों पर भी ट्रेनों का ठहराव किया जाए और ट्रेनों की सेवा पूर्ववत् की जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री गोपाल शेटी, श्री देवजी पटेल, श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, श्री राहुल रमेश शेवाले, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ. सुजय विखे पाटील, श्री कुलदीप राय शर्मा एवं श्री रवि किशन को श्री मनोज कोटक के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी – उपस्थित नहीं।

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य का काशीपुर नगर अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है। यहां द्रोण सागर है। द्रोणाचार्य जी की तपस्थली है। द्रोणाचार्य जी का किला है। वहां पर कौरव-पाण्डवों को शिक्षा दी गई थी, ऐसा कहा जाता है। तुलसीदास जी ने यहां पर पौधा लगाया था। चन्द राजाओं की राजधानी है।

महोदय, यहां पर माननीय रेल मंत्री जी ने तीन साल पहले दो सड़कों के ऊपर ओवरब्रिजेज स्वीकृत किया था। उस पर काम भी प्रारंभ हुआ, लेकिन बड़े कष्ट की बात है कि काम प्रारंभ होने के बाद वह बंद हो गया और वहां से ठेकेदार भाग गए, ऐसा बताया जाता है। कोई भी अकाउंटैबिलिटी नहीं है। कोई भी अधिकारी इसका उत्तर देने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि इन दो ओवरब्रिजेज को तुरन्त बनाने की कृपा की जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री रवि किशन एवं श्री कुलदीप राय शर्मा को एडवोकेट अजय भट्ट के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र में राबदा गांव है, जहां पर कई वर्षों से पानी भरा हुआ है। वहां की 100 एकड़ से ज्यादा जमीन हमेशा पानी में डूबी रहती है, वहां झील बनी रहती है। चूंकि यह गांव हरियाणा से सटा हुआ है तो हरियाणा से भी पानी की कई लाइनें वहां आती हैं। यहां की जो जमीन है, उसका स्तर काफी नीचे है। जब बारिश आती है तो उसके आस-पास के क्षेत्र जैसे राघोपुर, बडुसराय, नाना खेड़ी, शिकारपुर, झटीकरा, दौराला गांवों में भी 800 एकड़ से ज्यादा जमीन में पानी भरा रहता है। हमने दिल्ली सरकार को इसके लिए कई

बार कहा, लेकिन यहां पर कोई भी ड्रेनेज की व्यवस्था वे नहीं कर पाए। यह दिल्ली सरकार के फ्लड डिपार्टमेंट का, दिल्ली सरकार के जल बोर्ड डिपार्टमेंट का, जिसके चेयरमैन खुद दिल्ली के मुख्य मंत्री केजरीवाल जी हैं, यह उनका काम है। कल हमने देखा कि* जी ने किसानों के ऊपर इतना बड़ा* किया और दिल्ली में उन्होंने किसानों को अभी तक उसका दर्जा नहीं दिया। दिल्ली में एम.एस.पी. योजना लागू नहीं है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपने विषय पर ही बोलें।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: सर, मेरा यह कहना है कि वहां के सारे ग्रामीण चाहते हैं कि दिल्ली सरकार उस जमीन का अधिग्रहण कर ले। वहां के बाजार मूल्य के हिसाब से उन्हें उनकी जमीनों के भाव मिलें क्योंकि वहां पर वे लोग खेती नहीं कर पाते, वे अपने बच्चों का पालन-पोषण नहीं कर पाते।

महोदय, यहां पर हमारे शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी बैठे हैं। अभी उन्होंने कॉलोनियों को इतना बड़ा तोहफा दिया। हमारे 80 से ज्यादा गांवों को अर्बनाइज्ड घोषित किया। दिल्ली सरकार अपने डी.डी.ए, दिल्ली जल बोर्ड, फ्लड डिपार्टमेंट और हरियाणा सरकार के साथ एक मीटिंग बुला ले। वहां पर कोई बर्ड सैंक्चुअरी बने। वहां पर कोई वाटर रिजरवॉयर बने, ताकि आस-पास के क्षेत्र में भी जो पानी बर्बाद हो रहा है और वहां के लोग उसके कारण भूखे-प्यासे मर रहे हैं, उन्हें उसका उचित मुआवज़ा मिल सके। वहां पर बारिश के कारण जो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से मुआवज़ा मिल जाता है, मगर वहां जो झील बनी हुई है, इसका कोई मुआवज़ा नहीं मिलता।

* Not recorded.

मेरा सारे डिपार्टमेन्ट्स से यह कहना है, यहाँ पर हमारे मंत्री जी बैठे हैं, कृपया वहाँ पर आप एक बैठक बुला लें। आप दिल्ली सरकार से कहें कि उस जमीन का अधिग्रहण किया जाए और वहाँ पर एक बर्ड सैंक्चुअरी बनाई जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अध्यक्ष महोदय, हाल में ही देश में पुलिस एन्काउंटर के रूप में न्यायिक हिरासत में हत्याओं की घटना सामने आई हैं। ये हत्याएँ सब समाज के लिए एक खतरा हैं। इन हत्याओं से लोगों में पुलिस का विश्वास कम हो रहा है। साथ ही इनसे हिंसा और उपद्रव के वास्तविक अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं, वे खासतौर से दलित, शोषित, ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोग होते हैं। इसमें ठेले वाले और कमजोर समाज के लोग हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 तक कई वर्षों से गिरने के बाद अब न्यायिक हिरासत में हत्याएँ देश में फिर से बढ़ रही हैं। वर्ष 2014 में पुलिस हिरासत में 40 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2017 में यह आँकड़ा बढ़कर 772 हो गई।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, बस तुरंत मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हाल में ही गैंगस्टर विकास दूबे जैसे जघन्य अपराधी को भी देश की न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही सजा मिलनी चाहिए थी, ताकि देश में कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ पर लोगों का विश्वास कमजोर नहीं होता। मैं माननीय गृह मंत्री एवं विधिक और न्याय मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वे इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेकर देश के आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास करें, ताकि लोकतंत्र के मूल्यों का अनुपालन हो। पुलिस जज, जूरी और जल्लाद, इन तीनों का रोल अदा करना बंद करें।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री मलूक नागर को श्री रितेश पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो (पुरुलिया): अध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया लोक सभा क्षेत्र से सांसद हूँ। मेरा लोक सभा क्षेत्र एक अविकसित जिला है। मेरे लोक सभा क्षेत्र पुरुलिया तथा इसके आसपास के जिले काफी पिछड़े हुए हैं। चूंकि मेरा लोक सभा क्षेत्र सीमावर्ती जिला है, इसलिए इस जिले और आसपास के क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पाया है।

महोदय, रेलवे ने पूरे भारत में अपना जाल बिछा दिया है, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। मगर आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आजादी के इतने दशक बीतने के बावजूद पुरुलिया से झारग्राम अभी तक कोई रेल लाइन है। यह क्षेत्र काफी बड़ा है और यहाँ के सैकड़ों गाँवों में करीब 10 लाख की आबादी निवास करती है। इनके लिए रेल लाइन अभी भी सपना सरीखा लगता है।

अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि यहाँ की आम गरीब जनता की यात्रा संबंधी समस्या तथा पिछड़ेपन से निजात दिलाते हुए जल्द से जल्द नई रेल लाइन का सर्वे कराया जाए। महोदय, पुरुलिया से झारग्राम तक नई रेल लाइन का सौगात यहाँ की जनता को प्रदान करने की कृपा करें, ताकि यहाँ की जनता को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके और उस क्षेत्र का विकास हो सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): Thank you very much, Speaker, Sir.

Our hon. Prime Minister had made an announcement of banning single-use plastic by the year 2022, but there is no path to get there as there are no plans for regulating anything as yet. Further, our plastic usage has gone up by

at least 4-5 times in the last few months because of COVID-19. At the end of every village people are burning plastic produce, which is causing toxic pollution. I would say that this is a pandemic happening over a longer period of time.

I hope that we can address this issue immediately and come up with some steps to achieving a total ban on single-use plastic as soon as possible.

Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को श्री श्रीधर कोटागिरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री संतोष कुमार (पूर्णिमा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र पूर्णिमा और पूर्णिमा शहर की समस्या आपके सामने रखना चाहता हूँ। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माननीय मंत्री पुरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। पूर्णिमा में केन्द्र की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों सरकारों ने काफी काम किया है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, वह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी शामिल है। पूर्णिमा नगर निगम की स्थिति काफी खराब है। वहाँ पर ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम नहीं है। उस इलाके में वर्षा भी बहुत अधिक होती है। आज पूरा शहर जलमग्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से माँग करता हूँ कि पूर्णिमा में ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम मिले।

इसको स्मार्ट सिटी में शामिल करके इस योजना को पूर्णिया में लागू कराने की कृपा की जाए। अध्यक्ष महोदय, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि माननीय मंत्री जी से इस पर आश्वासन दिलाएं कि पूर्णिया को स्मार्ट सिटी में शामिल कर ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम पूर्णिया को दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री संतोष कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (कोडरमा): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र कोडरमा का अधिकतर भूभाग बंजर है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। वह भूमि भी उपजाऊ नहीं है। सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण इन सभी क्षेत्रों में वर्षा आधारित कृषि की जाती है, जिससे किसानों की कोई निश्चित आय नहीं हो पाती है। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सिंचाई और डी-डीजलाइज करने के लिए, स्रोत प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रधान मंत्री किसान सुरक्षा अभियान उत्थान महाभियान यानी कुसुम योजना शुरू की गई है। माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए यह बहुत ही लाभकारी योजना उपलब्ध कराई गई है। इस योजना का लाभ किसानों तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए किसान हित में सदन के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों के अंतर्गत बेकार पड़ी बंजर भूमि का सर्वेक्षण कराकर वृहद पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करे तथा सौर पंप के माध्यम से किसानों के उपजाऊ कृषि क्षेत्र को सिंचित किया जाए। मैं आपके माध्यम से यह मांग करती हूँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री उन्मेश भैयासाहेब पाटिल को श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जमालपुर में सैकड़ों वर्ष पुराना डीजल लोकोमोटिव कारखाना है। इसके पास हजारों एकड़ में फैली आधारभूत संरचना है। जमालपुर

शहर का जो 75 प्रतिशत भूभाग है, वह रेलवे की सम्पत्ति है। डीजल के बदले विद्युत लोकोमोटिव इंजन प्रचलन में आने के कारण धीरे-धीरे इस कारखाने को फेजवाइज बंद करने की प्रक्रिया रेलवे मंत्रालय द्वारा की जा रही है। फेजवाइज कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा रहा है, जो उचित नहीं है।

मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूं कि इस डीजल लोकोमोटिव कारखाने को विद्युत लोकोमोटिव कारखाने के रूप में परिवर्तित करें। जो हजारों एकड़ जमीन, आधारभूत संरचना रेलवे मंत्रालय की वहां है, उसका उपयोग करे, ताकि बाजार और वहां के नौजवानों की बेरोजगारी पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से यह मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री मलूक नागर और श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पूरे देश में धान की खरीद शुरू हो जाती है, जिसे हम पंजाबी में झोना कहते हैं। वर्ष 2019-20 में 23 राज्यों 762.8 लाख मीट्रिक टन पैडी की खरीद हुई थी, जिससे 511.58 लाख मीट्रिक टन चावल निकला था। हाल ही में कृषि क्षेत्र से जुड़े दो विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक संसद में पारित हुए, उससे करोड़ों किसानों में यह आशंका है कि क्या सरकारी एजेंसियां पहले की तरह खरीद करती रहेंगी? यह जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसका औचित्य तो तब बनेगा जब सरकारी एजेंसियां एफसीआई और एफसीआई जो पैसा राज्य सरकार की एजेंसियों को देती है, वे एजेंसियां उसी तरह से धान की खरीद करती रहें।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि आज करोड़ों किसान सड़कों के ऊपर हैं, उन किसानों को सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि पहले की

तरह सरकारी एजेंसियां, केंद्र सरकार की एजेंसियां, विशेषकर एफसीआई और एफसीआई, जो पैसे राज्य सरकार की एजेंसियों को देती है, वैसे ही पैसे देकर जो सरकारी खरीद है, वह निरन्तर जारी रहेगी। धान की खरीद होगी, उसके बाद गेहूं की खरीद होगी और इसी तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर केंद्र सरकार खरीद करती रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री मल्लूक नागर, श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री के. नवासखनी को श्री मनीष तिवारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, the Ministry of Shipping must establish an international container trans-shipment hub at the VOC Port, Thoothukkudi, given the strategic location and the facilities already available there. The geopolitical advantage offers an opportunity to combat increasing investment and presence of China in the Sri Lankan port sector.

Currently, 60 per cent of Indian containers are trans-shipped at Colombo because of which our exporters and importers have to pay an additional cost for every container. This causes us to become uncompetitive, makes the trade costlier and leads to the outflow of foreign exchange. The establishment of the hub at Thoothukkudi would enhance the prospects for projects like the Sethusamundram Project and facilitate the movement of containers from east coast ports to Thoothukkudi for trans-shipment at a lesser cost and time by avoiding the circuitous route by Sri Lanka.

SHRI INDRA HANG SUBBA (SIKKIM): Sir, the Tamang and Limboo are the two of the major tribal communities of Sikkim. These two tribes make nearly 15

per cent of Sikkim's total population according to Government of India's Census of 2011.

The Tamang and Limboo communities were recognised and notified as Scheduled Tribes in 2002 itself. According to Article 332 of the Constitution of India, the seats for SC and ST in the Legislative Assembly of the State shall be reserved in proportion to the population of Scheduled Tribes in the State. However, Tamang and Limboo tribes are being deprived of their constitutional rights since 2003 despite continuous demand by Tamang, Limboo and other community associations and individuals.

Sir, let me inform you that four Assembly elections have been conducted since the recognition of the two communities as Scheduled Tribes. Also, delimitation of Assembly constituencies in the year of 2006 was conducted without reservation of seats for Tamang and Limboo as mandated by the Constitution. The Tamang and Limboo tribal communities are being deprived of their constitutional rights which is a violation of constitutional provisions, its values, and ethos. Therefore, I urge upon the Government to provide reservation of seats for these ST communities in the Legislative Assembly of Sikkim.

***SHRIMATI MANJULATA MANDAL (BHADRAK):** Thank you, Hon'ble Speaker Sir, for giving me this opportunity. Through you I want to draw the attention of Hon'ble Minister for Petroleum & Natural Gas. Sir, you will be

* English translation of the speech originally delivered in Odia.

happy to know that my constituency Bhadrak is going to set up a Textile Park at Dhamra Square at the behest of IOCL. This park will boost employment opportunity to many skilled and unemployed weavers. This will help in connectivity to Dhamra port and Adani port. State Govt. has provided 59 Acres of land but work is yet to start. Kindly ensure that the Textile Park is established as soon as possible because Covid has made many migrant labourers jobless - especially those who had returned from Surat. Thank you, Sir. Jai Odisha.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, in my constituency, attached to Sreerampur Railway Station are private lands. On those private lands, the poor people have made their houses. Now, the railways authority without making the demarcation of the railway and private land have sought to evict these people from that land.

Sir, through you, I will make a prayer that the Railways first demarcate their lands and thereafter take whatever steps they want to take. I have a request that even if anyone remains within the railway land, they are there for more than 100 years, a rehabilitation scheme be framed by the railway authorities to rehabilitate them. Thank you, Sir, for giving me this chance. I am obliged.

माननीय अध्यक्ष: श्री मलूक नागर और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री कल्याण बनर्जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, 17 जुलाई, 2019 को केन्द्र सरकार ने एक कमेटी गठन की, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री विप्लव कुमार शर्मा ने की, जिनका उद्देश्य था कि असम अकॉर्ड के क्लॉज 6 को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। कमेटी ने अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट 25 फरवरी, 2020 को जमा की। लेकिन जिस केन्द्र सरकार ने इस कमेटी का गठन किया, उसी केन्द्र सरकार ने आज तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं ली। It has been stated in Rajya Sabha that the report of this high-level Committee is still with the State Government. राज्य सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार का निर्देश है कि इस कमेटी स्टेट के लीगल एक्सपर्ट करें।

केन्द्र सरकार कहीं न कहीं डिलेइंग टैक्टिस कर रही है, रिपोर्ट ग्रहण नहीं करना चाहती है और रिपोर्ट का बार-बार उल्लेख कर लोगों को मिसलीड कर रही है। My specific demand is that the Government of India should specify as to when it will accept the Biplab Kumar Sarma Committee Report on Clause 6 of the Assam Accord.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री गौरव गोगोई द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

पिछले दिनों मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते लगभग 10 जिलों के 400 गांव बाढ़ के चपेट में आ गए। इससे गरीबों के मकानों, खेतों और फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद की। प्रदेश सरकार ने पूरी ताकत से रेस्क्यू चलाया और लोगों की मदद की। आज भी नरसिंहपुर, होशंगाबाद और रायसेन जिले में अनेक गांव ऐसे हैं, जो आस भारत सरकार की तरफ से मदद की लगाए बैठे हैं। भारत

सरकार ने टीम भेजकर बाढ़ से हुई क्षति से आकलन लगाने का काम किया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि नर्मदा, तवा, शक्कर, सीथा, रेवा और दूधी नदियों के किनारे खेतों और मकानों की जो भीषण क्षति हुई है, उनका शीघ्र सर्वे कराकर, प्रदेश सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके भारत सरकार पैकेज दे जिससे बाढ़ से लोगों को हुई क्षति में मदद करने का काम हो सके।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI SHRINIWAS DADASAHEB PATIL (SATARA): Mr. Speaker, Sir, I thank you for giving me opportunity to speak on this subject for which I am waiting for the last about four, five days. I would like to bring to your kind notice that widespread discontent is being expressed by members of the Maratha community in Maharashtra since 9th September. This is because the reservation granted under SEBC quota in 2018 by Maharashtra, which was subsequently upheld by Mumbai High Court, was stayed by the Supreme Court on 9th September, 2020 before referring it to the larger bench. This discontent is more acute because such a stay was not granted either to similar reservations granted by other States or to the EWS quota granted by the Union Government but only to the SEBC quota given by Maharashtra. It must be noted that reservation granted under the SEBC quota in Maharashtra was achieved after a prolonged effort, peaceful struggle, and by following all the procedures of law. The Gaekwad Commission did extensive research and recommended the reservation. After this, as per the Commission's report, both the Houses of Maharashtra legislature passed the Bill. This was later

contested in Mumbai High Court but the Mumbai High Court also upheld the reservation with minor modifications in the percentage. Sir, in view of the above, I would like to emphasise that it is of utmost importance that the Union Government must intervene and become a party in the matter of SEBC quota of Maharashtra being heard by the hon. Supreme Court, and take a stand to support the efforts of Maharashtra and the Maratha community to maintain and uphold the reservation.

माननीय अध्यक्ष: श्री संजय काका पाटील और श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे को श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पिछले अप्रैल-मई के महीने में दिल्ली-एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटकों की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अनुसार भले ही रिक्टर स्केल पर तीव्रता में कम हो, लेकिन, तमाम विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के अनुसार ये किसी बड़े भूकंप की आहट हो सकते हैं। इन भूकंपों का दायरा जून महीने में बढ़कर गुजरात, कश्मीर, छत्तीसगढ़, मिजोरम और मेघालय तक पहुंच गया। ऐसी परिस्थिति में यह सवाल उठता है कि आखिर किसी बड़े भूकंप को लेकर हमारी तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? भूकंप के समय, स्थान या तीव्रता का पूर्व अनुमान करने की क्षमता अभी हमारे अंदर विकसित नहीं हुई है। इसलिए, हमें जापान जैसे देश से सीखने की जरूरत है, जो सदैव अपने लोगों को प्रशिक्षण देकर रखता है कि भूकंप की परिस्थिति का सामना कैसे करना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने राज्य सरकारों को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कोड को लागू करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में मेरा पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री जी अनुरोध है कि राज्य सरकारों की समीक्षा करके उनके टाइम बाउंड ऐक्शन प्लान को जानने का प्रयास करें कि उन्होंने कहां तक लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया और अर्थक्वेक

रेजिस्टेंट बिल्डिंग कोड को लागू करवाया है, ताकि किसी बड़े भूकंप की स्थिति में जान-माल की क्षति को रोका जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I stand before this august House with my head down today because the Office of the Chief Minister of my State and top ministers are being investigated by all the major agencies, including NIA, ED, Customs, Narcotics Control Bureau for their alleged involvement in sedition and gold smuggling case.

A few days before, a State Minister, KT Jaleel was interrogated by the National Investigating Agency for his alleged role in gold smuggling and exploiting diplomatic immunity. It is for the first time in the history of the country that gold cartels smuggled, apparently for 23 times, approximately 200 kg of gold worth Rs. 100 crore into the country through diplomatic channels. I am shocked how the accused were able to smuggle gold these many times beneath the nose of Customs, Central Intelligence Bureau and Office of RAW, all located in Trivandrum.

The Principal Secretary to the Chief Minister, Mr. Sivasankar, IAS has been shunted out of office for his role in the case. His purported proximity with the prime accused was probed in the smuggling case. The accused in gold smuggling have shockingly intruded into the State machinery. The incident

points towards large scale corruption apart from treason and sedition. The corruption allegations can only be investigated by the CBI. Hence, I demand special CBI investigation in this matter.

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, भगवान भी बिहार का अलग-अलग तरीके से परीक्षा लेता रहता है और बिहारवासियों का तो पूरे तौर पर परीक्षा चलता ही रहता है। कोविड की मार तो भारतवर्ष पर पड़ी ही है और बिहार पर भी इसका बहुत असर पड़ा है। उसके बाद बाढ़ के प्रकोप ने हमारे इलाके को मार डाला। अब तो एक और परीक्षा आने वाली है, जहां बिहार की जनता एक सही निर्णय करेगी, जो चुनाव का है। परीक्षा का दौर तो बिहार में चल ही रहा है। नेपाल के साथ हमारा जो रिश्ता है, वह तो है ही, लेकिन, जब पानी वहां से चलता है और नदियों के बैराज को तोड़ता हुआ, सारण जिला बिल्कुल छोर पर है, पानी बांध तोड़कर सवा सौ-डेढ़ सौ किलोमीटर तक चलकर हमारे यहां आकर जमा हो जाती है और बाढ़ आ जाता है। जहां बाढ़ का पानी टूटता है, वहां पानी नहीं रुकता है, जो निचला क्षेत्र होता है, उसमें आकर पानी रुक जाता है। वैसे इस बार बिहार सरकार ने कोविड से भी लड़ने के लिए काफी प्रयास किए हैं तथा बाढ़ आने के बाद छः हजार रुपये सभी प्रभावित लोगों को दिए हैं। मेरे जिले में 44000 लोगों को छः हजार रुपये दिए गए हैं। बिहार सरकार ने जिस प्रकार से किचन चलाया, वह बहुत अच्छा प्रयास था। लेकिन, मैं केंद्र सरकार से यह आग्रह करूंगा कि यह पूरे भारतवर्ष का संकट बनता जा रहा है। भारतवर्ष में जो छोटी नदियां हैं, नाले हैं, पईन हैं, उन पर अतिक्रमण हो रहा है, लोग उन पर घर बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, लेकिन, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। एक केंद्रीय कानून बनाने की जरूरत है, जो राज्य सरकारों के लिए मॉडल कानून का काम करे। पूरे भारतवर्ष में ऐसे छोटे-छोटे नालें और नदियों, जिनको धीरे-धीरे लोग अतिक्रमित कर रहे हैं, उनको बचाने की प्रक्रिया भारत सरकार को कदम उठाकर करना होगा, ताकि राज्य सरकार उस मॉडल कानून को

अपने यहां लागू करे और बाढ़ के प्रकोप के कारण और जिस प्रकार नैचुरल फ्लोज को रोका जा रहा है, उस पर रोक लगाई जा सके। यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. निशिकांत दुबे और श्री मलूक नागर को श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

16.00hrs

***SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH):** Thank you Hon'ble Speaker Sir, I shall speak in Bengali today. We all are aware that our beloved Chief Minister Mamata Baanerjee and our young leader, Hon'ble MP Shri Abhishek Bandyapadhyay are fighting against the menace of Covid tirelessly. They are leaving no stone unturned in this battle against Corona. On my part, through you Sir, I urge upon the Central Government to release the funds due to the State as early as possible. I also request the Government to announce a special package for the migrant workers. Many people of Goghat, Khanakul and such other places of my Lok Sabha constituency Arambagh go to work in different States and have returned as migrant labourers. So, there is an urgent need to announce a special package for their benefit. With these words, I conclude my speech sir.

श्री संजय भाटिया (करनाल): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत महत्वपूर्ण गंभीर समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहले के समय में गाँव में बारिश के पानी से तीन-चार तालाब भरे होते थे और वह पानी पशुओं के पीने के काम भी आता था, लेकिन कुछ समय से जब हम थोड़े मॉडर्न होते चले गए, समझदार होते चले गए तो हमने उन तालाबों का अतिक्रमण शुरू कर दिया। चूंकि हम सब्सिडिल लगाते हैं और सीवरेज का पानी 24 घंटे नालियों में बहता है और उन तालाबों में जाता है। आज वह पानी पीने लायक नहीं रहा है, पशुओं के लायक भी नहीं रहा है।

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार का ध्यान और जल शक्ति मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उसका पुनरुद्धार करके उसे पशुओं के पीने लायक बनाएं। आज ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है। उसको रिचार्ज करेंगे और उसके लिए अवेयरनेस केम्पेन भी चलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि समाज के लिए यह बहुत भले का काम होगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री संजय भाटिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Speaker, Sir, thank you for allowing me to raise this important issue in Zero Hour. Wetlands and marshlands are nation's important treasures which need to be taken care of. One such wetland, a lake, which has been craving for attention is Valachery lake in my South Chennai constituency and it has been neglected even after long-pending request from the public.

The present AIADMK Government has turned a blind eye and deaf ear to the request of the people. Excess sewage from the metro water pumping stations is let out into the Raj Bhawan canal which drives into it. A lakeside toilet built by the Corporation also empties into it. Umpteen number of requests to the Corporation of Chennai have not been given attention to. So, I would request the Minister concerned to declare it as an ecological heritage spot and allocate funds for its restoration and conversion into an eco-park.

माननीय अध्यक्ष : श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक संगीन मसला उठाने की इजाजत दी है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। जम्मू-कश्मीर के सतारा से करीब छः साल पहले बच्चों ने मीरपुर और दूसरे मेडिकल कॉलेजेज में दाखिला लिया। एम्बेसी की अनुमति से सभी पेपर्स का प्रोसेस हो गया। अब जब उन्होंने कोर्स कम्पलीट कर लिया तो उनको एमसीआई द्वारा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, जिन्होंने पांच साल तक मेहनत की है और डिग्री हासिल की है। मेरी गुजारिश है कि वन टाइम एक्सेप्शन के तौर पर उनको इस एग्जाम में बैठने की इजाजत दी जाए, ताकि उन्होंने जो मेहनत की है, वे उसका लाभ उठा सकें। जब वे मेडिकल ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट में पास हो जाएंगे तो डॉक्टर की हैसियत से प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके अलावा एनएच 44 की तेजी के साथ मरम्मत की जाए और मगरकोट रोड को खोला जाए। अब मेवे का उत्पादन होगा और उतराई होगी तो करीबन 25 लाख मीट्रिक टन मेवा कश्मीर से मुल्क के बाकी हिस्सों में जाएगा। जिसके लिए एनएच 44 तैयार नहीं है। उसके लिए मगरकोट रोड का खुलना जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष : श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री हसनैन मसूदी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Hon. Speaker Sir, with a deep sense of anguish and pain, I am bringing to the notice of this House that two chariots of famous Hindu temples in Andhra Pradesh were burnt recently. In the first case, they burnt nearly six-decade old chariot of the Lord Lakshmi Narsimha Swamy temple at Antarvedi in East Godavari on 7th of this month. The second, a chariot of Lord Sri Prasanna Venkateswara Swamy temple, was burnt in Nellore district on 14th of February this year.

Another incident, and the most shocking one, is when 23 idols, in six temples in Pithapuram of East Godavari district of Andhra Pradesh, were destroyed in a single day. But, so far, no case has been filed and no one has been arrested. Earlier, the Tirumala Tirupati Board tried to sell the temples' lands but backed out due to huge protests and backlash of the public against the move. Such attacks on Hindu temples and Hindu faith are not acceptable. I would request the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister to review these instances, intervene in such cases and do justice to Hindus. Thank you,

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): अध्यक्ष जी, नागौर के जिला मुख्यालय पर सेना भर्ती रैली पिछले सात-आठ साल से आयोजित होती रही है। इस बार नागौर के जेडआरओ जयपुर को एआरओ जोधपुर में कर दिया। इस वजह से वहां युवाओं में भारी रोष है। इस बारे में मैंने रक्षा मंत्री जी से भी बात की थी और अकेले नागौर जिले से 25 से 30 हजार फार्म नागौर जिले से भरे जाते हैं। वर्ष 1962, 1965, 1971 और कारगिल की लड़ाई में शेखावटी के बाद सबसे ज्यादा शहादत नागौर के जवानों ने दी है।

महोदय, लोक सभा का सत्र चल रहा है और सभी चाहते हैं कि आप इस गंभीर मामले में नौजवानों की भावनाओं को देखते हुए सेना भर्ती का मुख्यालय पुनः नागौर में करने के लिए सरकार से कहें।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, you must appreciate the fact that the National Anthem of our country was written by a Bengali poet, Kavi Rabindranath Tagore. The National Anthem of our neighbouring country, Bangladesh was also written by the poet Rabindranath Tagore. Not only that, the National Anthem of Sri Lanka was also inspired by

the great poet, Nobel Laureate Kavi Rabindranath Tagore. In the year 1913, he was the first Asian who was awarded the Nobel Prize in Literature for his work on Gitanjali.

The fact is that the Bengali literature is one of the most enriched bodies of literature in modern India and Bangladesh also. The first verse of Bengali appeared in the tenth century CE. It is known as Charyapada. Thereafter, a number of literary works, like Ramcharitmanas, were written in Bengali language. I do not have a different opinion with regard to the recognition of classical languages. This has already been offered to six languages. I do nurture the idea that Tamil is the oldest language not only in India but also in the world.

I would propose that Bengali language should be given the recognition of a classical language. This is my ardent request to the Government. There is no specific eligibility criterion to determine a classical language. Ancient languages like Pali and Prakrit have also been left out. Bengali language with all its heritage attributes should be included as a classical language. This is my ardent request to the Government of India.

16.07hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को बीस मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखें।

(i) Need to set up adequate number of Van Dhan Kendras in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency, Maharashtra.

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): यह प्रसन्नता की बात है कि केन्द्र सरकार ने कोरोना संकट में देश के आदिवासियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पीएम वन-धन योजना में व्यापकता लाते हुए इसका दायरा बढ़ाने हेतु योजना बनाई है तथा यह भी प्रसन्नता की बात है कि वन-धन योजना, जिससे फिलहाल 18 हजार स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं, उसे बढ़ाकर 50 हजार स्वयं सहायता समूह करने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल देश के 1205 केन्द्रों के जरिए साढ़े तीन लाख आदिवासी लाभान्वित हो रहे हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस योजना से 10 लाख आदिवासी लाभान्वित होंगे।

यह वास्तविकता है कि वन-धन योजना के माध्यम से आदिवासियों द्वारा संग्रहित वनोपज की अच्छी कीमत मिलती है तथा इन केन्द्रों के माध्यम से आदिवासियों का जब योगदान बढ़ेगा तो इससे उनकी आय के साधन व स्रोत भी बढ़ेंगे।

* Treated as laid on the Table.

अतः इस सम्बन्ध में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश के अति पिछड़े, दुर्गम आदिवासी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली में अधिक संख्या में वन-धन केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि नक्सलवाद से प्रभावित इस क्षेत्र के विकास में मदद मिल सके और यहां के गरीब आदिवासी देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

(ii) Regarding problems being faced by coffee growers

SHRI PRATHAP SIMHA (MYSORE) : It has come to my attention that Karnataka is home to 70% Coffee production of India. There are 3,50,000 Coffee Growers in India out of which 9.5 % of them are small scale growers owning less than 10 hectares of land. Coffee is grown in 4,00,000 hectares of land in India.

Due to removal of Agriculture from the ambit of CIBIL rating, Growers are unable to repay either the Principal Amount or Interest amounts, resulting in account status turning NPA. This is getting reflected in lowering of their credit scores in the CIBIL rating system.

Due to three heavy monsoon and COVID-19 pandemic as well as low prices, pest and diseases, coffee grower are suffering from cash crunch. Coffee Growers have availed about Rs. 10,000 crores worth of loans from Commercial and Co-Operative banks. The total interest on this amount is about Rs. 1,200 crores.

(iii) Regarding Reform in Madrasa education.

SHRI NISITH PRAMANIK (COOCHBEHAR) : There is an urgent need for reform in Madrasa Education in West Bengal and other parts of the country. The Government of India has credible evidence that the Jamaat-ul-Mujahideen of Bangladesh and Jamat-ul-Mujahideen India are using Madrasas in West Bengal for radicalisation and recruitment activities. Keeping in view the dangerous trend of radicalization of students in Madrasas, the Govt. of India has also declared both the organizations as terrorist Organizations. Inputs regarding this have also been shared with the govt. of West Bengal. The state of West Bengal has been badly affected due to the radicalization and incendiary speeches of Islamic preachers from the state as well as neighbouring Bangladesh. The govt of West Bengal has not done anything so far to prevent such activities. It is a fact that Madrasas get funded from Islamic countries and utilize the funds for fomenting communal crisis in the state and other parts of the country. It would be in the national interest that value education, patriotism must be made mandatory in all the Madrasas and a monitoring mechanism be developed to keep an eye on the functioning of Madrasas periodically. I hope the Govt. take this matter with due seriousness and act with an iron hand.

(iv) Need to set up a Technical Textile Park in Panipat, Haryana.

श्री संजय भाटिया (करनाल): मेरा यह अनुरोध है कि सदियों पुराने समृद्ध एवं परंपरागत वस्त्र उद्योग के कारण, विश्व भर में भारत का अपना विशेष स्थान रहा है। लेकिन बदलते वक्त के साथ अब अंतरिक्ष विज्ञान, आटोमोबाइल्स, कृषि, रक्षा, चिकित्सा, खेल, भवन निर्माण, मत्स्य पालन आदि अनेक क्षेत्रों में साधारण टेक्सटाइल का स्थान टेक्निकल टेक्सटाइल अथवा स्मार्ट टेक्सटाइल ने ले लिया है। भारत में भी इसकी मांग दिनोदिन बढ़ रही है, जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र में काम आने वाले दस्ताने, डायपर, मास्क, डिस्पोजेबल बेडशीट जैसे सुरक्षा किट के अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट, स्नो बूट, अग्नि रोधी वस्त्र, खेलों के उपकरण, वाहनों की सीट बेल्ट, सीटकवर, मछली पकड़ने के जाल आदि टेक्निकल टेक्सटाइल के उदाहरण हैं। इसके अलावा, पानीपत में एक टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क की स्थापना भी की जाए ताकि अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिले।

**(v) Need to set up 'Electric Loco Periodical Overhaul Workshop' and
'Railway Concrete Sleeper Manufacturing Unit'
in Kalahandi Parliamentary Constituency, Odisha.**

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): मेरा संसदीय क्षेत्र कालाहांडी देश का बहुत बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, जो आज भी कई सुविधाओं से वंचित है। लोग काम के अभाव में राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार ने मेरे क्षेत्र कालाहांडी के नरला विधानसभा में एक नई रेलवे परियोजना "इलेक्ट्रिक लोको पेरिओडिकल ओवरहालिंग वर्कशॉप" की मंजूरी दी है। लेकिन अब तक कार्य आरंभ नहीं हुआ है। माननीय रेल मंत्री से मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि नुआपाड़ा रेलवे स्टेशन के पास "रेलवे कंक्रीट स्लीपर मैनुफैक्चरिंग इकाई" स्थापित करने की कृपा करें।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन दोनों कार्यों को संज्ञान में लिया जाए और जल्द से जल्द कार्य आरंभ करने की कृपा करें ताकि एक उद्योग की भी शुरुआत हो जाए और रोजगार का भी सृजन हो सकें। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तर्ज पर और नए रोजगार स्थापित करने के लिए यह दोनों कार्य बहुत ही आवश्यक हैं।

**(vi)Need to link Kapilvastu in Siddharthnagar district,
Uttar Pradesh with other Buddhist sites.**

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत सरकार ने बौद्ध परिपथ को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना के तहत कई कदम उठाए हैं, जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। इसी के साथ मैं सरकार का ध्यान इसी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात पर आकर्षित करना चाहता हूँ। भगवान गौतम बुध की जन्मस्थली कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर जहां पर उन्होने अपने जीवन के पहले 29 वर्ष व्यतीत किए - उस जगह को अन्य बौद्ध धर्म-स्थलों से 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जोड़ने के लिए अनुरोध करता हूँ तथा हवाई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत करने के लिए भी आग्रह करता हूँ जिससे सभी बौद्ध श्रद्धालुओं के तीर्थ यात्रा सुगम हो सके।

बौद्ध परिपथ में कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, सिद्धार्थनगर एवं कुशीनगर का 2,500 वर्ष पुराना बौद्ध इतिहास है। अगर दुनियाभर में रहने वाले 5 करोड़ बौद्ध धर्म अनुयायी इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो पाए तो पर्यटन आकांक्षी जनपद सिद्धार्थ नगर तथा उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए संजीवनी जैसा काम कर सकता है।

**(vii) Need to revive the Japla Cement Factory in
Palamu Parliamentary Constituency, Jharkhand.**

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): पलामू एवं गढ़वा जिला देश के 112 आकांक्षी जिलों में आते हैं। यहाँ किसी प्रकार का उद्योग धंधा स्थापित नहीं है। मैं इस विषय की ओर सदन का ध्यान वर्ष 2014 से उठाते आ रहा हूँ, परंतु अभी तक कोई भी उद्योग धंधा स्थापित नहीं हो सका है बेरोजगारी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुयी है और अब तक उग्रवाद की समस्या भी गंभीर होती जा रही है।

पूर्व में जपला सीमेंट फैक्ट्री जिसमें हजारों मजदूर कार्य करते थे, उस सीमेंट फैक्ट्री के बंद हो जाने से सभी बेरोजगार हो गए हैं। मजदूर भूखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है की जपला सीमेंट फैक्ट्री को पुनर्जीवित किया जाए अथवा उक्त जमीन पर रेलवे विभाग Axel प्लांट स्थापित करे या अन्य प्रकार का उद्योग धंधा स्थापित किया जाये।

(viii) Regarding reservation of SCs and STs in Private Sector

DR. (PROF.) KIRIT PREMJBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST) : The Government extends reservation for historically marginalized Scheduled Castes and Scheduled Tribes in government jobs and educational institutions. This has improved the economic and educational status of SCs and STs. As per Population Census Data, gap in literacy rate between total population and SCs has reduced from 22.2% (1981) to 6.9% (2011). For the STs, the gap has reduced from 27.22% (1981) to 14.03% (2011).

However, NSSO data has shown that the share of SCs and STs in private enterprises is much less than their share in the population. SC entrepreneurs and their businesses also face discrimination in accessing inputs and services. It was Dr. BR. Ambedkar who first argued for compensatory policies in private sector in a representation to the Southbrough Committee in 1919. I would like to request the Government to consider a proposal for reservation of SCs and STs in the private sector to correct historical injustices .

(ix) Regarding alleged conversion of tribals in Banswara Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर-बांसवाड़ा अनुसूचित जाति क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ।

झारखण्ड में गरीब आदिवासी भाई बहनों का धर्मान्तरण ईसाई मिशनरियों द्वारा किया जा रहा है। उसी तर्ज पर मेरे क्षेत्र में भी कथित धर्मान्तरण किया जा रहा है। ईसाई मिशनरी द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर साथ ही गरीबी का लाभ उठाते हुए धर्मान्तरण कर ईसाई बनाया जा रहा है। इसके पीछे विदेश शक्तियां भी कार्य कर रही है।

मेरे संसदीय क्षेत्र के बांसवाड़ा, जिला के सज्जनगढ़, आनन्दपुरी, कुशलगढ़, घण्टाली क्षेत्र व डूंगरपुर व सागवाड़ा, उदयपुर जिला के खेरवाड़ा क्षेत्र में भी कथित धर्मान्तरण किया जा रहा है, जिससे आदिवासी समाज में वातावरण बिगड़ रहा है।

**(x) Need to send a central medical team for
Covid patients in Chhattisgarh.**

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना अब बेलगाम हो गया है, लोगों के पास पैसा है लेकिन प्राइवेट अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। गरीब तो बेसहारा हो गए हैं, गंभीर मरीज जिन्हें सांस की तकलीफ हो रही है, उनके लिए वेंटिलेटर, आक्सीजन की व्यवस्था अपर्याप्त हो गई है। रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों के बीच भय का वातावरण हो गया है।

रायपुर में कोरोना संक्रमण जयपुर, लखनऊ, भोपाल व इंदौर जैसे बड़े शहरों से भी ज्यादा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि राज्य सरकार से बात कर केन्द्र की स्वास्थ्य टीम यहाँ की पूरी व्यवस्था अपनी देख-रेख में करवाएँ।

(xi) Need to construct an underpass on Bandikui - Baswa railway line in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan.

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा से निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के कारण वांदीकुई विधान सभा के भोजवाड़ा ग्राम में वांदीकुई वसवा रेलवे लाईन के पिलर संख्या 175+500 पर अण्डर पास का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। वर्तमान में उक्त स्थान पर बाण गंगा नदी में ग्रेवल सड़क बनी हुई है जिससे 20 गांवों का आवागमन होता है। हाल ही में एक कम्पनी ने रास्ता अवरुद्ध कर दिया है, इससे 20 गांवों के लगभग 1 लाख लोगों की आबादी प्रभावित हो गई है। यह अवरोध होने से गांवों के लोगों को 40 कि.मी. का चक्कर लगाकर आना पड़ता है। यदि यहां अण्डर पास नहीं बनाया गया तो गांवों की जनता आन्दोलन करने पर मजबूर होगी जिन्हें मैंने आश्वासन देकर रोका है। कृपया इस गंभीर समस्या का समाधान कर शीघ्र ही अण्डर पास स्वीकृत किया जाये।

(xii) Need to set up an Archaeological Museum in Bilaspur district headquarters, Chhattisgarh and also develop sites of archaeological importance in the district as tourist places.

श्री अरूण साव (बिलासपुर): छत्तीसगढ़ धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है, राज्य में स्थित पुरातत्वीय दृष्टि से महत्वपूर्ण 47 स्मारकों को सुरक्षित रखने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रायपुर छत्तीसगढ़ सर्कल द्वारा केन्द्र संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इनमें से 07 ऐतिहासिक स्थल बिलासपुर लोक सभा क्षेत्र में स्थित हैं। बिलासपुर लोक सभा क्षेत्र में स्थित प्राचीन गढ़ मल्हार, पातलेश्वर मंदिर (मल्हार), शिव मंदिर (गतौरा) कंठी देऊल मंदिर (रतनपुर), अजमेर गढ़ किला (आमनाला बिलासपुर), शिव मंदिर (बेलपान) एवं रतनपुर स्थित समस्त स्मारक हमारे गौरव पूर्ण अतीत के साक्ष्य हैं।

शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन एवं बौद्ध धर्म के संकुल के रूप में प्रतिष्ठित मल्हार विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भिन्न भिन्न शासकों का समय समय पर आधिपत्य रहा है। इसके प्रमाण पुरावशेष के रूप में उपलब्ध हैं इसी तरह रतनपुर, बेलपान (तखतपुर) गतौरा (मस्तूरी) आदि स्थानों पर स्थित ऐतिहासिक स्मारकों की अपनी अलग ख्याति है। बिलासपुर जिले की समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत को संभालने की दिशा में अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं हो सका है। अधिकांश बेशकीमती प्रतिमाएं धूल खा रही हैं, इन प्रतिमाओं के रख-रखाव की उचित व्यवस्था नहीं की जा सकी है। जिले की प्राचीन सांस्कृतिक व गौरवमयी विरासत को सहजने जिला मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सुव्यवस्थित पुरातत्व संग्रहालय (म्यूजियम) का निर्माण कराये जाने की नितांत आवश्यकता है। साथ ही पुरातात्विक स्थल रतनपुर, मल्हार, ताला, मटकूद्वीप को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए आवश्यकता अनुरूप विकास कार्य कराया जाना जरूरी है।

(xiii) Regarding EPFO pension

SHRI TEJAVSI SURYA (BANGALORE SOUTH) : EPFO had capped salary used for computation of pension at Rs 15,000 per month. It capped employers contribution to the EPS at Rs 15,000 per year instead of 8.33%. An SLP is pending before Supreme Court.

Kerala High Court, in WP (C) No 20551 of 2015 (T) has held that the EPFO is duty-bound to initiate action for the re-determination of the pension as per the last salary drawn and provided them a time period of 4 months even if the matter is pending with the SC. While the judgment speaks about higher pension, the disbursement of even regular pension has been stalled in many cases. The retirees of many companies, like Ace Designers in Bengaluru, have not received even their regular pension from their EPFO Regional Offices.

It is concerning that their regular pension was stopped in the middle of the lockdown. I request the Government to immediately direct all EPFOs to not withhold regular pensions of retirees.

(xiv) Need to lift ban on export of onion.

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): वाणिज्य मंत्रालय ने 14 सितम्बर को प्याज के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। प्याज की उपज करने वाले किसान कोरोना महामारी के कारण परेशान हैं और देश के 70 प्रतिशत प्याज का निर्यात महाराष्ट्र से होता है। इस प्रतिबन्ध से नासिक, अकोला और मेरे लोक सभा क्षेत्र अहमदनगर जैसे प्याज उगाने वाले क्षेत्रों के किसान को हानि होगी।

मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि इस प्रतिबन्ध को तुरन्त हटाया जाए और प्याज के दामों को नियंत्रित करने के लिए नेफेड द्वारा बफर स्टॉक में रखे एक लाख टन को बाजार में लाया जाए जिससे देश में प्याज के दाम नियंत्रित हो सके और किसान अपने उपज विदेशों में निर्यात करके लाभान्वित हो सकें। इसके अतिरिक्त पूरी तरह प्रतिबन्ध न लगाकर एक न्यूनतम निर्यात मूल्य कर दिया जाए जो हमारी सरकार ने 2015, 2017, 2018 और 2019 में भी लागू किया था जब प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई थी।

**(xv) Need to provide houses to people rendered homeless
due to excessive rain and flood in Balaghat Parliamentary Constituency,
Madhya Pradesh.**

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): मेरे संसदीय स्थान बालघाट सहित पूरे प्रदेश और देश में इस साल भारी बारिश होने एवं बाढ़ आने से हजारों गरीब परिवारों के अनेकों घरों में 4 से 5 फूट तक पानी भरने से कच्चे मकानों को बहुत क्षति हुई है, हजारों की संख्या में मकान बाढ़ में बह गए, पूरी तरह गिर गए, धराशायी हो गए एवं अनेकों कच्चे मकान भविष्य में धराशायी होने की कगार पर हैं। भारी बरसात में मकान न होने की वजह से लोगों के रहने का संकट पैदा हो गया है, लोग शासकीय स्कूलों, आंगनवाड़ी आदि में अस्थायी तौर पर निवास कर रहे हैं। शासन द्वारा राजस्व की परिपत्र 6/4 के अनुसार इन्हें मुआवजा या राहत राशि मिलेगी, लेकिन इस परिस्थिति में इन्हें अपना नया मकान बनाना अत्यंत कठिन है, वर्तमान में शासन द्वारा जिनके नाम गरीबी रेखा में है केवल उनको ही आवास देने का प्रावधान है, परंतु जिनके मकान गिर गए हैं उन्हें पात्रता होने पर भी तत्काल या पारी विरुद्ध (आउट ऑफ टर्न) देने का प्रावधान नहीं है एवं जिनके नाम जुड़े नहीं हैं उन्हें तो दिया ही नहीं जा सकता है।

अतः माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिनके मकान गिर गए हैं यदि उनके नाम पात्रता सूची में हैं तो उन्हें पारी पूर्व आवास आबंटन करने एवं जिनके नाम नहीं हैं उनके लिए नियम में संशोधन कर उन्हें तत्काल आवास आबंटित करने का प्रावधान करने का कष्ट करें ताकि आवासहीन हुए लोग अपना आवास बना सकें।

**(xvi) Need to include Rajasthani language in the
Eighth Schedule to the Constitution.**

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर आठवीं सूची में सम्मिलित करने की मांग पूरे राजस्थान में विभिन्न माध्यमों से काफी समय से की जा रही है। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, तीनों का स्थान अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तीनों हमें आकार, आधार और अस्तित्व प्रदान करती हैं। किसी भी देश या प्रदेश की संस्कृति को सहजने से वहाँ की भाषा की अहम भूमिका होती है। बिना मातृभाषा के मौलिक चिंतन संभव नहीं है। यह चिंताजनक है कि सम्पूर्ण तत्वों और लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली यह प्राचीन राजस्थानी भाषा आज तक बस अपने अस्तित्व को ही तलाश कर रही है। 25 अगस्त, 2003 को राजस्थान विधान सभा में संकल्प प्रस्ताव पास होने के बाद केन्द्र सरकार को भेजा गया था, परन्तु इस पर अभी तक कोई सुनिश्चित कार्यवाही नहीं हो पाई है।

राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने से प्रदेश के प्रत्येक जिले की जनता को शिक्षा एवं रोजगार हासिल करने में भी मदद मिलेगी। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने को लेकर पहली बार 1936 में मांग उठी थी, लेकिन राज्य की विधान सभा में इस भाषा पर 2003 में जाकर कोई एक राय बन पाई और तब इस आशय का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया। केन्द्र के ओडिशा के वरिष्ठ साहित्यकार एस.एस.महापात्रा की अगुवाई में एक कमेटी बना दी और उसने दो साल बाद रिपोर्ट पेश की जिसमें राजस्थानी और भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जे का पात्र बताया गया। 2006 में तत्कालीन गृह मंत्री ने उसी चौदहवीं लोक सभा के कार्यकाल में राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा देने का भरोसा भी दिया था, बल्कि बिल भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन उसे आज तक संसद में पेश नहीं किया गया है।

राजस्थानी भाषा का निर्माण छः प्रमुख बोलियों से हुआ है । इसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, डूढाणी, शेखावाटी, हाडौती व बागड़ी का समावेश है । भाषा वैज्ञानिकों का भी मानना है कि राजस्थानी भाषा हिन्दी से नहीं निकली बल्कि एक स्वतंत्र अस्तित्व वाली भाषा है । भाषीय सर्वे में भी कहा गया है कि राजस्थान निर्माण के बाद इसका नामकरण राजस्थानी कर दिया गया ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि करोड़ों लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए और राजस्थानी भाषा को सम्मान का दर्जा देते हुए राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिए जाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

(xvii) Need to allow postmortem during night

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): अंग्रेजों के जमाने के पुलिस कानूनों एवं परम्पराओं के अनुसार हत्या एक्सीडेन्ट, दैवीय आपदा अथवा संदेहास्पद मृत्यु में जिसमें मृतक का पोस्टमार्टम अनिवार्य होता है, अधिकांश राज्यों में यह नियम है कि यदि मृतक की डेड बॉडी तथा उसके कागजात अर्थात् पंचनामा उपरान्त सायं 5 बजे तक पोस्टमार्टम गृह तक पहुंच जाते हैं तो पोस्टमार्टम उसी दिन होता है अन्यथा दूसरे दिन होता है।

रात में सामान्यतः पोस्टमार्टम नहीं होता है। यदि सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी चाहे तो परिवारजनों के निवेदन पर पुलिस की अनापत्ति प्रमाण के बाद अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सी.एम.ओ. को उचित कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध होने पर रात्रि में पोस्टमार्टम की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। महोदय, जिस तरह रात्रि में गंभीर बीमारियों जैसे हार्ट, न्यूरो सर्जरी इत्यादि को सफलतापूर्वक किया जा रहा है, उसी तरह पोस्टमार्टम को बिना रात दिन का फर्क किए किया जा सकता है। आज के इस 21वीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग में जब रात में क्रिकेट, टेनिस, फुटबाल आदि के इतने बड़े मैदान में लाइट उपलब्ध कराके मैच कराये जा सकते हैं तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में उक्त पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर रात एवं दिन का फर्क किये बिना पोस्टमार्टम व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध कराई जाये जिससे मृतक के परिवारजन को होने वाली समस्याओं से राहत मिल सके।

**(xviii) Regarding grant of additional compensation to victims of Covid-19
in Defence service**

SHRI ANUMULA REVANTH REDDY (MALKAJIGIRI) : Through my question, I came to know that 25418 CAPF personnel were tested COVID Positive and 100 of them have died due to the virus. A little relief in this sad time was to know that in addition to normal benefits available to a CAPF personnel on death, Rs. 15 lakh was additionally provided to the next of Kin through “Bharat Ke Veer” Funds.

Then through my other question, I was shocked to know that there is no special compensation for the deaths occurring due to infectious diseases while in service for our defence personnel. 16758 in Army, 1365 in Air Force and 1716 in Navy were tested COVID 19 positive with a total of 35 deaths.

Therefore similar additional compensation of Rs 15 lakh to next of Kin of Defence personnel should be announced at the earliest. Let's stand in solidarity with our army.

(xix) Regarding amendment of the Rubber Act

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA) : I take this opportunity to share my apprehensions regarding the media reports about the Government's move to amend the Rubber Act. The intention of the amendment is to make the Act more business-friendly by increasing the level of ease of doing business. Thus, the proposed amendment aims at making the Rubber Act compatible with the interests of dealers, processors and manufacturers. The amendment seeks to eliminate rubber cultivation in the country and wreak havoc on the livelihood of crores of people. For instance, there is a provision in the proposed amendment to expand the scope of "research" by including Synthetic and Reclaimed Rubber in addition to Natural Rubber. On the one hand, the Government is rolling back various schemes and curtailing the funds for the cultivation of Natural Rubber. On the other hand, the Government is trying to promote Synthetic and Reclaimed Rubber by amending the Rubber Act.

**(xx) Need to provide employment to local people in
iron ore mines in Singhbhum parliamentary
constituency, Jharkhand.**

श्रीमती गीता कोडा (सिंहभूम): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र की ओर दिलाना चाहती हूँ। सिंहभूम लोक सभा क्षेत्र अन्तर्गत सरण्डा में जिला पश्चिमी सिंहभूम के प्रखण्ड नोवामुन्डी में स्टील आथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तीन लौह अयस्क खदान हैं। गुवा, मेघाहातुबुरु, किरीब्य और मनोहरपुर प्रखंड के चिरिया में स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया का एक लौह अयस्क खदान है। संरडा क्षेत्र के ग्रामीण रोजगार के लिए पूरी तरह से इन्हीं खदानों पर आश्रित हैं। इतने सारे उद्योग होने के बावजूद भी वहां के लोग रोजगार से वंचित हैं और भूख से मर रहे हैं जिसके चलते दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में पलायन करने लगते हैं।

अतः इनसे सम्बन्धित मंत्रालय से निवेदन करना चाहती हूँ कि प्रत्येक खदान में स्थायी रूप से कर्मचारी/मजदूरों की नियुक्ति की जाये। वर्तमान में प्रत्येक खदान में कर्मचारी/मजदूरों का पद रिक्त है। सेल गुवा एवं चिरिया के लौह अयस्क खदान में स्थाई नियुक्ति के लिए अंतिम बहाली कब की गई थी जिसकी कोई जानकारी नहीं है।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि सेल के चिरिया एवं गुवा लौह अयस्क खदान सहित किरीबुरु और मेघाहातुबुरु में स्थानीय लोगों के लिये नियुक्ति के लिए बहाली निकाली जाये जिससे वहां के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिल सके और पलायन करने की नौबत न आये।

**(xxi) Regarding Construction of Eight-way lane between
Salem and Chennai**

SHRI DNV. SENTHIL KUMAR S. (DHARMAPURI): The proposed Eight-Way lane between Salem and Chennai, which is being protested by the locals, farmers and others passes through my constituency Dharmapuri-Harur for a distance of 56 kms affecting 2000 acres of land and 2500 families are getting affected due to this new lane which is being constructed.

We are not against construction, but there is already 4 to 6 lanes between Chennai to Salem via Vellore and via Tindivanam and Chengalpattu. So these lanes can be extended to 8 lanes. Under this project, a lot of existing Agricultural Land will be lost. Further, a lot of Government buildings and natural resources will also get affected. 17 Panchayats under this project come under Dharmapuri Parliament Constituency, through which roads will pass through. The local villagers and panchayats are ready to pass the resolution in the local Gram Sabha. Once the resolution is passed, it will pose problems as it reflects the sentiments of the people.

(xxii) Regarding extending benefits to both NFSA and Non-NFSA beneficiaries across the country

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM) : Government of Andhra Pradesh has distributed rice and pulses free of cost under both PDS (Public Distribution System) and PMGKAY (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) to 1.49 crore Ration card holders in Andhra Pradesh & incurred an additional expenditure of Rs. 1,300 Crores.

Currently, there are 4,27,99,712 units out of which, 2,68,25,220 NFSA units and 1,59,74,492 non NFSA units are present in the State.

- There is no difference between Priority Households shown under NFSA and Priority Households shown under non-NESA State Cards with respect to eligibility criteria.

- The govt. of Andhra Pradesh has borne an additional expenditure of Rs. 800 Crores by extending the benefits to non—NFSA state units.

In this regard, I request the Hon'ble Food Consumer Affairs and Public Distribution Minister to extend benefits to both NFSA and Non-NFSA units on humanitarian grounds not only in State of Andhra Pradesh but also across the country.

(xxiii) Need to give special financial assistance to West Bengal

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG) : Due to Covid 19 pandemic, migrant workers faced multiple hardships. Millions of migrant workers faced loss of income, food shortage and uncertainly about future. West Bengal Government is by the side of the common man of Bengal. I urge the Government to give special financial assistance to the state of Bengal in this pandemic situation of Covid 19.

**(xxiv) Need to provide pucca houses to people living on
Government land in Mumbai.**

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण): केन्द्र सरकार की जमीन पर स्थित पुरानी अधिकृत इमारतों और झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले निवासी नागरिकों को पक्का घर देकर उनका जीवन सुरक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार को सर्व समावेशक योजना बनाने की आवश्यकता है। मुंबई में आज हजारों पुरानी इमारतें हैं। कुछ इमारतें तो 100 साल से ज्यादा समय से पुरानी हैं। केन्द्र सरकार के रेल सुरक्षा, बीएआरसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, एनटीसी, एल आई.सी. जैसे सरकारी और सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों की जमीन पर कई निजी अधिकृत पुरानी इमारतें खड़ी हैं, जो कभी भी ढह सकती हैं। उनको राहत देने की बजाय बीपीटी जैसे ट्रस्ट उनसे ऊँची रकम लीज की मांगते हैं। अगर इतनी रकम मालिक को भरनी पड़ी तो वह किरायेदार से ही वसूल करेगा और किरायेदार इतना ऊँचा किराया नहीं दे सकता। इस कारण बीपीटी उन्हें घर से निष्कासित करती है। यह अमानवीय कृत्य आज भी हो रहा है मुंबई में वरली, करी रोड, नायगांव और शिवडी में बी. डी. डी. चाल के कलस्टर हैं।

महाराष्ट्र की सरकार ने इनके पुनर्विकास की योजना बनाई और काम भी शुरू हुआ। लेकिन शिवडी स्थित बी. डी. डी. चाल कलस्टर का काम बी. पी. टी. यानि केंद्र सरकार की अनुमति न मिलने के कारण आज तक शुरू नहीं हुआ। दूसरी तरफ एनटीसी की जमीन पर मिल मजदूरों के लिए बनायी गयी निवासी इमारतें अब गिरने को हैं। इंडिया युनाइटेड मिल आज बेची गई है, ऐसा लग रहा है। सरकार ने एक निजी ग्रुप से जॉइंट वेंचर किया है। इतनी बड़ी मिल की जमीन के वह मालिक बने हैं। न ये ग्रुप, न एनटीसी उनकी जमीन पर खड़ी इस पांच मंजिल इमारत की मरम्मत करते हैं और न ही उसे विकसित करते हैं। जाम मिल, दिग्विजय मिल ऐसी अन्य मिलों की जमीन पर खड़ी निवासी इमारतों की हालत भी बहुत बुरी है। यही हालत मुंबई, गिरगांव के बदाम वाड़ी में एलआईसी की मालिकाना इमारतें, जो एलआईसी ने बनायी नहीं, लेकिन किसी

तकनीकी और कानून के कारण एलआईसी को मालिकाना हक मिला। आज ये इमारतें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। हाल ही में महापालिका ने उन्हें असुरक्षित घोषित किया है और सबसे ज्यादा तादाद में केन्द्र सरकार की जमीन पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लाखों गरीब लोगों को पक्का घर कब मिलेगा, यह भी पता नहीं है। महाराष्ट्र राज्य सरकार की “झोंपड़ी पट्टी पुनर्विकास योजना” इन्हें लागू नहीं होती। दूसरी तरफ कमजोर इमारतों के लिए महाराष्ट्र सरकार की पुनर्विकास योजना भी उन पर लागू नहीं होती। हर बारिश के बाद पुरानी इमारतें गिर रही हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, फिर भी हमारी आँखें खुल नहीं रही हैं। अगर सरकार का पक्के घरों का वादा पूरा नहीं होगा तो मुंबई में लोगों के जीवन में कभी बदलाव नहीं आयेगा मैं सरकार से निवेदन एवं अपेक्षा करता हूँ कि सरकार मुंबई में केन्द्र सरकार की जमीन पर रहने वाले कनिष्ठ, मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को पक्का घर देने का वादा नीति और कानून बनाकर शीघ्र पूरा करे।

(xxv) Regarding enhancement of royalty on coal.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (Cuttack) : The rate of royalty on coal has not been revised even after lapse of more than seven years. Royalty on coal was last revised on 10th May, 2012. The Union Government had constituted a Study Group to consider revision of rate of royalty on coal on 21st July, 2014. Odisha has been demanding that the rate of royalty on coal should be enhanced from 14% to 20% of the sale value. No decision has, however, been taken so far by the Union Government on the revision of royalty despite the fact that the study group has reportedly submitted its report to the Ministry.

As a result, the coal-bearing States are being deprived of fair share of revenues from the coal mining.

I urge upon the Government for enhancement of royalty on coal without any further delay.

(xxvi) Regarding employment opportunities for SC and OBC

SHRIMATI SANGEETA AZAD (LALGANJ) : Employment of SC and OBC is far from satisfactory. Government had promised 2 crore employment every year but unable to fulfil it.

(xxvii) Regarding corporatization of Ordnance factories

SHRI B.B. PATIL (ZAHIRABAD) : The country has more than 41 ordnance factories and nine Defence Public Sector Undertakings. History says that they are almost 200 years old. Their turnover, in 2018-19, was Rs 45,776. Crore.

The country, the people, the workers condemn the decision of Govt. of India to corporatize age old Ordnance Factories in the name of reforms. It allows the private parties to enter into the ordnance factories. Further the Govt. of India also increased FDI from 49% to 74% which shows that government owned ordnance factories are not able to meet the requirements. This will go against the interests of the nation.

**(xxviii) Regarding the catastrophic effects of cyclone
Nisarga in Maharashtra**

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD) : This is to bring to your kind notice that the recent Severe Cyclonic Storm 'Nisarga' which hit coastal parts of Konkan region in Maharashtra on 3rd June 2020 is the worst catastrophic phenomenon since 1891. It was also the first cyclone that had an impact on Mumbai since cyclone 'Phyon' had hit it in 2009. Nisarga originated as a depression in the Arabian Sea, moved generally northward and later turned northeast, ultimately making a landfall in Raigad between Shrivardhan-Murud-Alibaug Taluka. As Nisarga weakened once inland, it dissipated on 4th June but not before wreaking havoc in Raigad district in Maharashtra.

**(xxix) Regarding employment opportunities for returnees in
Ramanthapuram**

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM) : Ramanathapuram is a dry belt not having much employment opportunities. Most of the people from my Constituency are employed overseas. Due to the recent Covid Pandemic, most of them have lost their jobs resulting in their return to native places. More precisely, no opportunity is foreseen in near future for them in getting placement with their employers abroad.

So, I urge the Government to pay attention towards their welfare by initiating schemes and creating job opportunities.

16.08hrs

**FOREIGN CONTRIBUTION (REGULATION) AMENDMENT
BILL, 2020**

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 17.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, श्री अमित शाह की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

महोदय, चर्चा के अंत में मैं इस बिल पर बोलना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

HON. SPEAKER: Shri Anto Antony Ji. Hon. Member, please conclude within two or three minutes.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Thank you, hon. Speaker, Sir, for giving me this opportunity.

This Bill is yet another quixotic adventure after the demonetization tragedy. This country has hardly survived from the demonetization adventure. Now, this Government wants to suffocate thousands of Government agencies

and NGOs, which act as a conduit pipe connecting Government and private-aiding agencies of the world with millions of helpless people of this country.

We have to remember the fact that the NGOs and Government's specialised agencies of the world reconstructed the world after the ruin caused by the World War-II. The World War destroyed not only Europe, Africa, and Asia, but it also affected all the Continents. It destroyed lives and livelihoods of millions all over the world. It was the Foreign Development Assistance which facilitated the reconstruction of the world. As many people tends to think that India is only a poor recipient of foreign aid, the fact is that Pandit Jawaharlal Nehru with his egalitarian and compassionate mindset, formulated a humanitarian strategy to help other countries in distress.

The foreign aid is not a new concept. Even the mighty US had been a beneficiary. It is well known that the US received help from France for surviving civil war tragedies. As far as foreign aid is concerned, India is, at once, a recipient and a donor. Following the 1970 UN General Assembly Resolutions, India along with Australia, Japan, New Zealand, etc., donated liberally towards the ODA of the UN. Thus, it can be seen that India is not a poor recipient, but a liberal donor. Now, this Government is sabotaging the flow of help from other countries. The Government is activated by poor vanity and partisanism.

The FCRA licences are being cancelled since they are minorities. Many of the cancellation orders do not even have a single reason. The Centre is making silly reasons using their agencies. Those allegations by agencies are

without basis and support. Around 6,600 NGOs' FCRA licences have been cancelled in the last three years. No one thinks about the number of families starving without jobs. These NGOs are bringing in foreign exchange into the country which is also helping the Indian economy and is also providing lakhs of jobs. If there are NGOs which are involved in anti-national activities, definitely action should be taken. But many of these licences are cancelled for mere technical reasons. It is clearly an attack on the minorities. Those small mistakes are to be corrected and these NGOs should be encouraged to bring in more foreign money into the country.

It is to be noted that 99 per cent of the people, who are helped by Christian organisations and Churches, are not Christians, but belong to other religions and they have never been converted and all of them followed their original religions and beliefs.

The Compassion International, a Christian charity reportedly invests around Rs. 300 crore in the country every year. The funds were used to provide education, medical aid, and meals to children in need. About 1,45,000 children and their families have been affected by the decision. More than 6000 people have lost their jobs. Another Church from Kerala, which was involved in social activities, was denied the FCRA registration renewal four years back. They were helping around one lakh children. I learnt that, last month, they also closed their support for the children leaving them to starve and die.

It was heart-breaking to learn about a differently-abled widow committing suicide in the wake of losing her job with the child care project of Believers Eastern Church in Bihar. She left behind her two children who are now forced to live as orphans. More than 10,000 people have lost their jobs when the Believers Eastern Church stopped their projects.

Sir, the Government must know that extreme poverty and starvation still prevail in this country. The Government must know that despite the passing of Right to Education Act we have not achieved universal primary education. The Government must know that millions and millions of people of this country sleep under the open sky and crores dwell in slums.

Sir, we are forced to construct big walls to hide the slums from the view of visiting dignitaries. The Government must know that still child mortality rates are higher in various states. It is said that this Government without acknowledging the services which Hindu, Christian, Islamic, Sikh and other religious charity institutions did to this country, want to bureaucratize charity efforts. By this Bill, the Government wants to impose a Licence Raj over philanthropic activities.

Sir, by this amendment Government, in effect, declares an embargo against its own people. It is the first time in the history of the world that a Government is declaring an embargo against its own poor people. So far, we heard of an embargo by the US against Cuba, Iraq, etc, but now by this

amendment, Government is trying to have bureaucratic control over philanthropic and social service activities of people and organizations.

Sir, Kolkatta was a city of sadness, Mother Teresa transformed it into a City of Joy by taking care of the lepers and the destitute. The life longevity of the people of Kerala is on par with the people of the richest Scandinavian countries. My State has 100 per cent literacy. Everyone knows that it was by the wisdom of the rulers who permitted the NGOs and charity institutions and organizations to accept foreign contributions and immense progress was achieved in all sectors like education, health, etc.

Sir, we have to eradicate poverty. We have to achieve universal education. We have to provide housing to millions, and as such it is not fair to bring the philanthropic activities and non-profitable activities by receiving foreign aid under bureaucratic control by creating a Licence Raj.

I would request the Government not to hurry and cause another tragedy like the demonetization tragedy and to withdraw this ill-conceived amendment.

माननीय अध्यक्ष: डॉ. सत्यपाल सिंह – आप अपनी बात संक्षेप में बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप शॉर्ट में बोलिए। सबको दो-तीन मिनट में अपनी बात कम्पलीट करनी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ओनली श्री-मिनट्स ।

...(व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

महोदय, श्री-मिनट्स में तो कुछ भी नहीं होगा । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आज आप सिर्फ इतना ही धन्यवाद दे दो ।

(व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह: महोदय, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अभी हम लोग माननीय एन्टोनी जी को सुन रहे थे । मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि यह जो एफसीआरए कानून आया था, यह इमरजेंसी के अपातकाल की देन है ।

महोदय, जब लोकतंत्र का गला घोंटा गया, हजारों लोगों को जेल में ठूँसा गया, उस जमाने में कांग्रेस का कोई भी विरोधी, राजनीतिक विरोधी, कोई व्यक्ति या कोई संस्था उनको कहीं से भी किसी भी प्रकार की सहायता न मिले, विदेश से कोई धन प्राप्त न हो, इसलिए इस कानून का इजहार किया गया । 5 अगस्त, 1976 को यह कानून देश के अंदर लागू हुआ । उसके बाद वर्ष 2010 में इसमें थोड़ा बदलाव किया गया ।

वर्ष 2016 और 2018 में इसमें बहुत छोटे-छोटे संशोधन हुए । आज वर्ष 2020 में हमारी सरकार जो बदलाव, जो संशोधन लेकर आई है । प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य और धर्म है कि वह देश की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, उसमें सुधार लाए, संशोधन करे, देश के इतिहास और संस्कृति की रक्षा करे और अपने नागरिकों के विकास और कल्याण के लिए काम करे । इसलिए, इसमें जो भी संशोधन लाए गए, विशेष रूप से जो मोटे-मोटे संशोधन हैं, पहले कानून यह था कि

कोई गवर्नमेंट सर्वेट फॉरेन-फंडिंग नहीं ले सकता, अब उसकी जगह पब्लिक सर्वेट किया गया। आईपीसी के सेक्शन-21 में इस बात को किया गया।

पहले इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आए कि कुछ लोग गवर्नमेंट सर्वेट, पब्लिक सर्वेट थे, उनके खिलाफ केस नहीं किए गए। इसलिए बहुत से ऐसे उदाहरण सरकार के सामने आए हैं। जब एनजीओज़ बाहर से फण्ड ले रहे थे, वहां से बिना किसी सरकार की परमिशन के ऐसे एनजीओज़ को फण्ड दिया गया कि वह फण्ड जिस काम के लिए आया था, उस काम के लिए यूज न करके, उसको दूसरे कामों में प्रयोग किया गया। ऐसा देखने में आया कि वर्ष 2010 में हमारी पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन हुआ, तब हमारे कई माननीय सांसदों ने इस बात की डिमाण्ड की थी कि लोग आज बाहर से फण्ड लेने के बाद इतना पैसा ऑफिस के ऊपर, इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर, बड़ी-बड़ी ऑफिसेज़ किराये पर लेकर खर्च करते हैं, लेकिन जिस काम के लिए वह पैसा आता है, उस काम पर वह पैसा खर्च नहीं होता है। इसलिए उसे 50 परसेंट से 20 परसेंट किया जाए, तो कुछ माननीय सांसदों ने यहां तक डिमाण्ड की कि उसको 10 परसेंट तक किया जाए। भारत सरकार का अभी जो प्रस्ताव आया है कि इसको 50 परसेंट से 20 परसेंट किया जाए। इस पैसे को कौन ले रहा है? इन ट्रस्टों और एनजीओज़ में कौन लोग हैं, कौन डायरेक्टर्स हैं, कौन ट्रस्टीज हैं? वे बेनामी लेकर काम न करें, इसलिए आधार कार्ड की बात इसके अंदर की गई। लगभग वर्ष 2011 से 2019 के बीच में काफी ऐसी संस्थाएं मिलीं, जो लगभग 19 हजार संस्थाएं हैं। उन्हें जिस परपज या प्रयोग के लिए पैसा मिल रहा था, वहां न खर्च करके वे उसको दूसरे कामों में खर्च कर रही थीं। कभी-कभी जांच में समय लगता है, इसलिए छः महीने में जांच पूरी नहीं हो पाती तो दोबारा उसका समय छः महीने का समय बढ़ाया जाए, यह भी एक संशोधन लाया गया।

कई बार ऐसा होता है कि पैसा एनजीओ के बैंक में पड़ा होता है, उसको कैसे बंद करें, ऐसा कोई प्रावधान हमारे कानून में नहीं था। अभी सरकार यह प्रावधान लाई है कि उसके अकाउण्ट में जो पैसा है, उसको फ्रीज करें और वह पैसा न निकाल सके। इसी तरह से पूरे देश के अंदर

22,400 के आस-पास एनजीओज़ बाहर से पैसा ले रही हैं। उनके अलग-अलग जगहों पर हजारों अकाउण्ट्स हैं। देश के हर कोने में ये एनजीओज़ बने हुए हैं, जो पैसा ले रहे हैं। भारत सरकार के लिए देखना बड़ा मुश्किल होता है कि इन लोगों के पास पैसा कहां से आ रहा है और किस काम में खर्च हो रहा है और इसकी किस प्रकार ठीक से मॉनिटरिंग की जाए। इसलिए प्रावधान किया गया है कि दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही उन सब को अपना अकाउण्ट खोलना पड़ेगा। देश में जहां भी उनका अकाउण्ट है, उसको ट्रांसफर करने की परमिशन दी गई है, उनको दिल्ली में आने की जरूरत नहीं है। वे वहां से अपने कागज भेज सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एफसीआरए से बाहर निकलना चाहता है, तो और मोटे-मोटे बदलाव भारत सरकार लाई है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी व्यक्ति का विरोध होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक एनजीओज़ के रोल की बात है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए काम करते हैं, कुछ धर्म के लिए काम करते हैं, कुछ बालक और महिलाओं के लिए काम करते हैं, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं, जो एनजीओज़ इन सब के लिए काम करते हैं। आज हम लोगों की बात है कि जो एनजीओज़ बाहर से पैसा लाने के बाद उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं, धर्मांतरण के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। बीस वर्षों में लगभग दो लाख करोड़ रुपये आये। यह पैसा किस प्रकार से खर्च हुआ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं। जब मैं मुंबई में पुलिस कमिश्नर था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर हमारे कोई रिलेशन में थे, वे उन बच्चों के लिए कुछ पैसे भेजना चाहते थे, जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन होते हैं, जो होमलैस बच्चे हैं, जिनके पास घर नहीं हैं। मैंने पता किया कि मुंबई शहर के अंदर सबसे अच्छी संस्था कौन सी है, जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन के लिए काम करती है। मैं यहां उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं माननीय सांसदों के सामने यह बात रखना चाहता हूं। जब एक संस्था के बारे में मैंने पता किया तो उसकी इंटरनेट पर

डिटेल् थी कि मुंबई के अंदर उसके छः स्कूल्स चलते हैं। जब मैंने इसकी जांच करवाई तो पता चला कि वे एक भी स्कूल नहीं चलते हैं। वह केवल एक दिन में एक घण्टा एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगभग 15-20 बच्चों को बुलाकर वहां पर कुछ शिक्षा देते हैं। वे यह बताते हैं कि 6-6 स्कूल्स चला रहे हैं।

मैं कहता हूं कि हमारे देश के अंदर दुर्भाग्य से अंग्रेज शासन करते थे। (व्यवधान) महोदय, मैं अपनी बात जल्द ही खत्म करने वाला हूं। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि कुछ लोगों के आगे यह White Man's Burden है। यह सफेद आदमी के ऊपर बहुत बड़ा भार है कि दुनिया को संस्कृति सिखाई जाए, दुनिया को कल्चर सिखाया जाए। जिन लोगों ने मैकाले की एजुकेशन मिनट्स पढ़ी होगी, उसमें यह बात बड़ी क्लीयर लिखी हुई है।

मैकाले के मिनट्स में यह बात बड़ी क्लीयर लिखी हुई है कि एजुकेशन किस प्रकार से हमारे देश में दी जाएगी, जिससे क्रिश्चियनिटी बढ़ने वाली है। नॉर्थ-ईस्ट के बारे में सबको मालूम है कि नॉर्थ-ईस्ट में क्या हुआ? नॉर्थ-ईस्ट में पिछले 50 वर्षों में वहां का नक्शा किस प्रकार से बदल गया? किस प्रकार से वहां हमारी संस्कृति खत्म हो गयी और किस प्रकार से एक पार्टिकुलर रिलीजन वहां आ गया? किस प्रकार से इंसरजेंसी बढ़ी है, यह इंटलीजेंस की रिपोर्ट है कि किस प्रकार से वहां इंसरजेंसी बढ़ाई गई है। वहां एफसीआरए के माध्यम से पैसा आ रहा था, जिससे नॉर्थ-ईस्ट में इंसरजेंसी को बढ़ावा दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ओडिशा में वर्ष 1999 में आस्ट्रेलियन मिश्ररी ग्राहम स्टेंस काम करते थे। जब ग्राहम स्टेंस की हत्या हुई तब इस देश में बहुत हल्ला हुआ था। ग्राहम स्टेंस और उनके दो बच्चों को जिस प्रकार से जलाया गया, यह वास्तव में गलत था। लेकिन इसके इनवेस्टिगेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूं और यह रिपोर्ट में है। सीबीआई ने इस केस का इनवेस्टिगेशन किया, ओडिशा की क्राइम ब्रांच ने इसका इनवेस्टिगेशन किया, उसके बाद जस्टिस डी.बी. वाधवा कमिशन बना और सब लोगों ने यह बात लिखी है कि

वहां आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा था। यह सबसे बड़ा कारण था कि वहां के लोग उसके खिलाफ हो गए। केवल यही बात नहीं है। मैं यह बात नाम लेकर बता रहा हूँ कि उस समय जो सीबीआई अधिकारी केस को सुपरवाइज़ कर रहा था, वह इस समय केरल का डीजीपी है। उस समय कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने, मैं उनका यहां नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता ने डायरेक्टर सीबीआई को बुलाया। ग्राहम स्टेंस और उनके फालोवर्स के खिलाफ यह बात निकलकर आयी कि लगभग 30 आदिवासी लड़कियों को जिस प्रकार से सैक्सुअली मोलेस्ट किया गया, जिस प्रकार से उनका धर्मांतरण किया गया, यह सबसे बड़ा कारण था कि वहां ग्राहम स्टेंस की हत्या हुई। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अधिकारी को बुलाकर बोला कि ये सब बातें चार्जशीट से निकाल दो। यह बात रिकॉर्ड पर नहीं आनी चाहिए, किसी भी मिशनरी के खिलाफ यह बात रिकॉर्ड पर नहीं आनी चाहिए। (व्यवधान) मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अधीर रंजन चौधरी जी भी इस बात को जानते हैं।(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बिल पर अपनी बात रखिए।

डॉ. सत्यपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर ही अपनी बात रख रहा हूँ। कम्पैशन इंटरनेशनल सबसे ज्यादा पैसा भारत में ला रही थी। पिछले 30 साल का उसका रिकॉर्ड है कि लगभग 300 करोड़ रुपये भारत में ला रही थी। उसके मिशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। जिन लोगों को संदेह है, वे उसको इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हैं। कम्पैशन इंटरनेशनल अमेरिका का मिशन स्टेटमेंट है- "children in poverty to become responsible and fulfilled Christian adults. उनको क्रिश्चियन बनाने के लिए पैसा यहां खर्च किया जा रहा था। चेन्नई में करुणा बाल विकास ट्रस्ट और कम्पैशन ईस्ट इंडिया ट्रस्ट वहां पैसे से धर्मांतरण कर रहे थे। जाकिर नाइक, इस्लामिक प्रीचर के बारे में सबने सुना होगा। टैरी इवांजेनिस के बारे में सुना होगा। मैं पुणे में वर्ष 2008 में कमिश्नर था। वहां के 18-20 साल के बच्चों का जिस प्रकार से धर्मांतरण किया गया, मैंने भी उस पर रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस्लामिक

रिसर्च फाउण्डेशन को बाहर से पैसा आता था। एफसीआरए आने के बाद यह सब खत्म हुआ। जब ढाका में वर्ष 2016 में टेररिस्ट अटैक हुआ और जो टेररिस्ट पकड़े गए, उन्होंने पुलिस को बयान दिया कि इस्लामिक प्रीचर जाकिर नाइक के भाषणों से वे प्रभावित हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह पैसा जो बाहर से आ रहा है, वह धर्मांतरण के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है, वह टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल और एमनेस्टी इंटरनेशनल है। कुडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है या कहीं थर्मल पावर प्लांट बनता है, उसके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ना है, उसके लिए पैसा खर्च होता है न कि लोगों के कल्याण और विकास के लिए।

उनको यह नहीं करना है। उनके खिलाफ कोर्ट में जाकर कुछ न कुछ करना है।... (व्यवधान) कहीं एन्वॉयरमेंट के नाम पर... (व्यवधान) जिस प्रकार से दलित पर, ट्राइबल्स पर या पुलिस है।... (व्यवधान) इस देश के अंदर इनटॉलरेंस है, जिस प्रकार से यह चल रहा है और पैसा आ रहा है।..... (व्यवधान)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020.

16.30 hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

There are two ways to extenuate bugs in our house. One is to use a bug spray and the other is to burn down the house. What are you going to achieve by burning down the house? Technically, by bringing up the FCRA Bill, you are trying to burn down the house at your own expense.

The previous speaker was saying that 24,000 accounts were there, there were so many activities which were unhealthy to the nation and it was difficult to monitor them across the country. Hon. Prime Minister is talking about digital India. Everything is now available online in banks and the Government can sit in one single room with one single computer and monitor any number of accounts which are existing in India.

With this kind of a provision, the Government is saying that 24,000 accounts could not be monitored. I am surprised that this kind of a statement is being made by a Government which is so powerful. The Government has been elected for the second time with a huge majority and I congratulate you on that but what is your agenda? The agenda is a Hindutva agenda where you are saying that you do not want to have any conversions to happen.

Firstly, you have to understand as to why people are getting converted. The earlier speaker has said that Christians were trying to convert all the Hindus into Christians and all those things. You have to understand as to why they are getting converted. You have such a system in Hinduism where you call people Dalits, you say that they are not allowed to enter temples, they are not allowed to go into public wells where everyone is using them. When you have a problem in your own religion, why would they not leave their religion? If they have a better opportunity where they have better respect, do you not think that they have the right to go to whichever religion they feel like? ...*(Interruptions)* This is the sentiment of the country.

Let me also tell you one more point. For hundreds of years, we have been ruled by both Islamic nations and the British, a Christian nation. Do you know the degree of conversions that have happened? Only about 84 per cent of them are Hindus today. ...*(Interruptions)* Sir, I do not wish to yield. 84 per cent of our population are still Hindus. When 84 per cent of the population has stayed in our religion, ...*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please limit yourself only to the Bill and then conclude.

... *(Interruptions)*

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: Sir, I am speaking only on the Bill. I am replying to what the previous speaker has spoken. He was talking about conversions. I am saying that in spite of centuries of rule by Islamic and

Christian nations, Hinduism is still the largest religion in India. 84 per cent of the population is Hindus. In fact, in one of the discussions on Bills, the hon. Minister for Home Affairs had said that, in Pakistan, the percentage of Hindus has come down and so, there is terrorism happening there against Hindus and they are being exterminated.

It is the same over here -- our population was 92 per cent at the time of freedom and today, we are having 84 per cent of Hindus. The percentage has come down.

What I am trying to tell you is, the number of people who are here and who are Hindus are huge and you are trying to mobilise all those Hindus together. Good luck to you, Sir! We have no objections to that but I am saying not to forsake Dalits. When we are talking about minorities, we are not talking only about Muslims and Christians. We are also talking about Dalits. Our leader, Kalaingar Karunanidhi was very instrumental in bringing in the reservation policy and Tamil Nadu is the only State which has 69 per cent reservation by which all the communities are getting benefited. Tamil Nadu is standing as one of the tallest States today and it is because of these kinds of visionary policies. ...(*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज़ तीन-चार मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020. ...(*Interruptions*) I am opposing this Bill, and also supporting my amendments to the Bill, as has been put forth.

As I mentioned in my opposition to the introduction of the Bill yesterday, we read George Orwell's 'Nineteen Eighty-Four', where it is said "Big Brother is watching you". This is another example of big brother who sits in the Home Ministry, watching over the whole country as to who gets what money, and from where. So, this Bill is essentially meant to tighten, and put the screws on those organisations which receive funds from abroad. We know, Sir, in 2016, the Home Ministry had cancelled the license of 'Lawyers Collective', run by noted Lawyers Indira Jaising and Anand Grover, for various violations. The Ministry said that Mrs. Jaising received foreign funds when she held the post of Additional Solicitor General, in violation of FCRA Norms. Mrs. Jaising refuted the Ministry's allegation and said that she was a Public Servant, and not a Government Servant. This is the main question. They have now changed 'Government Servant' into 'Public Servant' so that people like Indira Jaising, who are known for their fight for people's freedom, women's issues, are now prohibited. As I said, Sir, the Ministry is trying to put the screws on the organisations. They have said that if any organisation receives foreign contribution, it cannot transfer the foreign contribution to any other organisation. This will mean a major blow to NGOs working collaboratively on

projects and programmes. This may also place foreign funding agencies or foreign grant making organisations registered under FCRA, in difficulty.

Second, this Bill says that the people must produce their Aadhaar Card. Now, the Supreme Court has said that Aadhaar Card is not compulsory. It is a document for identification only for receiving targeted public distribution money. So, why should you make Aadhaar Card compulsory? That is to keep a better control over these people. Sir, earlier, the money which came from abroad could be kept in any Scheduled Commercial Bank or Nationalised Bank. Now, they are saying that all the money must come into an account with the State Bank of India, Delhi. One can open it anywhere in the country, and then, that money has to be transferred wherever the organisation opens an Account. Now, this is another way of controlling foreign contributions coming in by having one specific Account in only one specified bank.

Sir, earlier it was said that the FCRA registration may be suspended for such period not exceeding 180 days. Now, they are saying that it may be 180 days or such further period, not exceeding 180 days. It means, for 360 days, their registration may be suspended.

Sir, the Bill now proposes that the MHA may permit any organisation to surrender the certificate granted under this Act if the MHA is satisfied that the organisation has not contravened any provisions of FCRA, and the management of foreign contribution and asset, if any, created out of such

contribution has been vested in the competent authority. So, this is another way of controlling all the funds with the NGOs. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I would like to remind you that Mother Teresa, who received the Noble Peace Prize, had done most of her work as Missionaries of Charity for the destitute, for the poor, for the lepers. Most of her money came from all over the world. Now, had Mother Teresa been alive today, her Missionaries of Charity are still there, this Government would have put the screws on Mother Teresa's organisation. Sir, there is no need for this Bill at all. This Bill is only to satisfy people like Satya Pal Singhji, who talked about Darwin's theory of evolution....(*Interruptions*)

These are people who are suspicious; high-handed Hindu revivalism is their credo and that is their agenda. Therefore, I strongly oppose this Bill.

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this important Bill on behalf of YSR Congress Party.

The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020 amends the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 which regulates the acceptance and utilisation of foreign contribution by individuals, associations and companies.

The Bill prohibits acceptance of foreign contribution by public servants as defined under the Indian Penal Code. This would be extremely useful in preventing officers to accept undue favours from sources that are not in favour of the country's interest.

The Bill also says that any person seeking prior permission, registration or renewal of registration must provide the Aadhaar number of all its office bearers, directors or key functionaries as an identification document. This is also a good move to increase transparency and we welcome it.

The Bill further provides that the Government may conduct an inquiry before renewing the certificate to ensure that the person making the application is not fictitious or benami, has not been prosecuted or convicted for creating communal tension or indulging in activities aimed at religious conversion, and has not been found guilty of diversion or misutilisation of funds, among other conditions.

Apart from that, in the earlier Act, a person who receives foreign contribution must use it only for the purpose for which the contribution is received. Further, they must not use more than 50 per cent of the contribution for meeting administrative expenses. This Bill reduces this limit to 20 per cent which is a very good move.

In addition, under the earlier Act, the Government may suspend the registration of a person for a period not exceeding 180 days. The Bill says that such suspension may be extended up to an additional 180 days. In conclusion, I would like to mention that the Bill is a timely effort by the Government in ensuring transparency wherever foreign contributions are taken and shall also reduce malpractices wherever foreign funds are involved. This Bill was much needed and our Party supports the Bill.

With these words, I conclude.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): सभापति महोदय, विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक के तहत बनाए गए नियमों के आधार पर गैर सरकारी संगठनों के साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदान की प्राप्ति की निगरानी सरकार द्वारा की जाती है।... (व्यवधान) संगठनों या संस्थाओं को एक वर्ष में प्राप्त पैसे और उनके खर्च को सरकार के सामने प्रस्तुत करना होता है। कई संगठनों को विदेश से करोड़ों रुपये प्राप्त होते हैं, जबकि धन की हेरा-फेरी करने और भ्रष्टाचार के कारण विदेशी अभिदाय नियम, कानून के तहत सरकार ने पिछले कुछ समय में बहुत से संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है।

महोदय, इस विधेयक के अनुसार इसमें धार्मिक संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने का अधिकार पहले की तरह है और बिना भेदभाव के सभी धर्मों को यह अधिकार प्राप्त है। लेकिन सरकार इस बात को ध्यान में रख रही है कि किसी एक खास धार्मिक समुदाय को विदेशी अभिदान मिला है, वह ऐसे समाज के हित में लगा रहा है। कई संस्थाओं या संगठनों को विदेश से धन प्राप्त होता है। कई बार यह भी देखने में आता है कि प्राप्त धन को धर्म परिवर्तन के लिए लगाया जाता है। आज भी भारत के कई हिस्सों में यह प्रक्रिया आम चलती है। देश के गरीब, पिछड़े वर्ग को लालच देकर इस प्राप्त धन से धर्मान्तरण किया जाता है। कुछ मामलों में तो विदेश से प्राप्त अभिदान से देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने का काम किया जाता है।

महोदय, इस विधेयक के अनुसार अब किसी भी एनजीओ या संस्था के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों के आधार नंबर जरूरी होंगे। यह इस विधेयक का एक खास अंग है। मैं इस बारे में समर्थन करता हूँ। लोक सेवक के विदेशों से रकम हासिल करने पर पाबंदी होगी, लेकिन क्या इससे धर्म परिवर्तन और देश विरोधी जो भी गतिविधियाँ चलती हैं, वे रूक जाएंगी। सरकार को इसके लिए कठोर कानून बनाने की जरूरत है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार आधार की व्यवस्था से जुड़ा संशोधन विधेयक आज इस सदन में लाया जा रहा है। सरकार को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि जिस काम के लिए यह पैसा मिला है, यह पैसा उस पर खर्च न होकर बाकी कार्यों में लगाया जाता है। सरकार का कहना है कि अगर कोई संस्था कानून के हिसाब से काम नहीं करती है तो उस स्थिति में उसे नोटिस दिया जाता है, उनका पक्ष सुनते हैं और फिर जरूरी होता है तो कानून के हिसाब से कार्रवाई करते हैं। इस सब प्रक्रिया में इतना समय लगता है कि ऐसे संगठनों से जुड़े लोग देश छोड़कर निकल जाते हैं और इससे जुड़े अन्य लोग सरकार की गिरफ्त में होते हैं और जिन लोगों को पकड़ा जाता है, उन्हें इस विषय का पूरा ज्ञान भी नहीं होता है।

आखिर में, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और यह जो प्रावधान किया गया है, निश्चित रूप से यह इस प्रकार की गलत गतिविधियों को रोकने का काम करेगा। धन्यवाद।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदय, आपने मुझे विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सरकार द्वारा यह काफी सराहनीय कदम उठाया गया है, क्योंकि देश में कई ऐसे संगठन और एनजीओज हैं, जो सिविल सोसायटी की बात करते हैं, उनमें से कुछ विदेशी चंदे के नाम पर पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। उनका सरकार के साथ कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि वे किसी प्रकार के सरकारी उत्तरदायित्व को मानते ही नहीं हैं। वर्ष 2010 से वर्ष 2019 तक विदेशी चंदे की रकम दोगुनी से भी अधिक हो गई है। अतः यह लाजिमी हो गया है कि सरकार इस कानून को पारदर्शी एवं पूर्णरूपेण सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाये। इसी संदर्भ में सरकार एफसीआरए कानून 2011 में संशोधन का प्रस्ताव रखती है।

अब इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर जरूरी किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी यही टिप्पणी है। एफसीआरए कानून के सेक्शन-11, 13, 17 को संशोधन करने का प्रस्ताव है।

सेक्शन-3 के क्लॉज (सी) सब-सेक्शन (1) में भी संशोधन का प्रस्ताव है।

महोदय, मेरी एक आशंका है कि “पब्लिक सर्वेंट” को भी इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया जा रहा है। यहाँ कुछ परेशानी हो सकती है। जिन सरकारी या विधायी व्यक्तियों का संबंध विदेशी से होगा, वे इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार स्पष्टता लाने की आवश्यकता है। 19 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका विवरण भी होना चाहिए।

सस्पेंशन की समयावधि को भी 180 दिन से बढ़ाने का प्रावधान हो रहा है। सभी का एसबीआई की संसद मार्ग शाखा में अकाउंट होना चाहिए। इन प्रावधानों से विदेश फंड का दुरुपयोग रुकेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकार के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह एक सराहनीय कदम है।

महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। कुछ एनजीओ आदिवासी क्षेत्रों में विकास का कार्य, शिक्षा का प्रचार-प्रसार एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। यह काफी सराहनीय कार्य है और इस प्रकार के कार्य में लगे एनजीओज को वर्गीकृत कर उन्हें पूर्ण छूट मिलनी चाहिए, नहीं तो अच्छा कार्य भी प्रभावित हो सकता है।

जहाँ विदेशी फंड का सदुपयोग हो रहा है, उस पर कोई प्रभाव न पड़े, ऐसी व्यवस्था जरूरी है, नहीं तो कानून के दुरुपयोग के नाम पर उन्हें भी परेशानी होगी।

अभी नियम है कि प्रशासनिक खर्च 50 प्रतिशत तक किया जा सकता है, उसे घटाकर 20 प्रतिशत किया गया है, यह काफी उचित कदम है। यहाँ पर फंड का दुरुपयोग हो रहा है। धन्यवाद।

***SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK)** : Respected Sir today we are discussing about a law which is undergoing the third amendment. This law was enacted in 2010 and became applicable from 2011. Subsequently in 2016 and 2018 this law underwent two amendments. Now we are going to amend it for the third time which will certainly make it more worthy of implementation. There was a time when our country became independent, some people were saying “ye azadi jhuti hai”. They were ready to fight for real freedom by an armed struggle and used to garner resources from abroad. Then there were some other people who sought financial aid from foreign countries and utilized them for religious conversions. In 1959 a law was enacted in Odisha to prevent religious conversions. Later on the M.P. Government (including the present day Chhattisgarh) also enacted a similar law. Now-a-days many state Governments in India have similar anti-conversion laws in place. The then Ministry of Home Affairs was well aware of the fact that funds from foreign countries were being utilized in religious conversion. Hence the Ministry of Home Affairs prior to 2010, also in 1975 had enacted a similar law to prevent misuse of foreign contribution. So it is nothing new. I am surprised as to why it is being opposed now! Perhaps some people are apprehensive that their interests will be hampered. In this country, there is a lot of scope to indulge in philanthropic activities. But when the Government asks a person or institution about their source of fund, whether they were

* English translation of the speech originally delivered in Odia.

utilized for personal indulgence or philanthic activities, one must be ready to submit the detailed report. What is the objection here?

As far as I know all those institutions who accept foreign contribution should submit a report before the Chief Secretary through their District Magistrate. I know about some which have not submitted any such reports for years together.

I have noticed it myself that in my state as well as in other states, many high-ranking officials have floated some NGOs and are spending the foreign funds as per their own desire. Hence, I believe this a timely and much needed step in the right direction. The power that Government is acquiring now to scrutinize should be exercised with competence and efficiency. The right to keep a vigil on these institutions must rest with the chief Secretary and the District Administration. They must give adequate time and attention to these institutions.

A question is being raised as to why 'Aadhar' is essential? I want to state here that 'Aadhar' like 'Passport' is one way of identification one can submit Aadhar or Passport as an identification document --- "...who seeks prior permission shall provide an identification document, the Aadhaar number of all its office bearers or Directors or other key functionaries, by whatever name called, issued under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, or a copy of the Passport or

Overseas Citizen of India Card, in case of a foreigner.” There are several alternatives as well.

So, why should anyone object? A beneficiary of the foreign contribution sometimes partakes his money and fails to submit correct information. In my own state as well as in the entire country we have seen such cases where foreign contribution have disrupted our social fabric. Sir, I support this bill whole – heartedly.

माननीय सभापति: श्री रितेश पाण्डेय ।

माननीय सदस्य, आप दो मिनट में अपनी बात रख दें ।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सभापति महोदय, कम से कम चार मिनट तो बनते ही हैं।

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात शुरू कीजिए।

श्री रितेश पाण्डेय : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे फॉरेन कन्ट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल 2020 पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, अभी विपक्ष के बहुत सारे सदस्यों ने इस बिल पर चर्चा करते हुए बताया है कि किस तरह से इस बिल को लाया जा रहा है। एक हिसाब से बाहर से जो विदेशी पैसे आ रहे हैं, उसको और पारदर्शी तरीके से लाने के लिए और उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, उसके बारे में यह बिल है। देश में जो भी इस तरह की संस्थाएँ हैं, उनको और पारदर्शी बनाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। इसके साथ-साथ इसमें यह भी विचार करने की जरूरत है कि कहीं न कहीं जो रूलिंग गवर्नमेन्ट है, वह अपनी विचारधारा के तहत किसी विपरीत विचारधारा में यदि उसको प्रोत्साहन मिलता है तो उसको कर्ब करने के लिए, कैसे उसको रोका जाए, उसके ऊपर भी इस बिल के जरिए एक प्रावधान बनाने का काम कर रही है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले एक्ट का जो सेक्शन-7 था, अब उसको क्लॉज-3 से पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया है। इसमें जो भी फॉरेन फंडिंग एजेंसीज थीं, अगर उनमें एफसीआरए के जरिए किसी भी लोकल ट्रस्ट के अंदर पैसा आता था, तो वह आगे भी किसी और को पैसा दे सकती थी, जिसके पास एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन हुआ करता था। लेकिन, अब वह किसी और को पैसा नहीं दे सकती है, सिर्फ उसी में ही वह पैसा खर्च होगा। मेरे ख्याल से आगे इनका जो मिशन होता था, उसमें कहीं न कहीं कमियाँ आएंगी।

The next point is regarding suspension in case of contravention. पहले होम मिनिस्ट्री के पास यह पावर थी कि अगर किसी रूल का फॉलो नहीं होता था तो वह छह महीने के लिए सस्पेंड कर सकती थी, जब तक न्यायपालिका में ये सारी चीजें सबजूडिस हो, लेकिन अब वह

एक साल के लिए भी कर सकता है। यह भी कहीं न कहीं एक हिसाब से एम.एच.ए. को इतना पावर दे रहा है कि वह ऐसे एकाउन्ट्स को फ्रीज करके रखें, यानी अपने अँगूठे के नीचे दबाकर रखें। तीसरी चीज, जितने भी बोर्ड मेम्बर्स हैं, उनको आधार कार्ड, पासपोर्ट कॉपी या ओसीआई देने की जरूरत पड़ेगी।

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उसमें भी यह कहा गया है कि आधार कार्ड को हर चीज में अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। अब कहीं न कहीं उसके भी विपरीत जाने का काम हो रहा है। इस पर भी मैं आपके माध्यम से थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। आखिरी में मेरा एक और प्वाइंट है, voluntary surrender of FCRA registration. यह तो एक बहुत अच्छी चीज है। मैं इसका स्वागत भी करता हूँ कि अगर कोई एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को वालन्टेरली सरेंडर करना चाहे तो उसको आराम से कर देना चाहिए। इसमें जो क्लॉज आया है, उसके अंदर क्या समस्या है, जो सेक्शन-15 के सब-सेक्शन 1 में है। उसमें यह कहा गया है कि यदि आप सरेंडर कर रहे हैं, अगर आपने इससे कोई ऐसेट बना लिया है, जैसे अस्पताल, स्कूल या अन्य चीजें हैं, तो वह भी कहीं न कहीं सीधे-सीधे जो भी सरकारी संस्थाएँ हैं, उनके हाथ में सरेंडर करना पड़ेगा। यह कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या बनकर आती है।

मान्यवर, यह मेरा आखिरी प्वाइंट है और अब मैं कनक्लूड कर रहा हूँ। अभी हमारे तमाम सदस्यों ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली में एकाउन्ट खोला जाएगा।

माननीय सभापति: कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री रितेश पाण्डेय: जी, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। यह भी कहीं न कहीं एक चीज को डायरेक्ट करके एक ही जगह पर सेन्ट्रलाइज करने के लिए किया जा रहा है।...(व्यवधान)

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity. The Bill can be termed as a means to crush dissent and concentrate powers in the hands of the Government. Various proposals in the Bill will only enhance Government powers and restrict foreign-funded civil society work in India. The Amendment Bill seeks to prohibit public servants from receiving any foreign funding, and also proposes to reduce the use of foreign funds to meet the administrative cost by NGOs from the existing 50 per cent to 20 per cent. The Bill would be used against the people who speak against the Government and it would give unbridled power to the Government.

17.00hrs

The Clause also states:

“Provided that the Central Government, on the basis of any information or report, and after holding a summary inquiry, has reason to believe that a person who has been granted prior permission has contravened any of the provisions of this Act, it may, pending any further inquiry, direct that such person shall not utilise the unutilised foreign contribution or receive the remaining portion of foreign contribution which has not been received or, as the case may be, any additional foreign contribution, without prior approval of the Central Government: ”

This will give unnecessary powers in the hands of the Government. This is mainly directed at minority organizations. Freedom of social organization working in rural and tribal areas will be hampered. The idea should be to deregulate the foreign funding and not over-regulate. This amendment will ensure that the ease of doing business for the civil society organisations gets significantly curtailed, even as the ease of doing business continues to be enhanced for working for profit.

The amendment seeking to limit the use of foreign funds for the administrative purpose will impact research and advocacy organisations which use the funding to meet their administrative costs. Many of them will have to shut down because of this amendment which is brought about.

Another proposed amendment is the prohibition of the transfer of funds received from foreign contributions to any other persons. No person who is registered and granted a certificate has obtained prior permission under this Act can receive any foreign contributions transfer. The Bill states that this amendment would have a devastating impact on the community work being done by the various NGOs. A lot of similar grassroots organisations work by way of getting money from larger organisations and they aggregate funds and this amendment has now closed the route. Thousands of similar organizations will be impacted. The clause prohibiting public servants from receiving foreign funding has also drawn flak.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I would like to raise a few pointed questions and I would ask the hon. Minister to reply to all the four questions because I myself come from a background of NGOs and it is an unfortunate day that the way the Treasury Benches defended why they brought this Bill was unfortunate. But I will ask for four clarifications and then, make my comments on what the Treasury Benches said.

My first point is this. You have come for administrative cost and salaries from 50 per cent to 20 per cent. How have you reached this magic number of 20 per cent? Is that how you are going to control salaries and jobs and the number of people in NGOs? How have you come to this magic number? So, what is the logic behind this 50 per cent and the donor who gives the money, how can any Government control them? Tomorrow, you will say that salaries of CEOs need to be controlled. So, why is this micro-management of the Government? It is a million-dollar question.

Second, I clearly need a clarification because I think there is some disparity in understanding and we need to clarify this to the nation. Mahtab Ji is a senior Leader and Saugata Babu is also a senior leader whose speeches we all hear absolutely because we all learn from all their speeches. I want to ask and put it on record that in clause 5, amendment of Section 11, there is a point said that everybody has to have arbitrariness and in that, they have requested that Aadhar has to be there. When everybody including the hon. Supreme Court has said that Aadhar is not required, there is a little gap between their

speeches. You may kindly clarify why you need an Aadhar compulsorily, when the hon. Supreme Court repeatedly has said not to follow that.

Another question is what you have recommended. I have absolutely no problem in using good banks. Why is it only State Bank of India? What logic does it make in this technology world where everything can be managed so well? I cannot understand and why only State Bank of India and why not other banks? Are you trying to show suspicion that other banks are not capable of opening of FCRA account or managing them or are you incapable of doing it? Can you please clarify why only State Bank?

The other point is that there is arbitrariness of 180 days and then NGO can stop work. We do not think NGOs do a bad work. It is very unfortunate when the speech was made from the Treasury Bench came and it is sad that he was a police officer. The way he defended today, it is actually a dark day for the police. As a retired police officer from Maharashtra, what example did he give that one NGO did not do good work? Sorry, I am really offended. If he was the police commissioner, what action did he take on them? Like that, one NGO may be doing a bad work.

There are thousands of NGOs doing very good work for the education of the sex workers' children. Look at this. In this pandemic, the Government has done excellent work but please do not undermine the NGOs, which, for years together, have been doing very good work. Whether we are on that side or this side, we have to see what they are doing.

1705 hrs(Hon. Speaker *in the Chair*)

I have one small last point which is most important. He has defended a case which happened in Odisha. It is about a family which was burnt alive. Whatever actions they did, no law anywhere in the world allows you to burn people and burn their children. What is even more shameful is that a Member from the Treasury Benches, who was in the police, who was just because in an organization, today says that the CBI has said so. Does that mean what the CBI says is okay to burn somebody's young children because of the actions of the family? I take complete objection to this. If there are NGOs globally working does not mean or just because there is one bad apple does not mean, all the NGOs are bad. So, it is absolutely unfair. Just because one NGO may work against a project that you want, it does not mean all of them are bad.

You specifically talked about Greenpeace. So, what? There are NGOs. There are lobbies. These are not bad words. There are 100 other ways but that does not mean you call them corrupt or they work with any agenda. There are 100 other ways to stop these. I request the Central Government to stop bulldozing people who do good work. We come from an Indian culture. Ours is the oldest culture in the universe. It talks about good work and service. The Bhagavad Gita that we all talk about talks about service. Please do not think the whole world is full of bad people. Indian people are good people. Constantly, this Government thinks that everybody is doing something bad. I would like to defend the NGOs. There may be a bad apple but that does not

give you a right to term all of them bad. You talk out about emergency. This is almost like an emergency without calling an emergency. Thank you.

डॉ. सत्यपाल सिंह: पहली बात मैंने कहा कि जो एनजीओ अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ। I did not condemn all the NGOs. I simply mentioned it. Secondly, I also condemned what happened in Odisha because it was wrong to murder or burn anybody. I said it. I think Mrs. Supriya Sule did not understand that. I only explained what was the reason for the motivating factor. Thank you, Sir.

HON. SPEAKER: *Maananiya Sadasya*, I request the Members to ask clarificatory questions only. लंबा भाषण क्या करना, अगर आपको कोई क्लेरिफिकेशन करना तो पूछ लीजिए, लास्ट में मंत्री जी जवाब दे देंगे।

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Sir, I am here to oppose the Bill. This Bill is totally posing a multi-pronged attack on the civil societies and minorities. It is an effort to silence the voice of the voiceless and suppress the power of the powerless.

Firstly, regarding Section 8 to reduce the administrative power from 50 per cent to 20 per cent, this is not possible. It is possible for the common NGOs which have existing infrastructure but the NGOs dealing with the minorities and Christians where they have to use new officers, give salaries and conveyance, this is not possible. Therefore, I request the Minister to withdraw this Section.

Secondly, the New Section 12A, which is sought to be inserted, makes the office bearers to use the Aadhaar card. In a State like Meghalaya and other States in the North-East, the Aadhaar card programme has not been fully implemented. So, this is nothing but this will make room for harassment and corruption from the Government Department.

Thirdly, the FCRA account has to be opened only in Delhi. Why should the account be opened only in Delhi? Why is it only in the State Bank of India? Why not in other parts of the country? People like in the North East, South and other parts of the country, stay very far. With the latest technology, I think we can open accounts anywhere. This is nothing but harassment. So, this Bill is totally against the Christians and the minorities. So, I request the Minister to withdraw the Bill.

Another very important point is why the money, which we have given cannot be transferred to any other branch. For example, when you make a report, there are 50 small NGOs and the report will be one. When we sanction it, the money has to come from one main NGO to other implementing agencies. So, it is not possible to follow this.

Therefore, whatever provision given here in this Bill is nothing but to stop the FCRA and to harass the minorities. Therefore, I request the Minister and the Government to withdraw the Bill. It is because, on the one side you say it is 'ease of doing business' and on the other side, you say there is more FDI whereas, for the minorities and the Christians, you are only harassing them.

So, this Government is not to help the people. This Government is not for employment. This Government is not for the rural people but this Government is only for a section of the people. Therefore, I think this Bill does not deserve to be here. I request the Government to withdraw the Bill. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी के जवाब के बाद, जिन-जिन सदस्यों को पूछना है, मैं अवश्य क्लेरिफिकेशन का समय दूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं सबको मौका दूंगा। माननीय मंत्री जी के बाद सबको एक-एक मिनट बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको कह दिया है कि मौका दूंगा।

माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): माननीय अध्यक्ष जी, एंटो एंटोनी जी, सत्यपाल जी, कलानिधि जी, सौगत राय जी, चन्द्रशेखर जी, श्रीरंग आप्पा बारणे जी, कौशलेन्द्र जी, महताब जी, रितेश पाण्डेय जी, भीमराव पाटिल जी, सुप्रिया जी, विंसेंट पाला जी, और 12 सदस्यों के बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। वर्ष 2010 में सरकार एफसीआरए का बिल लेकर आई थी, उस समय विपक्ष में हम लोग थे। उस बिल का रचनात्मक समर्थन हम लोगों ने जिस प्रकार से किया था, उम्मीद तो यही थी, लेकिन इसमें कुछ कमी रह गई है। अधीर रंजन जी विपक्ष शब्द का प्रयोग कर रहे थे, वह अभी बोले नहीं हैं। कई विषय लाए गए हैं, जैसे यह अल्पसंख्यकों पर प्रहार है। 180 दिन से अधिक समय जांच के लिए क्यों दिया जा रहा है? 180 दिन से एक वर्ष की ओर क्यों जा रहे हैं? एनजीओ द्वारा धर्म परिवर्तन की कुछ लोगों ने यह भी चिंता की। कुछ लोगों ने कहा कि लोक सेवक को क्यों समाहित कर रहे हैं? महताब जी ने धन के दुरुपयोग के संबंध में चर्चा की। कुछ लोगों का कहना है कि जो फंड पहले से ट्रांसफर किया जाता है, उसे पहले से क्यों रोका जा रहा है? आधार कार्ड की भी चर्चा हुई। एफसी फॉरेन कन्ट्रीब्यूशन इससे रुकेगा, की बात भी कही गई। प्रशासनिक खर्च 50 से 20 प्रतिशत किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? एसबीआई बैंक में ही क्यों खाता हो? आपात काल की परिभाषा में आपात जैसी स्थिति की बात हुई। इस तरह के कई मुद्दे आए हैं। सब माननीय सदस्यों के जो विचार आए हैं, मैं चाहता हूँ कि इनका सम्मिलित रूप से उत्तर दूँ।

यह स्पष्ट है कि यह संशोधन एनजीओ के खिलाफ नहीं है। यह संशोधन किसी धर्म पर प्रहार नहीं है। यह संशोधन किसी भी प्रकार से एफसी को रोकता नहीं है। ...(व्यवधान) हम बहुत

अच्छे से बताएंगे, आधार कार्ड के बारे में भी बताएंगे। ...(व्यवधान) आप जो कहेंगे हम सबको लाएंगे। ...(व्यवधान) आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, इसे भी हम लाने वाले हैं। ...(व्यवधान) आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आप इतने सीनियर हैं, हमें आपसे सीखना है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी जो माननीय सदस्य बैठकर बोल रहे हैं, उनका जवाब नहीं देना है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: महोदय, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एफसीआरए एक राष्ट्रीय तथा आंतरिक सुरक्षा कानून है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन भारत के सार्वजनिक जीवन, राजनीति तथा सामाजिक विमर्श पर हावी न हो जाए।

भारत के लोकप्रिय प्रधान मंत्री आदरणीय मादी जी हर प्रकार से देश को सुरक्षित व मजबूत रखना चाहते हैं, चूंकि पहले भी कई भूलों ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम उन भूलों की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिनसे भूलें हुई हैं, वही आज सवाल भी कर रहे हैं।

आंतरिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र की सुरक्षा मोदी सरकार की प्रमुखता भी है और विशेषता भी है। यह संशोधन आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी भी है। माननीय गृह मंत्री जी हमेशा आग्रह करते हैं, उनका आग्रह रहता है कि एनजीओ समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी से अपना योगदान दे, विदेशी अभिदाय के व्यय में

पारदर्शिता लाना और सही उद्देश्यों और जिस कार्य हेतु विदेशी अभिदाय प्राप्त किया जाता है, उसी उद्देश्य के कार्य में व्यय हो। मैं बहुत स्पष्ट रूप से रख रहा हूँ और मुझे लगता है कि मन में बहुत शंकाएं दूर हुई होंगी। केंद्र सरकार इस व्यय को सही दिशा में जनहित में खर्च करवाना चाहती है। विपक्ष दिशा भटकाकर विदेशी अभिदाय के व्यय के दुरुपयोग करने से रोकना नहीं चाहती है। विपक्ष की ऐसे ही दिशा भटक ही गई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: संतुष्ट तो कोई होना नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: अब मैं उन विषयों पर आता हूँ, जो उठाए गए हैं। मैं इनके बारे में एक-एक करके चर्चा करूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आर्थिक गतिविधियों हेतु विदेशी अभिदाय लेने व खर्चने का प्रावधान है। FCRA, 2010 की धारा 3(1)ग में जोड़े जाने का प्रस्ताव है। इसका कारण क्या है? लोक सेवक की परिभाषा में हम भी हैं, अधिकारी भी हैं, न्यायाधीश भी हैं, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं और राज्यों के चुने हुए विधायी संस्थाओं के माननीय सदस्य भी हैं। लेकिन इस परिभाषा में कुछ सैक्टर्स छूट जाते थे, जैसे सरकारी अनुदान। पैसों से यानी सरकारी कोष से ऐसे कार्य किए जा रहे थे, जिसमें अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को लगाया जा सकता था। जैसे हम सरकारी अधिवक्ता को लगाते हैं या किसी को किसी संपत्ति के लिए कोर्ट द्वारा देखरेख के लिए नियुक्त करते हैं। यह कहा जा सकता है कि सरकारी कोष से, जैसे "लोक सेवक" जिनकी फीस या पारिश्रमिक राशि की अदायगी होती है, उनको इसमें समाहित कर रहे हैं, जो छूटे हुए थे। इसका सीधा मतलब यही है।

महोदय, धारा 7 में संशोधन द्वारा विदेशी अभिदाय को एक ईकाई गैर सरकारी संगठन से दूसरे में ट्रांसफर किए जाने को वर्जित किए जाने का, यानी रोकने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, इसका दुरुपयोग होता था। इससे विचलन नहीं रुकता था। इससे कठिनाई यह होती थी, जैसे कोई संस्था एफसी एक विशेष काम करने के नाम पर ले रही है, प्रस्ताव में तो यह जाता है कि हम काम करेंगे, फिर, वह दूसरे को स्थानांतरित क्यों करती है? जब वह दूसरे को स्थानांतरित करती है तो वह तीसरे के पास चला जाता है, फिर उस पैसे का हिसाब कौन रखेगा? हम कल भी कह रहे थे कि वर्ष 2010 में तत्कालीन माननीय गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने जो चिंता व्यक्त की थी, वह चिंता अभी भी बरकरार है। उसको इससे दूर किया जाएगा। हम पैसे के दुरुपयोग को रोकेंगे, उन पर नियंत्रण रखेंगे और जिस उद्देश्य के लिए पैसा आता है, उसको हम उसी उद्देश्य के लिए खर्च करवाएंगे। स्थानांतरण से व्यवस्था गड़बड़ाती थी, हिसाब का लेखा-जोखा ठीक से नहीं हो पाता था, यह प्रस्ताव इसी के समाधान के लिए है।

धारा-8 (1) को संशोधित करते हुए प्राप्तकर्ता इकाई द्वारा अपने प्रशासनिक क्रियाकलापों पर स्वीकृत व्यय की उच्चतम सीमा को एक वर्ष में प्राप्त कुछ विदेशी अभिदाय के 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है। प्रशासनिक कार्य दृष्टिकोण से जो खर्च किए जाते थे, उसके बड़े स्पष्ट रूप से परिणाम आए हैं। उसमें होता यह था कि एनजीओ में डायरेक्टर, मैं एनजीओ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वैसे एनजीओ के जरूर खिलाफ हूँ, जो जनहित के लिए पैसा लेते हैं और अपने परिवार के उपयोग में लगाते हैं। उस पैसे में से अपने परिवार के लोगों को डायरेक्टर या उसमें कर्मचारी बनाते हैं। बड़ी-बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं। जहां एक ए.सी. की जरूरत होती है, वहां तीन-तीन ए.सी. लगाते हैं। कार्यालय के एसी को घर तक ले जाते हैं। वह संस्था क्या जनहित का काम करेगी, जो अपने कार्यालय और प्रशासनिक क्रियाकलापों पर 50 प्रतिशत तक खर्च करती है। यह संदेह पैदा करता है, जो लोग इस पर संदेह कर रहे हैं, वैसे लोगों पर संदेह पैदा हो रहा है। यह जनहित में नहीं है, इसलिए यह कदम जनहित में उठाया गया है। वर्तमान में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार की अग्रिम अनुमति लेने वाली किसी इकाई के बैंक खाते को तत्काल फ्रीज करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिन मामलों में अधिनियम का उल्लंघन देखा जाता

है और आगे अधिक उल्लंघन को रोकने के लिए आपातकालीन उपायों की जरूरत होती है, एक संक्षिप्त जांच के बाद ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के बैंक खाते को फ्रीज करने के लिए केंद्र सरकार को सक्षम बनाने के लिए धारा-11 (2) के तहत एक संशोधन प्रस्तावित है। एक प्रमाणपत्र प्राप्तकर्ता इकाई के पंजीकरण को निरस्त करने का ऐसा प्रावधान धारा-13 के अंतर्गत पहले से मौजूद है। इसमें जिस इकाई ने केंद्र सरकार से पंजीकरण प्रमाण-पत्र लिया है। अब प्रस्ताव है कि जो किसी प्रोजेक्ट के लिए अग्रिम अनुमति लेते हैं, लेने के बाद उनका हिसाब-किताब रहना चाहिए। यदि बीच में कोई भी संस्था अधिनियम का या कानून का उल्लंघन करती है या जो उद्देश्य की पूर्ति से विचलित होती है, यदि हम उसके बैंक खाते को फ्रीज नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? जांच कैसे होगी? इस प्रकार की छूट अनुचित लगती थी, इसलिए ऐसा प्रस्ताव किया गया है।

बहुत लोगों ने आधार कार्ड के बारे में प्रश्न उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की भी चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड पहचान के रूप में हर जगह हो। लेकिन, जहां-जहां आवश्यकता है, जहां इसका प्रावधान बना दिया गया है, यदि कहीं पहचान के रूप में आधार कार्ड को आधार बनाने की जरूरत है, उसके लिए कानून लाकर आधार कार्ड को आधार बनाया जा सकता है। इसलिए यह संशोधन लाया गया है। क्योंकि ऐसी संस्था, जिसमें डायरेक्टर या संचालक अपनी पहचान को छिपा सके, अपने पते को नहीं बता सके तो वह क्या काम करेगा। उसकी नीयत पर शक होता है। दादा, आधार कार्ड का क्यों विरोध हो रहा है (व्यवधान) आपकी नीयत पर कितना शक करें। (व्यवधान) आधार कार्ड हमारी पहचान का बड़ा प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि आप उसे अपनी पहचान का आधार मत बनाइए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जहां पर जरूरत पड़े, कानून लाकर आप उसमें प्रावधान कीजिए। महोदय, इससे संबंधित जो संस्था है, उससे भी सलाह ली गई है। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर दिए गए जजमेंट के अनुपालन में ही इस विधेयक का क्लॉज 7 आधारित है। इस विशिष्ट पहचान के लिए यूआईडीएआई तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से

विचार-विमर्श करने के उपरांत ही प्रस्तावित किया गया है। मैं इसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। इसमें विदेशियों के लिए पासपोर्ट या ओसीआई कार्ड को भी पहचान के तौर पर रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष : श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी, आप सवाल पूछ लीजिए।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, I am vehemently opposing this Bill. There are excellent NGOs in this country which are doing marvellous service to the society. They are doing work in the field of philanthropic kind of activities. Do not undermine their goodness; do not spoil their morale. This is what I want to tell you. This Bill will ultimately allow the organisations of your choice to exist and for others, they will have to face a natural death.

Sir, this law is, up to an extent, religiously biased also. Only one thing I would like to point out regarding amendment of Section 11. It says:

“Provided that the Central Government, on the basis of any information or report, and after holding a summary inquiry, has reason to believe that a person who has been granted prior permission has contravened any of the provisions of this Act, it may, pending any further inquiry, direct that such person shall not utilise the unutilised foreign contribution or receive the remaining portion of foreign contribution which has not been received”

Sir, this kind of clause is unjust and undemocratic. I would like to appeal to the Government to reconsider about this injustice in this kind of legislation.

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Sir, I would like to ask the Minister whether the Government will be making the information or report public or intimidate the concerned individual before passing any order? This is not clear in the Amendment and, in my opinion, needs to be made clear as individuals need this safeguard.

One more thing, Sir. If there are any prohibitory orders imposed on the basis of an information or a report, would the same go on to inform the Government's decision to refuse permission? If it does, would the Government be informing the individuals? I would request the Minister to address these concerns.

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा और एनजीओज के सुशासन की बात है, यह बिल उसके पक्ष में है, उसके समर्थन में है । हमारा विरोध कहाँ है? हमारा विरोध यहां है कि राजनीतिक विरोधियों को और सरकारी विरोधियों को इस बिल के द्वारा केन्द्रित किया जाएगा । हमारा विरोध कहाँ है? हमारा विरोध यहां है कि बाढ़, कोविड और बेरोजगारी के समय में जो संगठन समाज सेवा कर रहे हैं, उनके कामों को आपका बिल और ज्यादा कमजोर करेगा ।

मेरी दरखास्त है कि आप इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजें। वहां विभिन्न एनजीओज के साथ वार्तालाप करें। राष्ट्रीय सुरक्षा और एनजीओज के सुशासन में उनके सुझाव सुनें और अपने सुझाव भी दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो आर्बिट्रेरी कानून बनाया है, उसकी वजह से 20 परसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज से कितने अच्छे संगठन बंद होंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी, उसका भी आप संज्ञान लीजिए।

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, hon. Speaker, Sir, for allowing me to ask a clarification.

I would like to ask this from the hon. Minister. When the law came into effect in 1976, the main legislative intent of this law was to stop foreign funding to Indian political parties and Indian political system. However, this Government, in 2018, amended the FCRA to make foreign funding to Indian political parties exempt from scrutiny with retrospective effect till 1976.

As regards the electoral bonds that are there, any foreign company registered in India can now buy electoral bonds without scrutiny under FCRA. So, the main intent was not there, and you are going after the small fry and going after NGOs that are doing good work. We do not understand the dichotomy here. Why this hypocrisy? Thank you.

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Hon. Speaker, Sir, let me be very candid in admitting that there is one community in this country that is doing yeomen service as far as spreading education in this country is concerned. It is the Christian community of this country. They are starting

schools. They have so many convent schools across the country. I am also a student of such a school. I personally feel that this Bill somewhere is trying to create hurdles in the smooth running of those schools. Let me be very candid. We feel that there is a hidden motive behind bringing this Bill to target certain individuals, certain organisations, and definitely certain castes and communities. So, I would request the Government to please withdraw this Bill.

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Thank you, Sir. In the first place, I feel that once a public servant has been introduced to it, then it will bring within its sweep all other categories. So, there was no need to add Government servant, Judge, and other categories in it.

Secondly, it is going to adversely impact the working of such institutions. What was there in the previous Act? Previously, transfer would be affected to an institution with permission of the Government, but you are curtailing it. Let us take the illustration of Save the Children. It gets money and it distributes it to other permitted institutions. But once you curtail it and prohibit transfer, then that is going to adversely impact it.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने स्वयं कहा कि वर्ष 2011 से 2019 तक 19 हजार लाइसेंस कैंसिल किए गए। इसमें से 78 परसेंट लाइसेंस पेरेंट एक्ट में कैंसिल किए गए, आपके जमाने में किए गए। मैं कहना चाहता हूँ कि फिर ये सारे विधेयक लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप स्वयं डबल स्टैंडर्ड रख रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार विदेशी कम्पनियों को यहां इन्वेस्ट करने के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन किसी चेरीटेबल पर्पज के लिए या एजुकेशनल पर्पज के लिए यदि कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसका रास्ता आप बंद कर रहे हैं।

हम जानते हैं कि इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है। वर्ष 2016 में प्रधान मंत्री मोदी जी ने स्वयं कहा कि एनजीओ हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और दिन-रात हमें सत्ता से हटाने के लिए लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले टैक्सेशन बिल लाए, आज एफसीआरए बिल लाए हैं। दोनों बिलों का मकसद यह है कि पीएम केयर्स फंड का एग्जम्पशन करना है। पीएम केयर्स फंड में विदेश से कितना पैसा आया है, क्या इसके बारे में आप बताएंगे? इन बिलों का एक ही मकसद है कि पीएम केयर्स फंड को बचाना है।

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, माननीय सदस्यों ने कई सवाल किए हैं और बहुत महत्वपूर्ण किए हैं। कुछ के उत्तर मैंने अपने पहले रिप्लाय में दे दिया है। यदि वे पुनः उत्तर चाहते हैं, तो मैं दे सकता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, मंत्री जी। आप प्रश्नों के पुनः उत्तर मत दीजिए।

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, यह कहा गया कि हम धर्म के खिलाफ हैं, एनजीओज के खिलाफ हैं। मैं एक लाइन में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम न तो किसी धर्म के खिलाफ हैं और न ही हम एनजीओज के खिलाफ हैं।

हम कैसे खिलाफ नहीं हैं, यह हम बता चुके हैं, शायद यह बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि यह राजनैतिक विरोधियों को डराने-धमकाने के लिए है। ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं है। पहले भी 2010 के बिल में पढ़िए। सभी नेताओं के भाषण मेरे पास मौजूद हैं। मैं उतना स्पष्ट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन यह किसी के दबाने के लिए नहीं है, बल्कि भारत की जनता को दबाने के लिए या लोकतंत्र को दबाने के लिए इस विदेशी पैसे का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए जरूर है।

महोदय, मैं एक बात कहना चाहूँगा। श्री अजय माकन जी वर्ष 2010 में गृह राज्य मंत्री थे। 27 अगस्त, 2010 को उनका एक लम्बा-चौड़ा भाषण हुआ है। उस भाषण की चार लाइनें मैं पढ़

रहा हूँ। उन्होंने बिल पर कहा था- “मुख्यतः दो मकसद हैं। एक तो नेशनल इंस्ट्रुमेंट है। दूसरा, इंटरनल सिक्योरिटी है। बाहर से आए हुए पैसे को हमारे बीच एक-दूसरे को एवं दूसरे आधार पर...”

सर, मैं इसे पुनः पढ़ना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: आप जो कह रहे हैं, ये सभी समझ गए हैं।

श्री नित्यानंद राय: मैं कह रहा हूँ, उसकी अगली लाइन यह है- “नेशनल इंस्ट्रुमेंट”, चूंकि इसमें टाइपिंग थोड़ी...(व्यवधान) दूसरा है कि “एक-दूसरे के धर्म एवं दूसरे आधार पर विभाजित करने वाली ताकतें इसका इस्तेमाल न करें, उसे रोकने के लिए और साथ ही साथ इसमें जो अच्छे एनजीओज हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए है।” यह उन्होंने कहा था।
...(व्यवधान)

महोदय, मैं समाप्त ही करने वाला हूँ। एक बात यह आई थी कि 180 दिनों से बढ़ाकर और ज्यादा दिन क्यों? यह कोई जरूरी नहीं है कि हम 180 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन करने वाले हैं, लेकिन कुछ केसेज में ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसकी जाँच की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। कई प्रकार के मुद्दे आते हैं, कई प्रकार की जाँच करनी होती है, उस स्थिति में उसे 180 दिनों से बढ़ाकर यानी प्लस 180 दिन करना चाहते हैं, जो जरूरी है। इसके कारण कई प्रकार के व्यवधान होते थे, जो न हो सकें।

एफसीए एक दान है, जो समाज कल्याण व उदार कार्यों के लिए होता है, यह एक व्यक्तिगत निधि नहीं है। इसलिए हम लोगों को इसका भी खयाल रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक नयी धारा, जिसकी बात आई है कि धारा 14 (क) को जोड़ते हुए पंजीकरण प्रमाणपत्र के स्वैच्छिक अभ्यर्पण की अनुमति देना प्रस्तावित है, जिसकी चर्चा बसपा के माननीय सांसद श्री पाण्डेय साहब कर रहे थे, की अनुमति देना प्रस्तावित है ताकि उसका वैकल्पिक और...(व्यवधान) उसकी उदारीकरण में यह है कि किसी एनजीओ ने पैसा ले लिया,

लेकिन बाद में वह काम नहीं करना चाहता है और वह चाहता है कि हम सरेंडर कर जाएं। अब यह है कि उसे इतना व्यवधान था कि बेचारा न तो सरेंडर कर सकता था, पैरों में जंजीर बंध जाती थीं, उलझन में रहता था, थक जाता था, हार जाता था, उसमें उदारीकरण की नीति को अपनाते हुए, उसमें संशोधन की बात की गई ताकि वह FCRA प्रमाणपत्र को सरेंडर कर सके।

माननीय भर्तृहरि महताब जी कह रहे थे, वे बहुत अच्छी बात कह रहे थे। स्टेट के जो अधिकारी हैं, उनको देने की बात कह रहे थे। अगर कोई एनजीओ एसेट्स तैयार कर चुका है, तो उसके रखरखाव, निगरानी के लिए वहाँ के गृह सचिव को अधिकार देने का प्रस्ताव भी इसमें है।

राज्य के अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में इसको जाना है।...(व्यवधान) महोदय, यह मेरा लास्ट पॉइंट है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इसमें एसबीआई में खाता खोलने की बात कही गई है।...(व्यवधान) हम कह रहे हैं कि एक जगह खाता खोलने की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि एक बैंक आएगा।...(व्यवधान) एसबीआई ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है।...(व्यवधान) अधीर रंजन जी, मेरी पूरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान) जो आप कहना चाहते हैं, मैं वह पहले ही कह देता हूँ, तब अपनी बात को बाद में रखता हूँ।...(व्यवधान) इसमें यह कहीं नहीं है कि उनका एक खाता होगा और दिल्ली में ही होगा, वह दिल्ली में भी होगा और उनके गांव में भी होगा।...(व्यवधान) एक यह खाता भी होगा और दूसरा-तीसरा खाता भी होगा।...(व्यवधान)

मैं कह रहा हूँ तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ।...(व्यवधान) आप भी जिम्मेदारी के साथ बोलिए।...(व्यवधान) मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि एक नहीं, कई खाते खोल सकते हैं।...(व्यवधान) यहां एक खाता खोलने का क्या कारण है?...(व्यवधान) आपको दिक्कत होगी, क्यों दिक्कत होगी, यह भी हम जानते हैं।...(व्यवधान) आपके लिए एक कहावत है।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर जी, आप सुनिए। मंत्री जी की दो घंटे की तैयारी है। आप सवाल पूछते हैं तो फिर आपको सुनना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)
अधीर जी, जरा स्थिरता से बोलिए, जिससे हम सुन सकें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर जी, आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो मंत्री जी दो घंटे के लिए तैयार हैं। आप कागज़ निकालकर रख लो।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं जानकारी के लिए कह रहा हूँ। ...(व्यवधान) वर्ष 2017 में युनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनैशनल रिलीजियस फ्रीडम ने एक रिपोर्ट दी थी। ...(व्यवधान) इसमें यह कहा गया कि hindutva supporting organisations have never come under the scrutiny of FCRA. ...(व्यवधान) यह मेरी रिपोर्ट नहीं, यह युनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट है। ...(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, मैं अधीर रंजन जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दुत्व की जो परिभाषा दी है, वे उसे पढ़ें, नहीं तो हमसे कहेंगे तो हम लाकर उन्हें पढ़ाएंगे।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, इतना ही बहुत है।

...(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय और दे दीजिए। ...(व्यवधान)
इन्होंने एक बात कही कि आपने सारे एनजीओज़ के लाइसेंस रद्द कर दिए। ...(व्यवधान) मैं एक-दो वर्ष का उदाहरण देना चाहूंगा। इन दस वर्षों में जो लाइसेंस रद्द हुए हैं, वे 20,603 हैं।

...(व्यवधान) प्रथम बार एंटोनी साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि तीन वर्षों में आपने 6,000 लाइसेंसेज को रद्द कर दिया, इसका भी हिसाब लगाएंगे तो प्रत्येक वर्ष 2,000 होता है, लेकिन वर्ष 2012 में - उस एक वर्ष में कौन था, यह बताने की जरूरत नहीं है – 3,922 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ कि यह संख्या दस वर्षों में लगभग 19,000 है। मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि इस बैंक खाते को कई जगह खोल सकते हैं, एसबीआई में इसलिए खोलना है, जिससे एक जगह पैसा आए। ...(व्यवधान) बिना प्रावधान के सेम-डे में वह पैसा उनके दूसरे स्थानीय बैंक में स्थांतरित हो सकता है। ...(व्यवधान) बैंक खाता खोलने के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। एसबीआई ने कहा है, आश्वासन दिया है कि आप अपने किसी भी एसबीआई की ब्रांच में खाता खोलिए। ...(व्यवधान) अभी तो हम संशोधन ला रहे हैं, जब इसे लागू करेंगे, तब ऐसा ही होगा। ...(व्यवधान) इसके अलावा अगर आप सब इसे पारित कर देते हैं, मैं तब की बात कह रहा हूँ। ...(व्यवधान) खाता खोलने के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने आपकी बात मान ली है।

...(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: अधीर रंजन बाबू, जिस दिन किसी को दिल्ली आना पड़ेगा, तब हम सब मिलकर बात करेंगे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अंत में, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। ...(व्यवधान) यदि यह संशोधन पारित हो जाता है तो इससे पारदर्शिता भी आएगी। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, अधीर रंजन जी जब बोलते हैं तो उसके लिए एक कहावत है – ‘कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना’। ...(व्यवधान) मैं इसे समझता हूँ, मैं उसका जवाब आज नहीं देना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: यह आप अपने बारे में बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: आप जिसे प्रश्न देना चाहते हैं, वह भारतीय मूल विचारों को नुकसान पहुंचाने वाला है। ... (व्यवधान) भारतीय मूल विचारों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ऐसा मेरा कहना है। ... (व्यवधान) मोदी जी हैं, देश पर कुदृष्टि वालों का नाश हो जाएगा। आप एकदम ख्याल रखिए। ... (व्यवधान) जब यह विधेयक संशोधित होगा तो एक बड़ी बात होगी। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मैं एक मिनट में व्यवस्था देता हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सभी माननीय मंत्रीगण से निवेदन करना चाहता हूं कि जवाब देते समय हमें संसदीय शालीनता का ध्यान रखना चाहिए।

... (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: सर, मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, इसलिए मैं ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा हूं। ... (व्यवधान) मैं एकदम धीरे से बोलता हूं। महोदय, इस विधेयक के पारित होने के बाद एक विशिष्ट दर्पण पहचान सृजित करने के लिए सभी एफसीआरए एनजीओज़ को नीति अयोग के दर्पण आईडी पोर्टल के साथ लिंक करना भी सम्भव हो जाएगा। जो एनजीओ स्वच्छ रहना चाहता है, उसको अपनी पारदर्शिता की पहचान और चेहरे को इस देश और दुनिया के सामने लाने का अवसर मिलेगा। मैं विनती करता हूं कि आप इस संशोधन विधेयक को पारित करने की कृपा करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विदेश अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

Clause 2 Amendment of Section 3

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I beg to move:

Page 1, line 10, -

after "public servant,"

insert "elected member of a constitutional body." (1)

Page 2, line 6, -

after "Government"

insert "or any company, board or corporation having
Government share in it". (2)

माननीय अध्यक्ष: अब प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

**Clause 3 Substitution of new
section for section 7**

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: I beg to move:

Page 2, line 10, -

for “person”

substitute “person or organisation”. (3)

माननीय अध्यक्ष: अब प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 Amendment of Section 8

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय : सर, मैंने पहले भी बोला था कि 20 परसेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कवर नहीं होगी। उसको बढ़ाकर कम से कम 40 परसेंट किया जाए।

I beg to move:

Page 2, line 16, -

for “twenty per cent.”

substitute “forty per cent.”. (4)

माननीय अध्यक्ष: अब प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 7 Insertion of new section 12 A

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: I beg to move:

Page 2, for lines 39 to 41, -

substitute “document, the PAN Card or Election Identity Card of all its office bearers or Directors or other key functionaries, by whatever name called, issued by Government of India, or a copy of the”. (5)

माननीय अध्यक्ष: अब प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री नित्यानन्द राय: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

17.49hrs**STATEMENTS BY MINISTERS-Contd..****(vii) Fixing the Minimum Support Price (MSP) for 22 agricultural crops.**

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक मत्वपूर्ण जानकारी वक्तव्य के माध्यम से सदन को देना चाहता हूँ।

देश में ऐतिहासिक कृषि सुधारों के संसद से पास होने के बाद आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज एमएसपी में वृद्धि से जुड़े कुछ अहम फैसले हुए हैं। जिनकी जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूँ। सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के तर्कों पर विचार करके 22 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को निर्धारित करती है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया एवं वर्ष 2018-19 के बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना करने की घोषणा की। तब से सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर की है।

आज हमने आगामी रबी की बुआई प्रारम्भ होने के पूर्व ही 6 रबी की फसलों की एमएसपी, माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीईए की बैठक में स्वीकृति प्रदान की है। गेहूँ की एमएसपी, 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के उपरांत, अब 1975 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। चना में 225 रुपये की वृद्धि के उपरांत अब यह 5100 रुपये प्रति क्विंटल होगी। मसूर की एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के उपरांत 5100 रुपये प्रति क्विंटल होगी। सरसों में 225 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के उपरांत अब 4650 रुपये प्रति क्विंटल सरसों का दाम होगा।

जौ में 75 रुपये की वृद्धि के उपरांत 1600 रुपये प्रति क्विंटल इसका भाव होगा। कुसुम में 112 रुपये की वृद्धि के उपरांत 5327 प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित की गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013-14 में किसानों को मसूर पर 2950 रुपये एमएसपी दी जा रही थी। आज देश के किसान मसूर पर 5100 रुपये एमएसपी पा रहे हैं। यह एक तरह से 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और दो हजार रुपये की वृद्धि है।

एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो दिखाता है कि कांग्रेस के समय में खरीद की क्या हालत थी। वर्ष 2009 से 2014 के बीच कांग्रेस सरकार के समय में 1.52 लाख मिट्रिक टन दाल की खरीद हुई थी। हमारी सरकार ने वर्ष 2014 से 2019 के बीच 76.85 लाख मिट्रिक टन दाल किसानों से खरीदी है।...(व्यवधान) यह 4962 प्रतिशत की वृद्धि है। अगर एमएसपी भुगतान की बात करें तो हमारी सरकार ने नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल के भीतर एमएसपी के भुगतान के रूप में लगभग 7 लाख करोड़ रुपये किसानों को भुगतान किया है जो यूपीए सरकार से लगभग दोगुना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को और किसान बंधुओं को कहना चाहता हूं कि जब कृषि सुधार के बिल आए तो पूरे देश में हमारे कांग्रेस के मित्र यही कह रहे थे कि इन बिलों के पारित होने के बाद एमएसपी समाप्त हो जाएगी, एपीएमसी समाप्त हो जाएगी। मैंने उस समय भी कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी। भारत सरकार ने जो कहा, नरेन्द्र मोदी जी ने जो कहा, वह एमएसपी आज घोषित करके हमने प्रमाणित कर दिया है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से पूरे देश को यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी भी जारी रहेगी, एपीएमसी भी जारी रहेगी और एपीएमसी के बाहर किसान अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए किसी भी स्थान, किसी भी राज्य, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र है। सरकारी खरीद पर एमएसपी जारी रहेगी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : स्टेटमेंट पर चर्चा नहीं होती है। The Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020. श्री अधीर रंजन चौधरी।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, सदन और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर द्वारा दिए गए वक्तव्य से जुड़े कुछ सवाल हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप इस बिल पर बोलिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, हम इस पर जरूर बोलेंगे, लेकिन तोमर साहब ने जो वक्तव्य दिया है, उस पर हमारे दो-चार विचार सुन लेते तो अच्छा होता, क्योंकि हमें इस बात का शक है कि कांग्रेस के जमाने में जो मंडीकरण हुआ था, आप उसका मंडीकरण करने जा रहे हैं। हमें उसी का शक है। सिर्फ हमें ही शक नहीं है, आज पूरा पंजाब रास्ते पर आ गया है। पूरा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान बड़े परेशान हैं। आप वहां जाकर बात क्यों नहीं करते हैं?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए।

(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप यहां पर क्या मीठी-मीठी बातें करते हैं। आपकी वहां जाने की हिम्मत नहीं है।.. (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सीनियर लीडर हैं।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, पंजाब के एक मंत्री को बोलने दीजिए।.. (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, ऐसा कभी नहीं होता है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, our MPs from Punjab want to speak on this issue.

माननीय अध्यक्ष : सुरेश जी, आप सीनियर लीडर हैं। आप सात बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। स्टेटमेंट पर क्लैरिफिकेशन नहीं होता है।

...(व्यवधान)

17.56 hrs

***(At this stage Jasbir Singh Gill and some other
Hon. Members left the House.)***

17.57 hrs

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF INSOLVENCY AND
BANKRUPTCY CODE (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020
AND
INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (SECOND AMENDMENT) BILL,
2020
(AS PASSED BY RAJYA SABHA)**

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 18 और 19 को एक साथ लिया जाएगा ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move:

"That this House disapproves of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 9 of 2020) promulgated by the President on 5 June, 2020."

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, क्या आप बिल पर कुछ बोलना चाहती हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप बिल को मूव कीजिए ।

...(व्यवधान)

**THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS
(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN):** Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है।”

और

“कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, first of all, I took a serious exception to the way one after another Ordinances are being promulgated on the pretext of COVID-19 pandemic. Yes, our Constitution has the provision for promulgation of Ordinances. But I would suggest the Government that the promulgation of Ordinances should not be taken as a rule; rather, it should be considered as an exception. But what I am afraid of is that this Ordinance-savvy Government is, on one pretext or the other, resorting to promulgation of Ordinances. That is why, I have put my disapproval. The purpose of the Ordinance on IBC is weakly constructed with minimum logic and a lot of grey areas, and discouraging to the healthy recovery and restructuring practices and at the same time, leaving loopholes for debtors. It is nothing but to patronize their preferred corporators. The worst casualty of this Ordinance is

the MSME sector. Section 10A can be absolutely a nightmare for the corporate creditors. When such a loose exit is created for the escape of debtors, the burden will shift to the creditors and they would not be having anyone liable. MSMEs are very strong contributors to the GDP as well as employment. There are around 120 million people working in MSME sector. These MSMEs usually lend their services to large corporate. The IBC framework is the resort of MSMEs in case of insolvency or bankruptcy. Until last year, MSMEs were hugely benefited by the IBC framework. The data on recovery of debt through IBC framework is Rs. 1.52 lakh crore. At this moment, the suspension of IBC can be a huge blow to the MSMEs of our country, especially in cases with exemption of defaulters from liabilities under section 10A. If a system with protection and safeguards for MSMEs is dissolved in favour of specific corporate debtor, the Government is answerable to 120 million people working in this sector.

18.00 hrs

It is because on the one hand the Government is serving half-baked cookie called *Atmanirbar Bharat* and forcing them to take more loans, and on the other hand they are removing their safety net against exploitation. Can Government ask themselves what have they done to create more through MSMEs? What is the Government's achievement in last six months? This is high time that the Government should do an introspection. I would simply narrate four concepts which need to be stressed.

First one is the maximisation of value of assets. Quoting Mr. Shardul Shroff, who is the Executive Chairman of Insolvency and Bankruptcy Practices, maximization of value of assets can be either revival or liquidation of the corporate debtor, to put its assets to best possible economic use. It is important to have both the options available for preserving the best value of assets. Instead, what we witness is the suspension of IBC framework for a significant period of time. By suspending the whole framework, we are eliminating our options of asset maximisation. This is in conflict with the very concept of assets maximisation.

Secondly, it is the concept of entrepreneurship which is severely hurt. If MSMEs are discouraged by withdrawing protection mechanism against risks, what is the signal that the Government intends to give to the new investors? The Bill says:

“For any default arising on or after 25th March, 2020 for a period of six months or such further period, not exceeding one year from such date.”

Now, the Government says that the validity of this amendment is one year. But after one year, the Government can come again with an Ordinance saying that it is the necessity of the hour. Where should we go then? The economy is already dying.

This second amendment will be the last nail on the coffin. Why should investors invest their money when there is no guarantee that there will be protection against any chances of losing money? The Government has already been suffering from trust deficit. Hon. Minister will certainly agree with me on this point.

Third point to stress on is the availability of credit. The remaining gross NPAs are acting as a barrier for accessing the credits. The gross NPAs are about to hit 15 per cent in this financial year. The credit lending is one of the toughest decisions to make in the current context.

Fourth and the most important concept is the balance of interest of all stakeholders. This is classic failure in balancing the interest of all stakeholders. There are five points to understand how this Bill is incapable of catering to the interest of stakeholders.

1. It prohibits resolution even in cases where that may be the best way to preserve the value of assets.
2. It removes the option of a debtor to avail of the insolvency process for restructuring, when the debtor is at the best position to understand whether the company will undergo a crisis temporarily or permanently.

3. This also eliminates the option for debtors to approach for restructuring.
4. With the permanent exemption of defaulters during the mentioned period, this is against the interest of the creditors.
5. With this amendment, the corporate debtor gets permanent waiver from defaults during the specified period. But what about the other kind of debtors in our country? There are individuals such as farmers as well as small firms who are waiting for their waiver. The farmers are committing suicides, and the corporate loans are getting waived off. This is discrimination within the classification of debtors.

In short, this Bill does not safeguard any of the stakeholders who actually need support during the pandemic, such as individuals, MSMEs, who actually struggle and lose their livelihoods. Instead, the Government is saving the corporate debtors.

According to Kroll's annual Global Fraud and Risk Report of 2017-18, India figures among the top three countries globally for every category measuring fraud vulnerability in this survey.

Madam, 89 per cent of respondents in Indian organisations are saying that they had experienced a fraud incident in the previous 12 months, compared with just 68 per cent in 2016.

India's 89 per cent stands higher than the world average of 84 per cent. In the last two years India's numbers jumped from 68 per cent to 89 per cent. Internal financial fraud (85 per cent) and IP theft, piracy and counterfeiting (80 per cent) were also significantly higher than the global averages of 52 per cent and 56 per cent respectively.

The Government wants to enhance the atmosphere to establish ease of doing business. This is what the world expects from us. But this is not fructifying. This perception would not change with the hon. Prime Minister's foreign visits, but will change when the Government does substantially something to address this issue.

18.06 hrs

(Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

Now, the Government is clearing corporate debtors through backdoors under provisions of Section 10A when financial frauds are sky-rocketing and it stands much above global average. The question is, if the Government does not want to hold the debtors accountable, ultimately who will do it?

An analysis of the March quarter data from TransUnion CIBIL suggested that lenders had filed 1,251 cases to recover Rs 24,765 crore. The All India Bank Employees Association in July, 2020 has come up with a list of 2,426 wilful defaulters and their amounts add up to Rs. 32,700 crore. The Bill will contribute even more to this as this leaves the room open for intentionally

defaulting. Before allowing any more room to wilful default, our demand is that the Government should bring back our people's money which are already with the defaulters. Our country requires Rs. 65,000 crore and the Government is looking for selling Public Sector Undertakings one by one.

Whenever an Ordinance is introduced, the hon. Finance Minister always says that it is urgent and that the Government will bring Bill when the Parliament will be in Session. Why is this urgency? The urgency should be aimed to save lives. But actually, now, the urgency is to save the wilful defaulters. The provisions for this was included in the Ordinance, which was promulgated on June 5. Will the hon. Finance Minister hold the responsibility of intentional default caused from 5th June to 20th September? It is important to reiterate that the urgency was to pave a way to escape from intentional defaulting.

Again, for your convenience, I would like to cite some figures before you regarding the status of applications for initiation of CIRP. In the event of a default, creditor or debtor can apply to the National Company Law Tribunal for initiating a CIRP. But what is the record of CIRP? The provisions of the Code in relation to CIRP came into force on December 1, 2016. As of June, 2020, CIRP has been initiated in case of 3,911 applications. Out of these, 2,108 CIRPs are yet to be completed. Of the 1,803 CIRPs completed, 955 resulted in liquidation. The resolution plan was approved in 250 cases, that is only 14 per cent, and 598 cases were closed by appeal, review, settlement or withdrawal,

that is, 32 per cent. The Insolvency and Bankruptcy Board of India noted that in cases of CIRPs, resulting in liquidation in about 73 per cent cases, the economic value of the corporate debtor had already eroded significantly before they were admitted into CIRP. In these cases, assets are average valued at less than 5% of the outstanding debt amount.

I will give you figures. In the year 2016-17, 37 applications were admitted, but liquidation was zero and 36 applications were pending at the end of the period. Till 2020-21, out of the total 3911 applications that were admitted, about 598 applications were appealed/reviewed/settled/withdrawn. The approval of resolution plan was only 250. The liquidation was only in 955 applications and the total applications pending at the end of the period, was 2,108. This is the performance under your leadership. It is absolutely poor and a dismal performance.

Now, I come to time taken for the completion of CIRP. This is also very alarming. The Code provides for time-bound resolution of insolvency. The Committee of Creditors must approve a resolution plan and the resolution process must be completed within 180 days. This may be extended by a period up to 90 days if the extension is approved by the NCLT.

The IBBI noted that average time taken for completion of 955 liquidation cases is 312 days. Average time taken for completion of 250 cases in which resolution plan was accepted is 423 days which is mindboggling. As of June 2020, of the 2108 CIRPs yet to be completed, 1094, which is 52 per cent, have

continued for more than 270 days. The number of CIRPs was 1094 exceeding 270 days. From 180 days to 270 days, the number of CIRP – 539; 90 days to 190 days, the number of CIRP – 402; and in 90 days, the number of CIRP – 73 and the total is 2108.

As regards initiator of CIRP, the Code allows the creditors as well as the corporate debtor to initiate the CIRP. The Code classifies creditors between financial and operational creditors based on the type of liability owed to them. As of June, 2020, of 3911 CIRP applications admitted, 1961 applications were initiated by financial creditors, *i.e.* 50 per cent; 1690 applications were initiated by operational creditors, *i.e.* 43 per cent and 260 applications were initiated by the corporate debtor himself which is only seven per cent.

As regards recovery of claims under the CIRP, in 250 cases where resolution plan was accepted, the debtors owed Rs.4.71 lakh crore on aggregate. Out of this, creditors could recover Rs.1.96 lakh crore (42 per cent). The IBBI noted that the value of assets of these 250 corporate debtors was only Rs.1.03 lakh crore when they entered CIRP. Hence, the value recovered is a ludicrous 191 per cent of the realisable value. In 952 cases where liquidation was initiated (data not available for other three), the debtors owed Rs.5.3 lakh crore to creditors on aggregate. The IBBI noted that these 952 corporate debtors had assets valued at Rs.0.38 lakh crore when they entered CIRP.

As of June 30, 2020, only 88 corporate debtors have been completely liquidated. These 88 debtors together had outstanding claims of Rs.11,512 crore. The assets of these 88 debtors valued at Rs.181 crore when they entered CIRP and Rs.192 crore was realised through liquidation of these companies, *i.e.*, 1.7 per cent of total claim.

Madam, this is the performance of your Ministry. Again, I will highlight other issues when my next turn comes.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद, सभापति महोदया ।

मैं अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी साहब को सुन रहा था और मुझे लगा कि शायद पार्लियामेंट में वे कुछ अच्छी बातें या सही बातें इस देश को बताएंगे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस हमेशा... * बहाती है, आज भी वही हुआ । यह आईबीसी एक ऐसा कानून आया, जिसने इस देश में एक अलग प्रकार का माहौल खड़ा किया, क्योंकि जब वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक इनकी सरकार थी और इन्होंने जिस तरह से इस देश को परेशान किया, इस देश के बैंकिंग सिस्टम को परेशान किया कि पूरा देश, पूरी जनता, कम से कम गरीब जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी, क्योंकि बैंकों के सारे के सारे एनपीए इन्हीं की देन है और इनसे रिकवरी नहीं हो रही थी । जब माननीय मोदी जी ने चार्ज लिया, तो देश जो है, एक कहावत है, हमने लखनऊ की एक कहानी पढ़ी थी, “कि नवाब वाजिद अली शाह का जमाना था और लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था” पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम में, जितने भी क्रेडिट इन्होंने दिए थे, वे सारे के सारे डिफॉल्ट हो गए थे । लगभग 14 लाख करोड़ रुपये का एनपीए हमारे सामने मौजूद था । इस तरह की इकोनॉमी ये छोड़कर गए थे ।

महोदया, दीक्षित दनकौरी की एक बड़ी अच्छी शायरी है कि :

“न मांझी, न रहबर, न हक में हवाएं,
है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है?”

आप यह समझें कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने जब चार्ज लिया तो कुछ था ही नहीं । आप यह समझिए कि जिस नाव के सहारे इस देश को आगे बढ़ाना है, उस नाव में भी इतने छेद थे कि वह कब डूब जाएगी, यह लोगों को पता नहीं था । उस वक्त यह आई.बी.सी. कानून आया । अधीर दा अगर आई.बी.सी. की दो मिनट के लिए बड़ाई कर देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता । लेकिन, कांग्रेस

* Not recorded.

का स्वभाव है कि ...* करते चलो, ऐसा सिस्टम पैदा करो। हम सभी सांसद यहां बैठे हैं। इन्होंने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना दी कि हमने सभी गांवों में बिजली लगाने का फैसला किया है। उस समय 9 किलोवाट और 16 किलोवाट के ट्रांसफॉर्मर्स लगते थे। वे सब जल गए। अमीरों को बिजली जलाना है, गरीबों को नहीं जलाना है। अमीरों ने खुद धन लगाकर बिजली लगा ली। उसी तरह से, मैं आपको बताऊं कि रिकवरी के लिए जो कानून था, उसमें कुछ चीजें मैं सदन के सामने लाना चाहता हूं कि इस आई.बी.सी. के आने के पहले काँग्रेस की पॉलिसी क्या थी? ऐसी क्या-क्या चीजें थीं, जिनके माध्यम से बैंक्स रिकवरी कर सकते थे?

सभापति महोदया, एक लोक अदालत का सिस्टम था। लोक अदालत के माध्यम से आप रिकवरी कर सकते हैं। यहां पर पिनाकी मिश्रा साहब बैठे हैं। ये एक बड़े वकील हैं और ये इस तरह के केसेज में लगे रहते हैं। आपको आश्चर्य होगा, मैं वर्ष 2018 का डेटा दे रहा हूं, यदि बैंक को 100 रुपये की रिकवरी होनी थी तो केवल पाँच रुपये की रिकवरी हुई। 5.3 प्रतिशत रिकवरी लोक अदालत के माध्यम से हुई। क्या काँग्रेस को यह कानून चाहिए था? ये दूसरा कानून डी.आर.टी. लेकर आए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि डी.आर.टी. ने तो और भी गजब कर दिया। यदि बैंक को, क्रेडिटर को 100 रुपये की रिकवरी करनी है तो उसके माध्यम से उसकी रिकवरी हुई - केवल 3.5 प्रतिशत, केवल तीन रुपये। क्या इस देश को यह चाहिए था?

ये जो तीसरा कानून लेकर आए, वह था सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट की रिकवरी 14 प्रतिशत थी। मैं सदन को बड़ी गम्भीरता के साथ बताना चाहता हूं कि यह जो आई.बी.सी. कानून वर्ष 2016 में आया, इसकी रिकवरी रेट है - 42.5 प्रतिशत से लेकर 45 प्रतिशत। क्या इस कानून में जो बातें चल रही हैं, उसके लिए हम लोगों को इसकी मदद करने की आवश्यकता नहीं है?

अब ये कोविड-19 की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप यह ऑर्डिनैस क्यों लेकर आए? कोविड-19 के कारण क्या हुआ, यह पूरे देश ने देखा। बाप, बेटे से अलग हो गया। यदि

* Not recorded.

किसी के बाप की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा उसे जलाने तक नहीं गया। यदि घर में कोई बीमार हो गया तो वह वहां भी नहीं गया। पूरे देश की यह हालत है और पूरी दुनिया की यह हालत है। पूरी दुनिया में संबंध खत्म हो गए। ग्लोबल वर्ल्ड खत्म हो गया। यदि आज कोई लंदन, अमेरिका जाना चाहता है तो वह जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। आप पूरे देश में किस तरह के माहौल में जी रहे हैं? उसमें माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और हमारे मित्र अनुराग ठाकुर साहब यदि कोई अच्छी चीज लेकर आ रहे हैं तो उसमें भी आप कह रहे हैं कि ऑर्डिनैस क्यों आया? ऑर्डिनैस की आवश्यकता क्यों नहीं थी? एक तरफ माननीय प्रधान मंत्री का उद्देश्य लोगों की जान बचाना था और दूसरी तरफ उनका उद्देश्य उनका पेट भरना था। तीसरी तरफ, उनका उद्देश्य यह था कि किस तरह से रोजगार पैदा करें। पूरी दुनिया में क्या हो रहा था? पूरी दुनिया इकोनॉमिक फ्रंट पर चार चीजों से लड़ रही थी। लॉकडाउन में केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सारी दुकानें और फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं। उसके कारण क्या हुआ? अभी ओ.ई.सी.डी. की रिपोर्ट आई है कि पूरे विश्व में इस साल कम से कम 5 प्रतिशत बेरोजगारी बढ़ने वाली है। क्या बेरोजगारी को दूर करने के लिए कम्पनियों को बचाने की आवश्यकता नहीं है?

दूसरी बात यह है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड का कॉस्ट है, वह करीब 25 प्रतिशत बढ़ने वाला है। उसके बढ़ने का कारण यह है कि बॉर्डर्स सीलड हैं। पूरी की पूरी इकोनॉमी सीलड हो गई है। आज भी इन्टर स्टेट मूवमेंट में सभी लोगों को परेशानी हो रही है। यदि इन्टर स्टेट मूवमेंट में परेशानी है तो वर्ल्ड वाइड और जगहों पर भी परेशानी है। इसलिए उसकी 25 प्रतिशत कॉस्ट बढ़ने वाली है। उसी तरह से, पूरा का पूरा पर्यटन उद्योग, चाहे वह होटल हो, चाहे सिनेमा हॉल हो, चाहे टैक्सी वाले हों, रिक्शा वाले हों, ठेले वाले हों, सभी के सभी बेरोजगारी की हालत में हैं और पूरी दुनिया में इस सेक्टर को कम से कम 75 प्रतिशत नुकसान होने वाला है।

महोदया, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां जी.डी.पी. लॉस नहीं है। पूरी दुनिया में जो विकसित देश हैं, जैसे यू.एस.ए. है, यू.एस.ए. ने अपनी इकोनॉमी में 2 ट्रिलियन डॉलर दिया। उसी तरह से चीन ने दिया। यदि आप सारे कानूनों की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यूनाइटेड किंगडम ने इस पर पूरा मोरेटोरियम लागू कर दिया कि जब तक कोविड-19 का मामला चल रहा है, वहां 31 दिसम्बर तक पूरा मोरेटोरियम होगा। जर्मनी ने इंसॉल्वेंसी और सभी क्रेडिटर्स राइट्स में छः महीने के लिए संशोधन कर दिया। रोमानिया ने इस कानून को 16 मार्च से स्थगित कर दिया।

उसी तरह से न्यूजीलैंड में हुआ है। मैं आपको बताऊँ कि जितने भी देश हैं, उन सभी देशों ने इस तरह का कानून लागू किया। भारत को क्या करना चाहिए था, भारत ने सेक्शन-7, 9 और 10 में संशोधन किया। उसने संशोधन यह किया कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, या जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, या जो कॉर्पोरेट डेब्टर्स हैं, इन सबों के बीच में किस तरह का सामंजस्य लाया जाए। यदि मान लीजिए कि आज कोई कंपनी अगर इन्सॉल्वेंसी में जाती है, हमने आपको बताया कि हम 45 परसेंट तक उससे पैसा रिकवर कर पाए हैं। आज जब पूरी इकोनॉमी ठंडी हो गई, किसी के पास कोई पैसा नहीं है, न ही फॉरेन के कोई इन्वेस्टर्स यहाँ आने के लिए तैयार हैं, न ही इंडियन इन्वेस्टर्स यहाँ आने के लिए तैयार हैं, बैंकिंग सिस्टम में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। उसको यह पता नहीं है कि यदि हम इस कंपनी को ले लेंगे तो कोविड-19 के बाद वह चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, वह इस तरह से काम नहीं कर पाएगा। क्या आपको लगता है कि हम 100 रुपये की चीज इन्हीं की तरह डी.आर.टी. और सरफेसी एक्ट लगाकर पाँच रुपये में बेच दें? आपको ध्यान होगा कि इसी पार्लियामेंट ने मार्च के महीने में इन्सॉल्वेंसी एक्ट में एक बड़ा संशोधन किया था। हमने यह सोचा था कि इस इन्सॉल्वेंसी एक्ट से, आप जो कह रहे थे कि 270 दिन लेंगे, किस तरह जल्दी से सुविधा मिल जाए, किस तरह लोगों को रोजगार मिल जाए, वह सारी व्यवस्था सरकार ने की थी। जिस तरह से यह सिचुएशन पैदा हुई, उसमें भारत सरकार

के पास किस तरह की चीजें मौजूद थीं। आप जो सी.आर.पी. की बात कर रहे हैं, इस देश में एक बड़ा ही घटिया तरह का माहौल चल रहा है। वह माहौल यह है, अभी आपने देखा होगा कि एक प्रोफेशनल कंपनी में इस तरह के प्रोफेशनल आर.पी. नियुक्त करते हैं। आप जो सी.आर.पी. की बात कर रहे थे, उसके यहाँ रेड हुआ। उस रेड में जिस तरह का पता चल रहा है, वह भारत सरकार के लिए एक बड़ी सोचनीय बात है। आप क्या सोचते हैं कि उनको अधिकार देकर यदि सेक्शन-66(8) संशोधन नहीं करते तो वह आर.पी. किसी भी कंपनी को किसी भी तरह से बेच सकता था। क्या आप कंपनी को लिक्विडेशन में ले जाना चाहते हैं?

यदि एनसीएलटी के माध्यम से आई.बी.सी. कोड के अलावा, यदि यह लिक्विडेशन में चलता है तो मैं पूरे सदन से पूछना चाहता हूँ कि लिक्विडेशन में कंपनी को कितना पैसा मिलता है और कितनी वापसी होती है? लिक्विडेशन का जो लेवल है, वह 8, 9, 10 परसेंट से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। क्या आप यह चाहते हैं कि इस कानून में संशोधन नहीं हो और कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए। आप केसेस की बात कर रहे थे, इस आई.बी.सी. कोड में क्या हुआ?

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से अधीर रंजन चौधरी साहब को बताना चाहता हूँ कि यह सेक्शन-7 में लिस्ट होने के पहले इस देश में 27,000 ऐसे केसेस थे, जिनके लिए सेक्शन-7 लागू करने का मौका ही नहीं मिला। उसके पहले ही कम से कम 2 लाख करोड़ रुपये की रिकवरी इस सेक्शन के कारण हो गई। सेक्शन-7 के आने के बाद जब सेक्शन-9 में जाने की बात आई तो उसमें से 12,000 ऐसी कंपनीज़ हैं, जिनकी सेक्शन-9 के पहले ही पूरी रिकवरी हो गई। उसी तरह से सेक्शन-10 में लगभग 140 ऐसी कंपनीज़ हैं, जिनसे सेक्शन-10 लागू होने के पहले ही रिकवरी हो गई। यह इतना बढ़िया एक्ट है और उस एक्ट में जो यह मॉरेटोरियम है, वह यह है कि उसके कारण कंपनी बचेगी, लोगों का रोजगार बचेगा, बैंकों का पैसा बचेगा। यह जो आप एमएसएमई की बात कर रहे हैं, इसके बारे में आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक करोड़ से नीचे के जो लोग हैं, वे किसी भी आई.बी.सी. के दायरे में आते ही नहीं हैं। उनके लिए आर.बी.आई. में, या कम्प्रोमाइज

फॉर्म्यूले के तहत कई एक कॉरपोरेट लॉ में ऐसे कानून हैं, जिनके माध्यम से वह अपनी रिकवरी कर सकते हैं।

अंत में, मैं अपनी एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करूँगा। इन लोगों को माननीय मोदी जी के ऊपर तथा इस देश की हिन्दू सभ्यता एवं संस्कृति के ऊपर कोई फेथ नहीं है। मैं अभी येरूशलम गया था। येरूशलम में तीन रिलीजन्स हैं। उसके बाद मुझे एजिप्ट भी जाने का मौका मिला। यदि हम यहाँ कहते हैं कि गाय हमारी माता है, हम उसका दूध पीते हैं, गाय को मत काटिए तो लोगों को लगेगा कि यह हिन्दू धर्म की बात है। मैं सभी से कहता हूँ कि एजिप्ट के उस कैरो के म्यूजियम को देखना चाहिए। वहाँ जो ममीज़ हैं, उसमें गाय का फोटो बना हुआ है। उसमें वे कहते हैं कि गाय मेरी माता है, जबकि वह पूरा का पूरा इस्लामिक कंट्रीज हैं। येरूशलम में अल-अक्सा मस्जिद है। लोग कहते हैं कि वहाँ मोहम्मद साहब आए थे और उनको कुरान मिला था। उसके बाद वह एक पत्थर पर आए और बाद में स्वर्ग चले गए, या जहाँ भी भगवान जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जिस धर्म में उनकी आस्था है।

उसके ठीक 300 फीट नीचे ज्यूज़ आज भी माथा पटकते हैं और कहते हैं कि यहां मेरे गॉड हैं और उस गॉड के लिए वे वहां जाते हैं। उसी तरह से वहां ईसामसीह का क्रूसीफिकेशन हुआ। फ्राइडे को क्रूसीफिकेशन होता है और संडे को केवल 15-17 लोगों को ही पूरी दुनिया में वे मिलते हैं। वे कहते हैं कि यह धर्म है। कोई भी उस धर्म के ऊपर क्वैश्चन नहीं करता है कि ज्यूज़ ऐसा क्यों कहते हैं, मुस्लिम ऐसा क्यों कहते हैं और क्रिश्चियन ऐसा क्यों कहते हैं? लेकिन भारत में हमेशा चर्चा होगी कि अयोध्या में राम पैदा हुए, वह तुम बताओ, मतलब आस्था का सवाल है। उसी तरह से पूरे देश में जनता का विश्वास माननीय मोदी जी के ऊपर है। ये वही ताकतें हैं, जो राम का इतिहास पूछने की कोशिश करते हैं। जनता के विश्वास को डिगाने के लिए ये इसी तरह की बातें करते हैं। मिस्टर मोदी में आस्था है और मिस्टर मोदी जो भी काम कर रहे हैं, वे देश को बनाने का काम कर रहे हैं। छोटे से लेकर बड़े लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे इस कोविड 19 से रक्षा की

जाए, उसके लिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस कानून का दिल खोलकर समर्थन करिए।
इन्हीं शब्दों के साथ, जयहिंद, जय भारत।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Madam Chairperson, I thank you for allowing me to speak on the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) 2020.

The spread of Corona virus pandemic across the globe followed by subsequent lockdowns has adversely affected business operations across the world. This has further increased the pressure on the distressed Indian markets, MSMEs and other small-scale business operations. In order to provide relief to these sectors, assistance through amendment of certain laws were obviously the need of the hour but not the ones like amendment to IBC, 2020. This is so because it is a classic example of good intentions but bad drafting. It has been done in a hurried manner and thus, will reap sour fruits in the future.

The main bone of contention in the Ordinance, and now the Bill, is the conflict between the main provision and the proviso in the Bill. I say so because Section 10A states that no application for initiation of Corporate Insolvency Resolution Process under Sections 7, 9 and 10 of IBC shall be filed for any default (not just COVID related but any default) occurred on or after 25th March, 2020, for a period of six months. This period can be further extended by a notification up to a maximum of one year.

Again, a proviso to Section 10A states that no application under Sections of 7, 9 and 10 shall ever be filed for initiation of CIRP for defaults occurring during the said period which is occurring between 25th March, 2020 and 24th September, 2020. Now, if the intention of the Bill is to suspend the insolvency proceedings temporarily, then there is no requirement for providing the perpetual suspension in the proviso but the language of the proviso seems to put an exemption forever for defaults committed during the exempted period. The conflict between the main Section and the proviso must be corrected immediately to avoid further confusion.

The Supreme Court in *J.K. Industries Limited versus Chief Inspector of Factories and Boilers* held that, in some cases, a proviso may be an exception to the main provision though it cannot be inconsistent with what is expressed in the main provision. If it is so, it would be ultra vires of the main provision and struck down. As a general rule, in construing an enactment containing a proviso, it is proper to construe the provisions together without making either of them redundant.

I would humbly request the Minister to provide clarification on this matter because at one point, we may even assume that it speaks of what the hon. Minister had said that COVID 19-induced defaults will be kept outside the purview of the Code but the Bill nowhere mentions COVID 19-induced default.

Thus, perpetual suspension of default is absolutely unjustified.

Secondly, Madam, the amendment to Section 66 of IBC 2016 also offers an easy way out for the promoters, directors, partners of the defaulting corporation or company, putting the creditors money at risk because now they can escape their liability, and wilfully default the payment of dues without being held accountable for the default, resulting in accumulation of debts and increased financial burden.

Thirdly, Madam, the suspension of Section 10 of IBC 2016, that is, voluntary insolvency application by the corporate debtor takes away the autonomy of the company under financial distress to restructure its debt. It would increase the distress of the company, further diminishing the value of its assets.

Fourthly and finally, Madam, the Bill is not particularly concerned with small scale industries or MSMEs as it does not have any special insolvency resolution framework for MSMEs under section 240A of the Code, as was announced under the *Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan* reforms. Though, the notification dated 24th March, 2020 was intended to benefit the MSMEs, it is not in line with such intention because MSMEs will not be entitled to initiate any action until the threshold of Rs. 1 crore is crossed, which is very unlikely to happen. Thus, the main purpose seems to be providing mere ease to the infrastructural and capacity constraints around the NCLT, and to discourage large volumes of applications filed for initiation of CIRP. ...(*Interruptions*)

I would like to end by saying that all these confusions could have been avoided if the definition of default under Section 3(12) of IBC would have been amended for a period of six months to a maximum period of one year, instead of making amendments to Section 10 and Section 66. Thank you.

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Madam, I thank you for giving me an opportunity to speak on this very important and crucial amendment brought in view of Corona pandemic in the country.

It is welcome that the Bill seeks to temporarily suspend initiation of the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Code, and is proposed to extend it for one year, if necessary. So, I, on behalf of my Party, YSRCP, welcome this move. The changes are good, and it will help strengthening of Code for better implementation.

The proposed amendments were announced by hon. Finance Minister as a part of her announcements made under the AatmaNirbhar Bharat Package. Madam, with your permission, due to very limited time, I will quickly make my points and request the hon. Finance Minister to look into them and take necessary steps for further strengthening of this Code.

Madam, my first and basic point is that there are some resolutions which are genuine and perfect in all respects. But some dishonest people or companies challenge and take them to higher courts through silly petitions. It is

not just such people, but even there are advocates trying to delay the proceedings through unfair means.

Madam, such actions are blocking the money of successful bidders deposited in Escrow Accounts. So, how is the Ministry planning to tackle such issues?

My second point is, why can the banks not allow the original promoters to participate in bidding wherever forensic audit is clear on them, if they are genuine parties? I think, it is definitely possible because the promoters know the actual strengths of the unit. I am requesting the hon. Finance Minister, through you, to look at this option so as to reduce the losses to Banks.

My third point is about the availability of Insolvency Professionals. Earlier, when companies were facing problem in getting CSR professionals, the Corporate Affairs Ministry started some courses or programmes to give training. But now, we are having problem in getting Insolvency Professionals. So, will the hon. Finance Minister consider starting some training programme or course to train them? I would request the hon. Finance Minister to explain this.

Finally, with regard to clogging of cases before 27 NCLTs, there are nearly 11,000 cases under IBC and 9,000 cases related to the Companies are also pending before the NCLTs. The number of cases is going up and so, resolutions are delayed. When we are asking for increasing the number of

benches of NCLTs, the hon. Minister is silent. So, I would like to know as to how the Minister is going to solve this problem.

With these observations, I conclude my speech.

माननीय सभापति: श्री हेमंत पाटिल - उपस्थित नहीं ।

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद जी ।

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद (जहानाबाद): माननीय सभापति जी, आपने मुझे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद ।

कोरोना के कारण लोन नहीं चुकाने की वजह से डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है । मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद सहित बिहार राज्य की कई कंपनियां शामिल हैं । कोरोना वायरस के कारण वक्त की मांग थी कि तत्काल कोई ठोस कदम उठाया जाए, इसलिए अध्यादेश का तरीका चुना गया ।

हम सब जानते हैं कि इस साल जून, 2020 में सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए आईबीसी में कुछ बदलाव किया था । आईबीसी अध्यादेश कोरोना महामारी से पैदा हुए अभूतपूर्व संकट के कारण लाया गया था । इस संशोधन के बाद कोविड-19 की महामारी से जिन्होंने डिफाल्ट किया है, उन्हें कर्ज देने वाले बैंक्स और कंपनियां को कोर्ट में नहीं घसीट सकते हैं । आईबीसी से तात्पर्य है कि अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से यदि किसी ने कर्ज लिया है और लोन नहीं चुकाने की वजह से उसे डर है कि कहीं आईबीसी के तहत कार्यवाही न हो जाए तो इसका इंतजाम सरकार ने कर दिया है । मैं इसके लिए सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं । यह अध्यादेश मजबूरी में डिफाल्ट करने वाली कंपनियों को राहत देने वाला था और इसके विधेयक बन जाने से कर्ज लेने वालों एवं कंपनियों को और राहत मिलेगी और काफी फायदा होगा

मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बिहार को बहुत सौगात दी है और आगे भी देंगे। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): माननीय सभापति जी, आज हमारे मित्र निशिकांत जी स्पीच देकर हाउस से चले गए, उन्होंने कहा कि अच्छा होता अगर इस तरफ से दो शब्द आईबीसी की प्रशंसा में बोले जाते। मैं कहना चाहता हूँ कि आज से नहीं, बल्कि हम पहले दिन से इसकी प्रशंसा कर रहे हैं और यह हाउस भी हमेशा से इसकी प्रशंसा करता आया है। यह देश को स्वर्गीय अरुण जेटली जी की देन है। मेरे हिसाब से उनकी मंशा के अनुसार काम करने से बहुत अच्छा रिजल्ट कई जगह आया है। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ऐसा न हो कि हम प्रशंसा में इतने लीन हो जाएं कि आगे का रास्ता भूल जाएं।

Madam Chairperson, there is no question that an ordinance was required. A moratorium was required because these are extraordinary times. Other countries, as Mr. Dubey pointed out, have also given similar moratorium. So, there is no question that this was absolutely in order. Therefore, an ordinance was also in order.

I just need one quick clarification from the hon. Minister because the Statement of Objects and Reasons of this Bill mentions that the relief is for companies affected by COVID-19. The difficulty is, the actual text of clause 2 makes no such linkage. It suspends initiation of CIRP for all defaults arising during the period. This is very important because there is a permanent prohibition on CIRP for defaults during this period. Therefore, perhaps, this goes further than was necessary.

The reason I can tell you is this. The GST shortfall to States, has been calculated at Rs. 2.35 lakh crore, and the Government's own assessment is that, of this, only Rs. 1.38 crore is COVID-19 related or 'act of God' related. Therefore, it is possible for the Government to identify and differentiate between the COVID-19 defaults and the related defaults.

So, I feel that perhaps the Government needs to clarify on this because Germany, for instance, has required companies to prove that they were liquid as of 31st December, 2019 before they can go ahead and claim any kind of moratorium. So, this is a very important point.

Madam, more importantly, I would just depart from the actual contents of the Bill itself, which cannot be taken exception to. Let us not forget that tinkering with the objects and the Sections of the Act is really the nuts and bolts. You are either tightening some nuts or loosening some screws. The superstructure of this entire edifice is the NCLAT and the NCLTs. That is the infrastructure, which will take this Act forward, which will decide whether this Act is a success or not.

Today, unfortunately, for many months now, there is no full-time Chairman of the NCLAT. The Chairman, NCLAT, is the captain of the ship. He is the one, who is supposed to guide the NCLAT as well as the NCLTs all over the country. Without a full-time Chairman, NCLAT, this is not possible. I cannot understand -- when so many eminent Judges have retired over the past several months and years -- why the Government cannot find one suitable

person to take over as Chairman, NCLAT, who can give direction and purpose to this Act?

As my friend Mr. Dubey said, how difficult it is to get a date. Only I know that you have to beg and plead to get a next date of hearing because the courts are so choked up; they are chock-a-block, full. Therefore, what Mr. Adhir Chowdhury said, and the only part of his statement, which I genuinely empathise with, is that when you are taking 300, 350, 400 and 450 days for a resolution, that is not a resolution; that is not what this Act wanted. Particularly, after this moratorium now, when the Act becomes operational again, there will be a deluge of cases. Therefore, unless we have a proper infrastructure and superstructure in place, unfortunately, there is going to be serious problems.

One last issue, which again my friend Mr. Dubey mentioned, is about the RPs. The other part of the superstructure here is the Resolution Professionals. Unfortunately, in the 'Bhushan Power' case, which he mentioned, several hundred crores of rupees seems to have been siphoned off in collusion with the promoters. It is the Resolution Professionals today, who get their skin in the game. Somebody said that lawyers are actually responsible for delays. I believe, actually, it is the Resolution Professionals today, who have got their skin in the game, are not willing to let go of their control over these companies.

So, I would appeal to the hon. Finance Minister to ensure that the IBBI, which is the agency which has been given the power to educate these RPs, should do a better job in getting in better RPs into the field so that there is less

fraud, less collusion. These things have been said, other things being equal, it is a salutary piece of legislation brought by the hon. Finance Minister, and there is no question that this House will not go with her on this.

Thank you very much, Madam Chairperson.

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): धन्यवाद सभापति महोदया, The Insolvency and Bankruptcy Code Bill provides for a time-bound process to resolve insolvency amongst companies and individuals. Insolvency is a situation wherein an individual or a company is unable to pay their outstanding debt. मैं देखता आया हूँ कि हर आदमी अपनी जीविका के लिए कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई कुछ बनता है, वह अपने घर के भरण-पोषण के लिए कमाता है। लेकिन, कुछ कंपनियां ऐसी हैं, जो इतने डाकू और लुटरे हैं कि उनका केवल एकमात्र उद्देश्य रहता है कि एक कंपनी फ्लोट करो, पैसा कमाने का यह भी एक तरीका है। एक कंपनी फ्लोट करो और शेयर में मैनिपुलेट करो। वे कभी शेयर खरीदते हैं, कभी बेचते हैं। कंपनी के सभी शेयरों का पैसा साइफन कर लेते हैं, खुद में रख लेते हैं और एक स्टेज आती है जब उसको दिवालिया घोषित कर देते हैं।

ऐसी कंपनियों में काम करने वाले लोग गद्दार हैं, एंटीनेशनल हैं। गरीबों की गाड़ी कमाई व खून चूसते हैं। मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, उनके ढेर सारे सपनों को तोड़ते हैं और देश की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा है कि नोएडा में हर जगह रियल एस्टेट कंपनियां हैं। कई लोगों ने उसमें अपने लाखों रुपये लगा रखे हैं और फ्लैट के लिए इंतजार कर रहे हैं। वे उनका पैसा डकारकर बैठ गए हैं। इन कंपनियों पर जितनी नकेल कसी जाए उतना अच्छा होगा और जनता के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहतर होगा।

अभी डॉ. निशिकांत दुबे जी कह रहे थे कि यह आया है तो इसका रिकवरी रेट 42 से 45 परसेंट हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो बच्चा पैदा हुआ था, आर्डिनेंस था और अब यह बड़ा हो रहा है। अब यह आगे चलकर क्या काम करेगा और कैसी परफॉर्मेंस देगा, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि दो शब्द प्रशंसा में कह दीजिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस बिल के जरिए एक-दो चीजें अच्छी करने जा रही है जैसे

“A Director or a partner of the corporate debtor may be held liable to make personal contributions to the assets of the company in certain situations.”

देखिए, यहां पर सर्टेन सिचुएशन लाकर फिर से गफलत पैदा कर दी गई है, फिर से एक मौका दे दिया है। सर्टेन सिचुएशन है कि नहीं है? सत्ताधारी लोग बैंक के साथ और कंपनियों के साथ मिलकर सर्टेन सिचुएशन है या नहीं, उसमें मैन्युप्लेट करते हैं।

“There must be clear-cut laws. There should not be any ambiguity. This liability can occur if despite knowing that the insolvency proceedings cannot be avoided, the person did not exercise due diligence in minimising the potential loss to the creditors.”

आप देखिए कि जो ड्यू डिलिजेंस और सर्टेन सिचुएशन वाली बात है, इसमें यह गलत बात है। यह बात यहीं पर मैन्युप्लेट करने का मौका देती है। मैं इस बिल के डिस्कशन के समय एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग फ्रॉड करते हैं, मुझे संदेह है कि इलेक्टोरल बांड में लाखों-लाखों, करोड़ों-करोड़ों रुपये का डोनेट करते हैं इसलिए मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि इलेक्टोरल बांड जितने लोगों ने दिया है, उसको ओपन किया जाना चाहिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी

लाई जानी चाहिए। मुझे बहुत बड़ा संदेह है कि इसी तरह से जो कंपनी फ्रॉड करती है, वह सत्ताधारी पार्टी को इलेक्टोरल बांड के रूप में फायदा पहुंचाती है। इन्होंने एक और छोटी सी चीज करने की कोशिश की है, वह भी अच्छी है।

“The Ordinance prohibits the initiation of insolvency proceedings by the corporate debtor. The question is whether the corporate debtor should be prohibited from initiating insolvency proceedings. The corporate debtor may be better placed to assess whether the recourse under the insolvency framework is warranted.”

So, this is another good thing which they are trying to do.

माननीय सभापति: डॉ वेंकटेश नेता जी।

SHRI SHYAM SINGH YADAV: Madam, just one minute. वैसे ही मैं बहुत संक्षिप्त में बोल रहा हूँ। Under the Code, there is one good thing to appreciate. I think, they will be happy enough to hear it.

“Under the Code, insolvency proceedings can be initiated against the personal guarantor of a corporate debtor.”

This is another thing which they have brought in here in the Bill.”

वैसे तो मुझे बोलने के लिए बहुत कम समय अलॉटेड है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बिल की कंडीशन्स पर और ज्यादा नकेल कसी जाए। जैसे सरकार कोविड-19 के नाम पर इनको कई कंसेशन्स देने जा रही है तो यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।... (व्यवधान)

DR. VENKATESH NETHA BORLAKUNTA (PEDDAPALLE): Madam, thank you very much for giving me the opportunity to speak on the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020.

On behalf of TRS party and the State of Telangana, I fully agree with the objects and reasons. In this crisis situation of the pandemic, all sections of the society and all sectors of the economy need support and sympathy. There is a greater responsibility on the Central Government to create an atmosphere for economic activities to continue and pick up, as far as possible, and support them to the extent possible in this difficult moment. I am sure, the IBC (Second Amendment) Bill will help the companies to keep alive to run the companies well. To revive and support economic activities, all-round efforts are needed by the Central Government in the interest of the nation. In this hour of crisis, the Central Government must make all efforts and support institutions and State Governments to minimise the distress of the people. The measures to assist the States may be in several ways: financial, legal, infrastructure building, restoration of connectivity and communications, support to industries, agriculture, service sector and business, etc. These will further generate employment to the benefit of the people in the States as well as in the nation.

In the State of Telangana, under the able leadership of our inspirational Chief Minister, Kalvakuntla Chandrashekhar Rao *ji*, the revival efforts are picking up on the revolutionary basis. As far as the financial support is concerned, I have been bringing up the issue of reimbursement of GST dues to all the States. At this stage, when the State is trying hard to revive all the sectors of the economy and launch all-round welfare measures for the welfare of the people of the State, financial support from the Central Government is important and urgently required. Therefore, I would like to highlight the issue of immediate release or reimbursement of GST, IGST and grant for regional imbalances -- approximately Rs.9,000 crore – pending to the State of Telangana.

There are some other financial and developmental related matters relating to the State of Telangana under consideration with the Central Government, namely, special assistance grant of Rs. 450 crore to the backward districts in the State of Telangana and release of funds under the 15th Finance Commission. All these financial matters relating to disbursement to the State of Telangana are crucial from the point of view of revival of the economy, creation of employment opportunities and welfare of the people of the State of Telangana.

Thank you very much, Madam.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Madam. I must say one thing that in these extraordinary difficult times that the world is going through, the one Ministry which regularly, I think, outperforms all the other departments is the Finance Ministry. I have even in the last Session mentioned that we may have strong disagreements but I would like to compliment her and her Minister of State. They are the two people who constantly come with Bills to try and fix things which really need fixing with urgency.

Specially at the time that we are going through, this is a Bill, as Pinaki Misra *ji* said, which is not something we object. It is something we support and it is probably the need of the hour. It is the sensitivity of the Ministry to bring up the pandemic issue to make sure that the companies which are already under such pressure get a breather. But there are three quick clarifications I would like to seek from her. It is because I remember her speaking on this Bill in the month of March; I could stand corrected.

She mentioned that in this Bill, when the cross-border issues would come up, we would have a specific rule to make sure that all Indian investors are protected when we have international relations. You are bringing FDI in such a big way into India. Every investor should be protected. But, when we have cross-border issues, how are we going to address them? You had mentioned it. So, is it included? If it is not, how soon would you do it? It is because, we really need it. It is because the JPC was formed in 2017; we are

in 2020. It is a very important issue, I think, we all need to address so that every investor is protected.

The second issue which is very-very important and, I think, which the Treasury speaker talked about, is about the moneys that have come back. He mentioned about sections 7, 9 and 10 very proudly. I am not taking away the fact. Please correct me. I could stand corrected because finance is not my core strength. But it is more about the banks and about the financial creditors. I want to know how much money have been lost. I agree that the 45 per cent of the money has been returned which is a wonderful thing. I would complement your Government. But it is 45 out of 100. So, what has happened to the remaining 55 per cent? Is that a haircut? Has that money gone? What is the status of this bank? I do not feel any of us should be proud if a company is shut down, be it a big or small. Several lakh people lose their jobs. Employment is at its absolute bottom globally. So, what intervention are you doing? I am not sure what Mr. Dubey said about sections 7, 9 and 10. Is it something very complementary or anything to be proud of?

The other point is between resolution and liquidation. Liquidation is the worst option. So, is that something we are looking for? It is because we have not got money back after its liquidation. So, should 'Resolution' not be our first priority? I would come back to that point again because there are one or two companies about which I would like to bring to your notice.

There is another point which Mr. Pinaki Misra has raised. I would not repeat it but I would like to bring it to the notice of this House. What he said about having a full time NCLAT Chairman was absolutely right. As a matter of fact, Mr. Misra, had asked a question on 19th September. He asked whether the Government has any plans to expand e-Courts so that there could be less pressure; and the reply of the Government was that 'there are only 16 Benches of NCLT and only nine Benches are working online'. So, I have a request. He said that NCLAT needs a full time Chairman. It is because if we really want to accelerate the setting up of infrastructure and help the poor men, we should do this.

There is one topic which is very close to my heart. In the Insolvency Bill, you have made one point which is not directly connected but in the larger interest, it is very important for us. Under the Code, the director or the partner of the corporate debtor may be held liable for making personal level contribution to the assets of the company in certain situations. I have a request to the hon. Finance Minister. She had brought another Bill for Cooperative Banks just last week. Can we extend this so that the PMC Bank - all the lands which are lying or properties which are lying – can sell land or property in a time bound manner. If it works for insolvency here, why can it not work for the PMC bank?

Major suggestions have come. Madam, Finance Minister, you are also an economist. You would definitely remember this. It was the TARP which the

America has brought about. Even Nishikant Dubey Ji talked about various countries. He talked about what various other countries have done. I want to ask a pointed question to this Government. What are you doing to save the economy? I remember the US at one time had the Trouble Asset Relief Programme in 2008 -- there was a financial crisis -- to stabilise financial systems for better economic growth and to mitigate foreclosures. So, do you have a plan to make our economy strong and robust something specific like this which has been mentioned?

There are several companies which are getting closed. We keep reading about it. There are some resolutions under this. I would like to ask a pointed question to this Government. Every company is under pressure right now. You talk about Air India. I am so fortunate that the hon. Minister was exceptionally helpful to us during the pandemic. It was Air India which brought millions of our family members, friends, professional and children from abroad, but Air India is under pressure. Air India is under pressure, you have not been able to sell it. Now, Air India is a company run by the Government. It is a business stressed or a business loss company. There are other companies. Take for example, Jet Airways. I would specifically talk Jet Airways because Jet Airways had a huge hub and huge employment, especially from the State where I come from, where it started, which is Maharashtra. So, why is Jet Airways treated differently than Air India? Why is BSNL treated differently than others? So, if the Government makes mistakes, is it okay? Whether it is your Government or

my Government, that is not the point. Who did it? Why did it happen? It has been six years now. So, in these six years, what corrective measures have you taken to make sure that every Government run company is run better? Are private companies bad? Can we have some solution? Why is it that if a Government owned company is a business stressed company and when it is a private company, it is always a corrupt company? I think it is unfair especially when you are trying to do 'Ease of Doing Business'? I compliment the Government that they have gone up the ladder in doing 'ease of doing business'. I do not think capitalism is bad at all. They create jobs and also they create wealth. So, when you are doing all this, what specific interventions will you do to improve this? Some of them are for bankruptcy; some of them are for resolutions; and some of them are for NCLT resolution.

19.00hrs

So, what quick time bound measures are you taking to make every businessman or even an investor feel confident that his or her money is safe in India and they are protected? This Government is, beyond words and only legislations, committed to making this economy a five- trillion economy. Last time Mr. Singh said the Government is committed to make this economy a 10- trillion economy. Whatever you do, my only humble request is this. I do not want to get into the numbers game. Unemployment is back. The minute unemployment goes, the Government's economy improves and our social sector programmes, which are right now all doing badly, will do better. So, it is

really for poverty alleviation. We need to get our house in order. So, I just request the hon. Minister to give all these clarifications because when you say something, it sends a clear message in this country and gives confidence to people who need it right now the most. Thank you.

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Thank you Madam Chairperson for giving me the opportunity to speak on the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020.

This Bill has a certain context, which I think this House needs to keep in mind, and the context is that even before the COVID-19 pandemic hit the world and hit us in turn, the Gross Domestic Product of our country, the GDP growth rate, had been in a freefall for seven quarters. The fundamentals of the economy, namely savings, investment, consumption and employment, have been under a stress, if not under a severe stress, for a while now, even preceding COVID-19.

If I recall correctly from the top of my head, in the first six months of 2019-2020, which is H1, credit offtake was down by 93 per cent from Rs.7,35,000 crore to Rs.93,000 crore. The Government in 2019-2020, after the Budget has been presented, tried to remedy the economic situation but instead of giving a demand side stimulus, they decided to give corporate India a relief of Rs.1,45,000 crore in terms of corporate tax which essentially was a supply side fix. But, unfortunately, it failed to boost the economy. Therefore, if the current Bill is also read in juxtaposition with the Companies (Amendment) Bill,

which was in this House two days ago, the same mistake is being repeated again and again. The Government feels that the panacea for all evils, the magic bullet to revive the economy, really lies in giving stimulus and incentives to the corporate sector, while they completely and absolutely ignore the fact that at this point in time what the Indian economy requires is a liquidity injection, money directly in the hands of the people. And till that point in time, this paradigm shift does not occur in the thinking of the Government, I am afraid the kind of economic revival that we are looking for, unfortunately, may not take place.

Coming to the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, I believe, Madam Chairperson, there is a fundamental misunderstanding about the intent of this legislation. When this particular legislation was put on the statute books, the idea was not that it would serve as another means of debt recovery or that it becomes an alternative means of debt recovery. In fact, the entire purpose of this exercise was to see as to how you could reconstruct companies, rehabilitate them, and make them viable. Therefore, employment continues to be sustained and they continue to generate value for the economy. Unfortunately, if this has become another concurrent and a parallel paradigm to the DRT or the SARFAESI process, may I point out, since Dr. Nishikant Dubey, the hon. Member from Jharkhand, had alluded that SARFAESI was actually put on the statute books by the then UPA

Government, but the fact is that it was put on the statute books by the then NDA-BJP Government in 2003. I think factually we need to be correct.

Madam, Chairperson, I would just like to read Clause 2, which adds Section 10 A to the Insolvency and Bankruptcy Code. It says:

“notwithstanding anything contained in Sections, 7, 9 and 10, no application for initiation of corporate insolvency resolution process of a corporate debtor shall ever be filed for any ‘default arising on or after 25th March, 2020 for a period of six months or for such further period, not exceeding one year from such date, as may be notified in this behalf.”

As has been pointed out by some other hon. Members, there does not seem to be or there is no direct linkage with COVID-19.(Interruptions) I think that is what is extremely germane given the larger pre-COVID-19 economy context, that I pointed out too, that there is a need for the Government to rectify this particular Bill and make the linkage between this moratorium and COVID-19 stress absolutely direct and precise.

My last submission, Madam, Chairperson, is that a canard or a myth has been deliberately perpetrated that the then UPA Government was responsible for subverting the banking system of India. I would, with all responsibility, like to urge the Government, if they believe that this is true, and they have been in the Government for six years, to please initiate appropriate legal proceedings

under the law against whosoever in the UPA was responsible for subverting the banking system. Otherwise, stop spreading this canard repeatedly over and over again because it is like what Joseph Goebbels says that some people believe that if you speak a lie a thousand times, it will become the truth but unfortunately it would not.

Thank you very much, Madam, Chairperson.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Madam, I have just five points and I will be very pointed.

The first point is related to chocking of cases before the NCLTs. The Supreme Court in Swiss Ribbons Private Limited versus the Union of India has directed the Government to set up more Circuit Benches of NCLATs within six months. But it is now over one and a half years since the judgement was issued. As of September 2019, 19771 cases were pending before the NCLTs. The Government should consider increasing the number of benches and the bench strength of NCLTs as well.

The second point is the delaying tactic being adopted by advocates through unfair means ultimately delaying the insolvency process. How it should be stopped may kindly be investigated.

The third point is relating to NCLT Benches. The State of Andhra Pradesh has got an NCLT Bench. The name of the Bench is Amaravati Bench with territorial jurisdiction of Andhra Pradesh. But if you look at the location of

the Bench, it is situated in Hyderabad. How is it justified? The NCLT Amravati Bench meant for Andhra Pradesh should be in Amaravati. So, I would like to know from the hon. Minister what her plan is for shifting this Bench from Hyderabad to Amaravati.

The fourth point is also with regard to delay. The other hurdle for delay is interpretation of various provisions of the Code. Secondly, there is no coordination between various Ministries and agencies of the Government. It is happening because different interpretations are given for different provisions of the Code.

I would suggest for the consideration of the hon. Minister – since she is also in-charge of the Corporate Affairs Ministry – to issue a directive to all Departments and agencies concerned to follow the interpretation given by the Corporate Affairs Ministry as final and it has to be followed by all. This should solve the problem.

Finally, I would like to point out that the haircut being given seems to be on the higher side. It is somewhere between 58 per cent on an average and in one case which the hon. Minister is aware, the haircut is as high as 82 per cent. Even the RBI has taken serious note of it. I would like to know what the Ministry and the IBBI are doing to take the realization percentage to at least 60 to 70 per cent.

With these words, I support the Bill. Thank you.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Madam Chairperson, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020. The Code provides a time-bound process to resolve insolvency among companies and individuals. Insolvency is a situation where an individual or a company is unable to repay its outstanding debt. In light of the COVID-19 crisis, the World Bank has identified two key challenges for an insolvency framework. The first is the need to prevent otherwise viable firms from prematurely being pushed into insolvency. This is more important because it will prevent a company, which is competent enough to run the business, from premature insolvency. The second one is to increase the number of firms that will not survive the crisis without resolution of insolvency.

There are two amendments which are being taken in this Bill. One, sections 7,9 and 10 of the IBC are being suspended to prevent companies from being pushed into insolvency. Then, insertion of section 10A is more important, which states that the application of CIRP cannot be filed for any default arising on or after 25th March, 2020 for a period of six months or such further period, not exceeding one year from March 25, 2020, as may be notified in this behalf. The Ordinance further clarifies that no proceeding can ever be initiated for defaults occurring during this period. These are now incorporated in this Bill.

Then, in section 66, one sub-section has been added, that is, section 66(3) after section 66(2) of the IBC. The Ordinance protects the directors or partners of the corporate-debtor from proceeding being initiated against them for wrongful trading relating to a default occurred during the specified period starting from March 25, 2020.

Both these amendments are welcome amendments. In this pandemic situation, I think, the Government has taken a right step while first issuing the Ordinance and now bringing the Bill.

I welcome the Bill. At the same time, I have experienced that some of the companies, when there was a possibility of protecting the employees, forcibly imposed VRS on them and shunted them out of the company. Now, they will proceed further. First, care has to be taken of that aspect. Otherwise, the Bill is good and I welcome it.

Thank you so much.

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Hon. Chairperson Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

This Bill seeks to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 to allow the companies not to declare bankruptcy and initiate the corporate insolvency resolution process, CIRP, during the period of COVID-19 lockdown. The Bill exempts companies from the provisions of CIRP if the default on payment happens within a period of six months from March 25, 2020 when the lockdown started.

This Bill gives no clarity about its provisions. I have some concerns about its provisions. This Bill effectively stops the CIRP for a period of six months. While it is good to protect companies which are defaulting due to COVID-19, the blanket provision of exempting all companies is problematic.

This may lead to several companies which are defaulting due to reasons other than COVID-19, including fraudulent business process or some other reasons, getting undue advantage of the blanket exemption. While the Bill mentions 'excluding such defaults arising as a result of the pandemic' in its objectives, there is no such filter given in the exemption clauses. Such a blanket exemption only proves that either the Government is not bothered enough about the creditors' interests as long as their business friends are safe or the Government did not even bother to find out a suitable way to filter out genuine COVID-19 related defaults from all the cases and went ahead in haste to bring in this change.

The Bill states that beyond the period of six months the exemption may further be extended up to one year from such a date. The Government has now started unlock phase of the lockdown. It claims in several reports that businesses are opening up and that the economy is going to have a V-shaped recovery. If that is the case, then what is the reason for providing further six months' exemption provision in this Bill?

If indeed the provisions of the Government can ensure a V-shaped recovery of the economy and if the Government is sure about its assertions, then why is it extending the exemptions to the CIRP to one year? Does the Government fear that the economic downturn that has started will continue for the next one year from now?

Therefore, first of all, clear provisions should be made in the Bill for identifying and exempting only such defaults which are arising genuinely due to COVID-19 pandemic. Instead of the blanket exemption, the provisions of the Bill must have some safety measures for the corporate creditors whose money may get struck due to the exemptions. The Government must provide them with a suitable safety option.

The provision of no-CIRP ever being applied must be dropped from the Bill. The National Company Law Tribunal can individually verify the cases.
Thank you.

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): बहुत-बहुत धन्यवाद महोदया । आज जो आईबीसी अमेंडमेंट बिल सदन में लाया गया है । महिला होने के साथ-साथ फाइनेंस की जानकारी होने के कारण मंत्री जी को पता है कि घर किस तरीके से चलाना चाहिए और कम्पनी चलाते समय किन-किन चीजों की जरूरत पड़ती है । आज हमारे देश में स्मॉल स्कैल कम्पनीज़ हों या बड़ी कम्पनीज़ हों, उन कम्पनीज़ के वर्कर्स या उसको चलाने वाले लोगों के बारे में हम सोचते हैं तो जिस तरह से वे कई महीनों से लोन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, वे बैंक में डिफाल्टर घोषित हो रहे हैं । बैंक्स वाले उन्हें फोर्स करते हैं, कम्पनियां सील करने के लिए जाते हैं, उसके लिए यह जो बिल लाया गया है कि उन्हें अगर मजबूत करेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी । सभी लोग अपने-अपने राज्यों में आवाज उठा रहे हैं कि जितने भी वर्कर्स हैं, उन्हें बचाना चाहिए, उनकी जॉब्स नहीं जानी चाहिए, बल्कि जॉब्स मिलनी चाहिए । उसे अगर बचाना है तो मुझे लगता है कि सभी को इस बिल का एक आवाज से समर्थन करना चाहिए । व्यापारियों, रियल एस्टेट के लोग हों, बड़े उद्योगपति और कम्पनीज़ हों, जितनी कम्पनीज़ ने लोन लिया है और लोन में अगर वे डिफाल्टर हो रहे हैं, उनको रीस्ट्रक्चर करके, उनको मजबूत करने का काम इस बिल के माध्यम से होगा । लेकिन इसके साथ एक चीज और ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि इन्हें मजबूत करने के लिए औन लोन डिफाल्टर होने के बावजूद उन्हें इस सदन में सपोर्ट करने के लिए हम आ रहे हैं, लेकिन एक चीज को उन्हें ध्यान में रखना होगा कि कंतिन्यू रूटीन में आने के बाद उनके जितने भी वर्कर्स हैं, उन्हें कम्पनीज़ से न निकालें, चाहे कितनी भी अड़चन या प्राबलम्स आएँ, उन्हें मजबूती से उन्हीं कम्पनियों में रखा जाए । इतनी ही मैं उनसे विनती करती हूँ, क्योंकि ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं ।

I definitely support this Bill. I feel proud that I am part of this Bill. Now, the situation of the economy has become worse. I support this Bill. Thank you so much.

SUSHRI DIYA KUMARI (RAJSAMAND): Thank you, Chairperson Madam, for giving me this opportunity for speaking on the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020.

First of all, I would like to thank our hon. Prime Minister for his exemplary leadership during these unprecedented and extraordinary times. Today, I am speaking on the one-year suspension of IBC, which is extremely essential, if we want business to get an opportunity to sustain, revive, and survive in these very very difficult times.

It is also a part of the five pillars of Atmanirbhar Bharat described by our hon. Prime Minister, which are Economy, Infrastructure, 21st century technology driven System, Vibrant Demography and Demand, for the effective utilisation of our demand and supply chain in full capacity.

Now, coming back to the post-pandemic and temporary suspension of IBC, I must emphasise that the Government has been taking a series of proactive measures to support business and corporate borrowers hit hard by this pandemic. One of these measures has been to temporarily suspend the insolvency proceedings under IBC. This Bill effectively suspends the insolvency process for defaults arising on and after 25th March, 2020 for a period of six months and is extendable up to one year.

It also empowers the Central Government to exclude COVID-19 related debt from the definition of 'default' under the Code for the purpose of triggering insolvency proceedings.

Before I delve into the merits of this temporary suspension, it would be beneficial to analyse why the IBC was brought upon in the first place. The Code is designed to consolidate and amend the laws relating to reorganisation and insolvency resolution in a time-bound manner.

Moving on, IBC has benefited us in many many ways. It has helped us improve 14 positions to be at the 63rd position in 2019 from the previous year's 77th position on the ease of business rankings. We have also been amongst the top ten improvers for three consecutive years.

Similarly, on Resolving Insolvency Index, we jumped 56 places to be at 52nd position in 2019 from the previous 108th rank. This improvement in ranking of 56 places in a single year makes us believe that we are finally on the path of breaking the proverbial *chakravyuh* of exit from business.

In brief, I would also like to talk about the measures taken prior to this Ordinance: To protect the small borrowers' minimum threshold limit for triggering insolvency was increased from Rs.1 lakh to Rs.1 crore; Lockdown period was excluded from the 330 days-completion timeline; Government can now identify debts raised from Special Window for Affordable and Middle-Income Housing Investment Fund as super-priority loans.

Madam, I would also like to say that the need for this amendment through the Ordinance was because this pandemic has created uncertainty and stress for business which is in their control. Supply chain has been severely disrupted leading to overall disruption of businesses. This would lead to many companies, primarily the MSMEs which serve as the backbone of the Indian economy into liquidation. The suspension, thus, allows such firms to remain as ongoing concerns despite the financial stress on account of COVID-19.

I think it is extremely important that we pass this Bill because all over the world, countries like Switzerland, Spain, Australia, Germany, UK etc. have either amended the insolvency laws or effectively suspended them. Others, like US, have taken indirect approaches to tackle the issue of insolvency through reformist measures.

I would like to thank our hon. Prime Minister, our Government and our hon. Minister for bringing this Ordinance to lend a helping hand to the industry and business as they not only are a huge part of our economy but also provide jobs to our youth and this would go a long way in making India truly Atmanirbhar. Thank you.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020. While the Bill may offer relief to stressed companies, certain provisions in the Amendment have unwarranted consequences and can be misused by wilful defaulters and fraudulent promoters.

There is an apparent conflict in the Bill. There is a need to safeguard companies -- which were viable before the pandemic and whose insolvency is temporary -- from being prematurely pushed into insolvency. But, a complete suspension of insolvency proceedings may take away a distressed company's opportunity to seek recourse under the IBC framework.

The Bill raises a question whether all defaults during the specified period need to be treated in the same manner. There may be defaults, which were not induced due to COVID-19, but are a result of distress in companies before the pandemic. It will be subject to interpretation and may result in increased litigation.

The Bill prohibits initiation of insolvency proceedings by the corporate debtor. The corporate debtor may be in a better position to assess whether the recourse under the insolvency framework is necessary. The corporate debtor should not be prohibited from initiating insolvency proceedings. A voluntary and timely initiation of insolvency proceedings by an insolvent debtor could maximize the benefits for the debtor as well as the creditors. In countries such

as Spain, Germany, and France voluntary insolvency proceedings by the debtor have been allowed.

Under the Code, insolvency proceedings can be initiated against the personal guarantor of a corporate debtor. While the Bill prohibits insolvency proceedings against the corporate debtor for the defaults occurring during the specified period, it does not disallow such action against the personal guarantor. Why should the personal guarantor be held liable for defaults of the original debtor when the original debtor's liability itself has been relaxed? Therefore, the Government should reconsider this Bill, so that the interest of the genuine creditor and debtor can be protected and possibility of gross misuse of relaxation by willful defaulters and fraudulent promoters can be avoided.

Thank you, Madam.

श्री मलूक नागर (बिजनौर): सभापति जी, एनसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, एनसीएलटी, एनसीएलएटी – कुछ भी कहें, असलियत में आज सदन में सब लोगों को सोचना चाहिए कि देश महामारी के काल से निकल रहा है, आर्थिक तंगी है, नौकरियां चली गई हैं, लोगों को उटकर इसे सपोर्ट करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कांग्रेस के लोग या दूसरे लोग क्यों इतना विरोध कर रहे हैं। यह तो देशहित की बात है, गरीब हित की बात है, किसान हित की बात है, इसमें सबको सपोर्ट करना चाहिए।

दूसरा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी वित्त मंत्री इतना बढ़िया काम कर रही हैं, देश में मनमोहन सिंह की तरह, बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं और हम उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन कई जगहों पर इनके हाथ बंधे हुए हैं। इस पर इन्हें सोचना पड़ेगा। भारत सरकार को कैबिनेट में सोचना पड़ेगा कि एक मंत्रालय का कानून दूसरे मंत्रालय के कानून को मारता है, जैसे – अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से संबंधित रेरा कानून है, जो बिल्डर से संबंधित कानून है, रेरा ने दो लोगों के लिए ऑर्डर पास कर दिए कि इनके पैसे दो और 998 लोग उसकी वजह से मर गए। दूसरा, इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड बैंक से देश की सरकार ने लोन ले रखा है और वहां जो भूमि अधिग्रहण कानून है, वह ऐसा बना दिया कि अगर उसमें जमीन नहीं मिल रही है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। किसान जमीन दे नहीं रहा है, बीच में प्रोजेक्ट रुक गया और काम हो गया। तो आपस में सारे मंत्रालय एक-दूसरे को सपोर्ट करें। खास कर कोविड-19 के समय में, वर्ल्ड में अपने आपको बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, लोगों के रोजगार बचाने के लिए इस बारे में सोचना पड़ेगा।

19.29 hrs

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

महोदय, मैं एक बात वित्त मंत्री जी से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह की सुविधाएं एनसीएलटी, एनसीएलएटी में जो भी हैं, कंपनियों को, व्यापारियों को, उस तरह की सुविधाएं किसानों को भी देनी चाहिए।

आज किसान के ट्रैक्टर पर लोन है, उसके ट्रैक्टर को खींच कर ले जा रहे हैं, पुलिस वाले लड्डू बजा रहे हैं, तहसीलदार उसकी आरसी काट रहे हैं, उनके साथ भी अन्याय न हो। आज हम सब सांसदों को मिलकर देश हित में विचार करना है कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होने की तरफ चल दी है। मोदी जी और वित्त मंत्री जी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी का सपना देखते थे, उसको पूरा करने के लिए हम सब को पूरी तरह सपोर्ट करना पड़ेगा। विपक्षी पार्टियाँ खास कर कांग्रेस यह न सोचे कि हमें तो विरोध ही करना है, विरोध में ही बोलना है। अरे भाई, देश में जब आपकी सरकार होती है, आप भी ऐसा ही करते हैं, तो बगैर मतलब के क्यों लड़ते हैं? देश हित में जो सही चीज है, उसके लिए आगे आकर क्यों नहीं सपोर्ट करते हो? बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020. *Vanakkam*, Sir.

First of all, I would like to say that it is good that the Finance Minister is bringing this Bill to revive the companies which are already in stress due to the COVID-19 pandemic situation. Why have we got into such a situation? The situation has arisen because of the improper planning of this Government right from the date of lockdown on 24th March. What happened on the 24th March? There were cases in a few hundreds. What was the decision taken by the Government? The decision taken by this Government was to go for a complete lockdown, without even giving time for migrant labourers to have a chance them to go back to their places.

Why are we talking about migrant labourers in this company law? It is because in this Insolvency Bill, if you talk about corporate factories and companies, it is not the private owners who are going to run the companies, which are incurring losses but it was the migrant labourers and the common people who are involved, and who will revive the companies. This situation has arisen because of improper lockdown. You may say that the same situation arose throughout the world. You can give examples of the USA and Brazil but the USA, Brazil and India have the same sort of leadership which didn't have the courage and the economic crisis was created due to this Government and leadership of this Government. If you take the same geographical topography

of countries adjoining us - we forget to see them - the number of death rates from Sri Lanka, Myanmar, Bhutan, Malaysia, and Thailand are very less. The number of deaths ranges from 12 to 50 and a maximum of 400 till date in all these countries, which occupy the same geographical topography. If they can control it, and if they have given a successful model, why not us?

Also, what we have seen is that it is not just the revival of the companies which is addressed in this Bill but what we have seen is that the Government and the Finance Minister are very keen on killing the profitable companies such as the LIC, which have been making huge profits thus far. Even Rs.33,000 crore have been spent on national highway projects from the profit of the LIC but the companies have been dying. What about the BSNL?

So, the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020, which you have brought for reviving the companies, should also be extended to the profitable companies like the BSNL, of not laying off the staff of the LIC and the BSNL, and taking into account the consideration of all the employees. The Government is giving special importance only for the companies. What about the taxi driver who lives next to my house? What about the thousands and thousands of tailors, local and laypeople who have lost their jobs? What is the Finance Minister going to do to revive the economy of them, to bring food to the table of the common layman? All these things also have to be taken into consideration. We have seen in our country thousands of labourers walking across miles whereas we see our Prime Minister posing with

ducks and peacock, the national bird of our country. This should be strongly condemned and the layman should be given proper importance, just not as the Government is very much keen to give to the corporates. Thank you, Sir.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, मैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक, 2020 पर बोलने के लिए तैयार हूँ। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक पर जारी इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने का मुझे अवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। हम सभी अवगत हैं कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारात्मक कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।

कोविड-19 वैश्विक महामारी का भारत सहित पूरे विश्व के व्यवसाय और वित्तीय बाजारों पर असर पड़ा है, जिसके कारण व्यवसाय जगत में अनिश्चितता और तनाव की ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, जो अभूतपूर्व है। 25 मार्च, 2020 को लगे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण महीनों तक सामान्य व्यावसायिक कार्य-कलाप लगभग ठप हो चुके थे, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। इसके चलते ऋणदाता बैंकों और ऋण लेने वाली कंपनियों एवं कारोबारियों के संबंध निश्चित रूप से प्रभावित हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार को इस संकट को और गंभीर होने से रोकने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता थी।

मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देती हूँ कि इस अभूतपूर्व स्थिति में ऋण अदायगी में लोगों को दिवाला संबंधी कार्यवाहियों से बचाव हेतु राहत देने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस परिस्थिति में सरकार में जो प्रधान मंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको सोचना पड़ जाता है कि जिन लोगों ने हमें सरकार में बैठाया है, यह कोविड-19 इतनी बड़ी आफत लेकर आया है, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बीमारी फैलेगी और इस तरह से लोगों के व्यवसाय पर नुकसान पहुँचेगा। ऐसी स्थिति में जब प्रधान मंत्री दिल की बात करते हैं, तो वे दूसरों की दिल की बात को

भी सोचते हैं। उनका यह सोचना फर्ज हो जाता है। आज ऐसे प्रधान मंत्री हैं, जो गरीबों, मजदूरों, व्यावसायियों आदि के लिए सोच रहे हैं। हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं और हमेशा हमारे प्रधान मंत्री ऐसे ही बने रहें, इसके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ।... (व्यवधान)

19.37 hrs

(Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी बात हो गई है। धन्यवाद।

माननीय मंत्री जी।

श्रीमती रमा देवी: इस अभूतपूर्व स्थिति में ऋण अदायगी में लोगों को दिवाला संबंधी कार्यवाहियों से बचाव हेतु राहत देने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि उन्हें अपने व्यवसाय या कारोबार को फिर से खड़ा करने के लिए कुछ समय मिल जाए।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्रीमती रमा देवी: इस विधेयक में घर खरीदारों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को हरसंभव संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है।

यदि कोई कंपनी या व्यक्ति बैंक का कर्ज वापस नहीं चुकाता तो आईबीसी के तहत कर्ज वसूलने के लिए उस कंपनी या व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी बात हो गई है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय मंत्री जी।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Nineteen hon. Members have participated in this discussion and I must admit, whenever I have come to this

hon. House following the dedication with which my hon. predecessor, late Shri Arun Jaitley, had worked on the IBC, as one hon. Member had very clearly referred that it is only since 2016 that we have had IBC, in parliamentary history, this probably is the Bill, now an Act, which has come very quickly each time when the ground situation required changes so that this becomes a robust law. Therefore, whenever we have come, particularly to the Lok Sabha, I find an equally positive approach even in the other House, in response to each Amendment with which we come on the IBC. So, in particular, I thank this House for being so open minded and positive about engaging with the Government on the IBC Amendments Each time, I would take the names of each one of them, although I am not taking than now. Particularly in this House, I have found constructive inputs coming in and also being very encouraging about how this law has to be kept abreast so that the developments in the market and the development in the economy as a whole get reflected.

This particular set of amendments was necessitated to be brought in the form of an Ordinance. The Leader of Opposition might question the need of this Ordinance. ऐसे ऑर्डिनैस की आवश्यकता, अभी के माहौल से ज्यादा कॉन्टैक्सचुअल, शायद 100 सालों में भी नहीं होगी । टाइमली ऑर्डिनैस लाने का ऐसा माहौल शायद आने वाले 100 सालों में भी नहीं हो सकता है । That is why we came up with the Ordinance to which Mahamahim Rashtrapati ji gave his assent and then it became a part of the Gazette of India on 5th June. This is clearly because of the pandemic and

because the hon. Prime Minister put life before livelihood stating very clearly that we need to save people from falling ill.

The dimension and the scale of the pandemic was obvious. Therefore, we had to come up with this Ordinance which clearly suspended the application of three sections - 7, 9, and 10 - of the Insolvency and Bankruptcy Code. It is after all a young law enacted only in 2016. But we had to prevent any company which is experiencing distress because of COVID-19, being pushed into insolvency proceeding. Therefore, we had to suspend these three sections. When I say three sections, you know obviously it covers all the three kinds of creditors.

Together with that, we also wanted to bring in a new section, Section 10A, because we clearly did not want this suspension to hurt any proceedings which are otherwise due owing to reasons prior to 25th March, 2020. The notification for lockdown was given on 24th night and it came into force from 25th Morning onwards. Therefore, we clearly wanted to exclude insolvency proceedings which could be triggered off for reasons prior to the COVID, that is, prior to 25th March. Therefore, the date of commencement itself was 25th March, 2020. We made it very clear that this period and any distress which may arise out of this period's situation cannot be acted upon even after, if and when, the lockdown period gets to an end.

Therefore, we gave ourselves the first six months with a proviso in the Act itself saying, 'may be extendable' to another six months. As the Parliament is in session, I would like to draw the attention of the House, we have come forward replacing the Ordinance with this Amendment to the Bill so that it becomes a part of the Act as the Ordinance has to go away. Incidentally, even as we are discussing this, that six-month period we gave as a period of suspending Sections 7, 9, and 10 comes to an end on the 24th of the September, that is, in a couple of days. That was the way in which the Ordinance had to be rushed in.

We also made it clear that during this time, the resolution professional shall not file any application against the Director or Partner of a company also. So, this is a very clear, specific, and timebound provision clearly making a distinction between distress caused by COVID-19 and that which can be beyond and above COVID-19.

So, there need not be any ambiguity in our understanding whether this is going to apply to anything else. Not at all. Will this apply to the period beyond or before? Not at all. Therefore, this is timebound and specific character bound, that is, distress due to COVID-19.

Just before responding in particular to the various issues which hon. Members have raised, I want to highlight the fact that we are not uniquely placed in this set of amendments which we are bringing in. Several hon. Members have referred to it that world-over countries are working to have

some kind of an immediate response or a temporary response, and then making sure as and when companies are going to come out of this period of distress, how they would handle it. So, an immediate response or a transitional response, or whatever you may call it, is needed but for immediate forbearance, specific forbearance was announced by many countries. You may name them; I am not naming anyone.

In the larger overview or the bird's eye view of different countries doing different things is this. There are countries coming up with specific forbearance, also infusion of liquidity, to some extent, into their banking system, which can then be led forward, and then, financially distressed firms can be given that hand-holding through banks and finally, relief can also be given in terms of asset classification, which was done following all the banking norms.

So, even the World Bank and the IMF in their responses – well after our initial Gazette Notification had come – had suggested that countries should have three-phased approach to this. The first phase would be something immediate and interim. The second phase would be transitional measures that when the lockdown, containment, and all that goes away, how do companies come out of that period, and finally, the third phase of regular debt resolution.

So, all over the world, multilateral funding institutions are also suggesting that we should do it in phases as we come out and post-coming out, as many hon. Members have stated also, what if there is a rush into

NCLT. What happens if there are a lot of insolvency cases coming up? So, the phase-wise approach that we have taken also is to make sure in the meanwhile we are able to infuse some kind of a life into these companies, and when complete calling back of these lockdown-related things is done, companies are in a position to stand on their own, however frail they may be. But as they go on, the recovery will be the message rather than the liquidation. So, the whole approach that we, as Government, have taken is to immediately help them with some relief and then look at the way in which the second phase can go on, which is its part; and then, the third phase, in which we would have some kind of a resolution mechanism for those who are not able to survive and the hand-holding is inadequate in particular instances.

But before I get into details, as I said, hon. Speaker, Sir, I just want to give some figures, very little of them. I am not going to overburden hon. Members. Section 7 relates to financial creditors, Section 9 relates to operational creditors, and Section 10 relates to corporate debtors. Just look at the situation up to 31st July, 2020. The numbers that I am giving you now regarding details of disposed cases before admission are only those cases which are before admission and this relates to the 31st July, 2020.

In Section 7, total number of companies or cases are 2,789 and the amount recovered is Rs. 1,96,171 crore. In Section 9, which relates to operational creditors, total number of cases are 11,581 as of 31st July, 2020, which are disposed cases before admission into NCLT, and the amount

involved here is Rs. 1,63,927 crore. And finally, in Section 10, which relates to corporate debtor, 140 cases are there as of 31st July, 2020, and they are disposed cases before admission, and here, the amount involved is Rs. 15,03,372 crore.

Therefore, this is the kind of numbers with which we are watching the situation. The total number of pending cases as of 31st July, 2020, for financial creditors are 4,062; for operational creditors, it is 7,952; and for corporate creditors, it is 264. I am not getting into the amounts involved in each one of them.

Some of the hon. Members including Shri Nishikant Dubey spoke about what has been the performance of different resolution or recovery channels with which we worked before the IBC came in. I am not going to take up everything together because the Leader of Opposition Shri Adhir Ranjan Chowdhury, and later probably Shri Manish Tewari also spoke about how banking sector NPAs have risen. I fully agree that we have to look at figures. I am going to take the example of IBC's performance as regards NPAs which relate to scheduled commercial banks' exposure. I just give the figures so that we are able to compare very quickly. I am only talking about the provisional figures of 2018-19. I can compare with 2017-18 and we can go backwards, but the purpose of giving this number here is to see the performance of Lok Adalats vs. DRTs vs. SARFAESI vs. IBC. It is not a period comparison that I am talking about. I am talking about the performance of Lok Adalats and their

delivery; DRTs and their delivery; SARFAESI and its delivery; and IBC and its delivery.

Just look at the figures. As I said, these are provisional figures for 2018-19. As for Lok Adalats, cases referred to them were 40,80,947, amount recovered was Rs. 2,816 crore, and therefore, there was only 5.3 per cent recovery. In the case of DRTs, cases referred were 2,52,175, amount recovered was Rs. 10,574 crore, and therefore, the percentage of recovery was 3.5 per cent only. In SARFAESI, the number of cases referred were 2,48,312, amount involved was around Rs. 2,89,000, total amount recovered was Rs. 41,876 crore, and therefore, the percentage of recovery was 14.5 per cent only. Lastly, in IBC, the number of cases referred were 1,135; amount involved was Rs. 1,66,600 crore, amount recovered was Rs. 17,819 crore, and therefore, the percentage of recovery was 42.5 per cent which hon. Member Shri Dubey and a few others also mentioned. So, we are constantly looking at how to improve IBC and make it functional.

There are difficulties about the number of benches not being sufficient, number of quick appointments of people not happening; requirement of quality resolution professional being adequately trained and being in position, and giving them the right mindset of looking at how the IBC can be effected, and how to let a concern be a going concern rather than liquidate it. These are all issues and challenges that we are facing. But we are conscious that these are the challenges. Therefore, with the performance rate given here in terms of just

NPAs related to scheduled commercial banks, we should thank this House for having thoughtfully brought this IBC and having made it more robust every time, as a result of which, today we have 42.5 per cent recovery. I would straight go to referring to hon. Member Surpiya Sule who said, "Suppose this is the rate at which you are recovering, what happens to the rest 58 per cent? Is it lost?" But that is the point of what the valuation is. When a company is coming for liquidation, what is the valuation? How many of its assets are worthy? Now the fear is, every time delay happens, if the protracting nature of this happens, the value of the liquidable assets keeps coming down. At the end of the day, something gets recovered off that. I would not take the names, but some of the hon. Members said that we have done this because we want to give a pocketful to our friends.

My friends are the companies. They can be big, small, medium, micro or nano. Any company is important for India. Under the Companies Act, even MSMEs are registered. IBC applies even to the small companies. The moment the word 'corporate' or 'company' comes, the immediate imagination is, 'who'. Sorry, none of us know who. It could be anybody who is registered under the Companies Act and if unfortunately, it comes for liquidation it has to have a solution. It does not matter whether it is your friend or my friend. All are our friends. It is *desh ka* friend. Unless businesses run, small, medium or big, the kind of job creation that all of us are talking about will not happen. So, solution is required for everybody.

I have already explained why we should have Section 10. Suspension under Section 10 does not apply for pre-25th March, 2020. Companies cannot initiate insolvency proceedings only for defaults of COVID-19. They can initiate proceedings on other things.

We should keep reminding ourselves. It will be unfair for me to say, 'oh, did you know' because after all, this House has passed this law. It is such a robust law which balances the rights and interests of all stakeholders, particularly of the equity and debt suppliers. It creates an imbalance if only the debtor has the right to initiate insolvency proceedings while the creditor does not have or vice-a-versa. Therefore, we have to constantly keep the balance with which this Act was passed by this Parliament. We really cannot tinker with it in such a way that we distort the fine balance which was arrived at. We should see to it that it does not become lopsided. We cannot, even in our enthusiasm, do such a thing. So, I think it is important for us to keep remembering that this is the place where this was given birth and we have to constantly keep the spirit of what was originally brought in.

I think it will be impertinent for me to go on repeating that this Code is not a recovery law. The creditors otherwise have several options through which they can seek their recoveries. Those of us who were repeatedly saying that this suspension is going to hurt MSMEs, may please know that MSMEs have several other ways through which they can recover their claims. Therefore, I think it will be important for us to go on looking at various ways in

which MSMEs have been attended to, even in this period. I will just give you one or two references.

Special refinance facility of Rs.15,000 crore to SIDBI for on-lending and refinancing has been announced by the RBI. Yesterday, I was appalled when I heard some Member saying that nothing has reached them on ground. No MSME has got any benefit. MSMEs are suffering on the ground. No doubt, MSMEs are suffering but nothing has reached them is completely wrong. On a weekly basis, the bank is putting out data mentioning the size of which MSME is receiving what amount. I am not giving you the exact figure, which in a minute I can obtain and give you, but more than Rs.1,60,000 crore have been disbursed, not just sanctioned. I think somewhere all of us are anxious about MSMEs and I fully appreciate it. But some work is also going on, and I would want you all to take cognizance of the steps which have been taken.

For standard accounts, Emergency Credit Line of Rs 3 lakh crore have been given. Subordinate Debt for Stressed MSMEs is a scheme framed by the Government. MSMEs which are NPAs have also been given this benefit. The Government is infusing about Rs.20,000 crore for the MSMEs. Those numbers have also been constantly put out. There are more such things.

20.00hrs

Now, I come to the TReDS platform. Hon. Members will definitely appreciate that the TReDS platform has been very useful. Up to March, 2018, 652 MSME sellers, 128 corporate PSUs, 37 banks, and about four NBFC factors -- who deal with factors themselves -- have all been on TReDS. In March, 2018, the amount which has been invoice financed was Rs. 1094 crore. In March, 2019, more people came into the TReDS platform and the amount which has been invoice financed was Rs. 6,669 crore and that had benefited about 3,708 MSMEs. What was it in March, 2020? About 9,288 MSMEs have been benefited from about 1,661 corporates and PSUs. Most often I am told that the Government departments and the PSUs owe so much to the MSMEs and that the Government is not giving money to them. I am giving you a figure of March, 2020 and subsequently, we can get the figures for the other months.

Compared to March 2018 and 2019, about 9,288 MSMEs sellers have been benefited to the extent of Rs. 17,834 crores purely because of TReDS. Every bill is uploaded into that. The banks are giving recognition and they discount the bills. So, particular attention has been given to MSMEs so that they really do not suffer for want of liquidity.

Adhir Ranjan Ji also asked about as to what about the timelines. Yes, the provision is that the CIRP should conclude in 180 days. It can be further extended only up to 90 days. It should conclude, at any cost, by 330 days, including the time taken for litigation. However, in actual, excluding the time

taken by courts, on an average, within 380 days, it is getting resolved. It is important for us to remember that earlier four years was the time taken to resolve any crisis. So, where are four years and where are 380 days?

Adhir Ji had also questions on liquidation and number of companies which have gone into liquidation and which have really been rescued. Till July, 2020, the IBC has rescued about 258 companies through resolution plans. Of the companies that were rescued, one-third were either totally sick or even defunct. Even defunct companies have been rescued. The process under the Code has yielded liquidation of 965 companies. Three-fourths of these companies were sick or defunct when they entered the insolvency process itself. So, the companies which had been rescued, had an asset value of 0.96 lakh crore of rupees, while the firms referred for liquidation, had asset values of 0.38 lakh crore of rupees when they were admitted into the CIRP. You just see the fall in the valuation. Thus, in value terms, 72 per cent of distressed assets have all been rescued.

Now, I come to recovery rate. Adhir Ji, I would not load you with numbers. I will just tell you that the recovery rate in 2016 was 26 per cent. In 2017 -- within one year of this law coming in -- it was 26.4 per cent. In 2018, it was 26.5 per cent and in 2019, it was 71.6 per cent. That is why, our ranking improves.

On the Benches, I think, a lot of data is available. There was only one Principal Bench and ten jurisdictional benches were established subsequently.

Even later, three more Benches which were formed in 2018 and two Benches which were formed in 2019, have all been notified. But what is important? This I would respond in response to Shri Pinaki Misra. I would like to say that 67,749 cases have been dealt by the NCLT till 31st July of this year.

Out of this, 49,900 cases have been disposed of and 19,844 cases are pending as of 31st July and I think in honour of this House, I would say that this is a remarkable achievement for a Tribunal which is working on an IBC Code which is only three and a half years old as of today. If tribunal can give this kind of a result compared to all that I have read out about how the Lok Adalat and SARFAESI have performed, this is the performance. I agree, we need to strengthen them.

There was a very pertinent question which Pinaki Ji asked. Will there be a surge of insolvency proceedings after the suspension is lifted? Our assessment is that it is unlikely given that the stakeholders have very many options even during the COVID-19 period for recovery of loan as I earlier mentioned. Therefore, resolution of stress need not only be like this. There can be always mid-course resolution through the various mechanisms which are there. There may even be very many innovative options which people may adopt, particularly during these challenging times. So, I also can see the number being lesser because companies have normal business operations even during the pandemic, if not very many of them, at least, some of them.

There is also a higher threshold given of default for initiation of insolvency proceedings of MSMEs. That was made as an announcement that the threshold has been raised to Rs.1 crore. So, we expect that many of the MSMEs would not even come near it. Then we have made it clear, through this amendment which I suppose all of you will be responding to positively, that the defaults occurring out of this particular pandemic are being kept out for ever.

I can see the hon. Speaker rushing with the time. He has quite a few demands. I think largely I have addressed many of the questions which the hon. Members have raised. If there is anything at all further for me to explain, I will do it subsequently when I see each one of you.

There is a special financial service provider's framework and the Section 227 of the IBC has been used in the context of banks. I can see Supriya Ji putting her hand up. At present, the Code has two separate Sections which are 234 and 235 which deal with cross-border insolvency and because it is an important thing, the Insolvency Law Committee has submitted its comprehensive report which the Ministry is going through. Hopefully, we will come up with something sooner on that.

Sir, that is all that I have to give in terms of answers. There is one last question which Shri Jayadev Galla asked about Amravati Bench which is still in

Hyderabad. Yes, the Amravati Bench has been named and notified but it is still in Hyderabad pending infrastructural development in Amravati. So, till then, unfortunately, it has to remain there.

Arvind Sawant Ji did ask as to why the State does not do anything about things when companies are going bad. The State does not have a role in this. This is clearly a commercial thing and it is for the Committee of Creditors to take a call and if there is no resolution plan or resolution plan is unacceptable to the Committee of Creditors, then it goes to liquidation. So, the Government has no role in this.

Thank you.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): I want to tell you from the ground level that tremendous corruption is now existing in Debt Recovery Tribunal and up to NCLT. It has become a hub of corruption. As the Minister of Finance and Corporate Affairs, I called you on mobile to report against an officer, you may kindly keep him under your supervision. You did not extend it after 20 days. I appreciate this but you may kindly keep a vigil, if required. From my experience I am saying that in metro cities of Kolkata, Delhi and Mumbai, I do not know about other places, these have become a hub of corruption. You may kindly take care of those persons who are being appointed.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Hon. Speaker, Sir, given the salience and significance of this important legislation, you may allow me a couple of minutes.

I will first like to appreciate your endeavour in being able to convince the House about the Bill. But the fact is that there is always a slip between the cup and the lip. It has to be admitted and acknowledged. Yes, it is true that IBC is not a Code of recovery as has been mentioned by the hon. Finance Minister. But it has been brought for enhancing the insolvency resolutions and ensure the just nature of procedure in the vicinity of insolvency. Therefore, I am talking about the justice that is sought to be provided through the provisions in the Bill. In this Bill there is no justice and it is very much partial in nature towards the corporate.

Secondly, I only wish to buttress legislative muscle of the hon. Minister. There is a very dangerous assumption that every company is affected badly by COVID-19 and everyone will be pushing for insolvency. This is a generalised assumption without consideration to subjectivity of the situation. The subjectivity of this can vary as the incidence of COVID-19 is not same on all companies and also not everyone will run for insolvency in the wake of the pandemic. It is important to note that they have different options to rely upon. In this regard you have stated that a number of nations have adopted various procedures and measures.

Sir, I would like to suggest to the hon. Finance Minister to kindly go through the World Bank report on COVID-19 Outbreak -- Implication on corporate and individual insolvency. It has suggested other measures like establishing informal out of court or hybrid workout framework, encouraging e-filings, virtual court hearings and out of court solution in insolvency cases etc. which are not being looked into by the Government. To seal vulnerable businesses from all quarters India could emulate the Singapore model so that India could have taken inspiration from Singapore's COVID-19 Temporary Measures Act, 2020.

Sir, here some hon. Members cited the examples of countries like Germany, USA etc. When this COVID-19 was just beginning to surface in Europe, Germany suspended its insolvency filing obligation for six months like India but also extended lines of credit providing liquidity guarantees as well as economic grant for businesses to the tune of 750 billion pounds. The economic package announced by India's Finance Minister contains directly bail outs only for MSMEs by providing an emergency credit line, collateral free loans. But these exclude the remaining companies from the infusion of much needed liquidity for possible re-capitalisation that will help maintain solvency. The Danish Government has decided to compensate for some of the fixed cost that the cash trapped companies have to pay. These are some of the issues that I would like to bring to the kind attention of the hon. Finance Minister.

Sir, I would like to submit to the hon. Finance Minister, if possible, could she be able to cite the names of those wilful defaulters, at least one to ten, so that we could also understand the gravity and significance of the situation?

Last but not the least, I have not told that these kinds of Ordinances should not be promulgated. I have tangentially referred to this issue. But in general, this has become a practice of this Government to promulgate Ordinances on each and every issue. That is why, in my initial remarks, I objected to this kind of a practice. Certainly, it should be used as an exception and not as a rule. That is my suggestion to the hon. Finance Minister.

श्रीमती निर्मला सीतारमण : अधीर जी, हर कम्पनी का कोविड-19 की वजह से स्ट्रेस नहीं होता, तो उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसे डिफरेंशिएट करना आवश्यक है और इस रास्ते पर हम चल रहे हैं। आइडियली, अगर यह हो सकता है, तो हो सकता है, मगर डिफरेंशिएट करने के लिए भी प्रोफेशनल्स चाहिए और कोविड-19 के समय में यह असंभव है। इसके अलावा डिफरेंशिएट करने का फार्मूला स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा और आज के समय में फार्मूलेशन के अनुसार रिज्योल्युशन प्रोफेशनल को पकड़ो, उन्हें एलॉट करो, उन्हें वेबिनार के द्वारा करवाओ। यह बहुत कम्प्लिकेटेड है, वह प्रिंसिपल ठीक है, लेकिन कार्य में लाना है तो दिक्कत है। हमने तीन लाख करोड़ रुपये सिर्फ एमएसएमई के लिए ही नहीं दिए हैं। जितना एमएसएमई सैक्टर को देना था, उतना देने के बाद उसका एक्सटेंशन हमने एलएलपीज, प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, जो अपना क्लीनिक चला रहे हैं, उन सभी को भी एक्सटेंड किया है। उनका नाम एमएसएमई के तहत है और हमने उन्हें प्रॉयोरिटी भी एमएसएमई को दी है, लेकिन उसके बाद एलएलपीज, प्रोफेशनल्स आदि को भी एक्सटेंड करवाया। छोटे-छोटे शहरों में जो चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्म चला रहे हैं या लॉयर्स फर्म चला रहे हैं, डाक्टर्स जो अपने अस्पताल चला रहे हैं, उनमें नर्सिंग काम करती हैं, उन्हें कैसे

चलाना है, इसके लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी क्रेडिट गारंटी हमने दी है, उसे भी एक्सटेंड किया है। यह केवल एमएसएमई के लिए ही नहीं है, बल्कि इसे एक्सटेंड किया है। इसका नाम केवल एमएसएमई के लिए हो गया है।

हमसे होटल वाले, टूरिज्म सैक्टर वालों ने बात की। हमने उन्हें भी क्लीयरली जवाब दिया कि बैंक्स को कहा गया है कि उन्हें भी एक्सटेंड करो और जितनी भी उनको मदद चाहिए, उन्हें दो। स्कीम के अलावा होटल, टूरिज्म सैक्टर वाले बैंक्स से लिक्विडिटी लें, इसके लिए क्लीयरली बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मैं चुप नहीं बैठ रही हूँ। हफ्ते में एक बार उनसे डेटा भी मांग रही हूँ कि कितने लोगों को उन्होंने पैसा दिया है और वे किस हालत में आए और उन्हें एडिशनल सिक्योरिटी न लेते हुए एक्सटेंड किया या नहीं। हम यहां तक मोनिटर कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि यह केवल एमएसएमई तक ही सीमित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : अब तो सदन पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा।

अधीर रंजन जी, क्या आप विदूढ़ कर रहे हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्ष जी, आप मौका दीजिए।

सीतारमण जी, सब ठीक है लेकिन ग्राउंड लेवल में ठीक ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं होता है। लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचता है। मैंने पहले भी कहा है और अब फिर कह रहा हूँ। आप इस विषय में ज्यादा कोशिश कीजिए। आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लाभार्थी तक पैसा पहुंचने में काफी दिक्कत आ रही है।

क्योंकि बैंक वाले काफी तरह की दिक्कतें पैदा करते हैं। उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जितना आसानी से आप सदन में बैठ कर कहती हैं, उतना आसानी से बेनिफिशियरीज के पास पैसा नहीं पहुंचता है। इस हालत को देखते हुए और आपने इलैडुसिनेशन जिस तरह किया

है, उससे लगा कि आप जरूर सही ढंग से कोशिश करेंगी। इसके लिए मैं अपना स्टैटूटरी रेज्योलूशन विद्वा करता हूँ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : बहुत-बहुत धन्यवाद। Very kind of you!

माननीय अध्यक्ष : क्या सभा की यह इच्छा है कि श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को वापस लिया जाए?

सांविधिक संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 धारा 5 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष: श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, क्या आप संशोधन संख्या 1 और 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): I beg to move:

“Page 1, line 10,--

for “25th March, 2020 for a period of six months”

substitute “30th April, 2020 for a period of eleven months”. (1)

“Page 2, line 6,--

for “25th March, 2020”

substitute “30th April, 2020”. (3)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री जसबीर सिंह गिल – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : अब मंत्री जी प्रस्ताव करें कि राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक को पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक पारित किया जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

20.22 hrs

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF
EPIDEMIC DISEASES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020
AND
EPIDEMIC DISEASES (AMENDMENT) BILL, 2020
(AS PASSED BY RAJYA SABHA)**

माननीय अध्यक्ष : Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020, श्री मनीष तिवारी जी
आप शुरू करें।

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Sir, I beg to move:

“That this House disapproves of the Epidemic Diseases
(Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 5 of 2020)
promulgated by the President on 22 April, 2020.”

With your permission Sir, my colleague, Shri Kodikunnil
Suresh will take it from here.

**THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR.
HARSH VARDHAN):** I beg to move:

“That the Bill further to amend the Epidemic Diseases Act, 1897,
as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।”

और

“कि महामारी अधिनियम, 1897 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।”

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I thank you for this opportunity to speak on this important Bill introduced by the Minister of Health and Family Welfare. It is a welcome step and a much-needed legislation in these times when incidents of violence and crimes against individuals are increasing.

The battle against COVID poses the greatest challenge that our generation has ever faced. This enemy is unlike any other that we have faced till now. It is invisible and at present invincible.

The entire world order is being realigned to a new reality and a new normal where our approaches and ideas to approaches on all matters considered normal needs a reset.

To sense what the black death or a pandemic was really like, we have to imagine that a third of the people we know or of the human beings we can see walking down the street suddenly disappear. The known world with a third

fewer of its people within a span of six years is unthinkable and it happened only once in history.

Sir, this picture from the past plague describes what we would have been, had there not been the selfless services of our health workers from nurses to the hospital support staff, doctors, para medical fraternity, and every person who tended to the patients. Yet, many of us turned into inhuman beings, displaying our behaviours as befitting animals.

Let me cite some examples of violence carried out against Doctors during the lockdown period.

A group of local residents threw stones even at the ambulance carrying the body of a Doctor before the cremation and the cremation triggered a protest in Chennai. The deceased was a Neurosurgeon and also the Chairman of a hospital in the City.

Sir, there is another similar incident where locals in Chennai had protested against cremation of a 60-year old doctor from Andhra Pradesh who died of infection.

A mob of 200 people had attacked a healthcare team in a Bengaluru neighbourhood which had come to take primary and secondary contacts of Coronavirus positive patients to a quarantine facility.

Mr. Speaker Sir, Doctors in Indore, Madhya Pradesh were attacked by a mob when they had visited an area to screen people for COVID-19.

In the National Capital, two female Doctors from Safdarjung Hospital were attacked by a 42-year old man who accused them of spreading the infection.

These incidents display how insensitive we have become and how we treat the ones who save us. These are incidents of violence against Doctors and medical team during COVID-19 pandemic. The brutal attack against Doctors and healthcare workers continues across the country.

Hon. Speaker Sir, as per the available records, documented cases of violence against Doctors and hospitals stand at 187 across 20 States, and this figure is only increasing when we add the incidents against the entire medical community.

Sir, in this regard, I urge the Government to ensure a comprehensive legislation to protect the lives of Doctors, Nurses, and other healthcare staff. It is required to be promulgated at the earliest as a standalone legislation than an amendment.

Sir, a comprehensive Central legislation in the form of a special law is mandatory in our country to address the issue of healthcare violence. Laws enacted by States are ineffective, and the conviction is very low. That is a very important point, Sir. Special law has to be framed under Item 1 and 2 of the Concurrent List in 7th Schedule to the Indian Constitution.

Section 353 of IPC (violence on public servants), atrocities against women, child sexual offences etc. are governed by Central Acts for these sections of population, which means there is special legislation.

While I applaud the efforts of the Government to offer protection to the healthcare fraternity, I must highlight the gross inequalities they suffer. The Kerala State's Directorate of Health Services included the Junior Doctors in the Government Salary Challenge Campaign under which six days' salary has to be contributed to the Chief Minister's Distress Relief Fund every month.

A section of junior doctors complained that only 400-odd doctors had received salary so far and that too after facing salary challenge cut and tax deduction. With more than half of the 900 junior doctors deployed in COVID First Line Treatment Centres (CFLTC) in Kerala yet to receive their monthly salary, their situation is stressful. The junior doctors are working under extreme pressure. In several COVID First Line Treatment Centres in Kerala as well as in other parts of the country, more than 100 patients are being managed by just two doctors. Many doctors work continuously for 12 to 16 hours a day, said a doctor in Alleppey District of Kerala. Even the one week leave that was promised after 10 days of continuous duty is not being given at many places. There have been instances of doctors being recalled after two days of leave.

I would like to highlight a glaring incident of this Government's lack of empathy towards doctors and healthcare workers who died in the line of COVID duty. The Minister of State for Health and Family Welfare Shri Ashwini

Kumar Choubey replied to a question in Rajya Sabha that 64 doctors, 32 ANM/MPHW workers, 14 ASHA workers, and 45 others, and in total only 155 is the Covid-19 fatalities amongst healthcare workers.

माननीय अध्यक्ष: सुरेश जी, चौबे जी सदन में आ गए हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब तो आप कनक्लूड कर दो, अब तो चौबे जी आ गए हैं।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I am concluding. I am making very important points. The hon. Minister is sitting here. I am giving the detailed figures which were given by the hon. Minister in Kerala. However, the Indian Medical Association (IMA) challenged the Minister's statement. That is why, through you, I would like to draw the attention of the hon. Health Minister and the Minister of State.

The statement was challenged by the Indian Medical Association and they released a list of 382 doctors who died due to the viral infection. So, this Government is not even aware of the figures of casualties among healthcare workers and doctors. The IMA's statement and rebuttal of the Government's claim exposes the hypocrisy of the Government. The IMA stated that no nation has lost as many doctors and healthcare workers like India. That is very important. I hope the hon. Minister Harsh Vardhanji will give a clear picture in his reply.

The doctors suffer four times the mortality of ordinary citizens and private practitioners suffer eight times mortality on the same scale. So, in this entire ongoing episode of COVID-19 pandemic, the frontline casualties are doctors, nurses, ASHA workers and paramedical staff. Yet, this Government is turning a blind eye towards their plight. I would like to ask the Government as to what compensation and rehabilitation is being given to the families of the healthcare workers and doctors who lost their lives in this battle. Would the Government provide relief or compensation to the healthcare workers and doctors from the PM CARES Fund? The answers to these questions are met with hollow statements about treating the healthcare workers as heroes and Gods. But in reality, their lives are being lost and their families are left to fend for themselves.

Sir, I am very grateful to you. You have not disturbed my speech today. This is the first time you have not disturbed my speech and you have allowed me to complete my speech. So, I am very thankful to you.

माननीय अध्यक्ष: अभी तो मैं आपको राइट टू रिप्लाय भी दूंगा ।

...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I am appreciating the hon. Minister of Health and Family Welfare Harsh Vardhanji, Minister of State Ashwini Kumar Choubeyji for working day and night for defeating this COVID pandemic.

We all Members of Parliament are aware; I am also personally aware; and the entire House is aware how our hon. Harsh Vardhan-ji is working day and night in the fight against this pandemic.

Mr. Minister, Sir, I do appreciate you and your entire team for your commitment. You all are working day and night in the fight against this pandemic.

There are so many issues before us. The main issue is that our doctors, paramedical staff and ASHA workers are facing a lot of problems. So, it is very important that their problems should be addressed. They are protecting lives of lakhs and lakhs of people of our country, who are affected by this pandemic. You must address the problems of our doctors, our nurses, our health workers and also our ASHA workers.

With these few words, I conclude. Thank you so much.

HON. SPEAKER: Suresh ji, do you want to support this Bill or oppose this Bill?

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Yes, yes; I support this Bill.

HON. SPEAKER: Okay.

सुभाष रामराव भामरे साहब, अब आपके पास तो सपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा है।

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात पांच मिनट में खत्म कर दें।

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE (DHULE): Hon. Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this very important Bill for the medical fraternity, which is to amend the Epidemic Disease Act, 1897.

20.37 hrs

(Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

Sir, our healthcare workers should be allowed to work in an environment, which is free of violence and abuses. Since the first case of novel Coronavirus infection in India was reported in the month of January, 2020, many healthcare workers have been subjected to abuses and violence in the line of duty. Most of these acts have been committed on the healthcare persons, who were sent to localities to collect samples from people, who are suspected to have infection or have come in contact with those who are tested positive for the virus. Some doctors returning home from duty have been prevented from entering their homes, and in some cases, even asked to vacate their premises.

Sir, the medical fraternity is grateful to the hon. Prime Minister, and the hon. Health Minister, who himself is an ENT surgeon and who has been very vocal in supporting the cause of the medical fraternity.

Here, I would like to bring to the notice of this august House, the plights of our doctors, nurses, ward boys and paramedical staff.

इस वैश्विक महामारी ने हमें समाज के दो रूप दिखाए हैं। मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। इसमें लोगों ने सबकी मदद की है। मेरे क्षेत्र से तीन हाइवेज़ जाते हैं। जब मजदूर भाई अपने-अपने घर जा रहे थे तो मैंने देखा कि समाज के सभी वर्ग उनकी मदद कर रहे थे। किसी ने यह नहीं देखा कि यह हिंदू है या मुसलमान है।

समाज का दूसरा रूप भी हमने देखा है। अगर किसी सोसायटी में किसी घर में पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है तो उस घर को बायकॉट किया जाता है। यहां तक कि डॉक्टर दिन भर कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है, लेकिन जब वह घर आता है तो उसको घर में एंट्री देने से रोक दिया जाता है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में डॉक्टर्स और नर्सेज काम करती हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं यह जानता हूँ। अस्पताल में 50-60 कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट करते हैं। पीपीई किट में 10-12 घण्टे रहना, एक डॉक्टर ही समझ सकता है।

डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है कि पीपीई किट एक बार ही डाल सकते हैं। सुबह नौ बजे पीपीई किट डाला तो उसके बाद वे पानी नहीं पी सकते हैं, सुबह नाश्ता करने के बाद दोपहर का खाना नहीं खा पाते हैं। वे भी इंसान हैं, उनका भी परिवार है। उनको मालूम है कि ट्रीटमेंट करते वक्त उनको भी कोविड हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि 68 हजार हेल्थकेयर वर्कर्स कोविड पॉजिटिव आए हैं। More than 500 doctors have died because of this disease. इसलिए डॉक्टर्स को सम्मान चाहिए। मैं हमारे प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने दिया है तो वह हमारे प्रधान मंत्री जी ने दिया है। उनके सम्मान की वजह से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल फोर्स का मनोबल बढ़ा है, ऊर्जा मिली है और उन्होंने काम किया है। लेकिन इस प्रकार के अटैक से मन व्यथित होता है।

Several States have enacted special laws to offer protection to doctors and other medical personnel in the past. However, COVID-19 outbreak has posed a unique situation where harassment of the healthcare workforce and others working to contain the spread of the disease has been taking place on all fronts, in various places including even in cremation grounds. The existing State laws do not have such a wide sweep and ambit. They, generally, do not cover harassment at home and workplace and are focussed more on physical violence only. The penal provisions contained in these laws are not stringent enough to deter mischief mongering.

In this context, the Union Cabinet, in its meeting held on 22nd April, 2020, has approved promulgation of an Ordinance to amend the Epidemic Diseases Act, 1897, to protect healthcare service personnel and property including their living and working premises against violence during epidemics. The President has given his assent for promulgation of the Ordinance. The Ordinance provides for making such acts of violence cognizable and non-bailable offences and for compensation for injury to healthcare service personnel or for causing damage or loss to the property in which healthcare service personnel may have a direct interest in relation to the epidemic.

The current Ordinance is intended to ensure that during any situation akin to the current pandemic, there is zero tolerance to any form of violence against healthcare service personnel and damage to property. The general public fully cooperates with healthcare personnel.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude.

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Sir, I will conclude within one minute.

I support this Bill. The health workforce are our frontline soldiers in battling the spread of COVID-19. They put their own lives at risk in order to ensure safety of others. They deserve our highest respect and encouragement at this moment rather than being harassed or being subjected to violence. It is hoped that this Bill will have the impact of infusing confidence in the community of healthcare personnel so that they can continue to contribute to serving mankind through their noble professions in the extremely difficult circumstances being witnessed during the COVID-19.

Thank you very much, Sir.

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Thank you hon. Chairperson for having allowed me to have a discussion on this Epidemic Disease (Amendment) Bill.

Noam Chomsky, a celebrated linguist and artist, has recently warned: “We are at an astonishing confluence of very severe crises.” He enlisted three such crises – the growing threat of nuclear war, which is probably more severe than it was during the cold war; the growing threat of environmental catastrophe; and the third thing, that they have been picking up for the last few years, is the sharp deterioration of democracy.

In this pandemic, the latter two have reached their worst from worse. In India, this has been further propelled and geared up by the catastrophic loss to environment like EIA 2020, anti-democratic, anti-federal laws like CAA, NRC and more recently the NEP. The world has seen so many pandemics and epidemics from the bubonic plague in the 1300s to the Spanish flu in the 1900s and SARS epidemic. In all these plagues, the leaders came out to the streets together to guide their people and not to pass draconian Ordinances and amendments in the empty bowls of the poor people. Only this Government does it.

Before plunging into the discussion on this Bill, I would like to state how unprepared India is to combat this crisis. The COVID-19 crisis could have been handled well in India if the action packages of the Global Health Security Agenda started in 2014 of which India is a participant, had been implemented

effectively. Also, we lost the golden hours of prevention when the Government and the Prime Minister was busy hosting Trump.

Our ancient poet Thiruvalluvar has rightly remarked:

*“Varumunnar kavadhan vazhkai yerimunnar
Vaithuru pola kedum”*

Meaning, the prosperity of him who does not timely guard against the faults, will perish like the straw before the fire. In brief, prevention is better than cure. But the Government did not take a cue and has lost so many battle grounds. Despite receiving grants from the US Centre for Disease Control, India is yet to fill the gaps to combat the present crisis. Amidst this raging pandemic, when the nation is under severe social, economic crisis with 122 million Indians losing their jobs in April alone, the BJP Government has prioritised passing Ordinances and amendments.

This Amendment Ordinance was promulgated at a time when crores of our students were pleading the Government to delay NEET examination. Back home, in Tamil Nadu, we have lost so many lives for the draconian NEET examination. Dr. Johnson, a famous English literary person, when he declared that he would compile an English dictionary within three years all alone, all critics wondered: “How can you do it? When 40 Frenchmen took 40 years to compile a dictionary, how would you do it within three years?” He replied, “An Englishman is equivalent to 40 Frenchmen.” An Indian medical student, an Indian doctor is equivalent to 40 European doctors. But you have severed

their progress by bringing the NEET examination. That is why our Party leader, Mr. M.K. Stalin vehemently opposes it. When Dr. Kalaingar was the Chief Minister, irrespective of the entrance exams, the Board examinations were taken into account. That is how, even now, the US has been discussing whether standardised tests like the SAT should be used at all in the deciding administrations.

Coming to this Bill, my fate only lies in the will of the Indian people. The Amendment Bill under clause 3, which seeks to insert the new Section 1A, clearly states that violence or damage is to be during an epidemic. So, what will happen if the epidemic ends? The life of the frontline warriors as well as the nurses, police personnel has to be ensured even after the endemic.

There are a few lacunae. The Epidemic Act, 1897 is silent on the definition of 'dangerous epidemic diseases'. Since it is a colonial act, issues like restricting international travel, especially the use of air travel, sea travel, increased migration, higher density, all these areas, remain still a grey area. The Bill has to specifically clarify in the Act whether it is too ship oriented and quiet on air travel.

Again, there is no classification of these words: lethal or infectious or contagious diseases. It has to be clearly stated. There are no stages, no differentiation, nothing. It has been left to the whims and fancies of the Government.

Regarding the vaccination, the Act and the Bill both fail to mention the priority for vaccination against COVID. I would like to know whether the Government has any standards to decide which States, districts, or individuals should get priority.

This has also surpassed the State rights. It is because implementation by a State of a Central law is not possible since the area of health including protection of doctors is a State Subject, which means only States have the power to frame and pass laws related to it. So, this is also still a grey area.

A Chinese woman Tu Youyou earned a Nobel Prize in 2015 for her work in creating anti-malaria medicine using ancient Chinese remedies. Why can Indian doctors using the Indian medicines not get a vaccine for this COVID-19? The Government should concentrate on promoting research and encouraging them rather than ...* on the 'Acts of God. The Government should realize that the purpose of the Government is to enable the people to fight the COVID-19.

* Not recorded

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, under Section 2 of the original Act, the power to take special measures and prescribe regulations regarding dangerous epidemic disease has been provided with the State Governments. It states that:-

“when at any time the State Government is satisfied that or any part, thereof is visited by or threatened with an outbreak of any dangerous epidemic disease, the State Government thinks that the ordinary provisions of the law for the time being in force are insufficient for the purpose may take or require empower any person to take such measures and by public notice prescribed in such regulation will be observed by the public. ”

This power has been given to the State Government. Now, what is going to happen by the introduction of the new proposed amendment? There is a conflict and the Central Government will interfere in the matter. This is a gist of the things. Why are you giving the powers to the States? You own or take the responsibility for everything. No, the States will work on the field. और हम यानि केंद्र सरकार दादागिरी करेंगे । लेकिन काम आपको नीचे खुद करना होगा । काम आपको जमीन पर करना होगा, हम सिर्फ दादागिरी करेंगे । Now, this is the real amendment. So far as amendment of the Section 2A of the Act is concerned, the Central Government is now empowered to take such measures as it deems fit, and prescribe regulations for the inspection of any bus or train or goods vehicles or ship or vessel or aircraft arriving/leaving at any airport, port, aerodrome and for

decision of any person intending to travel/ arriving thereby. Such provisions are sought with the sinister possibilities and are liable to be misused at the sweet will of the Central Government rather than acting as an aid in tackling epidemic. The super powers/intervention of the Centre will create more confusion. Moreover, as the ground reality varies from State to State, one set of norms, guidelines, instructions may not be equally efficacious for all the States. So far as insertion of Section 2B is concerned in the new Bill which is going to become an Act, earlier safety and security of healthcare service personnel and property, during an epidemic did not exist in the Act. Section 2B has been inserted to provide that no person shall indulge in any Act of violence against the healthcare service personnel or cause loss/ damage to any property during an epidemic.

Sir, public health and sanitation, hospitals and dispensaries are State subjects as per the Constitution. However, these amendments to empower the Central Government for the safety and security of healthcare service personnel and their property have been presumably promulgated by the Government of India on the strength of Concurrent List subject "Prevention of the Extension from One State to Another of Infections, contiguous disease based, affecting man, animals or pets. This is nothing but an attempt of the Government of India to encroach upon the Constitutionally assigned functioning of the State as safety and security falls within the broad spectrum of States' exclusive legislative jurisdiction. In this regard, West Bengal is already having a

legislation under the title “West Bengal Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2009. We have another Act even for realisation, that is, the Compensation of Damage Act which is specific to West Bengal.

Sir, you were making your speech, a few minutes back. Now, I will come to the interesting part of the Bill. Sir, please come to clause 6 and clause 7 of Sections 3 and 3A which are going to be amended.

Who will take steps? Which Government will take steps? Which officers will take steps? Which investigating agency will take steps? The Bill is silent. Nothing is there. Where will the complaint be lodged? In which police station will the complaint be lodged? If it is a police station, then the State should have the power to investigate it. Nothing has been said.

And, interestingly, you will find there is no rule-making power in this statute itself. Therefore, these two clauses, namely, clauses 3 and 4, are till now odious until it is filled up with additional provisions. Lacunae are there. Who will investigate it? Is it the State Government? Or, is it the Central Government? Who are the officers? Who will investigate it? Nothing is there. Clauses 3 and 4 are the most interesting parts. I would rather say they are the defects in the Bill.

HON. CHAIRPERSON : The hon. Minister will clarify it.

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, clarification will not do. As you know, whatever is written, the statute has to be read in that order. Why? As per the *Naziram's* case, you have to write the Act in terms of the provisions of the statute. Any other mode of performance is forbidden. This is the law. If this is the law, then clarification will not do. This has to be stated in the Act itself, and not orally stated. Even if a case is lodged by anyone, nothing will happen.

Now I am coming to Section 3, sub-section (ii)(b) and (iii), I will say here the penalty is sought to be imposed. The provision has been made. Whoever commits or abets the commission of an act of violence against a healthcare service personnel, shall be punished with imprisonment for a term from three months to five years and with fine from Rs.50,000 to Rs.2 lakh. For grievous act, the prescribed penalty is, imprisonment from six months to seven years, and fine from Rs.1 lakh to Rs.5 lakh. It is a huge penalty.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI KALYAN BANERJEE: Please give me two minutes time.

HON. CHAIRPERSON: Does your Party have any other speaker?

SHRI KALYAN BANERJEE: We have no other speaker. I am the only speaker.

Imposing such a huge penalty in terms of imprisonment up to seven years and also fine of up to Rs.5 lakh by the Central Government seems extremely draconian. Instead, the States should be authorised to continue taking decision in this regard.

So far as insertion of Section 3D is concerned, as per the new provision, the accused will have to prove his innocence. I can understand if an offence has been committed. But in our Constitutional justice delivery system, justice delivery system is having a double way. It is not a singly way. It is a double way. Kindly see AIR. As per the new provision, the accused will have to prove his innocence in terms of not belonging to culpable mental state. As per the Act, it is an offence against him. I support so far as the offence is concerned. But burden of proof would be on the accused. I remember the provisions of TADA and other Acts. That is a tremendous Act. This type of provision has been struck down in a number of Acts. These are not those kinds of offences. The onus is on the accused to prove his innocence as per these inserted provisions. This is liable to be misused by vested interests. No doubt, there are investigating agencies. Whichever it may be, whether it is a State agency or a Central agency, whoever it may be, whichever State it may be, normally there are vested interests. Unless you satisfy the vested interests, you will be considered as an accused. In these types of offences, this type of burden of proof has to be proved by the accused. I think it is violative of article 21 of the Constitution of India. Thank you.

21.00 hrs

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you very much, Sir. COVID-19 pandemic has redefined the word 'warrior' because our doctors, medical staff and sanitation workers have battled against the pandemic from the frontline to keep 130 crore Indians safe. But it was disheartening to hear the news of a mob pelting stones on doctors in Indore or attacking ASHA workers in Bengaluru. However, the spirit of our COVID-19 warriors is undefeatable. An example is that of Dr. Zakiya Sayed from Indore who despite being injured said: "The incident won't deter my from doing my duty".

We should all appreciate and salute the doctors who have almost spent 8 to 16 hours wearing their PPE Kits without even accessing the toilets. We should all salute them and as lawmakers it is our duty to protect these COVID-19 warriors.

This Bill defines healthcare service personnel and provides for stringent penalties in case they are attacked. Violence against healthcare personnel has been made a non-bailable offence and the fines have increased to Rs.5 lakh. The Bill also limits the trial period to one year. While these amendments are welcome, the Epidemic Diseases Act itself is due for upgradation to incorporate learnings from COVID-19.

Lesson No.1, which we can learn is, this being a new disease, we have taken a trial and error approach to deal with COVID-19. Premier research institutions find new information everyday which needs to be transmitted to the last medical worker working in the very last of our 7 lakh villages. An example of that is the Health Ministry's guidelines that were issued in March which said that the three-ply mask would not work. But, later on, they reversed it. Constituting an expert committee that will rapidly diffuse these learnings can limit misinformation and empower rural health professionals.

Lesson No.2 that we can learn is the way my State, Andhra Pradesh has tackled this issue. In Andhra Pradesh, we have the highest per capita testing and the highest per capita recovery as well. Our efforts have highlighted the need to fight pandemics in a decentralized manner. Be it door to door surveys, contact tracing or district specific control rooms and hotlines, Andhra Pradesh has taken the fight against COVID-19 to the grassroots. Around 6846 Primary health Centres and Anganwadi Centres of Andhra Pradesh have served as the nodal points in the State. The Centre and the States can take a leaf out of Andhra Pradesh's approach to create a decentralized strategy. If needed, the Epidemics Act can also be changed for this.

Lesson No.3 that we could learn is that we need a new epidemic law. The existing law itself was formed more than 120 years ago when Bombay was struck by plague. Conditions have changed immensely since then. More people live in cities, migrate frequently and travel in airplanes, which had not

even been invented then. A new epidemic law is needed to reflect today's conditions.

This law should take a right-based approach to protect citizens' interests. It should clearly define the duties of the Government and the rights of the citizens during an epidemic situation. By doing this, responsibilities of key Government functionaries can be identified and accountability fixed. Medical professionals will also become more accountable to citizens. This is needed even today as the Medical Council of India reports extremely low number of complaints of medical negligence.(*Interruptions*)

I am not disrespecting any medical professional here. But if you have seen, we have reacted and brought in this law so that the medical professionals can be saved. At the same time, we are not actually auditing and examining why a patient is doing what he is doing. If he is reacting in a very aggressive way, there should be an audit. If you look at the number of complaints, as per a reply to Unstarred Question No.4558, 156 complaints were filed in 2017, 140 in 2018 and 60 in 2019. So, we need a proper audit. We cannot just say that doctors would go on a strike and that is why we cannot bring in this law. What are we going to wait for? Are we going to wait for all the patients to go on strike because of the medical negligence? So, let us do a proper audit.

We hope the Central Government will incorporate these suggestions and use the learnings from COVID-19 to better handle a new pandemic. With these words, I on behalf of YSR Congress Party reaffirm that we support this Bill as it protects our brave COVID-19 soldiers. Thank you very much, Sir.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): महोदय, आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

भारत और पूरा विश्व आज इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। इससे समाज का हर वर्ग प्रभावित है। हमारे देश में आज तक लगभग 54 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं। इनमें से लगभग 10 लाख एक्टिव केसेज हैं और लगभग 87 हजार लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

इसमें अगर सबसे ज्यादा कोई फ्रंटलाइन वर्कर्स इन्फेक्ट हुए होंगे तो वे डॉक्टर्स हैं। आज 500 से ज्यादा डॉक्टर्स की इस कोरोना के कारण सेवा देते हुए मौत हो चुकी है। आज 50,000 से ज्यादा डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो चुके हैं। आज इन डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिसकर्मियों और सभी कर्मचारियों को मैं यहां पर बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ मैं, जो डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेश्नल्स और पैरा मेडिकल स्टाफ्स, इस कोविड-19 की लड़ाई में शहीद हुए हैं, उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसी के साथ मैं इन सभी डॉक्टर्स के लिए यहां से मांग करता हूं। मुझे लगता है कि यह पूरा सभागृह मेरी मांग से सहमत होगा कि इन्हें भी शहीद का दर्जा देना चाहिए क्योंकि जैसे सरहद पर सैनिक लड़ते हैं, वैसे ही पहले दिन से, आज इसे सात महीने हो चुके हैं, इन्होंने न अपने परिवार की परवाह की, न किसी और की परवाह की। पहले दिन से ही हर डॉक्टर, चाहे वह फ्रेश एम.बी.बी.एस. ग्रेजुएट भी है, वह भी पहले दिन से ही इस कोविड-19 की लड़ाई में शामिल हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि बाकी देशों की तुलना में भारत में इसकी मॉर्टैलिटी कम है।

महोदय, यह जो कानून है, यह 130 वर्ष पुराना है। इसमें एक रोचक तथ्य यह है कि इसमें सिर्फ चार सेक्शंस हैं और आज़ादी के बाद देश पर आई सबसे बड़ी विपदा को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को इस कानून के प्रावधानों को इन्वोक करना पड़ा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज यह बिल यहां पर लाया गया। इस बिल के माध्यम से जो लोग डॉक्टर्स पर हाथ उठाएंगे, उन सभी को शासित करने का काम होगा। आज बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में घट रही हैं। आज कुछ भी हो जाए, कोई भी पेशेन्ट मर जाए या अगर किसी गम्भीर बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके परिवार वाले डॉक्टर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। आज इस कोविड की महाभयंकर बीमारी में जो डॉक्टर कोविड वार्ड में काम करता है, वह आठ घंटे तक पी.पी.ई. किट पहने रहता है। वह न बाथरूम जा पाता है, न पानी पीता है और न ही खाता है। आज हम लोग जब इस सभागृह में बैठे हैं। अगर हम एक-दो घंटे मास्क पहनते हैं तो हमें सफोकेशन जैसा लगने लगता है, लेकिन हमें डॉक्टर्स के बारे में सोचना है कि वे अपने परिवारों से दूर रहते हैं। जिस कालावधि के लिए वे डॉक्टर्स कोविड वार्ड में ड्यूटी पर रहते हैं, उस पूरी अवधि में वे अपने परिवारों से मिलते तक नहीं हैं, परिजनों से नहीं मिलते हैं और वे अलग रहते हैं। अगर किसी डॉक्टर को घर भी जाना होता है और जब वे अपने परिवारों से मिलने जाते हैं तो वे अपने परिवार के लोगों को दूर से ही देखते हैं। ऐसी परिस्थिति में सभी डॉक्टर्स ने आज काम किया है तो मुझे लगता है कि इस बिल के माध्यम से सभी डॉक्टर्स को एक प्रोटेक्शन मिलेगा।

महोदय, इसी के साथ-साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। यह जो महामारी है, इस वक्त हेल्थ केयर प्रोफेश्नल्स, जिनमें डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ्स इन्क्लूडेड हैं, उनकी सुरक्षा के लिए तो प्रावधान हैं, लेकिन जब यह महामारी खत्म हो जाए तो इन पर हो रहे असॉल्ट के लिए अभी तक कोई कानून नहीं है। मैंने इस विषय पर अपनी तरफ से जुलाई, 2019 में एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल 'द प्रिवेंशन ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेश्नल्स एण्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन बिल, 2019' लाया था, जिसमें डॉक्टर्स के ऊपर हो रहे

हमले को रोका जा सके और ऐसा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई हो। मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा है, जिसमें यह कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेश्नल्स की सुविधा के लिए यह बिल गृह मंत्रालय को भेजा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस पर अभी तक क्या प्रगति है और क्या सरकार ऐसे विधेयक जल्द से जल्द पारित करेगी?

इसी के साथ, मेरा दूसरा सुझाव है कि आज डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पारा मेडिकल स्टाफ्स काम कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ-साथ 'आशा' वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स भी उनके साथ काम कर रहे हैं क्योंकि जब सर्वे हुआ तब उस सर्वे में आगे आकर अगर सबसे ज्यादा कोई काम करने वाला है तो वे 'आशा' वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। लोगों के घर-घर जाकर उन्होंने सर्वे किया। सर, आज भी उन्हें सिर्फ डेली वेजेज दिया जाता है। सरकार से मेरी माँग है कि उनकी सर्विसेज को रेगुलरिज किया जाए। उनको ग्रुप-सी का दर्जा दिया जाए, जिससे उन्हें सैलरी और सरकारी बेनिफिट्स मिल सकें।

इसी के साथ जो सेक्शन-1ए है, उसमें एक्ट ऑफ वायलेंस की परिभाषा दी गई है। इस प्रावधान को लेकर माननीय मंत्री जी से मेरे दो प्रश्न हैं। सब-क्लॉज-1 के अंदर एक्ट ऑफ वायलेंस की परिभाषा में कहा गया है:

“Harassment impacting the living or working conditions of healthcare services personnel and preventing him from discharging his duties ...”.

महोदय, हमने कोरोना-19 की महामारी में देखा है कि मकान मालिक या सोसाइटी रजिडेन्ट्स, जिसमें रजिडेन्ट्स वेल्फेयर एसोसिएशन भी शामिल हैं। कोविड वार्ड्स में जो डॉक्टर्स काम कर रहे थे, उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का काम कुछ लोगों ने किया है। उनको एक्विशन

नोटिस भी देने का काम किया है। मेरा सवाल है कि जो ऐसे हरैस्मेन्ट इन्सिडेन्ट्स हैं, वे लिविंग कंडीशन को भी अफेक्ट करते हैं। क्या इन केसेस में भी यह कानून लागू होगा?

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : सर, मैं अपनी बात कंप्लीट ही करने वाला हूँ। इसी के साथ मैं जीएसटी को लेकर भी सरकार से निवेदन करता हूँ कि महाराष्ट्र को बकाया राशि जल्द से जल्द दी जाए। इससे हमें कोरोना से लड़ने में आर्थिक मदद मिलेगी।

HON. CHAIRPERSON: There are many hon. Members who want to speak on this subject.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: सर, सरकार इस बिल में संशोधन करके क्लॉज-3 ए, बी, सी, डी और ई लाई है, जिसमें हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स पर एक्ट ऑफ वायलेंस के लिए सजा निर्धारित की गई है। इसको काग्निजेबल और नॉनबेलेबल बनाया गया है। यहाँ पर मैं इसके लिए सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। इसके लिए जो इंकवायरी पीरियड है, कोर्ट इंकवायरी का ट्रायल एक साल के अंदर खत्म करना होगा। मुझे लगता है कि इसकी अवधि और कम करनी चाहिए। छह महीने की जो एक्सटेंशन दी गई है, उसको तीन महीना की जाए। According to judicial data grid statistics, a total of 32 million cases are pending in India as of May 2020, out of which nine million cases are civil cases, 23 million cases are criminal cases, and approximately ten per cent cases are ten years old.

महोदय, क्या इतनी overburdened judiciary के लिए इस कानून के अंदर समय सीमा में न्याय देना मुमकिन होगा? मेरा यह सुझाव है कि डॉक्टर्स पर हमले के ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना हो। इस तरह के केसेस के लिए फास्ट ट्रायल की जाए, जिससे डॉक्टर्स को

जल्द से जल्द न्याय मिल सकें। मैं इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूँ। इसके लिए मैं इस सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ।

सर, अंत में मैं अपना वक्तव्य बशीर बद्र जी की एक शेर से समाप्त करना चाहूँगा,

यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो,
वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके-चुपके पढ़ा करो,
कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से,
ये नए मिज़ाज का शहर है, ज़रा फ़ासले से मिला करो,
और सोशल डिस्टैन्सिन्ग से रहा करो।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आपने मुझे महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 की चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, सरकार 123 साल पुरानी महामारी कानून-1897 में संशोधन का प्रस्ताव रखती है, क्योंकि कोविड-19 महामारी ने विश्व के करीब 180 से अधिक देशों को अपने चपेट में ले लिया है। चीन के वुहान शहर में पैदा हुआ कोविड-19 वायरस से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। कल तक पूरे विश्व में करीब तीन करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें 2 करोड़ से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। करीब 9,58,400 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना संक्रमण का प्रकोप दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। अपने देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 54,78,000 हो चुकी है, जिसमें 43,96,399 लोग ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केस करीब 10,03,299 हैं। लगभग 86,961 लोगों की जान जा चुकी है।

महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी में कोरोना को महामारी घोषित किया है। इसने संक्रमण छुआछूत की बीमारी का रूप धारण कर रखा है। पूरा विश्व इससे सहमा हुआ है, क्योंकि इसका इलाज अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। सभी देश अपने-अपने चिकित्सा क्षेत्र के वैज्ञानिकों पर नज़र लगाए हुए हैं। वैसे दावे तो बहुत हुए हैं, परंतु सफलता अभी तक नहीं मिली है। यह एक चिंता का विषय है।

सभापति महोदय, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर दिन-रात इस महामारी से लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम कर रही हैं। आज प्रतिदिन 95 हजार के आसपास लोगों की संख्या सामने आ रही है। वैसे दिनोंदिन टेस्ट भी बढ़ाए गए हैं। अभी तक करीब साढ़े छः करोड़ कोविड-19 के टेस्ट हो चुके हैं। देश में 1,773 लैब्स रात-दिन टेस्ट में लगी हुई हैं। आईसीएमआर पूरी तरह से सजग है। यही कारण है कि सरकार ने महामारी कानून, 1987 के ऊपर मार्च में एक अध्यादेश जारी किया और उसी के अनुरूप प्रस्ताव पर यह चर्चा की जा रही है। प्राचीन काल से

हैजा, कालरा, चेचक, प्लेग, कालाजार, स्वाइन फ्लू, चमकी बुखार, जापानी बुखार, कोरोना से पूरा विश्व या कोई न कोई देश प्रकोपित हुआ है और इसके भयंकर परिणाम को झेलता आ रहा है।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले डॉक्टर और पुलिस वालों को धन्यवाद देता हूँ कि वे रात-दिन मेहनत कर रहे हैं। देश के प्रधान मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सभी राज्यों के मुख्य मंत्री, सभी की मेहनत से कोविड की रोकथाम में हम लोग आगे बढ़े हैं और मेहनत की बदौलत यहां के लोगों की जानें बचाई जा रही हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I intended to speak in my language, the Odia language. But as translation is not available, I have to fall back on English language.

At the outset, I must tell this House, the work Odisha Government has done under the able leadership of our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik. Before the national declaration of lockdown or before the experiment that was done on Saturday and Sunday, Odisha Government had declared lockdown on 19th and 20th. It shows the consciousness that our Government of Odisha has for the people of our State.

In that respect, I would like only to mention that the attempt, that has been made to save the lives of our people in our State by the able leadership of our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, is something which has been appreciated not only nationally by the Central Government but also internationally. WHO, World Bank and even the United Nations have sent appreciation and have appreciated the work of the officers of our Government

and also of the COVID warriors that they have done day and night to help the people.

Starting from the migrant workers who came from other States, day and night people have worked, toiled and kept them safe in the quarantine centres. Subsequently, after the quarantine period was over, they were sent back to their houses.

Even today, we have around 36 COVID-19 hospitals operating and we have hundreds of COVID-19 care centres and quarantine centres and with a number of beds already occupied and some are also in home quarantine. That is the work which Odisha Government has done because of the able leadership of our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik and that needs to be appreciated.

Repeatedly, he has done video conferencing; he has advised people. Subsequently, I would say that one unique thing has happened in Odisha. After lockdown and shut down for a period of time, after six or seven weeks, he gave a call for specific day that you come out of your house to a *verandah* or on the rooftops and start singing the State Song. Bande Utkal Janani, the Utkal Bandana was sung by one and all, even by students, even by other officers. It was only for COVID warriors – the doctors, the paramedics, the ASHA workers, even the healthcare workers – who were there working day and night. This is something not only to help them but also to make people conscious that this is how we have worked and it is still continuing. So, one can imagine that

by one instance and that instance is also glaring through this Ordinance, which was implemented on 22 April. But the Odisha Government had issued an identical or a better Ordinance in the first week of April, 2020, and the Union Government had this Ordinance implemented on 22 April.

But one thing I would like to make it clear here. Epidemic Disease Act is of 1897, and as it is already said it is 123 years old. I know the exigencies of that period in the month of April when you were forced to bring an Ordinance, but could a new Bill not be prepared relating to epidemic disease, which could have been of 2020 alone? Why is there an amendment to that 1897 Act?

Here, I would like to mention one major thing because it was only the Kerala Government and before that the Odisha Government had brought this Ordinance. The Kerala Government issue went to the court. The Odisha Government also expanded it by not only giving care and protection to the healthcare workers, doctors, medical staff, and others who are engaged in protecting, but purchases of material that was to be done also came into this fold and that is how Odisha's Ordinance is much better than this. In another week's time when the Odisha Legislative Assembly will be meeting that Ordinance also would become a law.

Here, I would like to just mention another aspect, that is, Section 3 of the Epidemic Disease Act, which would be amended to increase the imprisonment term, which may extend to two years or fine which may extend to Rs. 1 lakh or more. Along with that, I would just like to mention that I have already moved an

amendment and at that point of time I would not get much time to actually explain that part. Kindly give me two more minutes for it.

Section 3 (c) where a person is prosecuted for committing an offence punishable under sub-section 3 of section 3, the court shall presume that such person has committed such offence unless the contrary is proved. This is of French jurisprudence. In our country, we practice British jurisprudence. The onus lies not on the culprit or the offender to prove that he is innocent. Here, we have a jurisprudence where one is not guilty until he is proved otherwise. Therefore, the proposed section 3 (c) provides that there will be a presumption of guilt in a person if he is accused of the offence of causing grievous hurt to healthcare service personnel.

We all agree that there should be protection for our doctors, nurses, paramedics, and ASHA workers, but keeping in mind how our police force work or how our criminal justice system works, do we need to go thus far? Now, the State arrests a person; puts him in jail; and then expects that he should be able to bring evidence to prove that he is innocent. This is unreasonable to say the least and goes against the established principle of presumption of innocence, which lies at the fundamental foundation of criminal jurisprudence.

Not just that, it violates Article 10 of Universal Declaration of Human Rights of the United Nations to which India is a signatory and which gives right

to fair trial to an accused person. Through my amendment, I have proposed greater safeguard for the accused person by adding a provision.

Along with that, I would just like to mention that there is a need to give protection not only to the health workers, doctors, paramedics, and ASHA workers, but police also have done a great job. Police are on the streets to dissuade people and to educate people to maintain safe distance while coming to the market place, etc. So, in that respect, all have to be congratulated and encouraged. In this respect, I would say that the present Bill needs tremendous support and I believe that this will get full support from all quarters of this House. Thank you very much.

HON. CHAIRPERSON: Sure, Mahtab ji.

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): इस महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम में हमारे स्वास्थ्यकर्मी जी-जान से लगे हुए हैं, जिन्हें हम सम्मान से कोरोना योद्धा भी पुकारते हैं। देश में पिछले दिनों जगह-जगह स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों पर जिस प्रकार हमले हुए, उस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने संविधान के अनुच्छेद-123 के तहत महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। इसमें उन्होंने कुछ धाराएं भी जोड़ी हैं, जिसमें स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करना तथा सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सजा का कड़ा प्रावधान है और जुर्माने की राशि को भी काफी बढ़ाया गया है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक तथा वैधानिक स्वास्थ्य सेवा जैसे डाक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा वर्कर और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान इस महामारी में अपने परिवार को छोड़कर दिया है। इस बीमारी कोविड-19 के समय में ऐसे डाक्टर्स, नर्स, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या पुलिसकर्मी जिनकी मृत्यु हुई है, मैं उनके परिवार के लिए चाहूंगा कि सरकार उनकी मदद करे और मृत कोरोना योद्धाओं को मैं श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ।

अध्यादेश के अनुसार स्वास्थ्य सेवा कर्मी की परिभाषा में जैसे सभी लोगों को शामिल किया गया है, वैसे ही मैं चाहूंगा कि आशा वर्कर और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आपके माध्यम से उन्हें भी सरकारी कर्मचारी के रूप में चयन करने का काम करें, जिससे कि उनके परिवार का भी भला हो सके। इस महामारी के प्रकोप को रोकने या इसके प्रसार को रोकने के लिए अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा आधिकारिक गजट में राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के जरिए किसी अन्य वर्ग के व्यक्तियों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। एक क्लिनिकल एस्टैबलिशमेंट के तहत, महामारी के दौरान मरीजों के लिए क्वारंटीन या आइसोलेशन के लिए चिह्नित की गई जगह, एक मोबाइल मेडिकल यूनिट, कोई अन्य संपत्ति, जिससे एक

स्वास्थ्य सेवा कर्मियों का महामारी के दौरान सीधे तौर पर लेना-देना हो, शामिल हैं। हिंसा पर रोक और सजा का प्रावधान है। अध्यादेश के अनुसार इस अधिनियम में जोड़ी गई एक नई धारा -2 ए, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को प्रतिबंधित करती है। धारा 3 (2) के तहत एक स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा की गतिविधि करने वाले व्यक्ति या उस कृत्य का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए कम से कम तीन महीने की सजा का प्रावधान है। हालांकि सरकार इस सजा को 5 वर्ष तक भी बढ़ा सकती है। मैं यह चाहूंगा कि आज जो संशोधन आया है, इसका दुरुपयोग न हो। माननीय वित्त मंत्री जी बैठी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि किसी भी क्षेत्र में इसका दुरुपयोग न हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Thank you very much, Sir, for giving me an opportunity to speak on this important Bill, which is really the need of the hour in view of our COVID Warriors for fighting against the Coronavirus, by keeping their lives at risk.

Yesterday, we had a very detailed debate on this wherein I spoke on behalf of my Party, the TRS. I was appreciating the efforts put by my hon. Chief Minister, Shri KCR and his team in combating infection. As I said, my hon. Chief Minister is working for more than 18 hours every day. We have been one of the best performing States as far as testing is concerned - per million or per million cumulative or the lowest fatality rate or supply of ambulances in urban areas in 20 minutes and in rural areas in 22 minutes.

This Bill expands the definition to provide protection to COVID-19 frontline warriors. It also defines the 'Healthcare Service Personnel'. It is definitely welcome, but if you look at the definition clause, it says that this protection is extended only during the period of epidemic. Does it mean that the protection to our healthcare workers would be given till this pandemic exists? It is not fair. I request the hon. Minister to extend it till the existence of any epidemic.

Secondly, regarding insurance coverage, as per the PM Garib Kalyan Yojana, the hon. Finance Minister announced this insurance cover in March for three months and extended it till September. I really do not know whether they are going to extend it. So, I request the hon. Minister to extend it till the end of

the year and also increase the insurance and ex-gratia amount by Rs. 1 crore to each.

Being a doctor, I know the protocols and SOS. I am really surprised. I will give you one example. A report suggests that 95 per cent of the deaths took place on ventilators in the world. I would like to know whether such deaths are due to silent hypoxia which can be averted if we have a pulse oximeter right at the PHC. As we all know if the saturation level falls below 80, the ventilator is a must. Does that mean that if the ventilator is there, the patient is safe? No, Sir. So, if we make this awareness in all the PHCs, it will be definitely better.

As far as clause 7 of the Bill is concerned, if any person is convicted of an offence committed against our COVID-19 warriors, the compensation has to be paid by him which is double the amount of market value. I think it works as a deterrent. You have to look into it.

As I said, Telangana has been doing extremely well to control COVID-19 spread but, at the same time, we are also facing some financial difficulty. So, I request the hon. Minister to show some magnanimity towards Telangana and provide some financial assistance.

Sir, I would like to give one last suggestion. During COVID-19 pandemic, the final year students could not go to the library to study. So, I request the

hon. Minister to look into it and give some grace marks and pass them as we are running short of doctors.

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): I would like to commend and thank the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister for introducing this much needed Bill in order to replace the vintage Epidemic Diseases Act of 1897 which was enacted after the Bubonic Plague in Mandvi in pre-independent India. After 123 long years, it is high time that it is replaced by a Bill which is contemporary in nature and relevant to the needs of the time.

Sir, our healthcare service personnel have been working relentlessly round the clock for months on and without respite to save human lives. They are frontline soldiers in this battle against the pandemic risking their own lives in order to save the lives of others. What bigger sacrifice can there be? They deserve the highest respect and encouragement for their service to mankind in this national health crisis. That is the reason why our respected Prime Minister wanted the entire nation to unitedly honour Corona Warriors for their noble service and sacrifice and thanked them by clapping hands.

To come to the Bill, it firstly seeks to restore the dignity and morale of our healthcare workers comprising doctors, nurses, paramedical workers, community health workers as well as any other person empowered under the Bill to take measures to prevent the outbreak and spread of the disease, and I hope this includes the ASHA and Anganwadi workers also.

Secondly, it seeks to protect them from harassment, intimidation, obstruction, harm, injury, and violence which may impact the living or working conditions of our healthcare service personnel and thereby prevent them from discharging their duties.

Sir, the Bill also includes stringent punitive provisions to act as a deterrent by making acts of violence against the healthcare service personnel cognisable and non-bailable offences. Further, it provides that the commission or abetment of acts of violence shall be punished with imprisonment for a term which may vary from three to five years plus a fine ranging from Rs. 50,000 to Rs. 2 lakh. For causing grievous hurt, the punishment shall be imprisonment for a period varying from six months to seven years with a fine ranging from Rs. 1 lakh to Rs. 5 lakh.

Further, persons convicted under the Act will be liable to pay compensation. In case of damage to or loss of property, the compensation to be paid will be twice the amount of the market value as determined by the court, failing which the amount which will be recovered will be an area of land revenue under the Revenue Recovery Act, 1890.

Sir, cases registered will be investigated by a police officer not below the rank of Inspector and the investigation must be completed within 30 days of the date of registration.

Sir, keeping in mind the interventions required during the current COVID-19 pandemic since it is a pan-India phenomenon, the Central Government has been given a concurrent role with the State Governments to undertake any measures that may be needed to prevent the outbreak or spread of an epidemic.

At the very end, I would just like to say that during the current COVID-19 pandemic, numerous ugly incidents of violence were perpetrated on the healthcare service personnel, which were widely reported from different parts of the country. This is a disturbing phenomenon. In fact, the hon. Minister had also mentioned that the doctors who were serving the patients the whole day, were not, at the end of the day, being allowed into the societies where they lived. In many instances we have heard that nurses were scared of even wearing the uniforms on their way back home.

Lastly, I would like to say that I thank and applaud the hon. Prime Minister and his entire team of Ministers, especially hon. Home Minister, for working tirelessly throughout this period. I consider it a privilege to take part in the debate and I wholeheartedly support the Bill. Thank you.

***SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD):** Hon. Chairman Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on Epidemic Disease (Amendment) Bill 2020. Not only India but the entire world has been badly affected by this Covid-19 pandemic. Our Maharashtra Government, under the guidance of Hon'ble Sharad Pawar ji has done a commendable job to control this pandemic. All the, doctors, paramedical staff, cleaners, aanganwadi sevika and, ASHA workers, police personnel and revenue offices have fulfilled this gigantic task. Some people with their political agenda tried to defame our Maharashtra police which is always compared with Scotland Yard police dept. Many police personnel had got infected. Some police officers and doctors lost their lives due to this. I want to salute them and applaud their bravery and commitment. Mumbai is an internationally recongnized commercial city and around 4 lac persons allowed to land there during this period. It paved way to fast spread of Corona but Shri Uddhavji Thakre Government in Maharashtra managed to control it timely. All the leaders and ministers like Sharad Pawar, Uddhavji Thakre, Ajitdada Pawar and Health Minister Rajesh Tope, Home Minister Anil Deshmukh visited many places throughout Maharashtra to take the stock of the situation alongwith police officers and doctors.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

Hon'ble Chairman Sir, Maharashtra had to suffer losses due to a cyclone hit in Konkan and floods in Vidarbha, in addition to this Corona pandemic, but no central aid has been received in this connection. We expected that we will get GST returns as well as a special relief package in these hard times.

Sir, a Rs. 20 lakh crore package was declared by Union Government recently. Artisans and workers in Maharashtra also need a special package. We know that in western countries, special packages and monetary assistance have been given to the common citizens in those countries. These farmers, artisans and small traders should also get financial help to survive.

I would like to congratulate the Health Minister for bringing this bill for protection of doctors. A stringent and punitive action must be taken against the offenders. All the patients not only from Government hospitals but also from the private hospitals should get the benefits of medical insurance cover.

Thank you very much.

***SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE):** Hon. Chairman Sir, this Bill has been brought to ensure protection and safety to the frontline warriors, the doctors, nurses, paramedical staff, and health care professionals. This Bill also ensures timely completion of enquiry and penal action against those who were involved in violent activities against the medical professionals and health care workers of our country. This Bill is a welcome step. As against the superstitious beliefs like Coronavirus will be driven away by clapping hands or by lighting lamps, this Bill has been brought before the House in the right perspective caring about health systems, health care professionals, doctors, nurses, and paramedical staff.

In India, Kerala was the first State in the country to announce such a protective legislation for the welfare of health care professionals. The PM-CARES Fund should not be spent lavishly or unnecessarily; rather this fund should be utilized for strengthening the health care systems of the country. Such Bills can only be implemented in the true spirit only when the Government allocates sufficient funds for such health care schemes. Thank you.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Thank you, Sir.

Sir, I rise to support the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020. I would like to thank the Government, our Prime Minister, Modi Ji, and our Health Minister, Harsh Vardhan Ji, for bringing the Ordinance first and now the Bill just at the right time.

We all are aware that not only our country, but the entire world is going through an extraordinary situation of COVID-19 pandemic. If we look at the case fatality rate and mortality rate of our country, it is much lesser than those countries which we call developed nations. Case fatality rate of COVID-19 in India is 1.7 per cent. The world average rate is far higher, that is, 3.5 per cent. UK has the highest case fatality rate, 12 per cent, Mexico has 10.2 per cent, France has 6.7 per cent, Spain has 4.5 per cent, Brazil has 3 per cent, and United States has 2.9 per cent. Regarding the mortality rate of COVID-19, the data reveals the number of deaths per one lakh population. India is the lowest in ranking with 6.33 deaths per one lakh. Developed nations with much better health infrastructure have much higher mortality rate. Spain has 65, Brazil has 65, United States has 60, France has 46, and South Africa has 27. These are all deaths per one lakh population.

Sir, the way our Government has acted upon this pandemic step-wise in a planned manner is truly appreciable. Control of the spread of the virus is being done. Our healthcare workers are working round the clock to protect, take care, and cure the COVID-19 infected patients. While serving as frontline

workers, our healthcare providers are themselves at a higher risk of getting infected with COVID-19. But still, they are fighting the battle just like soldiers who are fighting with the enemy called COVID-19.

Being a doctor myself and coming from a family of doctors, I have witnessed very closely what the doctors, paramedical staff, and nurses had to go through during COVID times. For weeks or months together, they had to stay away from their wives and children so that they can protect their families from getting infected with COVID-19. I would like to mention that the rate of infection and death rate is four times higher in healthcare workers than in general population. Today, more than 10 per cent doctors from modern medical fraternity that is almost 50,000 doctors and their families are affected by COVID-19. Nearly 500 doctors have lost their lives due to COVID-19. In the case of COVID-19 pandemic, we have seen that this was a new virus and a lot of fake news, rumours, messages, and videos were being spread on the social media which caused a lot of confusion and misunderstanding about the COVID-19 infection, following which we saw instances where healthcare providers were being targeted and attacked by miscreants, thereby obstructing them from doing their daily duty. During the current pandemic of COVID-19 duty, the medical community, despite performing its duties relentlessly and saving human lives, became most vulnerable victims and they were perceived by some as carriers of the virus which led to stigmatization, and sometimes, even violence and harassment. Such a situation tends to hamper the medical

community from performing its duties to the optimum and maintaining its morale which is critical in this hour of national health crisis. Our Prime Minister has always encouraged the corona warriors in different ways like clapping, lighting lamps and showering petals in different cities and towns on the leading hospitals who are providing treatment to the COVID-infected people. As a doctor, I would really welcome this Bill. It is a very good step taken by the Government. I would not repeat the same things that my previous speakers have said. I wholeheartedly support the Bill. Thank you.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Hon. Chairperson Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020. Let me begin by saluting all our COVID warriors which include doctors, nurses, and medical personnel who worked 24x7. It was a new situation for most of us including doctors and medical personnel. I thank the Government which has rightfully brought the Bill to protect our medical personnel.

There are a few suggestions. One is that we should also include police personnel in the ambit of this Bill. Secondly, when we talk about stigmatization and ostracization, it is a very good thing that we have taken all measures to prevent this from happening, we need to understand why the people were angry, and what the root cause was. Let me tell you the example of my constituency where we have three COVID-19 hospitals. We have 10 ICU ventilators, but we do not have specialists; we do not have practitioners; we do

not have anaesthetists. If there are any co-morbid cases, doctors are helpless and they are not even able to report deaths. The number of COVID-related deaths is underreported, maybe because of the pressure of State Government or Central Government. But the pressure on the doctors is so much that they are not even able to face the patients. We need to do something. Only setting up COVID-19 hospitals is not enough, especially in Odisha where there are 36 COVID-19 hospitals. There should be treatment also available, and doctors should be getting proper medicines to treat the patients.

The Bill says that when prosecuting a person for causing a grievous harm to healthcare personnel, the court will presume that the person is guilty of the offence unless the contrary is proved. I think it is a bit harsh, just like we did on the road safety bill like imposing thousands of rupees as fines which boomeranged on the people. I would like to say that we should take a step back and see how we can make the necessary provision by which we can prevent these things, but asking a person to prove that he is not guilty is too harsh for him. With these words, I support this Bill. Thank you.

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ उन कोविड-19 वर्कर्स को, जिन्होंने देश भर में इस वायरस को हराने के लिए काम किया है, चाहे वे डॉक्टर्स हों, नर्सिंग हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस हो, वालेंटियर लोग हों, सैनिटेशन वर्कर्स हों, इन सबने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। इस सदन में इन सबके लिए एक और बार, मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, दूसरी तरफ जिन्होंने अपनी जान खोई है, जो शहीद हुए हैं, उन सबके प्रति भी मैं श्रद्धाजलि प्रकट करता हूँ और उनके परिवारों के प्रति भी सहानुभूति प्रकट करता हूँ। यह जो बिल है, जिसे ये लेकर आए हैं, एक तरीके से यह बिल अभी जो प्रेजेंट पैन्डेमिक है, उसको ध्यान में रखते हुए लेकर आए हैं। सरकार के पास यह एक अच्छा मौका था कि भविष्य में जो परिस्थितियाँ होंगी, उन सबको ध्यान में रखकर अगर और भी बैटर परपज़ के साथ एक्ट लेकर आते तो और भी अच्छा रहता।

सर, हम कोविड-19 वर्कर्स की बात कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हमें इस तरह की राय नहीं देनी चाहिए कि सिर्फ पैन्डेमिक के टाइम ही उनको सुरक्षा मिलेगी। बाकी टाइम पर भी उनको इस तरह की दिक्कतें होती हैं, उन पर इस तरह के अटैक्स होते हैं। हमने दूसरे वक्ताओं से भी सुना है कि कई राज्य सरकारों ने भी अपने खुद के ऐसे एक्ट बनाए हैं। एक ऐसा सेंट्रल एक्ट आए कि हर बार, जब भी डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ के ऊपर इस तरह की परिस्थिति या अटैक्स हों तो उन सबको इससे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इस तरह का भी कदम केन्द्र सरकार को आगे उठाना चाहिए।

हम बात कर रहे हैं कि यह इन्वेस्टिगेशन 30 दिनों में खत्म हो, उसी तरह हम उन फैमलीज़ को कॉम्पेनसेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें लोग शहीद हो रहे हैं। यह भी 30 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें उन परिवारों को यह भरोसा, यह कॉन्फिडेंस देना है कि केन्द्र सरकार

उनके साथ हर टाइम खड़ी है। इसी तरह जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या आशा वर्कर्स हैं, हमने देखा कि इस तरह के पैनेडेमिक के टाइम पर हमारा जो हैल्थ सिस्टम है, वह किस हद तक जाता है, मतलब गांवों तक यह हैल्थ सेक्टर किस तरह जाता है। इसलिए, इन आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और बहुत सारे इस तरह के स्टाफ का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन सबको भी रेगुलराइज़ किया जाना चाहिए। इसी बात को हमारे सांसद डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी ने भी बोला था, मैं उनके साथ सहमत हूँ।

सर, मैं एक-दो और विषयों के बारे में बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारे राज्य में भी एक हादसा हुआ था, जहां एक डॉक्टर ने सरकार के ऊपर एक बात बोली थी। वह सच बात थी कि मास्क नहीं मिल रहे थे, पीपीई किट्स नहीं मिल रही थीं, इसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनकी बेइज्जती की गई और उनकी पूरी तरह इन्सल्ट की गई। अतः हम जो प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं, जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, सरकार को जिन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, अगर वही इस तरह की बेइज्जती, इन्सल्ट करेंगे तो वे किसके पास जाएंगे? इसका भी ध्यान केन्द्र सरकार को रखना चाहिए।

सर, यह मेरी अंतिम बात है। लोगों ने कहा है कि इसमें पुलिस को भी इनक्लूड करना चाहिए। हमने सुना है कि prevention is better than cure. इसलिए, क्योर करने में जिस तरह डॉक्टर्स हमारी मदद कर रहे हैं, जैसे उन्होंने योगदान दिया है, उसी तरह प्रिवेंट करने में पुलिस ने भी उतना ही योगदान दिया है। इसलिए, उनका भी हमें जरूर सम्मान करना चाहिए। सुरक्षा या आर्थिक सहायता – यह सब हम इस बिल के तहत कर सकते हैं, हम यह जो कागज़ बना रहे हैं, उसके तहत यह कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें इन सबका – जो ये डॉक्टर्स, कोविड-19 वॉरियर्स हैं, इन सबको गौरव देना चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए। वह सिर्फ कागज़ की वजह से नहीं होगा। हमारी 130 करोड़ की आबादी जब मन से उन सबका गौरव और सम्मान करेगी, तब उन सबको यह विश्वास होगा कि हम सब एक परिवार हैं, हम सब साथ में खड़े

हैं। इसीलिए, मैं इस सदन के माध्यम से सभी को बोलता हूँ कि उन सभी का सम्मान कीजिए, उन्हें गौरव दीजिए और जब भी मौका मिलता है, उन सबको धन्यवाद दीजिए।

थैंक-यू, सर।

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Hon. Chairperson, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Epidemic Disease (Amendment) Bill, 2020.

The main purpose of the amendment, as put out by the Government, is to deal with cases of violence against medical personnel. The Act also empowers the Government to stop the spread of the epidemic by taking such steps as regulating inspection of ships, airplanes, trains or buses leaving or arriving at any port, detaining any person travelling or intending to travel by said medium of transport.

I have some concerns about this Bill. The Bill states that such people who have been accused of committing an act of violence against a healthcare worker, as defined in the Act, must be presumed by the courts to be guilty of said offence unless proven otherwise. This provision of presumption of guilt of the accused may not be in the best spirit of law.

The Bill gives the Government the power to inspect any bus or train leaving or arriving at any land port, or port or aerodrome. While this might be necessary, in some cases the provision could be misused by the Government arbitrarily.

The Bill also provides for detention of any person travelling, or intending to travel to and from any such port. This 'intending to travel' clause seems vague and again might be misused by the Government to curtail the freedom of movement of the people.

Sir, there is wide public support for measures to punish those who attack our healthcare personnel. Each one of us stands with our doctors, nurses, para medical workers, ASHAs, and all those in the frontline of the fight to make India safe from the Coronavirus. But a few sections of the Bill are questionable, draconian, and could easily be misused for targeting and harassment. At least, Sections 3C and 3D should be re-considered or removed till the Parliament has the opportunity to discuss all the sections of the Bill before it becomes a law.

Thank you.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं The Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020 के समर्थन में अपनी बात रखना चाहती हूँ। जहाँ एक ओर इस कोरोना काल में हमारे कोरोना वॉरियर्स ने अपने जीवन की फिक्र किए बगैर आम जनमानस के जीवन को बचाने का प्रयास किया और हमारे देश की तीनों सेनाओं द्वारा अपने-अपने तरीके से उन को सलामी देने और उन पर पुष्प वर्षा करने की खूबसूरत तस्वीरें एक ओर हमारे सामने आ रही थीं, वहीं दूसरी ओर मन को आघात पहुंचाने वाली बहुत सी घटनाओं की जानकारी भी देश के कोने-कोने से मिल रही थी। कहीं किसी अस्पताल में मरीजों के द्वारा महिला नर्सों के साथ अभद्र और अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा था और कहीं डॉक्टर्स के ऊपर जो कोरोना मरीजों की जांच करने गए थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी करके उनको भगाया जा रहा था। यहां तक कि कई डॉक्टर्स को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के एक्सपोजर के कारण उनके अपने पड़ोसी ही बहिष्कृत कर रहे थे। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही शर्मनाक है कि जिस समाज के जीवन को बचाने के लिए हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थकेयर वर्कर्स संघर्ष कर रहे थे, वे ही उनके ऊपर हमले कर रहे थे। हमारे बीच में ऐसे कुछ लोग हैं, जिन्हें डॉक्टर्स, हेल्थकेयर वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की निष्ठा, उनके सेवा भाव और उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं था। ये घटनाएं सचमुच देश की आत्मा को आघात पहुंचाने वाली थीं, इसलिए सरकार द्वारा इसमें हस्तक्षेप करना और स्थिति को नियंत्रण में लाना बेहद आवश्यक था। इसी वजह से एक ऑर्डिनेंस लाया गया है। यह दर्शाता है कि सरकार किस प्रकार संवेदनशील है और कितना जिम्मेदाराना रवैया है, क्योंकि हमारे हेल्थकेयर वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स सभी का सम्मान, उनकी गरिमा और उनके जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है।

महोदय, आज जो बिल लाया गया है, उसके तहत यदि हमारे डॉक्टर्स के ऊपर, पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर या हेल्थकेयर वर्कर्स के ऊपर, यदि किसी भी प्रकार का वायलेंस होता है तो उसे नॉन-बेलेबल ऑफेंस बनाया जाएगा। एक एपिडेमिक के दौरान और यहां तक कि

मामलों की गंभीरता को देखते हुए 6 महीने से लेकर 7 साल की जेल और एक लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। किसी प्रकार की गंभीर इंजरी या प्रॉपर्टी के डैमेज की स्थिति में मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है।

मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से सिर्फ एक ही प्रश्न है और मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है कि इस बिल के दायरे में जो हमारे अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मों काम करते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, जिनको बायो-मेडिकल वेस्ट का एक्सपोजर होता है, उनका जीवन उतना ही खतरे में होता है। जो भी ये कोरोना वॉरियर्स हैं, क्या उनको इसका लाभ मिल पा रहा है? क्या वे इसके दायरे में आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं? जो हमारे सफाईकर्मों हैं, उनको जरूर इसके दायरे में लाने का काम कीजिएगा।

सभापति महोदय, हमें समझने की आवश्यकता है कि जो एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1897 है, यह 123 वर्ष पुराना है। आज हम वर्ष 2020 में एक वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए इतने पुराने कानून को उपयोग में ला रहे हैं, जो उस दौर में आया था, जब शायद लोगों के पास रेडियो सेट्स भी नहीं हुआ करते थे। यह कानून ब्रिटिश काल में बना था, इसलिए इसमें ब्रिटिश शासन की मानसिकता झलकती है कि किसी भी एपिडेमिक के दौरान, किसी भी पेंडेमिक के दौरान सरकारों की क्या शक्तियां हैं, उनका तो उल्लेख है, लेकिन आम जनमानस के क्या अधिकार हैं, उस पर यह कानून पूरे तरीके से खामोश था। इसलिए इसे बदल कर, रिपील करके एक कॉम्प्रिहेंसिव, नया, मॉडर्न और एथिकली रॉबस्ट कानून लाना समय की मांग थी। इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करती हूँ। इससे हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थकेयर वर्कर्स का जो कॉन्फिडेंस है, वह रिस्टोर होगा और वे निरंतर सेवा भाव से काम करते रहेंगे। मैं इतना ही कहते हुए इस बिल का समर्थन करती हूँ और अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

22.00 hrs

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, सदन में आज महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर चर्चा हो रही है। कल भी नियम 193 के तहत कोरोना पर चर्चा हुई। कई माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। निश्चित रूप से कोरोना से पूरा विश्व हिल गया है। हमारी पार्लियामेंट में भी लोक सभा के 100-150 से ज्यादा, 50 से 100 के बीच राज्य सभा के और कई केंद्रीय मंत्री, कई मुख्यमंत्री और बड़े-बड़े लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। अमेरिका, जर्मनी और इटली में मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा रहा है। हम टेलिविजन और सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि किस तरह से कोरोना से मरने वाले लोगों को सेना के ट्रकों में लाद कर ले जाया जा रहा था। यह भयावह नजारा पूरे वर्ल्ड ने देखा है। लेकिन हिन्दुस्तान में हमारी मृत्यु दर सरकार के प्रयासों से और ईश्वर की कृपा से बहुत कम रही है। हमारी रिकवरी रेट भी अच्छी है।

महोदय, सबसे पहले मैं कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके अलावा हमारे दोनों सदनों के सांसदों ने पिछले छः महीने में इससे लड़ने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। मंत्री जी आज जो एक्ट लेकर आए हैं, इसकी बहुत आवश्यकता थी। 22 अप्रैल को जब डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर अलग-अलग राज्यों में हमले हो रहे थे तब इसकी आवश्यकता पड़ी कि इन हमलों को कैसे रोका जाए? जो कोरोना वॉरियर्स अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनके माता-पिता उनको भेज रहे हैं कि आप देश के लिए लड़ो, आपको देश को बचाना है। उस समय पर देश में कई जगह अज्ञानता के कारण लोग हमले कर देते थे। देश की सरकार उस समय एक ऑर्डिनेंस लेकर आयी थी, जिसको आज एक्ट का रूप दिया जा रहा है।

महोदय, मैं उन सभी को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनी जान गवाई है। किसी ने बेटा, पति और किसी ने पत्नी खोई है। कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हिन्दुस्तान के अंदर जब कोरोना आया तब वर्ल्ड में यह बात चली थी कि हिन्दुस्तान

में कोरोना एक भयावह रूप ले लेगा। कोरोना से बहुत ज्यादा मौतें होंगी। लेकिन ईश्वर की कृपा हिन्दुस्तान पर है। देश की सरकार के प्रधान मंत्री जी ने मार्च में लॉक डाउन किया और तमाम राज्यों को कहा कि केन्द्र के लॉक डाउन का पालन करें। कई राज्य सरकारों ने अपनी मनमर्जी से लॉक डाउन को खोला। प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के बाद उनको सही से क्वारंटीन नहीं किया, जिसकी वजह से कई राज्यों में हालात बिगड़े। मैं किसी स्टेट के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। इस बिल के पास होने से जितने भी डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स हैं, उनका हौसला बढ़ेगा। जब स्पेनिश फ्लू और प्लेग आया, इसके अलावा हिन्दुस्तान में जो भी महामारी आयी वह खुद ही यहां से भाग गयी क्योंकि हिन्दुस्तान वीरों-शूरवीरों और लोक देवताओं की धरती है। यहां महामारी आयी जरूर, लेकिन उसका खात्मा हुआ है। कोरोना चीन से आया है और मुझे लगता है कि जिस तरह से चीन की चीजें नकली हैं, उसी तरह से यह नकली कोरोना हिन्दुस्तान में आया है और यहां आते-आते दम तोड़ देगा।

सभापति महोदय, इस विधेयक में सजा का प्रावधान किया गया है कि इंस्पेक्टर और उससे ऊंचे लेवल का अधिकारी जांच करेगा। एक वर्ष में उसका डिसपोजल करना होगा। मैं देश के गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कोरोना काल में हम सभी से कांटेक्ट किया, चाहे हम एनडीए के लोग थे या कांग्रेस के लोग थे, सभी से सम्पर्क किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी लगातार हम से बातचीत कर रहे थे।

माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, जो हमारे राजस्थान के प्रभारी थे और माननीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान जी लगातार हमारे संपर्क में थे। उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी चीज की आवश्यकता हो, तो दिल्ली तुरंत फोन कीजिए, आपका काम होगा। मैं सभी को और मंत्री जी को पुनः धन्यवाद दूंगा।...(व्यवधान)

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं सबसे पहले कोविड-19 से उपजी महामारी की स्थिति में सुधार पर सहायता के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी व माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं । उन्होंने इस विकट स्थिति में भी देश को हर तरह से संभालने का काम किया है । यह बिल कोरोना संक्रमण के दौरान काम कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति कुछ लोगों के द्वारा अमानवीय घटनाएं घटित होती थीं, उन घटनाओं को देखकर डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों को बचाने के लिए लाया गया है । इस महामारी के दौरान पहली घटना सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली में दो महिला रेजिडेंट चिकित्सकों पर कोविड-19 संक्रमण फैलाने का आरोप लगाते हुए हमला हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एम्स में दो रेजिडेंट डॉक्टरों पर मारपीट की शिकायत की जाती है ।

22.06 hrs

(Hon.Speaker in the Chair)

डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को हमले से बचाने के लिए बुधवार 22 अप्रैल, 2020 की देर रात केन्द्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर एपीडेमिक डिजीजेज़ एक्ट में संशोधन किया था । अध्यादेश के अनुसार अब से स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला एक संज्ञान योग्य अपराध होगा और इसमें बेल भी नहीं मिलेगी । इससे पूर्व में सन् 1897 में मुंबई में फैले ब्यूबॉनिक प्लेग, जो धीरे-धीरे देश के अन्य भागों में भी फैलता जा रहा था, उसको देखते हुए फैलती हुई महामारी पर काबू पाने के लिए महामारी अधिनियम सन् 1897 को लागू किया गया था । कई देश भारत की स्थिति को देखकर चिंतित थे और तो और रूस ने तो यह अनुमान भी लगाया था कि इस महामारी से पूरा उपमहाद्वीप संक्रमित हो सकता है । तब महामारी विधेयक को काउंसिल मेंबर जॉन वुडबर्न द्वारा 28 जनवरी, 1897 को सभा पटल पर रखा गया था और समिति ने 4 फरवरी, 1897 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और संक्षिप्त चर्चा के पश्चात् उसी दिन विधेयक को पारित कर दिया गया था । लेकिन सजा या घटनाओं को रोकने का प्रभावी प्रावधान उसमें नहीं था ।

123 साल पुराने इस अधिनियम में संशोधन करके हमारी सरकार कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाकर्मियों के लिए सुरक्षा कवच लेकर आई है, जो दिन-रात सेवा करके अपने घर-परिवार व बच्चों से दूर रहकर देश सेवा में लगे रहे रहते हैं। वे बेहतर ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। वे खुद की जान को जोखिम में डालकर निरंतर लोगों की सेवा करते रहते हैं, उसके बाद भी उन पर दोषारोपण, उनका बहिष्कार, उनके साथ मारपीट जैसी घटनाएं, जहां उनका मनोबल तोड़ रही थी, वहीं मोदी सरकार ने कोरोना वारियर्स के लिए ताली, थाली, दीया या पुष्प वर्षा ही नहीं, बल्कि अधिनियम को संशोधित करके स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षित करने का भी काम किया है।

एक नई धारा 2ख को अंतः स्थापित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि महामारी के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी स्वास्थ्यकर्मी के विरुद्ध किसी हिंसक कृत्य में लिप्त नहीं होगा, अथवा किसी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। महामारी के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी स्वास्थ्यकर्मी के विरुद्ध कोई हिंसक कृत्य नहीं कर सकता है और न ही किसी को उकसा सकता है। किसी संपत्ति को कोई नुकसान या क्षति नहीं पहुंचा सकता है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर 3 महीने से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यदि किसी स्वास्थ्यकर्मी के विरुद्ध किए गए हिंसक कृत्य से उसे गंभीर क्षति पहुंचती है, तो उस अपराधी को 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। डॉक्टरों के साथ-साथ आशा कार्यकर्ताओं तक सभी स्वास्थ्यकर्मियों पर यह संशोधन लागू होगा।

महोदय, इतना ही नहीं पुराने कानून में फैसला आने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। लेकिन नए कानून में स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हुई हिंसा को गैर-जमानती अपराध बनाने के साथ ही 30 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का नियम भी इसमें जोड़ा गया है। इसके साथ

ही मामले का फैसला आने की समय सीमा 1 साल निर्धारित की गई है। महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए चार लाइनों के साथ अपनी बात को विराम दूंगी -

‘हर आपदा में देश का साथ दिया है मोदी सरकार ने,
हर नागरिक के सामने ढाल बनी है कोरोना काल में,
मोदी जी हमें आप पर पूरा भरोसा है,
क्योंकि देश को भंवर से निकाला है मोदी सरकार ने।’

***SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE):** Hon'ble Speaker Sir, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on this Epidemic Disease (Amendment) Bill, 2020.

Medical profession is regarded as a noble profession and it's not a business. During this corona pandemic, we have witnessed that doctors are working for 10-20 hours daily through day and night. They spared their personal and family life to perform their duty. Our Hon'ble Health Minister Dr. Harshvardhan has set a very good example. After her mother's demise, he joined his office within 24 hours. Unfortunately, some people are there in our society who love to do hooliganism, rioting, misbehaving and arsoning. When they approach hospital, the patient's relatives are clueless about the patient's actual condition and most of the time, he is in last stage. They start misbehaving with doctors and medical staff, if the patient could not survive. They usually thank God if the patient survives but blame doctors at once if the patient cannot survive due to medical reasons.

We all must congratulate and thank all the doctors and paramedical staff for their real and valuable contribution. We must come together to strengthen this law to ensure the safety and security of doctors and to develop a harmonious relation between doctors and patients.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

We will keep on amending the law as per needs and changing times.

My city Pune has become a new hotspot of corona and the doctors there are working for at least 20 hours on a daily basis to serve the people. I believe that doctors will feel safe and secured due to this Bill and their spirit would be high.

Lastly, I would like to salute and congratulate all the doctors, nurses and paramedics for their relentless and prompt services.

Jai Hind Jai Maharashtra.

DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): Mr. Speaker Sir, I thank you for this opportunity.

Sir, I would like to emphatically speak in support of the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020 which has been brought to amend the Epidemic Diseases Act, 1897 which is very old. I am not saying that this old Act was not appropriate. But in modern day, after about 123 years there were limitations in the Act and it did not have answers to deal with the violence and the harassment that were meted out to the healthcare providers; it did not have any deterrence, and it did not lead to fear in the mind of perpetrators of violence and such acts against healthcare workers. So, in order to curb such unprecedented acts of violence, including physical and mental harassment and damage to properties during the COVID-19 pandemic, there has been an urgent need to amend this Act for the protection of healthcare workers.

The frontline healthcare workers of our country, in their battle against COVID-19, were subjected to verbal and physical abuses which are known to everybody and have come out in the open in the discussion today in the Parliament. They have been stigmatised, ostracised, and many of them were forced to leave their homes. I remember our battle about 30 years back when I was a new entrant into the medical college; it was a battle against the so-called deadly AIDS, when the Government of India had to run advertisements in national television channels to prevent the stigma around AIDS.

But that was only against the patients at that time and not against the healthcare workers. But unfortunately, it is important to bring to the notice of this august House that this time, the stigma and ostracization happened not only against the patients but also against the healthcare workers who were working almost 24X7 for almost six months on. They were ostracized. The morale of the healthcare workers have been badly hit. I actually shudder to think, what would have happened had the Government under the leadership of Modi-ji, and Dr. Harsh Vardhan not stood behind the frontline workers.

Today, I am very happy and I stand here emphatically to support this Bill, which has been brought to protect the rights of the healthcare workers. This Bill actually provides for a non-bailable offence against the perpetrators; it also provides for a punishment of about three months to seven years, and even a fine of Rs. 50,000 to Rs. 5 lakh. The time given to the police to complete their inquiry is only 30 days, which is a very important aspect of this. The trial should complete in one year.

Sir, I would not take much of the time of the House. Lastly, I would like to offer my condolences to all the family members of those bereaved ones of COVID-19 and thank those healthcare workers who have worked day in and day out for the last six months and given a name of resilience to our country.

I would once again, thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity to highlight a few points, which have come in this Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020. Thank you very much.

DR. UMESH G. JADHAV (GULBARGA): I am thankful to you, hon. Speaker, Sir, for permitting me to speak on the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020.

Sir, I am a doctor and surgeon also. I was tested COVID-19 positive and admitted in the Bowring Hospital in Bengaluru. Along with me, my entire family including my son who is an MLA, were tested COVID-19 positive. My gunmen were also tested COVID-19 positive. So, we were all admitted in the hospital.

Being a medical professional, I know the importance of the young staff nurses, young girls, post-graduate young doctors in this field. Day and night, they served us, and I will never forget this in my whole life. I salute them. They have given us a rebirth.

I come from Gulbarga, which is bordering Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra. All the four-five months, we were on the border and we used to receive all these migrant workers. When these migrant workers were in quarantine in the summer with the temperature reaching 46 degree Celsius, in my area, these fellows used to attack our Anganwadi workers and our ASHA *karyakartas*. Our doctors used to call from those villages and tell us that ये लोग हमको सता रहे हैं, मार रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं। एम्बुलेंस को फोड़ रहे हैं। Then, we used to intervene and our district magistrate and other officers used to help us.

Sir, this is a wonderful Bill. I would thank our hon. Health Minister, Dr. Harsh Vardhan-ji. He is really doing a wonderful work. He is a role model for

us. I support this Bill and once again, I would thank all the medical professionals, police and Corona warriors, who have been doing a wonderful work. It is a Yeomen's service, which they are doing. This Bill is going to strengthen their morale and they will do a better service with confidence.

I would, once again, thank you, Sir, for allowing me to speak at this juncture on a very important Bill. With these words, I conclude.

SHRI ANNASAHEB SHANKAR JOLLE (CHIKKODI): Hon. Speaker, Sir, I am really thankful to you for allowing me to participate in the debate on the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020. I welcome this Bill.

The Colonial British Government had enacted a law to contain the Epidemic Diseases Act, 1897 in the country during those days. After 123 years, the Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance was promulgated in April, 2020.

Sir, in this year 2020, there has been an extraordinary situation all over the world. In our country also, we got affected by this new virus COVID-19. This is a new infection. We are all aware about the pathetic conditions in the country. In the last week of March, considering the grave situation, our hon. Prime Minister on March 24th imposed a complete lockdown across the country. The whole country has extended its full support to the hon. Prime Minister for the way he handled these circumstances. People did not know much about the virus. There have been so many misunderstandings about the

virus. There was a sense of stigma and discrimination. In such a situation, our health workers stood up to protect our health by risking their lives. In some places, Corona warriors and doctors were attacked by the people in the country. Many of our health professionals, doctors, paramedical workers were treated as stigma. In order to handle the situation in a better manner and to provide safety and security to the health workers, the Government has taken immediate action and brought the Ordinance. Now, it is before us in the form of a Bill. We should support the Bill.

I am sure that it will ensure the safety of the health professionals. We have also seen in a few reports about the exploitation of health workers in private hospitals. The healthcare and frontline workers are treated very badly. Their salaries are not being paid. The PPE kits are not safe. Their concerns are ignored. These real issues are to be addressed.

Keeping in view, the Government has made some provisions in the Bill to prevent damages to the health services. It is evident from the fact that the Central Government took appropriate steps to handle situation that has arisen out of COVID-19 in the country.

Sir, I would like to suggest that the health insurance cover announced by the Government of Rs. 50 lakh for health workers does not cover the allied workers such as Anganwadi workers who work in similar conditions and with same energy as ASHA workers.

Hence, I would like to request the Government to include Anganwadi workers in the health insurance cover as well. With these words, I conclude my speech. Thank you, Sir.

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, मुझे लंबा नहीं बोलना है, मैं बहुत संक्षिप्त में अपने विचार रख रहा हूँ। यह बिल हर आदमी को, हर डॉक्टर को, हरेक को ताकत देने वाला है।

मान्यवर, जब डॉक्टर्स वहाँ पर जा रहे थे, छतों के ऊपर से पत्थरों की बारिश की जा रही थी तो मनोबल टूट गया था। लोग डॉक्टर्स के पीछे भाग रहे थे कि पकड़ो-पकड़ो और उन्हें पीट रहे थे। उस समय पूरे देश का मनोबल टूट गया था। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे समय में बहुत कठोरता से, बहुत दृढ़ता से जो भारत की मंशा थी, देश की मंशा थी, उसको उन्होंने परिलक्षित किया है।

मान्यवर, जब आदमी की मृत्यु हो गई थी तो घर में से कोई भी उसे देखने नहीं जा पा रहा था। अस्पताल से सीधे शमशान घाट ले जाकर उनका पूरा क्रिया-कर्म हो रहा था। डॉक्टर्स अपने कर्तव्य से डिगे नहीं। बहुत बड़ी संख्या में जानें गई हैं और बहुत बड़ी हमारे डॉक्टर्स की "अमानत में खयानत" हुई है, लेकिन यह देश कभी भी डॉक्टर्स को नहीं भूल सकता है - डॉक्टर्स, नर्सों, चालक, सफाई कर्मचारी, आंगनवाड़ी बहनें, आशा बहनें, पुलिस के जवान, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जन सेवक, वह कार्यकर्ता और वह स्वयंसेवक जो रात-दिन खड़े-खड़े पुलिस वालों को चाय पिला रहे थे, तपती धूप में पानी पिला रहे थे। वे लोग रात-दिन अपनी परवाह किए बिना लोगों की सेवा में लगे हुए थे। वे दिल में एक आग लिए हुए थे कि किसी तरह से कोरोना का मुकाबला करें और जो हमारे वॉरियर्स हैं, उनको बूस्ट-अप करें।

मान्यवर, यह ऐतिहासिक बिल है, इस बिल का हम सब समर्थन करते हैं। इस बिल का विरोध होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह बिल ही ऐसा है और सदन को इसमें एकमत होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है, सभी इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस महामारी के बारे में हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय हर्ष वर्धन जी जो बिल लेकर आए हैं, उसका समर्थन करने के लिए मैं अपनी बात रख रहा हूँ।

सर, महामारी अधिनियम, 1897 में पहली बार सुधार करने के लिए यह बिल लाया गया है। इस महामारी में हम सबके लिए 'दो गज की दूरी' वाली बात थी और मास्क पहन कर दूर रहने की बात थी, लेकिन कोरोना वारियर्स, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ्स, पैरा मेडिकल स्टाफ्स या सफाईकर्मी थे, जो हम सब को बचाने के लिए, मानव जीवन को बचाने के लिए काम कर रहे थे, उन पर कहीं-कहीं हमले भी हो रहे थे। कोई उनके साथ झगड़ा करता था। यदि कोई डॉक्टर किसी सोसाइटी में रहता था, तो भी लोग उन्हें वहां रहने नहीं देते थे।

सर, कभी-कभी तो ऐसा भी हुआ कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ्स दो-दो महीने, तीन-तीन महीने अपने घर नहीं गए। उन्हें 24 घंटे क्वैरेन्टीन होना पड़ता है और जब वे क्वैरेन्टीन में हों, तब भी उन्हें वहीं रहना पड़ता है, वे अपने घर नहीं जा सकते। ऐसे समय में, जब इस महामारी में उन पर हमले होते थे तो देश के आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उसके लिए जो सजा का प्रावधान किया है, उससे सभी कोरोना वारियर्स में हिम्मत आई है कि यह सबके लिए है। इसलिए यह जो काम किया गया है, इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को, हेल्थ मिनिस्टर हर्ष वर्धन जी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो लोग देश की सारी प्रजा के लिए काम कर रहे हैं और उनको भी जब कोई हानि पहुंचाता है तो यह कानून उनके लिए है। कोरोना वारियर्स के लिए इन्होंने काम किया है, इनका ध्यान गया है। जो लोग शहीद हुए हैं, उन्हें मैं

श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारों को भी आश्वासन देता हूँ कि जब वे लोग हमारी सेवा के लिए खड़े हैं तो मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): स्पीकर सर, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे एपिडेमिक डिजीजेज बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात मराठी भाषा में रखना चाहूंगा।

*सबसे पहले, डॉक्टर होने के नाते मैं सभी हेल्थकेअर वर्कर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेविकाओं ने इस कोविड महामारी के समय अपना अमूल्य योगदान दिया है। जिन कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान गंवाई है, उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

सर, बहुत सारे सांसदों ने यहां पर अपनी बात रखी है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो चीजें कोरोना के पूरे पीरियड में मेरे ध्यान में आईं, उन्हें मैं आपके सामने एक-दो मिनट में बताना चाहूंगा।

सर, सबसे पहले, हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में जो बताया गया, खासकर डॉक्टर्स के बारे में, तो मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं खुद 15 दिन कोविड आई.सी.यू. में ड्यूटी कर चुका हूँ। वहां हम ट्रीटमेंट देते थे और बार-बार इस बात का आरोप लगाया जाता था कि बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल बहुत बड़े पैमाने पर बिल लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो बिल की बात है और डॉक्टर्स पर जो आरोप लगाए गए, अगर इसमें सिर्फ 20 प्रतिशत को हटा दिया जाए और 80 प्रतिशत को पकड़ें तो हर चीज में हमें दिक्कत आ रही थी। स्वच्छता कर्मचारी, जो करीब दस हजार रुपये प्रति माह पर काम कर रहा था, वह आने को तैयार नहीं था। इसके कारण

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

वहां पर आदमी लाने के लिए 25,000 रुपये लग रहे थे। इसी तरह नर्सिंग स्टाफ है। हर चीज की कीमतें मैनपावर के तौर पर बढ़ती गईं, जैसे पी.पी.ई. किट्स का यूटीलाइजेशन है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि यह आरोप काफी तौर पर गलत है। अगर इसमें से 20 प्रतिशत को हटा दिया जाए तो 80 प्रतिशत प्राइवेट अस्पतालों में भी डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ्स ने अपनी जान जोखिम में डाल कर हम सब की सेवा की है।

सर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेरे किसी साथी सांसद ने इसका उल्लेख किया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन चार महीने के पीरियड में एक चीज का ध्यान नहीं रखा गया। मेरे साथ यह हुआ है, इसलिए मैं अपनी बात रखूंगा। जो हम मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट थे या लोक प्रतिनिधि थे, उन्हें इन चार महीनों में इससे जुड़ी किसी भी चीज में विश्वास में नहीं लिया गया। वहां पर जो अधिकारी वर्ग हैं, जैसे कलक्टर साहब, एस.पी. साहब, तहसीलदार हैं, इन सब ने भी बहुत अच्छा काम किया, but I am sorry to say that the people's representatives were not taken into confidence कि वहां क्या हो रहा है, फंड्स कहां से आ रहे हैं, उनका यूटीलाइजेशन कैसे हो रहा है। आज मुझे महाराष्ट्र के मेरे एक सीनियर सांसद ने कहा कि पीएम-केयर्स फण्ड्स से कुछ आया ही नहीं।

मैं खुद बताना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में पी.एम. कोविड फंड नेशनल हेल्थ मिशन के तौर पर सेन्टर ने भेजा था, लेकिन वह किसी सांसद को पता ही नहीं होगा। हर जिले के जिला अस्पताल में कम से कम 50 वेन्टिलेटर्स माननीय प्रधानमंत्री जी के पी.एम.केयर्स फंड से आए। वह भी किसी सांसद को पता नहीं है। मैं खुद जब दूसरे काम के लिए अस्पताल गया तो पता चला कि वहाँ 50 वेन्टिलेटर्स आए हैं। मैं चाहता हूँ कि इन सब कामों के बीच प्रशासन और लोक प्रतिनिधि में संबंध भाव होना चाहिए। सब को मिल कर काम करना चाहिए। आज सब ने हेल्थ केयर वर्कर्स की तारीफ की है। मैं भी खुद उनकी तारीफ करना चाहता हूँ। यहाँ बैठा हर सांसद अपने जीवन को दाव पर लगाकर लोगों के बीच रहा। हम भी चार महीने तक उनके बीच रहें। हम भी कोरोना से

प्रभावित हो सकते थे। हमारी फैमिली भी कोरोना से प्रभावित हो सकती थी। फिर भी हम लोगों के लिए काम करते थे। मैं यहाँ बैठे सभी सांसदों का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर समाज सेवा करने का काम किया।

अंत में, मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी, हर्षवर्धन जी और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से इस कोविड-19 की स्थिति संभाली है। अगर दो महीने का लॉकडाउन नहीं हुआ रहता तो स्थिति बिगड़ सकती थी। मेरे ख्याल से न तो हमारा देश इतनी बड़ी महामारी के लिए तैयार था, न लैब्स सेटअप थे, आरटी-पीसीआर की जाँच क्या है, यह किसी को भी पता नहीं था। सेन्ट्रल ऑक्सीजन सिस्टम क्या है, यह भी किसी को पता नहीं था। मास्क लगाना क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, होम क्वारंटाइन क्या होता है, ये सभी चीजें देश और देशवासियों को पिछले दो महीने के लॉकडाउन में सीखने को मिली हैं। इसकी वजह से काफी जानें हमारे देश में बच पाई हैं। यह बिल हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरीके से हेल्थ एन्शोरेन्स गवर्नमेंट डॉक्टर्स का कराया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी करीब 350 डॉक्टर्स की मौतें हुई हैं। उनको भी इस तरीके की एन्शोरेन्स कवरेज देने का प्रावधान सरकार करे।

महोदय, मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर दो मिनट बोलने का मौका दिया।

धन्यवाद, सर।

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी । आज आपने महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर मुझे बोलने का मौका दिया ।

माननीय अध्यक्ष जी, कल रूल 193 के तहत कोरोना महामारी पर विस्तार से चर्चा हुई, साढ़े चार घंटे तक चर्चा हुई । सभी सदस्यों ने बढ़-चढ़कर इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें रखीं । लेकिन, आज विषय केवल यह है कि हम महामारी से निवृत्त पाने के लिए अपने कानून में किस तरह की व्यवस्थाएँ करें, ताकि आने वाले समय में जब हमारे देश में महामारी आए तो उसके बारे में हम पहले से सतर्क रहें । वैश्विक महामारी का प्रभाव भारत के जनमानस में भय तो पैदा कर ही रहा है, लेकिन देश के नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस तरह से भले ही थाली बजवाई, ताली बजवाई, दीपक जलवाया, लेकिन देश को एकजुट बाँधने में जो भूमिका अदा की, उसका ही परिणाम है कि आज हम बहुत सुरक्षित हैं । ऐसे में, मैं एक ही बात कहूँगी कि ऐसे समय में हमको आज सावधानियों का कोई कठोर कानून बनाना पड़ेगा । मैं मानती हूँ कि पहला सुख निरोगी काया है । जब पहला सुख निरोगी काया है तो उसके लिए सरकार को समुचित व्यवस्था करने में इस कानून में प्रावधान करना चाहिए । यह सही बात है कि हमारी आशा सहयोगिनी, आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर्स से भी ज्यादा मेहनत की है । उन्होंने गाँवों में अवेयरनेस की है । लोगों में जागरूकता पैदा करने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया । एक पाँव पर खड़ी रहकर उन्होंने काम किया है, परंतु वे बहुत ही अल्प वेतनभोगी हैं । कहीं न कहीं इस कानून के माध्यम से हम उनको भी संरक्षण दें ।

माननीय अध्यक्ष जी, यह सही बात है कि

मंत्री बैद गुर तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस,
राज धर्म तन तीनि कर होई बेगिहीं नासा॥

यहाँ मीठा बोलना या कड़वा बोलना, पक्ष और विपक्ष के अंदर दोनों बातें चली हैं, लेकिन इस विधेयक के अंदर यदि हम कठोर से कठोर व्यवस्थाएँ करें, आने वाले समय में पिछली महामारी

को याद रखते हुए सावधानियाँ बरतने का प्रावधान रखें तो निःसंदेह हम अपने देश को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रख पाएंगे।

इस महामारी ने एक पहचान दी है। हमारे सामाजिक संगठनों ने भी इसमें काम किया है, डॉक्टर्स ने किया, पुलिस ने किया, सहायक कर्मचारियों ने किया, हेल्थ वर्कर्स ने किया, सफाई कर्मचारियों ने किया, उनकी सराहना करने में हम पीछे नहीं हैं। हमने अपने-अपने क्षेत्रों में इनका खूब सम्मान किया। इसके साथ-साथ, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो सामाजिक संगठन अपना धन खर्च करके, अपने बलबूते पर, मेरे संसदीय क्षेत्र में दौसा रसोई संस्थान के नाम से 200 लड़कों, नौजवानों, माताओं-बहनों ने जिस तरह से काम किया, कहीं न कहीं उन सामाजिक संगठनों को भी याद करना पड़ेगा। इन सामाजिक संगठनों की भूमिका हमारे देश में सहयोग और सहायता के लिए सबसे आगे आती है। माननीय अध्यक्ष जी, इस कानून में हमारे सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों को भी याद रखना होगा। धन्यवाद।

श्री रमेश बिधूडी (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। पूरी दुनिया को झकझोरने वाली बीमारी के बारे में आज यह बिल आया और उस पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ।

सर्वप्रथम मैं देश के प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। महामारी आज से 70-80 साल पहले भी कभी आई थी। जब इस महामारी की चर्चा हुई, तो बताना चाहूंगा कि गांव में चर्चा होती थी कि हर गांव से चार बॉडीज़ लेकर जाते थे और घर पर वापस आते थे, तो बीमारी की मार के कारण चार और तैयार मिलते थे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहले ही दिन यह स्टेटमेंट देकर कि अब हमें कोरोना वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा, तो लोगों ने मान लिया कि बीमारी तो है, पर इतनी घातक नहीं कि हमारे जीवन को ले जाएगी। उन्होंने लोगों की विल पॉवर बढ़ाने का काम किया। माननीय प्रधान मंत्री जी ने लोगों को विश्वास दिलाया। जो क्रेडिबिलिटी देश में उनकी थी, उस क्रेडिबिलिटी के अनुसार लोगों ने उन पर विश्वास किया। उस विश्वास के कारण लोगों में

तसल्ली बढ़ी। सेवा भाव से प्रधान मंत्री जी ने आगे निकलकर कहा कि फेस मास्क घर पर बने कपड़े का ही चाहे बनाकर आप लोग लगाएं। लोगों के दिमाग में एक भय था। जब यह बीमारी प्रारम्भ हुई थी, तो सेनेटाइजर की बोतलें भी 600 रुपये में बिक रही थीं और फेस मास्क भी लोगों ने 300-400 रुपये में बेचने शुरू किए थे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने विश्वास जगाया और माननीय प्रधान मंत्री जी पर पूरे देश के लोगों को विश्वास था, तो उस बात को उन्होंने माना।

हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, कल भी मैंने इस बात को कहा कि खुद डायबिटिक होने के बाद, दिल्ली में जो भयावह स्थिति हुई, दिल्ली की सिटिंग सरकार अपना मैदान छोड़कर भाग गई और वे मैदान में उतरे। गृह मंत्री खुद डायबिटिक होने के बावजूद हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे हैं। 10 हजार बेड कैंट के अंदर और राधास्वामी सत्संग में बनाए गए और वे खुद स्वयं पेश हो गए, तो कार्यकर्ताओं, समाज सेवी संस्थाओं और संगठनों का मॉरल बढ़ गया कि जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले इतने बड़े लोग अगर मैदान में हैं, तो बीमारी ज्यादा घातक नहीं है। लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा। आत्मविश्वास बढ़ाने में डॉ. हर्षवर्धन जी रोजाना रिपोर्टिंग करने के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, डॉक्टर से लेकर, पुलिस से लेकर, बैंक कर्मचारी से लेकर, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, निगम, सफाई कर्मचारी और उन लोगों का मनोबल बढ़ा। हम सांसद, जनप्रतिनिधि के रूप में जो काम करने वाले लोग थे, मैदान में चाहे भोजन वितरण का काम हो, किचन चलाने का काम हो, मैदान में जाकर हम लोगों के बीच खड़े रहे, तो इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए देश के लोगों का मनोबल बढ़ा। आगे के लिए हमें वह सीख देता है। ऐसी महामारी से दुनिया हिल जाए, लेकिन भारत मजबूत और सक्षम है, जिसका मार्गदर्शन हमारे प्रधान मंत्री जी ने दिया। हरदीप पुरी जी, पीयूष गोयल जी, 14, 15, 20 लाख लोग देश में वंदे मातरम, जहाज और ट्रेन के माध्यम से आना और उन परिवार के लोगों को ढांडस बढ़ाना कि मेरे परिवार का सदस्य मेरे बीच में आ गया। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यूपीए के लोगों ने कोई काम नहीं किया। हम इसमें पार्टी लाइन से हटकर बात करेंगे। चाहे वह किसी भी पार्टी का सांसद था, एक-दूसरे से जब मदद

की बात कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि भारत के जवान सीमा पर अगर विरोधियों को टक्कर देते हैं, तो भारत के सवा सौ करोड़ लोग एकमुश्त इस बीमारी से लड़ने के लिए एक साथ खड़े हैं। इस एपिडेमिक में दुनिया को संदेश देने का भारत ने जो काम किया, उसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी और उनके नेतृत्व को बधाई देना चाहूंगा।

इस बीमारी के कारण कुछ लोगों ने देश को जरूर कमजोर करने का प्रयास किया। तबलीगी समाज के हमारे भाई थे, उनको बहुत समझाने का प्रयास किया। कुछ लोग जो समाज और देशहित की बात करने वाले थे, उनका मार्गदर्शन करने की बात करते, अपने मुंह के ताले खोल लेते, तो कहीं न कहीं यहां भी कुछ लोगों ने जो राजनीति करने की कोशिश की, तो देश के सवा सौ करोड़ लोगों ने उनको भी जवाब दे दिया।

अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस बिल के माध्यम से अमेंडमेंट्स पास करके विल पॉवर, कम्युनिटी पॉवर को बढ़ाने के लिए हम लोग आगे तैयार रहेंगे। मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने का मौका दिया। मेरे लोक सभा क्षेत्र भीलवाड़ा का नाम इस महामारी में सभी जगह है, पूरे विश्व में है। इसकी शुरुआत भीलवाड़ा से हुई और इसे कंट्रोल किया गया। उसमें सबसे बड़ा सहयोग भीलवाड़ा की जनता का था। उन्हें जो भी निर्देश मिले, 23 मार्च को कर्फ्यू लागू हो गया था, मैं 20 मार्च को वहीं था। सभी ने आपस में एक-दूसरे का सहयोग किया। एक महीने बीस दिन घरों में पैक रहे। जिस तरह से इसे कंट्रोल किया गया, भीलवाड़ा की जनता और सभी सामाजिक संगठनों ने इस दौरान लगभग आठ लाख भोजन के पैकेट का वितरण किया। मैं सभी को आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही यह भी जरूरी था कि ऐसा कोई कानून आए, क्योंकि कुछ अवांछित और असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर अस्पतालों में मारपीट की, प्रदर्शन किया। अभी एक डॉक्टर यादव साहब ने बोला कि बच गया तो भगवान ने बचाया और मर गया तो डॉक्टर ने मारा। जो कानून बन रहा है उससे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और कोरोना वैरियर्स को बहुत-बहुत हिम्मत बंधाई है। आपको एक बार पुनः आभार।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, आपने महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारे मित्र कल्याण बनर्जी साहब ने कहा कि एक बजे रात तक हाउस चलाइए। सरकार का इस विधेयक को लाने का मंतव्य क्या है? मुझे लगता है कि मंतव्य अगर कोई स्पष्ट रूप से परिलक्षित कर रहा है, उन भावनाओं को कोई प्रतिबिम्बित कर रहा है, इस समय रात के पौने ग्यारह बजे हैं, बारह और एक बजे रात तक महामारी विधेयक पर चर्चा की बात हो रही है। हम केवल एक विधेयक नहीं बनाने जा रहे हैं, केवल एक कानून पास करने नहीं जा रहे हैं बल्कि आने वाली सदियों में भविष्य के लिए स्वास्थ्य और जिन्दगी में भगवान के बाद डॉक्टर का स्थान है, आज उस डॉक्टर, आशाकर्मी और आरोग्य सेवकों को देश सम्मान कर रहा है। इसकी भावनाओं को प्रतिबिम्बित करने का काम भारत की पार्लियामेंट कर रही है। आप यकीन कीजिए कि उन डॉक्टरों को कभी लगता था, हमारे तमाम साथियों ने उन बातों को कहा है, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता।

हम सभी लोग लॉकडाउन में थे। लॉकडाउन में हम लोगों के पास टेलीविजन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम लगातार टेलीविजन से जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि घर की दहलीज आपके लिए लक्ष्मण रेखा है। जब इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग और आपने आप को कन्फाइन के सिवाय कोई उपाय नहीं था, जिस तरह से तैयारियों का इंतजाम करना था, उस समय किसी भी राज्य में दूसरों की जिन्दगी बचाने, दूसरों की जिन्दगी की हिफाजत के लिए खुद पीपीई किट पहनकर और अपनी जान जोखिम में डालकर उन तंग गलियों में जाकर काम करना, रैपिड एंटीजन या कोरोना का टेस्ट करना, जिस तरह से उनके ऊपर हमले हुए, जब हम लोग हमलों को देखते थे तो यकीनन सार्वजनिक जीवन में कार्यकर्ताओं को लगता था कि हमला किसी डॉक्टर पर नहीं हो रहा है, किसी नर्स पर नहीं हो रहा है, किसी आरोग्य सेवक पर नहीं हो रहा है, ऐसा दर्द उठता था कि उस दर्द का मर्म ऐसा था जैसे लगता था कि अटैक हमारे परिवार या हम पर हो रहा है। आज हमारी सरकार इस विधेयक को लेकर आई है, केवल हम

कानून बनाकर देश के उन लोगों को चुनौती नहीं दे रहे हैं जो जिन्दगी और प्राण देने का काम कर रहा है उसके उपर कोई प्राणघातक हमला करेगा तो भारत की पार्लियामेंट खड़ी रहेगी। देश की एक सौ तीस करोड़ जनता उसके साथ खड़ी रहेगी। यह इस विधेयक की भावना है। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, इस वैश्विक महामारी के लिए जो महत्वपूर्ण बिल आया है, उसमें आपने सदन के सभी लोगों को विचार रखने का मौका दिया। सबके अपने अलग-अलग अनुभव हैं। मैं इस बात के लिए भारत सरकार का, आदरणीय प्रधान मंत्री जी का और आदरणीय डॉ. हर्ष वर्धन जी का आभार प्रकट करता हूँ कि 130 करोड़ की आबादी के लिए जब-जब जिन-जिन चीजों की आवश्यकता हुई, उस पर त्वरित निर्णय लेते हुए पूरे देश को एक डोर में पिरोकर रखा और देश की जनता ने भी एक-एक बात को माना और उसका अनुसरण किया। जब पिछली बार सदन कोरोना के समय खत्म हुआ था, जब लोग क्षेत्र में जा रहे थे तो सड़कों का नजारा यह था कि कोई साईकिल से और कोई पैदल अपने घर जा रहे थे। मैंने देखा कि संपन्न लोगों ने और सामाजिक संगठनों ने जो काम किया, वह तो किया, लेकिन रास्ते में जो गांव पड़ रहे थे, गांव के किसान, गरीब मजदूर बाल्टी में पानी लेकर, जिसकी जैसी स्थिति थी, गांव के गरीब लोग चिलचिलाती धूप में सड़क पर खड़े होकर सभी लोगों को बिस्किट दे रहे थे। जिनके पास छोटे बच्चे थे, उनके लिए गांव की माताएं एवं बहनें दूध लेकर पहुंच रही थीं। पूरे देश की जनता सड़क पर जितने भी लोग थे, उनको अपने परिवार का सदस्य मानकर प्रश्रय दे रही थी। हमारे गुरुद्वारों ने, सामाजिक संगठनों ने और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जितनी बड़ी संख्या में भोजन का इंतजाम किया, मैं समझता हूँ कि इतनी व्यवस्था साधारण रूप से जिनका नेटवर्क न हो, वे नहीं कर सकते हैं। उस समय मैं टेलीविजन पर एम्स के डायरेक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था, डॉक्टर्स के बारे में आज हम लोग बिल पास कर रहे हैं, डॉ. गुलेरिया ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे एक यंग जूनियर डॉक्टर ने कहा कि आप हमारी ड्यूटी कोविड सेंटर में तो लगा रहे हैं,

लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं अपने घर में अकेली लड़की हूँ, मैं डाक्टर हूँ, मैं ड्यूटी करूंगी, लेकिन यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे माता-पिता की चिंता कर लीजिएगा। इस प्रकार की भावुकता की चीजें देखने को मिलीं और आज मुझे समाचार-पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है, आंकड़े की ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, शायद हमारे देश के साढ़े तीन सौ से ज्यादा डॉक्टरों ने इलाज करते समय अपने जीवन का बलिदान दिया है। मैं समझता हूँ उनके सम्मान के लिए, उनको संरक्षण देने वाले इस विधयेक के लिए पूरे देश का एक-एक वासी हृदय से उनके साथ है और बार-बार अपने आदरणीय प्रधान मंत्री जी का और सरकार का आभार प्रकट कर रहा है। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. अच्युतानंद सामंत जी। अच्युतानंद जी बड़ा मेडिकल कॉलेज चलाते हैं।

प्रो. अच्युतानंद सामंत (कंधमाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आज इस विषय के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। इसमें हम सभी भारतवासी को सकारात्मक भाव रखना चाहिए। यह जो महामारी आई है, इसके बारे में पहले से किसी को कुछ नहीं पता था। कब आएगा, कैसे जाएगा कुछ भी पता नहीं था। जो कोविड वारियर्स हैं, हम लोग उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। वे दिन-रात ड्यूटी में लगकर, कष्ट करके, कोविड पैशेंट की रक्षा कर रहे हैं।

मैंने अपनी आँखों से देखा है। मुझे काफी माननीय सांसदों ने भी बोला है कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग, टेक्नीशियन्स और सेनेटाइजेशन वर्कर्स से लेकर पुलिस कर्मचारी तक सभी लोग इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि मेरे पास उनका आभार व्यक्त करने के लिए, सम्मान देने के लिए शब्द नहीं है। अभी तक छः महीने हो चुके हैं और इन छः महीनों के बाद वे लोग भी अपना पेशन्स लूज कर रहे हैं। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कोविड वारियर को एक भी गलत शब्द न बोले। अगर कोई गलत शब्द बोलता है, इसके बहुत कुछ रीजन्स हैं तो सरकार को ऐसे प्रबंध करने चाहिए कि उस आदमी को कठिन से कठिन दंड दिया जाए और पब्लिक को

पता होना चाहिए कि उसे कैसे दंड मिल रहा है। मैं इस मामले में एक उदाहरण जरूर दूँगा। हमारे ओडिशा राज्य के माननीय मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी इस काम में बहुत धुरंधर हैं। पता नहीं सर आप विश्वास करेंगे या नहीं, यहां पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हैं। वहां पर कुछ व्यक्तियों ने कोविड हॉस्पिटल के बारे में कुछ वायरल किया तो इमिडिएटली उन व्यक्तियों के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई और उनको तुरन्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। एसडीजेएम कोर्ट में उन लोगों के ऊपर केस हुआ, उसके बाद किसी का साहस नहीं हुआ कि वे कोरोना योद्धाओं को कुछ भी करके तंग कर सकें। इसमें सरकार जितना भी काम करेगी, उसके लिए सभी लोग खुश होंगे और हम सभी लोग सपोर्ट भी करेंगे।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस विषय पर बहुत कुछ कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी का भी इसमें लगातार योगदान रहा है। कोरोना योद्धाओं को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं कि 'थाली बजाओं, दिया जलाओं' खराब है, लेकिन ये सब डिफरेंट मेथड्स हैं। हिट एण्ड ट्रायल में हम लोग कोविड को हैंडल कर रहे हैं। जब हम हिट एण्ड ट्रायल में कोविड को हैंडल कर रहे हैं तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार भी चाहती है कि कैसे डिफरेंट मेथड्स से उन लोगों के मनोबल को बढ़ाया जा सके। हम लोगों को पता है कि कैसे वे लोग दिन-रात सर्विस करने के बाद 14 दिनों तक क्वारंटीन रहते हैं और उसके बाद फैमिली में जाते हैं। अगर उस समय किसी का टेस्ट पॉजिटिव निकल आता है तो फिर से वापस वे लोग 14 दिन क्वारंटीन रहते हैं। उन लोगों की ये मुसीबतें हैं, वे कष्ट उठा रहे हैं और उनके लिए सरकार की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए हैं, उसके लिए हम बीजू जनता दल की तरफ से पूर्ण समर्थन करते हैं। हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वे ठीक समय पर ठीक स्टेप्स लेते हैं।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): अध्यक्ष महोदय, महामारी संशोधन विधेयक, 2020 पर मैं अपना विषय भोपाल से शुरू करती हूँ। मैंने जब अपनी सांसद निधि से एक करोड़ रुपये दिए और जब आगे की राशि दी तो मैंने वहां के प्रशासन से पूछा कि इस पैसे का किस प्रकार से उपयोग किया गया तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसका सटीक उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमें भोपाल में आपकी सहयोग राशि प्राप्त हुई। उसके साथ ही हमने वहां वेंटिलेटर्स, बेड और भी जिन चीजों की आवश्यकता थी, उन सब चीजों के लिए वह राशि वहां के एयरपोर्ट्स, रेलवे और विभिन्न अस्पतालों को प्रदान कीं।

महोदय, कोरोना महामारी में डॉक्टर्स का हाल सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो एक युद्ध होता है, वह सीमा पर होता है, उसमें सैनिक काम करते हैं। परन्तु यह एक स्वास्थ्य के लिए युद्ध था। यह जीवन और मृत्यु का युद्ध था। इस युद्ध में सीधे तौर पर डॉक्टर्स की भूमिका होती है। हमारे डॉक्टर्स ने एक सैनिक के रूप में काम किया है। बहुत से डॉक्टर्स जो कोरोना पॉजिटिव हो गए, उन्होंने अपना बलिदान दिया है।

हम उनको शत-शत नमन करते हुए, उनकी आत्मा के कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं और ऐसे वीर योद्धा जो आज भी लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे, क्योंकि कोरोना तत्काल समाप्त होने वाला नहीं है। यह ऐसा संक्रमण है कि यदि हम सावधानी रखते हैं तो हम निश्चित रूप से इस पर विजय पाएंगे। यह सच है कि एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी- तीनों प्रकार के हॉस्पिटल्स में इसके लिए सेंटर्स बनाए गए और उन सेंटर्स में सब प्रकार के डॉक्टर्स ने अपनी-अपनी जो भूमिका निभाई है, उसके लिए हम उनके प्रति आभारी हैं। मैं एक डॉक्टर का उदाहरण देती हूँ, जो अपने घर नहीं जा पाया, उनका छोटा सा बच्चा था। उन्होंने अपनी गाड़ी को ही घर बना लिया, वहीं खाया-पिया और पूरे समय ड्यूटी की। एक नर्स कहती है कि उसके ताऊ जी की डेथ हो गई और वह वहां नहीं जा पाई। वह कहती है कि कोई बात नहीं, हमारे ताऊ जी चले गए, लेकिन यहां जो इतने लोग हैं, वे हमारे ताऊ जी की तरह हैं, अगर हम उनको जीवित रख

सकते हैं तो रखेंगे। ऐसे वॉरियर्स को हम सदैव नमन करते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ और इसके साथ ही, मैं सभी डॉक्टरों और उनकी भावनाओं के साथ हूँ। जय हिन्द।

श्री भोला सिंह (बुलन्दशहर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे महामारी संशोधन विधेयक, 2020 पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

अध्यक्ष जी, हमारे साथी सभी सम्मानित सांसदों ने अपने क्षेत्रों में और देश में कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो हमारे डॉक्टरों, नर्सों, हॉस्पिटल स्टाफ और समाज सेवियों ने अपना योगदान देकर देश के सामने एकता का जो एक सबूत पेश किया, वह सराहनीय है। इसमें चाहे शहर में रहने वाले लोग हों या गांव में रहने वाले लोग हों, हर व्यक्ति ने अपनी क्षमता से ज्यादा श्रद्धा का भाव दिखाया है। चाहे वह गरीब लोगों को, जो प्रवासी मजदूरों के रूप में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से आ रहे थे, चूंकि मैं बुलन्दशहर से आता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग बुलन्दशहर से होते हुए गुजरे, बसें भी वहां से गुजरीं, लोग पैदल भी वहां से गुजरे, सभी लोगों ने रोड पर उनके लिए खाने के पैकेट तैयार किए। घरों में महिलाओं ने अपने सारे काम छोड़कर, अपने स्वास्थ्य की चिन्ता न करते हुए, खाना बनाकर उनको पैकेट पहुंचाए।

इसके साथ-साथ, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के कुछ व्यापारी पीएमकेयर्स फण्ड देने के लिए, सहयोग करने के लिए चेक लेकर मेरे पास आ रहे थे। जब वे रास्ते में आए, उन्होंने बताया कि एक महिला सब्जी बेच रही थी, उसने उनको 500 रुपये दिए कि इसे मेरी तरफ से पीएमकेयर्स फण्ड में दें। लोगों की ऐसी भावना है और ऐसा एकता का भाव पूरे देश में देखने को मिला है। जो लोग गांव में जाकर बसे, जो बहुत समय पहले रोजगार के लिए अपना घर छोड़कर शहर आए थे, उन्हें लोगों ने अपने घर में रखा और हर तरीके से सहयोग किया। इसके लिए मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को बधाई देता हूँ और माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि हम आधुनिक समाज के रहने वाले होते हुए भी आज 123 साल पुराने बिल पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हेल्थ वर्कर्स पर हमला हो रहा है, डाक्टर्स पर हमला हो रहा है। यह बहुत दुख की बात है कि हम शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित अज्ञानी की तरह हरकत करते हैं। मैंने कल भी कहा था कि हमारे बहुत सारे डाक्टर्स को मरीजों को बचाते हुए अपनी जान गंवानी पड़ी और बहुत से हेल्थ वर्कर्स को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं यह भी मांग करके बैठा था कि इन लोगों को शहीदों का दर्जा दिया जाए। यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है कि इस तरह का हमला सेवा करने वालों पर क्यों हो रहा है? इनसे बड़ा सेवक कौन हो सकता है। यदि ऊपर गॉड है, तो डाक्टर्स को हम 'डेमी गॉड' कहते हैं। फिर भी मैं यह कहने के लिए मजबूर हूँ कि जिस दिन यह लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, तब चार घंटे की मोहलत मिली थी। पूरे देश में एक अफरातफरी मच गई थी। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए इस बिल को पारित करने में यह देखना पड़ेगा कि हड़बड़ी में फिर न कोई गड़बड़ी हो जाए। कोई बुरा न माने, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें ऐसे-ऐसे प्रॉविजन्स हैं, सेक्शन्स हैं, जो चिन्ता के विषय हैं।

23.00hrs

हम जरूर चाहते हैं कि जो अपराध या अन्याय करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो लेकिन कार्यवाही करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे समाज के दूसरे लोगों के भी सिटीजनशिप राइट्स हैं। मैं हर्ष वर्धन जी को दो चीजें बताना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं है कि उन्होंने इस बिल के लीगल इम्प्लीकेशंस का ठीक से अध्ययन किया है या नहीं। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपने जरूर अध्ययन किया होगा, लेकिन लीगल तौर पर देखना अलग है। मैं कहना चाहता हूँ कि सेक्शन 3(C) और 3 (D) बहुत खतरनाक हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि एक फेमस कोट है : "The hurrier I go, the behinder I get". In a hurried attempt to safeguard the rights of the healthcare workers, the Government has crossed the line of

progressive legislation and has landed the Ordinance in a draconian territory so much so that it might fail Constitutional tests.

The Ordinance could have been the first step towards ensuring protection to healthcare workers permanently even beyond the pandemic. Instead, what the Government has created is a clone of already existing and repealed draconian laws by inserting a reverse onus clause.

Section 3C of the amended Act states that an accused who is being prosecuted for an offence under Section 3 (3) for grievous hurt to healthcare workers will be presumed to be guilty of the offence unless proved otherwise by the accused / defendant. मतलब हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉ है, यह उससे हटकर बनाया जा रहा है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सैक्शन 3C and 3D put the accused person in an alternative universe of criminal law. The provisions are a deviation from the principles of criminal law. For example, a prosecution for an offence under Section 320 IPC would generally require the prosecution agency, that is, the State to establish a case against the accused.

The legal burden for the State to make a satisfactory case would be to prove all the accusations against the accused beyond reasonable doubt. That is to say, the story put by the prosecution is the only legitimate and provable story and there is not a shred of doubt that the accused has committed the offence. In addition, while establishing a case against the accused, it is incumbent upon the prosecution to prove the existence of *mens rea* or criminal intent. But this Ordinance flips the principles of criminal law on its head.

मुझे सैक्शन 3(C) और 3 (D) से डर लगता है। हर्ष वर्धन जी आप इस सैक्शन को जरूर देख लें। हम इतने दिनों तक रुके हुए हैं, कम से कम यह जो लीगल इम्प्लीकेशन है कि कोर्ट में जाकर डिफीट हो, तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजकर ज्यादा गहनता से लीगल एक्सपर्ट्स से सलाह मश्विरा करके लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : आपके चीफ विधायक ने इस बिल का समर्थन कर दिया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, यह मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है। मेरा सुझाव है सदन में बहुत-से लीगल मामलों के जानकार हैं।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, what he is saying is legally correct. ...(*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्ष जी, मान लीजिए, किसी ने हेल्थ वर्कर की आलोचना की है, तो उसकी आलोचना करना भी इस एक्ट के मुताबिक एक्ट ऑफ वॉयलेंस हो जाएगा।

A draft Public Health Bill, 2017 was put forward by the Ministry of Health and Family Welfare, which has not moved forward although it may be noted that this Bill too has been criticised for ignoring citizens' rights, liberties, and consent.

महोदय, मैं एक दुख की बात बताना चाहता हूँ। जून महीने में मैंने एमपी लैड फंड से 44 लाख रुपये अपने डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल में मरीजों के लिए वेंटीलेटर के लिए डोनेट किए।

कल रात छः महीने बाद जवाब आया कि आपके पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि सप्लायर नहीं मिला। अगर इस तरह से माननीय एमपी के साथ भेदभाव होता रहेगा, तो हम सेवा करना चाहेंगे तो भी सेवा नहीं कर पाएंगे।...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जी, देखिए यह क्या हो रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, कल मेरे साथ यह हुआ है। मैंने छः महीने पहले 30 लाख रुपये वेंटिलेटर्स के लिए अपने जिले बहरामपुर के अस्पताल में दिये, लेकिन उन्होंने उसे छः महीने में इस्तेमाल नहीं किया। अब वे बहाना कर रहे हैं कि उसके लिए कोई सप्लायर नहीं मिला।

...(व्यवधान) इस तरह का बर्ताव हमारे साथ भी होता है।..(व्यवधान) हमें कौन बचाएगा, यह भी देखना पड़ेगा।...(व्यवधान)

इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस बिल में हड़बड़ी से गड़बड़ी न करते हुए, एक बार स्टैंडिंग कमेटी में भेज कर, इसकी सही तरह से वेटिंग कराइए और इसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लाइए। यह मेरा निवेदन है।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, मैं अधीर रंजन जी को एप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि यहां सुबह से रात तक बैठ कर उन्होंने छः बार डिबेट में पार्टिसिपेट किया है। उनके पेशेंस और स्टैमिना को भी एप्रिशिएट करता हूँ।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: अब अपना नाम बदलना पड़ेगा, अधीर को सुधीर करना पड़ेगा।...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी: स्पीकर साहब, हम लोगों को छः बार बोलने का मौका नहीं देते हैं। अगर इनको 12 बार बोलने का मौका देंगे तो ये 12 बार बोलेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभी माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने बहुत गहराई, गंभीरता और पर्याप्त संवेदनशीलता का परिचय देते हुए, इस बिल के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने, वॉरियर्स के साथ बहुत सारी दर्दनाक, कष्ट देने वाली कोरोना जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनका भी यहां पर स्मरण कराया है। आप सब की तरह बहुत बार कोरोना वॉरियर्स की पवित्र स्मृति को मैंने भी नमन किया है और हम जितनी बार भी उनको नमन करें, वह कम है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जब भी कोरोना का इतिहास लिखा जाएगा, तो उस इतिहास में कोरोना वॉरियर्स के बारे में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जैसा मैंने कल भी कहा था कि इतिहास उन माताओं को भी हमेशा याद रखेगा, जो लगातार पिछले नौ महीने से देख रही हैं कि एक के बाद एक कोरोना वॉरियर्स चाहे वे डॉक्टर्स हो, नर्सों हों, पैरामैडिकल हों, अस्पतालों में काम करने वाले सिक्योरिटी, सैनिटेशन, पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सों के लोग हों, कोरोना वॉरियर्स की लिस्ट में बहुत सारे लोग एक-एक कर के ऐड होते गए। एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग काम करते थे, फील्ड में बहुत सारे आशा वर्कर्स काम करते थे। बहुत सारे जर्नलिस्ट्स ने भी कोरोना वॉरियर्स की तरह इस जंग में अपने प्राण दिए हैं। यह सब कुछ हमारी माताएं देख रही हैं। लाखों कोरोना वॉरियर्स की सहायता से आज भी हम लोग इस युद्ध को लड़ रहे हैं।

किसी माँ को यह नहीं पता है कि यह युद्ध कब तक चलेगा। उसके बेटे या बेटियों को इस युद्ध में अभी और कितनी कुर्बानियाँ देनी हैं और कितनी मेहनत करनी है, उसको और कितना थकना है। लेकिन उसके बावजूद देश के किसी भी स्थान से ऐसी खबर नहीं आई कि किसी माँ ने अपने बच्चे को इस युद्ध में अपना समर्पण करने से रोका हो। आप सबने भी लगभग इसी प्रकार की भावनाएँ व्यक्त की हैं। वर्ष 1897 में जो कुछ हुआ था और जो आज 2020 में हो रहा है, उसमें कुछ-कुछ चीजें मिलती हैं। उस समय बम्बई प्रेज़िडेंसी में मंडावी नाम के स्थान पर ब्यूबोनिक प्लेग

के केसेज आए थे। आज वह स्थान गुजरात में है। उस समय की ब्रिटिश सरकार ने एपिडेमिक्स एक्ट बनाया, जिसमें उसने स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को एम्पॉवर किया। उनको पॉवर्स दिए गए कि वे आगे किसी को भी पॉवर्स दे सकते हैं क्योंकि बीमारी को जगह-जगह ढूँढना था, जैसे आज हम ढूँढ रहे हैं। ढूँढने के लिए सर्च करना जरूरी था, उसके लिए किसी के घर में भी सर्च हो सकती थी, उसके लिए ट्रेन में भी सर्च हो सकती थी। उस जमाने में शिप्स चलते थे। सेन्ट्रल गवर्नमेंट को यह डर हो जाता था कि अगर शिप्स के माध्यम से बीमारी भारत में आ सकती है, तो वह सी-पोर्ट्स पर भी सर्च कर सकती थी, इस प्रकार से एम्पॉवर किया गया था। आज हमारे सामने कोरोना का, कोविड का पैन्डेमिक सामने आया है। इस कोविड पैन्डेमिक के परिप्रेक्ष्य में हम सबने अपनी आँखों के सामने देखा कि इस बीमारी के बारे में किसी को शुरुआती दौर में किसी को कुछ नहीं पता था। सब कुछ तो अभी भी किसी को नहीं पता है। लेकिन धीरे-धीरे हमने देखा कि डॉक्टर लोग, अस्पतालों में काम करने वाले लोग, ईमानदारी से, कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए, मेहनत और जज्बे के साथ दिन-रात परिश्रम से काम कर रहे थे। अचानक हमको इस प्रकार के शब्दों को सुनने का मौका मिला कि लोग कोरोना के मरीज से तो डर रहे हैं, कोरोना के मरीजों को तो दूर रखना चाहते हैं, उससे तो छुआछूत का भाव रखना चाहते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में यह भी भ्रांति फैल गई थी कि शायद अस्पताल से जो काम करके आ रहा है, वह भी बीमारी को साथ लेकर आ रहा है। इसलिए हम लोगों ने स्टिग्मटाइजेशन, ओस्ट्रसाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन जैसे शब्दों को हम लोगों ने सुनना शुरू किया। डॉक्टर्स को, अगर वे किसी घर में किरायेदार थे, तो मकान मालिक ने उनको घर छोड़ने का नोटिस देना शुरू कर दिया। हमारे भाई- डॉक्टर्स, हमारी बहनें- नर्सों, अस्पताल से काम करके जाती थीं, तो उनको कोई मोहल्ले में नहीं घुसने देता था, कोई सोसायटीज में नहीं घुसने देता था और कभी-कभी लोग उनको अपने घरों में भी प्रवेश कराते हुए डरते थे।

हमारे जो कोरोना वॉरियर्स क्वारंटाइन सेन्टर्स में जाते थे, सर्विलेंस के लिए जाते थे, टेस्टिंग के लिए, स्वैब लेने के लिए जाते थे, हम सबने देखा कि उनको दौड़ाया गया, उनको पीटा गया, उनको जलील किया गया, उनको बेइज्जत किया गया और उन पर प्राणघातक हमले किए गए। देखते ही देखते सारे समाज के अन्दर इस तरह के इंसिडेंट्स होने लगे, जिनमें से कई इंसिडेंट्स का यहाँ पर वर्णन भी किया गया।

सुरेश जी ने अपने शुरुआती भाषण में कई जगहों का वर्णन किया और कई अन्य लोगों ने भी किया। मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उस सारी परिस्थिति के परिपेक्ष्य में आप स्मरण कीजिए, अगर आप गहराई में जाने की कोशिश करेंगे और निष्पक्ष भाव से जाने की कोशिश करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि जो कार्यक्रम इस देश में 22 मार्च की शाम को पांच बजे हुआ या जो कार्यक्रम 5 अप्रैल को रात नौ बजे करने के लिए देशवासियों से अपील की गई थी, उसके पीछे का भाव क्या था। उन कार्यक्रमों के बाद भी जब इस तरह की घटनाएं लगातार चल रही थीं, साथ-साथ सरकार, आप सब अपने-अपने घर जा चुके थे, पार्लियामेंट एडजॉर्न हो चुकी थी, पार्लियामेंट को वापस बुलाकर कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता था।

यहां यह बात कही गई, अभी अधीर रंजन जी ने भी स्मरण कराया कि उस समय हमने कोई पर्मानेंट कानून क्यों नहीं बना दिया, हमने वर्ष 1897 के कानून को क्यों पकड़ा? मैं इस सदन की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि सरकार पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से जो नेशनल पब्लिक हैल्थ एक्ट है, उसके ड्राफ्ट को पूरी तरह से तैयार कर के और जैसा कि हमसे लीगल डिपार्टमेंट ने कहा, हैल्थ चूंकि स्टेट-सब्जेक्ट है, आपको पूरे देश की सब सरकारों से इसके ऊपर उनका ओपिनियन लेना है। दो वर्षों में तो हमें केवल चार स्टेट्स का ओपिनियन ही मिला। इस कोरोना के काल में भी हम इसे अग्रेसिवली पर्स्यू कर रहे हैं। अभी हमारे पास 14 स्टेट्स की ओपिनियन आई हुई है और हमारा नेशनल पब्लिक हैल्थ एक्ट को बनाने के संदर्भ में अलग से प्रोसेस चल रही है।

जब देश में ऐसी कष्टदायक घटनाएं घट रही थीं, उन परिस्थितियों में सरकार ने और शायद जब भी ऑर्डिनेंस आता है तो उसको तुरंत अपोज करने के लिए बहुत सारे रिजॉल्यूशन्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस एक्ट को बनाने के लिए, इस अमेंडमेंट को लागू करने के लिए उस समय जो ऑर्डिनेंस लाया गया, वह शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक था, सबसे ज्यादा जरूरी था और सबसे ज्यादा अर्जेंट था। उस सारी पृष्ठभूमि के अंदर, इस कानून के अंदर यह अमेंडमेंट किया गया था। अगर आप सब याद करने की कोशिश करेंगे तो इस कानून को बनाने का मतलब केवल इतना ही नहीं था कि लोग हमारे कोरोना वॉरियर्स से बद्तमीजी करते रहें, उन्हें मारते-पीटते रहें और हम उनको पनिश करते रहें, उनको जेल में डालते रहें। इसके पीछे एक और भी बड़ा मकसद था। इसका एक बहुत बड़ा संदेश, टॉल-मैसेज, लाउड एंड क्लियर तरीके से पूरे देश को मिलना चाहिए।

अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो पिछले चार महीनों के अंदर शायद आपको वैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति देश में उस प्रकार से होते हुए नहीं दिखाई दी होगी। इस कानून को हम लोगों ने साथ में सप्लिमेंट किया। नीचे आशा वर्कर्स लेवल तक, ये जो कोरोना वॉरियर्स किसी भी कारण से शहीद हो रहे हैं, भारत सरकार ने इसके लिए लीड ली। हमने किसी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं कहा कि हमें आपसे पैसा चाहिए है। हमने पूरे देश भर के 22 लाख वर्कर्स का इंश्योरेंस खुद किया, उसके लिए सारा का सारा प्रीमियम भारत सरकार ने किया। ... (व्यवधान) 22 लाख से ज्यादा लोगों का हम लोगों ने इसके लिए इंश्योरेंस किया।

हमारे वैस्ट बंगाल के दोस्त बुरा न मानें, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, जब आपने कहा कि भारत सरकार दादागिरी कर रही है। हमें समझ नहीं आया कि पिछले नौ महीनों में हम लोगों ने कौन सी दादागिरी की है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले नौ महीनों से प्रधान मंत्री जी, उनकी पूरी टीम पूरी विनम्रता के साथ पूरे देश को सब प्रकार का सहयोग करने में लगी है। जब देश में इन नौ महीनों में सिर्फ तीन कोबास मशीनें आईं, जिनसे सबसे ज्यादा टैस्ट्स होते हैं तो प्रधान

मंत्री जी को जब निर्णय करना था तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि इस कोबास मशीन को मुझे किसी अपनी बीजेपी की सरकार के पास भेजना है।

उन्होंने उसको महाराष्ट्र में भेजा, उन्होंने उसको वेस्ट बंगाल में भेजा। सबसे पहली मशीन दिल्ली में लगी थी, मैंने उसका उद्घाटन किया था। बाद में प्रधान मंत्री जी ने तीन थ्रूफुट मशीन कोबास 60 मशीन हैं, जिनमें एक दिन 1000-1200 टेस्ट एक साथ हो जाते हैं। पूरे नौ महीने हमारी सरकार और प्रधान मंत्री जी ने भी सारे देश के मुख्य मंत्रियों से बहुत बातचीत की। मैं हर मीटिंग के अंदर उपस्थित रहा हूँ। साथ में गृह मंत्री जी भी होते थे, वहां डिफेंस मिनिस्टर भी होते थे और कुछ मीटिंग्स में तो फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठी हैं। वे मीटिंग्स 6-6 घण्टे तक चली हैं। एक-एक चीफ मिनिस्टर ने उनके अंदर किसी ने 20 मिनट, किसी ने आधा घंटा, किसी ने 15 मिनट और किसी ने उससे भी ज्यादा अपनी बात को कहा है और 6-6 घंटे तक प्रधान मंत्री जी ने बैठकर उनको सुना है। ऐसी एकाध मीटिंग नहीं हुई है, ऐसी मीटिंग्स आधे दर्जन से एक दर्जन के बीच में हुई हैं।

मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, वह देश की लड़ाई है। यह 135 करोड़ लोगों की लड़ाई है। देश के 135 करोड़ लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। जैसा मैंने कल भी कहा था कि इस सदन और उस सदन की बहस के अंदर लोगों की बातचीत सुनने के पहले कभी नहीं लगा कि हम लोग अलग-अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने, 135 करोड़ लोगों ने और सब सरकारों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है।

जहां तक इस कानून का प्रश्न है, इसका एक इमरजेंसी मकसद था। मैं कल्याण जी की तरह कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसमें जो सैक्शंस हैं और जितना मैंने पढ़ा है, यह एम्पावरिंग एक्ट है। यह स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए है। वहां पर किसी भी पर्सन को एम्पावर करने के लिए, कोई भी टेम्परेरी रेगुलेशन बनाने के लिए है। मेरा यह कहना है कि अगर

मान लीजिए कि हमने उस समय की परिस्थिति में जो भी एक्ट बनाया, सब प्रकार के कानूनी विशेषज्ञों और अपने लॉ डिपार्टमेंट से सलाह करके बनाया। इसमें बहुत स्पष्ट है कि यह एम्पावरिंग एक्ट है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसमें कोई पॉवर नहीं लेनी है। हम तो देश को एम्पावर कर रहे कि अगर ऐसी कोई घटना होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कोरोना वॉरियर की बेइजती करेगा, उसको हर्ट करेगा, उसको इंजरी करेगा तो उसको पैसे के रूप में फाइन देना होगा और उसको जेल के रूप में भी फाइन होगा। उसकी इन्वेस्टीगेशन एक महीने के अंदर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को करनी पड़ेगी और उसका रिजल्ट एक साल के अंदर ही लाना पड़ेगा। जो उसमें उस परिस्थिति के हिसाब से होगा। इस कानून के बाद इसका इस प्रकार का इफेक्ट सारे देश के अंदर हुआ है।

यहां सुरेश जी ने कोई राज्य सभा के जवाब की बात की थी। वह प्रश्न जो था, उसमें जवाब इस बात के लिए था कि हमने सारे देश में सारी सरकारों को एम्पावर किया कि यदि आपके यहां कोरोना वॉरियर की डेथ होती है तो आप उसका इंश्योरेंस क्लेम करके हमारे पास भेजिए। वह जो संख्या हमने राज्य सभा के अंदर दी है, वह उन लोगों की है, जिनके क्लेम्स राज्य सरकारों के द्वारा भेजने पर अब तक हम फुलफिल कर चुके हैं। इसका डेटा भारत सरकार के पास किसी भी समय पर अपडेट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसे स्टेट्स मेंटेन कर सकते हैं। जिस चीज का डेटा हमारे पास है, जिसे स्टेट्स हमको देते हैं, वह हम ने राज्य सभा के सामने भी रखा है। इसलिए इस संदर्भ में हमें किसी को भी आपस में न तो गलतफहमी होनी चाहिए, न मतभेद होना चाहिए।

यहां पर बहुत सारे लोगों ने दूसरी पेंडेमिक से अच्छे-अच्छे सुझाव लर्न करने के लिए दिए हैं, लेकिन हम लोग पिछले नौ महीने से लर्न करने की ही कोशिश कर रहे हैं। आज प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में 'आत्म निर्भर स्वस्थ भारत' योजना की कल्पना हुई है, जिसके लिए मैंने कल भी कहा कि 65 हजार करोड़ रुपये के एक्सपेंडिचर का अप्रूवल फाइनेंस मिनिस्ट्री से हो रहा है।

उसके लिए हमने डिटेल्ड योजना बनायी है। जिसमें भविष्य की पेनडेमिक्स के लिए हमारे देश का सर्विलांस सिस्टम और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, और ज्यादा हम इन्फैक्शियस डिजिजिस के लिए हॉस्पिटल क्रिएट कर पाएंगे। ये सारी चीजें की हैं।

हमारी एक डॉक्टर बहन कहकर गयी हैं कि केवल एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर क्यों भरोसा कर रहे हैं? हम तो केवल एक्ट ऑफ गॉड पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हमने कल आपको विस्तार से बताया कि हम वैक्सीन के लिए क्या काम कर रहे हैं? हमें तो पूरा विश्वास है कि जैसे ही नया वर्ष शुरू होगा तो उस वर्ष के शुरूआती दौर में वैक्सीन हमारे देश के लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। हमने तो आपको यह भी बताया है कि हम किस प्रकार से वायरस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह से जिनोम सिक्वेंसिंग कर रहे हैं, किसी तरह से उसकी कोई म्यूटेशन तो नहीं हो रही है, उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। इन सारी चीजों पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं।

सभापति जी, आपने भी कहा और श्रीकांत जी ने भी कहा कि शहीद का दर्जा दीजिए। यह दर्जा ऐसा नहीं है कि किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। आज तो किसी के कहे बगैर देश के 135 करोड़ लोगों ने देश के डॉक्टरों को शहीद का दर्जा 22 मार्च को 5 बजे दे दिया था। जब सारा देश बाहर आकर खड़ा हो गया था और वह कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट कर रहा था। उस समय ही उनको शहीद का दर्जा मिल गया था। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई डॉक्टर शहीद का दर्जा प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टरों की भावनाओं को समझता हूँ। किसी को किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। डॉक्टर का मरीज जब ठीक होता है, कोरोना वायरस का मरीज जब उससे ठीक होकर घर जाता है तो उसकी मुस्कुराहट से ही उसको शहीद का दर्जा मिल जाता है। डॉक्टर मानवता की सेवा के लिए बना है। यह बात और है कि उसका जो वास्तविक रूप है, उसकी रिकोगनिशन होने के लिए इस प्रकार के पेनडेमिक को भारत में आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर पहले यह काम नहीं करते थे। डॉक्टरों हमेशा इन्फैक्शियस डिजिजिस के साथ काम करते हैं। जब वे मरीज के चेस्ट और गले को देखते हैं और

मरीज जब खांसी करता है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं, वे आपके ऊपर आ जाती हैं। मैं तो स्वयं ईएनटी सर्जन हूँ और मैं इस बात को जानता हूँ कि वे पूरे रिस्क के साथ काम करते हैं। ये कोविड का वायरस ज्यादा पॉप्युलर हो गया, अन्यथा कितनी सारी बीमारियाँ हैं, जिनसे वे प्रभावित हो सकते हैं।

23.28hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

यहां बहुत सारी और भी बातें कही गयी हैं, जैसे अनुप्रिया जी ने कहा कि इसमें पार्टिकुलर केटेगिरी के सेनिटेशन के लोग आएंगे या नहीं? कई माननीय सदस्यों ने कंसर्न रेज किया है कि अगर किसी डॉक्टर का अस्पताल के बाहर घर होगा तो वह आएगा या नहीं? इसमें जो प्रोविजन्स हैं, उसमें ये सारी चीजें स्पष्ट हैं। इसमें इतना भी प्रोविजन है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी और भी केटेगिरी को इनक्लूड करना चाहे तो कर सकती है। यह एक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स को इम्पॉवर करने वाला है। इसके साथ-साथ पुलिस के बारे में कहा गया।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): डॉक्टर साहब एक टेक्निकल बिंदु आ गया है कि आइटम 23 और 24 को भी पास करना है और इनको आज 12 बजे से पहले पास करना है, अन्यथा इनको नैक्स्ट डेट के लिए लगाना पड़ेगा।

डॉ. हर्ष वर्धन : मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूँ।

पुलिस के बारे में कहा गया है। पुलिस का तो सारा देश वैसे ही हृदय से सम्मान कर रहा है। मैं तो बहुत सारे ऐसे पुलिसमैन को जानता हूँ क्योंकि हमने ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में केम्प को इनोग्रेट किया था, जिसमें कोरोना से ठीक होने वाले पुलिस वालों ने दो-दो बार अपना प्लाज्मा डोनेट किया था। हमने उनको प्लाज्मा वॉरियर्स का नाम दिया।

इसलिए, हम सभी लोग मिलकर आज नई ऊर्जा के साथ एक नया संकल्प लेकर पुनः इन सभी कोरोना वॉरियर्स को हृदय की गहराइयों से नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। मैंने नई ऊर्जा के साथ जो बातें कल कही थीं कि कोविड-19 की जंग में निर्णायक जीत हासिल करने के लिए हम सभी को मिलकर एक बार फिर नए सिरे से यह कोशिश करनी पड़ेगी कि देश के 135 करोड़ लोगों को जो सावधानियां रखनी हैं, जो कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वे साधारण बातें हैं। उनको बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है। हम यह सुनिश्चित करें और उनको नेतृत्व प्रदान करें, उनको गाइडेंस दें, उनके साथी बनें, ताकि वे किसी भी कीमत पर ऐसी छोटी-छोटी लापरवाहियां न करें, जिसके कारण वे कोरोना के शिकार हो जाएं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने इस बिल का सपोर्ट किया है, इसलिए मैं यह आग्रह करता हूं कि आप इसको पास कीजिए।

श्री कल्याण बनर्जी : डॉक्टर साहब, मैं आपको चैलेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आपने जो क्लॉज़ 6 सेक्शन 3 और 3(ए) किया है, आपने कहा है कि स्टेट गवर्नमेन्ट को एम्पॉवर किया है, लेकिन आपने कहां किया है? आपने इस एक्ट में रूल मेंकिंग पावर को भी नहीं किया है। आप रूल में दे देंगे, आपने वह नहीं किया है। आप मुझे बताइए कि आपने कहां एम्पॉवर किया है। मेरी बात आज आपको अच्छी नहीं लगेगी। मैं यह जानता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन 6 महीने के अंदर आप यह याद करेंगे, जो मैं आज बोल रहा हूं कि इस बिल में डिफेक्ट है। इस बिल में जो डिफेक्ट है, आप उसको सुधारिए, नहीं तो कौन करेगा? कौन प्रोसिडिंग इनीशिएट करेगा? आप बताइए कि वह कौन करेगा? आपने कहां एम्पॉवर किया है? नहीं तो, मैं आपको फिर से यह सुझाव देता हूं कि आप एक बार फिर से चर्चा कीजिए। आप एक लाइन का अमेंडमेंट लेकर आइए, you come tomorrow or day after tomorrow. I will support you. Who will do it? You have created a problem. Come to clause 7 which says that

notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure. आपने क्रिमिनल प्रोसीजर को निकाल दिया है।... (व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन : महोदय, मैं लीगल डिबेट तो नहीं कर सकता हूँ।... (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी : मैं इसलिए आपसे यह कह रहा हूँ।... (व्यवधान)

DR. HARSH VARDHAN: Whatever I had to say, I have already said.

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री मनीष तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।”

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि महामारी अधिनियम, 1897 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

“कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 Insertion of new section IA

माननीय अध्यक्ष : श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA : I beg to move:

Page 2 , line 4, -

after “healthcare”

insert “or any other”. (1)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा खण्ड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : श्री जसबीर सिंह गिल – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है :

“कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 Amendment of section 2A

माननीय अध्यक्ष : श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA: I beg to move:

Page 2 , line 42, -

after “train”

insert “or metro”. (3)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा खण्ड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 Insertion of new section 2B

माननीय अध्यक्ष : श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA : I beg to move:

Page 3 , line 2, -

after "healthcare"

insert "or any other". (4)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा खण्ड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

**Clause 7 Insertion of new sections
3A, 3B, 3C, 3D and 3E**

माननीय अध्यक्ष : श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA: Sir, I beg to move:

Page 3, line 25,--

for "Inspector"

substitute "Deputy Superintendent of Police". (5)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री भर्तृहरि महताब: सर, अभी हाल ही में एक ट्रेंड बना हुआ है कि प्रिज़म्पशन के उपर हम प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। मैं इस प्रिज़म्पशन के खिलाफ नहीं हूँ। फ्रेंच ज्यूरिस्पूडेंस है और हम कई आइन में फ्रेंच ज्यूरिस्पूडेंस को भी शामिल कर चुके हैं। जैसे मंत्री जी ने कहा कि हमने लॉ डिपार्टमेंट से इसकी मंजूरी ले ली है। इसको और ज्यादा पीपल फ्रेंडली करने के लिए मैंने कुछ

प्रस्ताव दिए हैं, उनको एडिशन करने के लिए, कोर्ट को और इम्पॉवर करने के लिए, मैं उसको मूव कर रहा हूँ:

पृष्ठ 4, पंक्ति 30 के पश्चात्,-

“परंतु जहां न्यायालय ने ऐसा उपधारित किया है, यह इस आशय का आदेश पारित करेगा और ऐसे प्रत्येक आदेश को समुचित उच्च न्यायालय को संदर्भित किया जाएगा:

परंतु आगे यह कि उच्च न्यायालय मामले के सम्यक परीक्षण के पश्चात्, ऐसी उपधारणा के लागू होने के आशय का आदेश पारित करेगा और जब तक निचले न्यायालय द्वारा उपधारणा के ऐसे आदेश को पारित किए जाने के एक माह के भीतर उच्च न्यायालय द्वारा उपधारणा को सही ठहराने के आदेश को पारित न किया जाए, ऐसी उपधारणा खंडित नहीं मानी जाएगी।” अंतःस्थापित करें। (6)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं भर्तृहरि महताब द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री, अब आप प्रस्ताव करें कि राज्य सभा द्वारा यथापारित, विधेयक पारित किया जाए ।

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I move:

“That the Bill, be passed.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

23.37 hrs

- (i) **STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF HOMOEOPATHY
CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020
AND
HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2020
(AS PASSED BY RAJYA SABHA)
AND**
- (ii) **STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF INDIAN
MEDICINE
CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020
AND
INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2020
(AS PASSED BY RAJYA SABHA)**

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 22 से 25 ।

अगर आप सबकी सहमति हो तो एक साथ ले लें?

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ, महोदय ।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, सदन की सहमति लेनी पड़ती है न ।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन - उपस्थित नहीं ।

श्री मनीश तिवारी - उपस्थित नहीं ।

प्रो. सौगत राय - उपस्थित नहीं ।

एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी ।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move:

“That this House disapproves of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 6 of 2020) promulgated by the President on 24 April, 2020.”

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

ADV. DEAN KURIAKOSE : Sir, I beg to move:

“That this House disapproves of the Indian Medicine Central Council (Amendment) Ordinance 2020 (Ordinance No. 7 of 2020) promulgated by the President on 24 April, 2020.”

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1970, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।”

और

“कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।”

और

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।”

और

“कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर जी ।

...(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I would like to oppose both of these Bill in one speech, if I may. I will make one general observation and four quick points to save time because of the late hour.

Sir, first this Government has this habit of repeatedly relying on the Ordinance route to bypass the scrutiny of Parliament. In 2017, such re-promulgation of Ordinances was upheld by the hon. Supreme Court as a fraud on the Constitution which is fundamentally at odds with the principle of Parliamentary supremacy.

Sir, we are meeting here at 11:40 in the night to assert that Parliament should be heard on this kind of subject, and I must say, it is necessary that the requirement spelt out under Article 123 of the Constitution must be met before resorting to the extraordinary step of promulgating an Ordinance.

But before I get into the subject, I would like to direct the attention of the hon. Minister towards The National Commission for Homoeopathy Bill passed by the Parliament this week. Section 57(1) of the Bill calls for the Homoeopathy Central Council Act, 1973 to stand repealed, and the Central Council of Homoeopathy constituted under Section 3 of the said Act to stand dissolved. This defeats the whole objective of the discussion we are having on this Ordinance today because if the Central Council shall cease to exist in the first place, why are we bringing in a law that extends their tenure?

If you look at the Statement of Objects and Reasons of this Ordinance, the Central Council is responsible for the regulation of the educational standards of Homoeopathy. This function of the Central Council shall be encompassed within the functions carried out by Homoeopathy Education Board which is stipulated in the National Commission for Homoeopathy Bill. This is apparently something that says that it will determine the standards of education and oversee all aspects relating thereto.

The President of Homoeopathy Education Board and the Heads of various institutes specializing in Homoeopathy are Members of the National Commission for Homoeopathy itself. Given all this, we have just passed a law this week. The main question to the hon. Minister is this. Is the Central Council then not redundant? I think, the hon. Minister, in response, should please give a clarification on this fundamental point.

Then, I would like to point out that there is repeated extension and supersession of both Councils. The Central Government Act in 2018 sought to supersede the Central Council, and appoint a Board of Governors in its place. In 2018, the Ordinance, and the Bill that replaced it, said that the Central Council will be reconstituted within one year. A year passed, and in 2019, the Government promulgated another Ordinance, seeking to extend the time period for reconstitution of the Central Council to two years. They had been unable to establish the Central Council within a year. Another year passed, and sure enough, in April this year, the Government promulgated yet another

Ordinance, this time extending the time period to three years. They still have failed to elect a Central Council for Homoeopathy, even though two years had now elapsed since the decision was first made.

Who knows for how many more years the Government plans to keep up this annual charade? This year, it has started the same process with the Indian Medicine Central Council, providing for it to be superseded and reconstituted within one year. Should we expect that process also to suffer from the same inordinate delay that the Homoeopathy Central Council has done?

Then, Sir, the initial move to supersede the Central Council in 2018 was meant to bring transparency, accountability, and quality within the Homoeopathy education system. The Government has achieved the opposite, by not following any democratic procedures in establishing the Board of Governors, and then exercising complete control over it. There are too many instances of the Ministry of AYUSH taking up the role of regulator in lieu of the Council, which is an over-reach by the Ministry into roles that should be delegated to autonomous bodies. The directions of the Central Government to the Board stand final with regard to policy direction. That means that the Government is giving itself the final decision-making power over the reconstituted Central Council. This is further evidence of over-centralisation in this Government taking away the autonomy of the regulatory bodies.

Similarly, there is no specific criteria or adequate representation of the Board of Governors. But in the interest of time, I would try and wrap up with the final concern which I know the hon. Minister is aware of, and which I had also mentioned in an earlier debate, that is, the potential legitimisation of quackery.

The Ministry of AYUSH is in-charge of permitting persons and colleges to offer Homoeopathic courses, and to expand such courses. It has also been promoting Clause 49 of the National Medical Commission Bill, 2017, which focuses on bridge courses that allow Homoeopathic professionals to prescribe Allopathic treatments in rural areas. The Bill to constitute the National Commission provides for an interface between the Indian System of Medicine, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy, and modern systems of medicine. This essentially means that the Indian Medical Association is concerned that giving such AYUSH Doctors the ability to prescribe Allopathic medicines and perform Allopathic procedures will officially amount to legitimisation of 'quackery', and lower the standards of rural health. Allopathic treatment cannot be delivered by Homoeopathic practitioners who, after all, have taken a 'short cut' instead of taking an MBBS, and this could absolutely reduce the efficacy of medicine. I would like Dr. Harsh Vardhan, both as an Allopathic Doctor and as a Minister responsible for this, to kindly address this concern.

Sir, the regulatory mechanism is unclear. Thanks to the setting up of National Commissions for both these areas, I would urge the Government to put an end to this process of extensions and supersessions once and for all. I

would also request the Government to either subsume the function of the Central Councils within the respective National Commissions or establish a single body for each of these fields with adequate representation from the States and from all relevant institutions. This alone will ensure greater transparency, better accountability, and a higher quality of practice and education in these fields of medicine in the country.

I thank you very much Mr. Speaker for the indulgence.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): महोदय, धन्यवाद ।

मैं दोनो बिलों के बारे में शुरू में इतना ही कहना चाहता हूँ कि परसों भी मैंने थोड़ा सा बोला था, आज मुझे केवल इतना ही बताना है कि कोरोना ने हमें क्या सबक सिखाया? उसने सबसे बड़ा सबक यह सिखाया कि आयुर्वेद की तरफ देखो, होम्योपैथी की तरफ देखो और यूनानी की तरफ देखो । आज हम सब लोगों ने काढ़ा लेना शुरू कर दिया है । दालचीनी, लौंग आदि डालकर काढ़ा लेते हैं । आज हमें उसका माहात्म्य पता चला है कि आयुर्वेद में कितनी ताकत है ।

With great respect to Shashi Tharoorji, I would like to say that to call it as quackery is an insult to that system of medicine.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I have not called it; the IMA called it.

SHRI ARVIND SAWANT : Okay, you have not called it. But whoever might have called it, it is an insult to that system of medicine because we are using this system of medicine from ancient times. Indians are using Homeopathy from ancient times.

मैं सिर्फ दो-तीन सुझाव दूँगा । मेरा इतना ही कहना है कि यह जो बिल आप लाए हैं, आप इसे अच्छे दृष्टिकोण से लाए हैं, तीन वर्ष तक हम तरसते रहे हैं । ये... * लोग हैं, इसमें से एक चेयरमैन को तो करप्शन में पकड़ा गया था । ये सारे जो काउंसिल में थे, थरूर साहब, आप जिस मेडिकल काउंसिल की बात कर रहे हैं, उसमें करप्ट लोग पाए गए । उन्होंने होम्योपैथी के जितने

* Not recorded

चाहे उतने कॉलेजेज को परमीशन दे दी, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी परमीशन दे दी थी। यह सारा कंट्रोल करना भी आवश्यक था।

हालांकि इस सरकार ने बहुत समय लिया, यह मैं भी मानता हूँ और भी एक्सटेंशन कर रहे हैं। हमारा यह सुझाव है कि अब ज्यादा समय मत लीजिए। आप जो इनको मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं। वह सबसे अच्छी बात है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारे संस्थानों को वेरिफाई कीजिए। आज तक आपने जितने भी संस्थानों को परमीशन दी हुई है, उनको वेरिफाई कीजिए। Are they able to run these medical institutions, whether they belong to Unani, Ayurveda or Homeopathy, with full equipment? वहाँ सारे उपकरण हैं या नहीं, यह देखिए।

दूसरी बात, मुझे इतना ही कहना है कि यह प्रिवेन्टिव और प्रोटेक्टिव मेजर है। जैसे हमने अभी देखा कि आर्सेनिक एल्बम-30 होम्योपैथी ने दिया और जितने भी लोगों ने होम्योपैथी की दवा ली, 50 हजार में से मात्र 10-15 लोगों को कोरोना हुआ, बाकी सभी लोगों की इम्युनिटी बढ़ गई। यह भी एक रिजल्ट है। उस रिजल्ट को आज इससे मान्यता मिल रही है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मैं आखिर में इतना ही कहता हूँ कि एमबीबीएस के डॉक्टर्स होने के बाद भी इंटरनशिप के लिए गाँवों में नहीं जाते हैं। अगर गाँव में उसकी पोस्टिंग आई तो वे राजनीतिक दलों के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे उधर गाँव में भेजा है, जरा कुछ कीजिए। आज ऐसे लोग हमें मिलते हैं।

मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर पीएचसी सेन्टर्स में होम्योपैथी, आयुर्वेद या इंडियन मेडिसिन के कोई डॉक्टर जाएं तो लोगों को सुविधा मिलेगी। कम से कम पहले तो तत्काल उसका अटेंशन हो जाएगा और ऐसा नहीं है कि इनको कुछ समझ में नहीं आता है। अभी आप जो नया

पाठ्यक्रम कर रहे हैं, it will be equivalent to that of medical science and I hope that you would get success in this effort.

With these words, I support the Bill wholeheartedly.

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Mr. Speaker, I thank you for this opportunity.

The Central Council of Homeopathy regulates and controls the education and practice of Homeopathy. The Government intends to supersede the Central Council of Homeopathy and it wants to reconstitute another council in a time-bound manner. But it is not happening and so, the Government keeps extending the tenure before which the Central Council has to be constituted. As a stop-gap arrangement, the affairs of the Central Council are entrusted to the Board of Governors. Through this Amendment, the Government is extending the existing period from two years to three years. The Government has brought this Amendment with this limited purpose.

At this juncture, I wish to place a request to the Government. Homeopathy is a system of medical treatment in which there are no side effects. The Homeopathy System of Medicine has to be promoted in a big way and in order to achieve this, we have to increase the number of Homeopathy Colleges across the country and more particularly in the State of Telangana and make these colleges as institutes of national importance.

With these few words, I support the Bill.

HON. SPEAKER: Dr. T. Sumathy. Please conclude your speech in one minute.

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Speaker, Sir, I rise to oppose these two Bills – the Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2020 and the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2020. My objections regarding the first Bill is that it is a direct assault on the State's right. This Bill is one in the line of many of the other Acts that this Government has introduced to appropriate more power to itself under its 'one nation, one policy'.

Sir, the Central Council for Indian Medicine, CCIM, which this Bill seeks to dissolve, was a democratic body constituted by the Indian Parliament where the States were represented through elected Members and were able to iron out problems associated with the ISM system. However, now owing to clause 3A, Members will now be nominated by the Central Government and this democratic system will come to an end.

Sir, again even the Standing Committee had recognized the specific healthcare issues and challenges of every State. How can this Bill address these specific State issues when the Council is being replaced by bureaucrats? As has been said by the hon. Member, Dr. Shashi Tharoor, I must reiterate that we must give importance to the fact that health is a State

subject and medical education is a Concurrent subject.. You have to give equal responsibility to the States in this arena.

Sir, here, I have to make some suggestions. There are, at present, more than 200 Ayurveda colleges. There is a Central Council Research in Ayurveda and Siddha and similar Councils for Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy. These could have been clubbed together to make it an Institution of National Importance.

Sir, I am, now, coming to the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill. Tamil Nadu is a pioneering State in Homoeopathy System of Medicines. In Tamil Nadu, there are 20,000 doctors registered in the Council after passing the degree/diploma from recognized Homoeopathy Medical Colleges in India and having a thoroughly successful practice. Though India is becoming the global hub for homoeopathic education and training, what we see today is a progressive deterioration of quality due to myopic implementation of educational standards.

Sir, I find one of the biggest lacunae in this Bill. When the AYUSH system is in such a grave situation, it is surprising, how the National Medical Commission Bill would allow practitioners of alternative medicines like Homoeopathy and Ayurveda to practice modern medicine after attending a short-term 'bridge' course. This is a very grave lacunae and I would like to hon. Minister to consider it. Since the hon. Minister is here, I have got two

requests to make. I would like to urge the Union Government to allocate Rs. 100 crore for the development of National Institute of Siddha in Chennai; and I would request to Government to create medicinal plants and herbal parks in Kolli Hills, Kuttralam, Yelagiri hills and Hogenakkal in Tamil Nadu.

I would also urge the Government to give more funds and a free hand to State Governments, which create, govern, and protect the AYUSH colleges and dispensaries in Tamil Nadu.

With these words, I conclude. Thank you very much.

HON. SPEAKER: Now, Shri K.G. Madhav. Please conclude your speech within one minute.

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Hon. Speaker, Sir, due to paucity of time, I would confine my speech within two to three minutes.

I would like to request the hon. Minister to kindly include the representatives of the State Governments in a balanced and equitable manner to ensure the interests of the States are kept in mind.

Apart from this, we need to fully address the issue of fake Ayurvedic doctors in this sector because it allowed even a non-qualified person to practice Indian System of Medicines without qualifying an entrance test.

Before concluding my speech, I would like to make the following points:

1. It is a small step towards the bigger reforms that shall be needed to be made so that the people fully trust the Indian System of Medicines and we would also be able to export it;
2. Ayurvedic exports need to be promoted so that the sector develops, and more people are engaged in the studies of Ayurveda as a subject; and
3. The Government should also further expand the reforms in the traditional systems of medications existing in South India.

Sir, I hope that the Bill will help the sector to enhance the credibility of the Indian System of Medicines.

With these few words, I conclude. Thank you.

KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): Sir, I would like to share my thoughts and fears on the Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2020, here.

I think, even the Government itself is saying that a detailed discussion is conducted on this issue and the grievances are pending now. It is because the protest against this Bill is going on in different areas. I request the Government to hear the plea of these sections too.

The major criticism is about the Exit Test. There should be a clarification. There should also be strict guidelines about this. We would like to know whether this exam is an all-India level exam or a State level exam. I fear that it may be later considered as the second NEET for the medical students. There should be a special consideration for backward communities, SCs and STs.

The next criticism is about the legitimisation of quackery. The medical professionals have expressed their doubts and fears about this Amendment. The Government should conduct a detailed discussion with these teams to clarify their doubts and fears. As they raised a question, an issue which may question the efficiency of our medical system, the Government should clarify its real position before the people and medical professionals before implementing and passing this Bill.

The next question is about the structure of the Body. I think, each State should get representation in this Body when it is vested with vital powers about medical education. So, minimum representation of the States in this Body is a limitation of this Bill. I request the Government to have necessary discussions with the medical professionals and organisations before passing and implementing this Amendment.

There is a clause about the decision of fee structure also. This Body has a right to decide such matters; so, the Government should discuss this matter with students' representatives also.

Sir, I request the Government not to infringe upon the rights of the States through this Bill as far as the medical education is concerned. The Government should clarify the doubts and fears of States and ensure their Constitutional rights before passing and implementing this crucial Bill.

Thank you, Sir.

***SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD):** Thank you Hon'ble Speaker Sir, for allowing me to speak on the Homoeopathy Bill. In our country, we have been practicing this Ayurveda for ages and years and through 'Naadi Pariksha', we used to detect the ailment and treat patients. Today the usage of Allopathy is prevalent everywhere in the world. Now, due to this Corona pandemic, people have started using Homoeopathy especially taking 'Arsenic Album 30' and 'Kadha' and it is really helping the Corona patients. Kerala state has also developed Special Ayurveda Medical System. In our Maharashtra doctors like Shri Balaji Tambe and Homeopathy doctor Shri Tilak from Pen, have helped and cured a lot of patients rapidly and accurately.

So, I would like to thank the hon. Health Minister Shri Harsh Vardhan ji for bringing this bill to begin a new medical era.

Lastly, I would like to urge upon the Government to permit us to start an Ayurveda and Homeopathy college in my constituency Raigad.

Thank you.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2020 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक चिकित्सालय को पिछड़े क्षेत्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रम से संचालित कराना चाहिए, जो अभी भी स्वास्थ्य के मामले में काफी अनभिज्ञ है। वे स्वास्थ्य सुविधा से कोसों दूर हैं। इन क्षेत्रों में होम्योपैथी स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। आयुष्मान कार्ड योजना के लाभ से जो लोग वंचित रह गए हैं, उनको भी नए सिरे से सर्वे कराकर इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ दिलाना चाहूँगा। जिस प्रकार एमबीबीएस करने वाले छात्र अपने अध्ययन के दौरान पाँचवें वर्ष में प्रैक्टिस भी करते हैं, उसी प्रकार बीएचएमएस करने वाले छात्र को भी पाँचवें वर्ष से अपनी प्रैक्टिस करने की छूट दी जाए। होम्योपैथिक दवाओं की गुणवत्ता की जैसे-जैसे माँग बढ़ रही है, वैसे-वैसे वह कम भी होती जा रही है।

24.00 hrs

इसका एकमात्र कारण होम्योपैथिक दवाओं में लगने वाले मूल रूप से एल्कोहल और जड़ी-बूटियों की गुणवत्ता का न होना है। इसके लिए सरकार ऐसा इंतजाम करे कि दवाओं की विशुद्धता बनी रहे, ताकि न केवल होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करने वाले मरीज बल्कि होम्योपैथिक विधा से प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को भी उनकी मेहनत का सकारात्मक प्रतिफल मिल सके।

महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती में वन औषधियों की बहुतायत उपलब्धता है। इन परिस्थितियों में मेरे संसदीय क्षेत्र में जन-औषधि योजना के तहत जन-रिसर्च सेंटर खोलने,

आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक के क्षेत्र में रिसर्च सेंटर खोलने तथा दवा उत्पादन सेंटर का निर्माण करने पर विचार किया जाना चाहिए। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे देश में चिकित्सा सुविधा की कमी को दूर किया जाए तथा मौजूदा डॉक्टरों की सुविधा बढ़ाई जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): मान्यवर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इंडियन मेडिसिन सेंटरल काउंसिल अमेंडमेंट बिल, 2020 पर बोलने का मौका दिया।

मान्यवर, इस बिल के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बनना लाज़मी है। मेरा अनुरोध है कि सभी मेंबर्स मेडिकल क्षेत्र के एक्सपर्ट होने चाहिए। इसके अलावा नीट एग्जाम, जो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी सबके लिए कॉमन है, जबकि इनका सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल अलग-अलग है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि इनके एडमिशन के लिए आयुर्वेदिक और यूनानी का पैटर्न भी अलग होना चाहिए।

मान्यवर, इसी तरीके से यूनानी मेडिकल एडमिशन के लिए काउंसलिंग के वक्त उर्दू टेस्ट पास का एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो अमूमन लड़कों के पास नहीं होता है। मेरा अनुरोध है कि इस वजह से कॉलेज की सीटें कम भर पाती हैं और कॉलेज का नुकसान होता है। इसमें अगर काउंसलिंग के बजाय कॉलेज को यह अख्तियार दे दिया जाए कि वह फर्स्ट ईयर के अंदर उर्दू पढ़ाने का इंतजाम कर ले, ताकि सीटें भी भर जाएंगी और हम लोगों को डॉक्टर्स भी ज्यादा से ज्यादा मिल पाएंगे। एमडी, एबीबीएस और बीएएमएस, बीएएमएस पास करने के बाद अब एग्जिट एग्जाम लाज़मी कर दिया गया है, जो मुनासिब नहीं है। इस तरीके से जिस मेडिकल कॉलेज से ये बच्चे पास होते हैं, उस मेडिकल कॉलेज पर ही उसकी मेरिट पर एक सवालिया निशान लग जाता है।

मान्यवर, कोरोना काल के बीच आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिकल हॉस्पिटल ने बहुत सराहनीय काम किया है, सेवा की है, जिसकी तारीफ हमारे पीएम साहब ने भी की है। मेरा अनुरोध है कि जिन मेडिकल हॉस्पिटल्स ने, आयुर्वेदिक और यूनानी हॉस्पिटल्स ने यह काम किया है, उनको सरकार वेंटिलेटर और डायलिसिस की सुविधा प्रदान करे, तो ज्यादा बेहतर होगा।

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि नर्स, वार्ड ब्वाय और पैरा स्टाफ के लोगों को जो तनख्वाहें शहरों के अंदर यानी अर्बन एरियाज़ में मिलती हैं, वे तनख्वाहें रूरल एरियाज़ में नहीं मिलती हैं। सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि सबको तनख्वाहें बराबर मिलनी चाहिए। इसके साथ-साथ, सरकार यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रचार का भी एहतमाम करे।

आखिर में, प्रधान मंत्री जी की योजना के तहत जेनेटिक मेडिकल स्टोर पर 600 तरह की दवाइयां मिलती हैं, लेकिन अमूमन 300 तरह की दवाइयां भी एवलेबल नहीं हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंदर जेनेटिक मेडिकल स्टोर का बुरा हाल है। वह कई-कई दिन बंद रहता है। इसकी वजह से पेशेंट्स को, खासतौर से जो कैंसर, किडनी और हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको महंगी दवाइयां लेनी पड़ती हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर सदन की अनुमति हो तो सदन का समय विधेयक पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, we trust that the Government is committed to ensuring that all kinds of medicines are available to the citizens at affordable rates and with ease. With the faith in the commitment, we support the Bill.

Sir, we just want that autonomy of such Council should not be compromised and transparency must be maintained in the Board so that no unscrupulous designs affect the backbone of our nation's healthcare.

Sir, I also request for an integrated framework and create a middle path between the modern and traditional system while still permitting some autonomy for each system. A plan for the seamless integration should be developed expeditiously in view of the massive drive for achieving Universal Healthcare already underway in the country.

Sir, a few days back, I remember that my mother is very much dependent on Homoeopathy and she believes in Homoeopathy and also in Ayurveda. During this COVID-19 pandemic period, my mother gave homemade things like *Amla* and *Haldi* to all our family members. Homoeopathic doctors have also assured us that they will give us a preventive medicine for COVID-19. Till now, my entire family is safe from COVID-19. I cannot say that it is because of allopathy or something but maybe it is because of Homoeopathy, Ayurveda and the traditional things that we have been taking since many years.

So, I would request hon. Minister, through you, to kindly consider this matter and take Homoeopathy to a different level, that is, to a completely new level which can never be questioned by anyone rather it must be appreciated more and encouraged in the coming days. Thank you so much.

DR. BHARTI PRAVIN PAWAR (DINDORI): Thank you, Speaker, Sir for giving me an opportunity to speak on this topic “The National Commission for the Indian System of Medicine Bill, 2020”. It took a visionary leadership to set us on the path to make our own indigenous medicine system world class.

I would like to draw your attention, Speaker Sir, to the speed and diligence with which our Government has moved on this subject “The Upgradation of Indian Medicine Central Council Act” had been dragging for years together.

Our Government under the leadership of our hon. Prime Minister Narendra Modi Ji has moved fast, decisively and with brilliance. As a medical practitioner in addition to being a Parliamentarian, I am deeply grateful for this work. जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं ‘कि जान है तो जहान है’ । जिस देश की जनता स्वस्थ रहेगी वही देश विकास करेगा । मैं इस बिल का तहदिल से समर्थन करती हूँ ।

“सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः ।”

“अपनी संस्कृति अपना गौरव, इतिहास अमर है अपना,
ऋषि मुनियों ने देखा जी निरोग जीवन का सपना
आओ हम इसको अपनाएं,
भारत को समृद्ध बनाएं और निरोगी जीवन पाएं ।”

अतः आज हमें आवश्यकता है अपनी संस्कृति द्वारा प्रदत्त ज्ञान पर शोध करना और उनका प्रचार-प्रसार करना । यह बिल उसी दिशा में एक कदम है, ट्रांसपेरेंसी क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहा है और रिसर्च में भी काम कर रहा है । मैं विशेष रूप से आरोग्य मंत्री श्री हर्ष

वर्धन जी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस देश की चिकित्सा के पारंपरिक रूप पर जोर दिया है। मैं पुनः इस बिल का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे दि होम्योपैथी सेंट्रल काउन्सिल अमेंडमेंट्स बिल पर बोलने का मौका दिया। यह बिल दि सेंट्रल काउन्सिल होम्योपैथी एक्ट 1973 को रिपील करके लाया गया है। दि सेंट्रल काउन्सिल फॉर होम्योपैथी में बदलाव लाया गया ताकि पूरे देश में होम्योपैथी का सुगमता से विस्तार किया जा सके। यह बिल मुख्यतः पांच बिन्दुओं को इंगित करता है - चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल प्रोफेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ होम्योपैथी का विकास एवं नियंत्रण करना, उच्च स्तरीय होम्योपैथी मेडिकल प्रोफेशनल को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जा सके। होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों को अपनाया जा सके। मेडिकल संस्थानों का समय-समय पर मूल्यांकन हो सके तथा एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना हो सके।

भारत सरकार ने ट्रेडिशनल मेडिसिन एवं होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए 23 देशों के साथ मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश स्थित विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान एवं सहयोग के क्षेत्र में 22 समझौते हुए हैं और 13 आयुष एकेडेमिक चेयर स्थापित करने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज से समझौता हुआ है। 33 आयुष इन्फॉर्मेशन सेल की स्थापना 31 देशों में हुई है ताकि आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन का विस्तार किया जाए।

मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। इंडियन मेडिसिन सेन्ट्रल काउन्सिल अमेंडमेंट बिल, 2020 जो सेंट्रल काउन्सिल फॉर इंडियन सिस्टम एक्ट 1970 को रिपील करके लाया गया है, इससे देश के सभी नागरिकों को सस्ती चिकित्सा शिक्षा का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 20 नवम्बर, 2019 में भारत सरकार ने इंडियन टैरीटरी लद्दाख के लेह में दि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा (रिग्पा) की स्थापना की मंजूरी दी गई है जो देश का पहला सोवा-रिग्पा का सर्वोच्च ऑटोनोमस संस्थान होगा।

वहां शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा विश्व भर के विद्यार्थियों को यहां पढ़ने का मौका मिलेगा। इस संस्थान की स्थापना के लिए 47.25 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है। भारत सरकार द्वारा यूनेस्को में सोवा रिग्पा पद्धति पर अपना दावा पेश किया गया है। यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है। जबकि, चीन का दावा है कि यह उसके देश द्वारा अपनाई गई प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। इससे भारत एवं विश्व के जाने-माने संस्थानों के साथ शोध एवं विभिन्न चिकित्सा पद्धति में मेल को बढ़ावा मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ तीन-चार बातें बताऊंगा। इसी सदन में, इसी सेशन में होम्योपैथी और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए नेशनल कमीशन का जो बिल है, उसको पास किया गया है। जैसे अभी हमने मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया था, उसी प्रकार से नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, ये दोनों बिल मार्च महीने में पहले राज्य सभा से पास हो चुके हैं और अब यहां से भी पास हो गए हैं। यानी, आने वाले समय में इनकी प्रक्रियाएं चलेंगी। होम्योपैथी के संदर्भ में उसको सुपरसीड करके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया गया है, उसके पीछे कारण वहां का करप्शन था। मैं संक्षेप बात कर रहा हूँ। उसके बाद, एक साल के लिए उसमें अमेंडमेंट किया गया। आगे टर्म बढ़ाया गया था। लेकिन, उसमें मेम्बर्स का रजिस्ट्रेशन आदि कम्प्लीट न हो पाने के कारण, इस अमेंडमेंट को दो बार करना पड़ा। अभी चाहे इसके संदर्भ में होम्योपैथी को करना हो, चाहे आयुर्वेद को करना हो, आयुर्वेद के संदर्भ में, अभी रिसेंटली नेशनल कमीशन का जो प्रोसेस है, उसको जब राज्य सभा ने पास किया, उसके बाद 31 मई को वहां पर जो प्रेसिडेंट थे, उनका टर्म एक्सपायर हो रहा था और एक्सपायर होने के कारण अगले व्यक्ति को और साथ में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन को अगले पांच साल के लिए करना था। दूसरी तरफ, नेशनल कमीशन की प्रक्रिया एक हाउस से पास हो चुकी थी, इसलिए उसको भी सुपरसीड करके लौजिक के हिसाब से उसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में परिवर्तित किया गया। अभी दोनों स्थानों पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, जिनको उतने समय तक रहना है, जितने समय तक ये नेशनल कमीशन, जो पास हो चुके हैं, उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। अभी वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के सेशन के लिए चाहे वे होम्योपैथी के हों, चाहे आयुर्वेद के हों या दूसरे इंडियन सिस्टम्स के मेडिकल कॉलेजेज हों, उनके इंस्पेक्शन की प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया भी ठीक से चलती रहे और साइमलटेनीयसली नेशनल कमीशन की प्रक्रिया भी तेजी से चले, उसी के परिणामस्वरूप हम सबने उसको पार्लियामेंट में पास किया है। जितने भी कन्सर्स यहां रेज किए गए हैं, उन सबको विस्तार से नेशनल कमीशन में एड्रेस किया गया है। जो यहां डिबेट हुआ है, उनके बारे में जवाब भी दिया गया है। इसके बावजूद, यदि

कोई पॉजिटिव कन्सर्स हैं, जो किसी के हिसाब से एड्रेस नहीं हुए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ, सरकार पूरी तरह से कमिटेड है। वह मेडिकल एजुकेशन को, उसकी प्रोग्रेस की चरम सीमा तक लेकर जाना चाहती है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, नैचुरोपैथी और होम्योपैथी को भी उसी स्तर पर प्रमोट करना चाहती है, जिस स्तर पर वह मॉडर्न सिस्टम को प्रमोट करती है। सभी में स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, हाई क्वालिटी और रिफार्म्स लाना चाहती है। ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी, नैचुरोपैथी, योगा तो ऑलरेडी इंटरनेशनल हो चुका है, इन सबको हम इंटरनेशनल पैरामीटर्स तक लेकर जाना चाहते हैं, यह सरकार का कमिटमेंट है। उसी दिशा में ये सारे प्रयास हो रहे हैं।

इसलिए, मैं आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि इसको पास करें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इसको और ऊँचाई तक लेकर जाएंगे।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, as the mover of this Resolution, I do object the approach of this Government of cutting the autonomy of the autonomous institutions. Earlier there were State representatives in the Central Council. But now there is no chance of State representatives to come to the Central Council or the Board of Governors because it is fully nominated by the Central Government. It is also against the principles of federalism.

Secondly, I do agree that the earlier Central Council was dissolved because of corruption. But I want to know what the next step should be to avoid corruption. Was any precautionary step taken by this Government to avoid corruption? Has any screening process been done to indulge honest experts or non-corrupt persons to the Committee?

I also want to express my feelings about Section 3 C (i) of the Indian Medicine Central Council Ordinance. It says:

“...the Board of Governors or the Central Council after its reconstitution shall, in exercise of its powers and in the performance of its functions under this Act, be bound by such directions on question of policy, other than those relating to technical and administrative matters, as the Central Government may give in writing to it from time to time.”

It means that the duty of the Board of Governors is only to obey the Central Government. That is the only duty. So, to uphold the autonomy of the regulatory body, I will request the hon. Minister not to include this provision in this Bill, that is, the Board of Governors will exercise their powers based on directions given by the Government. This should not be there in the Bill.

With these words, I conclude. I am not satisfied with the clarifications given by the hon. Minister.(interruptions)

DR. SHASHI THAROOR: Are we passing the law on the Council? He has not replied to this clarification.(*Interruptions*)

DR. HARSH VARDHAN: I think I have made it amply clear. Already the National Commission for Indian Systems of Medicines Bill as well as the National Commission for Homeopathy Bill have been passed by both the Houses of Parliament. It is not that you have got those things overnight. Even the National Medical Commission took almost a year to finalize everything. In the meantime, when you get both these institutions set up, you have to have the process evolved so as to continue the activities and to ensure that we are able to give proper recognition to all the medical colleges.

So far as objections of the hon. Member are concerned, if you read the National Commission for Indian System of Medicines Bill and the National Commission for Homeopathy Bill in detail, you will find answers to all these questions, whether it is about the representation of the States or the powers or how we will check corruption because there is a fixed tenure. Many things have been answered in that, including the point raised by the hon. lady Member in terms of the bridge course. There is nothing like a bridge course in this. You have to read the whole law in detail. I can assure you that most of you will find answer to every question. If you do not find it, still we are available to answer each and every query at the personal level.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।”

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खंड 2 और 3

माननीय अध्यक्ष : श्री जसबीर सिंह गिल – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

“कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री, अब आप प्रस्ताव करें कि राज्य सभा द्वारा यथापारित, विधेयक पारित किया जाए ।

DR. HARSH VARDHAN: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: आइटम नम्बर 24 और 25 । अब मैं एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष रखता हूँ ।।

प्रश्न यह है:

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।”

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

खंड 2 और 3

माननीय अध्यक्ष: श्री जसबीर सिंह गिल – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पारित किया जाए।

DR. HARSH VARDHAN: I beg to move:

“That the Bill be passed”.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही आज मंगलवार दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

00.22 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock on
Tuesday, September 22, 2020/Bhadrapada 31, 1942(Saka)*
